Page No 1

1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 19 वां दिवस [संख्या 14

बुधवार,

20 मार्च, 1974

सदन की कार्यवाही प्रातःकाल 11.01 मिनिट पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन) ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन-सम्पर्क, यातायात, अकाल राहत, गृह, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग एवं समाज कल्याण विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

एन्डरसन कमेटी की रिपोर्ट

310. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एन्डरसन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गंगनहर में जो पानी चल रहा है वह केवल उस समय के बीकानेर राज्य और आज के राजस्थान के लिये ही है और उसमें पंजाब राज्य का कोई हिस्सा नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंजाब राज्य में बिना स्वीकृति राजस्थान की गंगनहर की आर० डी० 87 के पास से एक चेनल माइनर कुमावाला जो 24 सी. सी. पानी गंगनहर से लेगा को हैड बनाकर शुरू कर रखा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है और बन रहे अवैधानिक हैड को कैसे बन्द करायेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) :
(1) जी हां ।

(2) पंजाब राज्य, गंगनहर की आर. डी. 85, 500 के पास से कुनियानवाली माइनर निकाल रही है और उसको गंगनहर के ऊपर एक हैड रेगुलेटर बनाकर फीड करना चाहती है । राज्य सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है और मुख्य मन्त्री के स्तर पर प्रधान मन्त्री एवं मुख्यमन्त्री पंजाब के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है ।

Page No 2

2

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : आपको कब तक इसके निर्णय की आशा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वह इस बारे में पूरे विजिलेन्ट हैं। पूरी कार्यवाही कर रहे हैं समय कितना लगेगा कह नहीं सकते पर जरूरत हुई तो दिल्ली जाकर वहां बैठ कर बात करनी होगी तो करेंगे। हमें ज्योंहि पता लगा तो वहां के सिचाई मन्त्री और अधिकारियों को लिखा। उनका जवाब नहीं मिला तो मुख्य मन्त्री को लिखा। वहां से भी जवाब नहीं मिला तो प्रधान मन्त्री को और केन्द्र के सिंचाई मन्त्री को भी लिखा है। अभी पन्तजी आये थे तो उनको भी हमने कहा है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : बात लेट क्यों शुरू की आपने ?

श्री हीरालाल देवपुरा : करीब तीन महीने से बात चल रही है। दिसम्बर, 73 से कार्यवाही बराबर चल रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : आप इसको अनआथोराइज्ड मानते हैं तो आपको इसकी जानकारी कब हुई, और आपकी जानकारी से पहले भी दूसरों को जानकारी थी या नहीं ? आपको कितना समय लगा जानकारी लेने में। स्वतः ही आप अपने स्तर पर क्यों नहीं इसको समाप्त कर देते ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह काम पंजाब के हिस्से में हो रहा है हालांकि खर्चा इसका सारा हमारा है। ऐसी स्थिति में डाइरेक्ट एक्शन से बन्द करवाना उचित नहीं है। इन्टरस्टेट का यह मामला है। अगर आपसी बातचीत से बन्द नहीं होता है तो भारत सरकार के माध्यम से इसे बन्द करवाना है। हमें दिसम्बर में मालूम हुआ और 31 दिसम्बर, 73 को सिचाई मन्त्री को मैंने लिखा। मैंने स्वयं ने दिलचस्पी ली है इसमें। डिपार्टमेन्ट ने अलग से कार्यवाही की है इससे भी पहले से।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : आपने प्रोटेस्ट लेटर दिया और उसका उत्तर आया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हमने प्रोटेस्ट लेटर हर लेवल पर लिखा, मन्त्री स्तर पर भी लिखा, मुख्य मन्त्री स्तर पर भी लिखा पर उत्तर उनकी तरफ से जब जवाब नहीं मिले तो केन्द्र सरकार के सिचाई मन्त्री को लिखा और हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने इस बारे में प्रधान मन्त्री जी को भी लिखा है। पंत साहब ने कहा है कि वे पर्सनल लेवल पर इस मामले को लेकर सुलझायेंगे।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : इस कैनाल के सारे मेनेजमेन्ट को आप अपने हाथ में क्यों नहीं लेते ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह जनरल प्रेक्टिस है कि जो एरिया जिस स्टेट में पड़ता है वहां का प्रबन्ध वहीं की सरकार देखती है। पैसा हमारा लगता है। हमारी यह कोशिश है कि इस प्रकार के परस्पर के इन्ट्रेस्ट के जितने भी मामले हैं उनका अलग से एक बोर्ड बन जाय जिस प्रकार भाखरा का है, और उसको सौंप दिया जाय। व्यास-रावी का मामला है यह सारे एक कन्ट्रोल बोर्ड के हाथ में सौंप दिया जाय। इसका चेयरमैन सेन्टर का मिनिस्टर होता है, जैसा भाखरा का है।

श्री केदारनाथ : जब तक यह व्यवस्था न हो तब तक अपने एजीक्यूटिव इंजीनियर को वहां डेपूट कर दें जो रोजमर्रा के डेवलपमेन्ट की सूचना देता रहे ।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो हमने कर रखा है प्रबन्ध । हर दिन की प्रोग्रेस की सूचना हमें मिल रही है । इस मामले में सरकार पूरी तरह से विजिलेन्ट है ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यह सरल समस्या नहीं है । बोर्ड का सुझाव अच्छा है । पंजाब सरकार ने इसे मान लिया है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अण्डर कन्सीडरेशन है । भारत सरकार के भी यह विचाराधीन है । हम चाहते हैं कि रावी-ब्यास का पानी जो पंजाब-हरियाणा में भी आता है उस सारे के मेनेजमेन्ट के लिये इस तरह का बोर्ड बन जाय ।

श्री लक्ष्मणसिंह : दोनों मुख्य मन्त्रियों की मीटिंग क्यों नहीं आप अरेन्ज करते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रयत्न किया जा रहा है ।

दौसा में पूरक परीक्षा केन्द्र

311. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा कॉलेज के कितने छात्रों ने 1971-72 व 1972-73 में पूरक परीक्षा दी और इस परीक्षा का केन्द्र कहां था ?

(2) क्या राज्य सरकार पूरक परीक्षा के लिये दौसा में ही केन्द्र रखने पर विचार कर निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) राजकीय महाविद्यालय, दौसा में सन् 1971-72 के 206 व 1972-73 में 374 छात्र पूरक परीक्षाओं में बैठे । इनका पूरक परीक्षा का केन्द्र अग्रवाल कॉलेज, जयपुर था ।

(2) पूरक परीक्षा केन्द्र, विश्वविद्यालय द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है न कि राज्य सरकार द्वारा । राजकीय महाविद्यालय, दौसा, को पूरक परीक्षा केन्द्र रखने हेतु प्राचार्य ने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को 27-8-73 को एक पत्र लिखा था व इसके पश्चात् इस वर्ष भी स्मरण-पत्र जारी किया था जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया कि अगले वर्ष इस पर विचार किया जावेगा । इसमें सरकार को कतई दिक्कत नहीं है ।

श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या सरकार यूनिवर्सिटी को निवेदन करेगी और सलाह देगी कि अगले साल निश्चित रूप से खोल दिया जावे ।

श्री खेतसिंह : मैं एक बार जरूर लिखूंगा निश्चित तौर पर हालांकि वह ऑटोनॉमस बॉडी है । कल ही आप यहां फर्मा रहे थे कि सरकार को ऑटोनॉमस बॉडी में दखल नहीं देना चाहिये ।

श्री मीठालाल : मैं तो सलाह देने के लिये इस मामले में कह रहा हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण मामला है यह।

यातायात मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) जी हां। फालना से जालोर एवं सुमेरपुर से जालोर मार्गों का राष्ट्रीयकरण योजना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र दिनांक 1-8-72 में निगम द्वारा कर दिया गया है। प्रारूप योजना के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति-पत्रों की सुनवाई संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा की जा रही है। योजनाओं के अनुमोदित होने पर इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो जावेगा।

श्री रणजीत सिंह (ओसियां) : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब तक आपत्ति-पत्रों पर निर्णय न हो जाय। यह तो एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को तो पूरा करना ही होगा।

श्री रणजीतसिंह : फालना से जालोर का रूट का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया? जबकि दूसरों को आपने पहले कर लिया ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यही तो मैंने निवेदन किया न कि 1-8-72 को नोटिफाई हुआ। इसके बाद ऑब्जेक्शन्स आये। तो यह सारा प्रोसेस में है। हमारी तरफ से ढील नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सब से ज्यादा फायदे वाला तो यही रूट है।

आपने क्या किया है कि जालोर से फालना 35 मील है। अब आहोर से जालोर को तो पहले नेशनेलाइज कर दिया। तो जो यात्री आज आता है उसे फालना से आहोर में ड्राप होना पड़ेगा। इससे तकलीफ होती है। या तो पूरा राष्ट्रीयकरण करते, नहीं तो इस आधे पर आप पूरी गाड़ियां चलाते या दूसरी प्राइवेट गाड़ियों को बदस्तूर चलने देते। इससे तो जनता की परेशानी घटने के बजाय बहुत बढ़ गई है।

श्री रणजीतसिंह : ऐसा है कि फालना से जालोर के रूट पर 52 प्राइवेट बसें चलती थीं। अब उसमें से 12 मील आहोर—जालोर का राष्ट्रीयकरण करके आपने 52 गाड़ियों की सवारियों को उठाने के लिये केवल 4 गाड़ियां लगाई हैं। अब आप सोचिये कि 52 गाड़ियों की सवारियों को चार गाड़ियां कैसे उठा पावेंगी और उन सवारियों को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा ? इसलिये या तो आप आहोर से जालोर की नेशनेलाइज्ड रूट की गाड़ियों की संख्या बढ़ावें, या पूरे रूट को तुरन्त राष्ट्रीयकरण में लें या फिर प्राइवेट बसों को जब तक पूरा रूट

Page No 5

5

(श्री रणजीत सिंह)
नेशनेलाइज न हो तब तक उन 52 गाड़ियों को अपनी पूरी सवारियों सहित पूरे रूट पर चलने दें ताकि सवारियों को तकलीफ न हो।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह अलग से प्रश्न है। आप यह सारी बात लिखकर अलग से मुझे दे देंगे डिटेल में तो मैं अवश्य कार्यवाही करूंगा। आपके मूल प्रश्न में यह सब तो नहीं था।

कमाओ और पढ़ो योजना

313. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि सूरजमल नाहटा, 76, बेंटिंग स्ट्रीट, कलकत्ता ने कमाओ और पढ़ो पर एक स्कीम मुख्य मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री के सम्मुख प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो उक्त स्कीम की कार्यान्विति के सम्बन्ध में अब तक राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : जी हां, इस स्कीम पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप स्वत: विचार कर रहे हैं या एक्सपर्ट कर रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : इसे शिक्षा निदेशक के पास हमने भेजा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षा निदेशक तो आई० ए० एस० अधिकारी होता है केवल। वह एक्सपर्ट नहीं है। वह क्या जाने शिक्षा क्या होती है। आप एक्सपर्टों को इसे दें ताकि जिस परेशानी में से आज आप गुजर रहे हैं और चाहते हैं कि यह शिक्षा जॉब ओरियन्टेड हो तो इसके लिये एक्सपर्टों से निर्णय कराइये। और उस पर फिर आप तो अपने इन आई० ए० एस० अधिकारियों से पूरी तरह से अमल कराइये।

श्री खेतसिंह : मैं इसे माननीय सदस्य को भी दूंगा। वे भी अपना सुझाव दें।

हम इसे एक्सपर्टों को भी देंगे और उनसे सुझाव लेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे सुझावों के प्रश्न पर तो आप ध्यान देंगे नहीं। एक्सपर्टों के माध्यम से आप इसकी जांच करावें और फिर कार्य रूप में परिणत करें।

एक बात और बता दें कि ये नाहटा कहां के रहने वाले हैं क्या शिक्षा में इनकी गति है ?

श्री खेतसिंह : ये लाडनूं के रहने वाले हैं। ये हिन्दी समिति, विश्व भारती, तेरापन्थी समाज में एक माने हुए स्तम्भ हैं। उनकी यह स्कीम है। इसकी जांच करवा रहे हैं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : ये छापर के रहने वाले हैं, लाडनूं के नहीं।

श्री केदारनाथ : क्या आप यह सिद्धान्तत: मानते हैं कि जोब ओरियन्टेड शिक्षा हो ?

श्री खेतसिंह : इसमें दो राय नहीं हो सकती कि कॉलेज से निकलते ही छात्र को कोई काम धन्धा मिल जाय। पर जैसा

(श्री खेतसिंह)
कल मैंने कहा था हमारे साधन, वित्तीय साधन सीमित हैं और वित्त पर सब निर्भर करता है। अब इन्होंने निश्चित सुझाव कुछ नहीं दिये हैं। केवल यह कहा है कि 15 वर्ष का बच्चा जब हो जाय तो उसे कोई काम और हुनर सिखाया जाय ताकि शिक्षा समाप्त करने के बाद उसे बेकार नहीं रहना पड़े।

सवाई माधोपुर जिले के बान्धों एवं नहरों को क्षति

314 **श्री चेतराम** (टोडा भीम) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अगस्त, 1973 में आई भयंकर बाढ़ से सवाई माधोपुर जिले के कौन कौन से बान्ध अथवा नहर टूट गये थे? उनके पुनः निर्माण के लिये कितना कितना रुपया स्वीकृत हुआ था तथा उनमें से टोडा भीम एवं नादोती तहसीलों को कितनी धनराशि स्वीकार हुई थी?

(2) क्या यह सच है कि यह धनराशि बाढ़ से हुई क्षति तथा निर्माण कार्यों के तखमीने के आधार पर स्वीकार हुई थी? यदि हां, तो क्या वे कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो धनराशि के स्वीकार होने का क्या आधार था?

(3) क्या यह सही है कि बहुत से कार्यों पर बिलकुल कार्य नहीं कराया गया है और अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कार्य पूर्ण होना बताया है? क्या सरकार धन का दुरुपयोग रोकने तथा अपूर्ण कार्यों की जांच कर उचित कदम उठायेगी?

सिंचाई मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा):
(1) सवाई माधोपुर जिले के अन्तर्गत अगस्त, 1973 में कोई बाढ़ नहीं आई। अतः कोई बान्ध या नहरें नहीं टूटीं तथा बाढ के मद में से इस जिले को सिंचाई कार्य हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री चेतराम : बान्ध पर काम चल रहा है और सड़कों पर भी चल रहा है। हालांकि वह बहुत थोड़ा है और नहीं के बराबर है। पर फिर भी इन्जीनियर ने कागजों में उनको पूरा कर दिया बताया है। इसलिये निवेदन करूंगा कि इसकी दुबारा जांच करवा ली जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप इसके लिये अलग से प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री चेतराम : इस समय जिले में काम चल रहे हैं क्या?

श्री हीरालाल : 72 की सहायता के काम चल रहे हैं। इस प्रश्न से इन कामों का सम्बन्ध नहीं है क्योंकि और भी कई दूसरी योजनाएं चलती रहती हैं। इसका पैसा एक साल में ही लैप्स नहीं होता है। काम के साथ होता है सम्भवतः 72 में बाढ़ आई उसी के अन्दर जो काम लिये गये वे अधूरे होंगे उनको पूरा किया जा रहा होगा।

श्री चेतराम : वहां के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने झूठी बातें बताकर सारा

(श्री चेतराम)
पैसा हड़प कर लिया है । काम पूरा कर दिया दिखाया है पर वास्तव में ऑन दी स्पॉट वह काम किया ही नहीं गया । मैंने इस बारे में लिखित में निवेदन किया । आप इसकी जांच करवाएं ।

मजदूरों की बकाया का चुकारा

315. **श्री प्रतापसिंह** (किशनगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि गत अकाल में जिन श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करना शेष रह गया था उसका भुगतान अजमेर जिले में अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो मजदूरी का भुगतान अब कब तक कर दिया जावेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, अभी इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वश्चन ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के प्रश्न बारबार सदन में आते हैं और मैंने एक दफा आपको यह सुझाव भी दिया है कि जो बकाया है मजदूरी की यह जिलावाइज आप कमेटी क्यों नहीं अपाइन्ट करते हैं जिससे कि यह बर्निंग प्राब्लम है इसका डिस्पोजल हो । कई जिलों में बकाया है । अजमेर जिले में भी बकाया है अकाल राहत कार्यों की ? एक कमेटी अपाइन्ट कीजिए और वह यह निर्णय कर सकती है कि यह भुगतान देना अनुचित है या उचित है । उसके अनुसार व्यवस्था हो सकती है। ऐसा क्यों नहीं करते ?

श्री मीठालाल : इसके साथ साथ यह भी है······

श्री अध्यक्ष : When the question is not taken, then on what are you speaking ?

श्री मीठालाल : अजमेर जिले की भी रिपोर्ट नहीं मंगा सकते और सारे जिलों की बात होती तब तो दूसरी बात थी लेकिन अजमेर जिले की भी सूचना नहीं आ सकती तो फिर क्या है ।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन कर दिया है । नैक्स्ट श्री जनार्दन सिंह गहलोत ।

निजी महाविद्यालयों को अनुदान के रूप में दी गई राशि

316. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा कितने और किन किन निजी महाविद्यालयों को कितनी कितनी राशि गत वर्ष अनुदान स्वरूप दी गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

(2) क्या यह सही है कि किन्हीं महा-विद्यालयों को शतप्रतिशत अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो इनकी सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

(3) अनुदान प्राप्त निर्जी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को क्या राज्य सरकार के कालेजों के प्राध्यापकों को मिलने वाली सभी सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो अनुदान स्वीकृति के नियमों में क्या इस प्रकार का कोई अनुबन्ध है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अनुदान प्राप्त किसी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को अनुदान नियम 4 (बी) के अन्तर्गत राज्य सरकार के महाविद्यालय के प्राध्यापकों को मिलने वाली सभी सुविधायें सिवाय निम्नलिखित सुविधाओं को छोड़कर समान रूप से उपलब्ध हैं :—

1. नगर भता

2. मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट (चिकित्सा-व्यय)

3. मकान भत्ता

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो सदन की मेज पर सूची रखी है क्या राज्य सरकार का यह क्राइटेरिया है कि जो जातीयता के आधार पर संस्थायें चल रही हैं जैसे कि दिगम्बर जैन है, श्वेताम्बर जैन है या दूसरी संस्थायें हैं उन संस्थाओं को अधिक मात्रा में अनुदान मिलता है और जो जातीयता के आधार पर संस्थायें नहीं हैं उनको कम मिलता है ? क्या यह आपकी पॉलिसी में आता है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी कतई पॉलिसी में नहीं आता है और नाम से ही अगर उसे जातीय संस्था मान लें तो यह उन संस्थाओं के साथ अन्याय होगा। ऐसी संस्थाओं की मेनेजिंग कमेटी के अन्दर दूसरी जाति के व्यक्तियों को भी रखना पड़ता है और इसके नियम हैं और उसका पालन नहीं होता है तो उनको ग्रान्ट इन एड नहीं दी जाती है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा था कि जैसा आपने जवाब दिया कि इन संस्थाओं का जातीयता के आधार पर संगठन नहीं होता बल्कि अन्य लोगों को भी उनकी मैनेजिंग कमेटी में लिया जाता है तो क्या आप बता सकेंगे कि दिगम्बर जैन स्कूल है उसमें जैनियों के अलावा दूसरे सदस्य भी हैं क्या उसकी वर्किंग कमेटी में ?

श्री खेतसिंह : मैं इसकी जांच कर लूंगा कि हैं या नहीं और अगर नहीं हैं तो इनकी ग्रान्ट इन एड के बारे में सोचा जायेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक प्रश्न और है कि जैसा आपने जवाब (3) में दिया कि प्राध्यापकों को राज्य सरकार के अनुसार सुविधायें दी जाती हैं मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कनोड़िया कॉलेज को आपकी राज्य सरकार से शतप्रतिशत अनुदान दिया जाता है तो क्या वहां के

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
लेक्चरार्स को वही सुविधायें दी जाती हैं जो कि राज्य सरकार की तरफ से दी जाती हैं ?

श्री खेतसिंह : आपने बड़ी डिटेल पूछ ली है और इसके लिए मैं भी समय चाहूंगा। आप अलग से पूछ लें कि कानोड़िया कॉलेज को कितनी अनुदान मिल रही है और गवर्नमेन्ट टीचर्स के बराबर सुविधायें मिल रही हैं या नहीं। यह तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जायेगा। मैंने सूची दी है यह तो बहुत लम्बी सूची है। आप इस तरह से कई इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में पूछना शुरू कर देंगे तो बहुत मश्किल हो जायेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : शत-प्रतिशत अनुदान मिलने वाली सूची है उनमें तो दो ही हैं। उसमें कानोड़िया कॉलेज भी है। मेरा खास तौर से प्रश्न यह है कि वहां जो लेक्चरार्स को सुविधायें मिलती हैं वह राज्य सरकार के अनुसार मिलनी हैं या नहीं? शतप्रतिशत अनुदान भी लेते हैं और-फिर सुविधायें भी नहीं मिलें यह आपके ध्यान में लाने का प्रश्न था। मैं समझता हूं कि आप इसकी ओर ध्यान देंगे।

श्री मीठालाल (लालसोट) : यह भी बता दें कि जो निजी विद्यालय थे उनकी आपने पिछले साल 10 प्रतिशत अनुदान में कटौती की थी, किसी को शतप्रतिशत देते हैं तो क्या दुबारा उनको इस साल में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं, तो क्यों नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि किसी को 80 प्रतिशत मिलती है किसी को 70 प्रतिशत मिलती है और किसी को मिलती भी नहीं है तो इसका क्या आधार है यह मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका क्राइटेरिया है ?

श्री खेतसिंह : कंटेगराईजेशन के आधार ये हैं:--"Quality of Education Work, Correction work, Individual attention, Teaching efficiency, Discipline, Extra-curricular activities, Contribution to the community life, Classwise attendance, Facilities for games and sports, Provision for building and equipment, Absence of malpractices, Number of faculties and subjects provided."

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि किन संस्थाओं को आप शतप्रतिशत देते हैं, जो आपने क्राइटेरिया का फार्मूला दिया मैं जानना चाहता था कि वहां पर प्राध्यापकों के साथ या अध्यापकों के साथ जिस प्रकार कि माननीय सदस्य कहते हैं उनकी नौकरियां असुरक्षित हैं तो उनको अनुदान देते समय उनके बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो कारण बताये हैं और जो क्राइटेरिया बताया है जिसके आधार पर ग्रान्ट इन एड का फार्मूला तय करते हैं इसमें से दो तीन कारणों को छोड़कर सरकार के पास बहुत

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
बड़ा डिस्क्रिशन है और सरकार मर्जी आये जो कर सकती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे नियम बनायेंगे कि जैसे अटेंडेंन्स की बात है, मेल प्रेक्टिसेज की बात है इसको मान सकते हैं और इसी प्रकार आपने करीकुलर एक्टीविटीज़ का आधार ले लिया और बहुत से फर्जी आधार रख रखें हैं इसलिए लोगों के अन्दर रोष है और जो प्रभावशाली हैं उनको ग्रान्ट इन एड मिल जाती हैं बाकी लोगों को नहीं मिलती है तो जो सरकार की अभी वर्तमान में नीति है इसमें परिवर्तन करने का सरकार का इरादा है या नहीं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछ लूं। क्या यह सही है कि आपने जो क्राइटेरिया बताया है इसके अलावा भी आपकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जिनके अनुसार पिछले माह के अन्दर जिस समय मुख्य मंत्री महोदय जोधपुर में आये तो इस्लामिया मुस्लिम मदरसे के अन्दर यह घोषणा की कि यद्यपि राज्य के अन्दर इस साल आर्थिक संकट है लेकिन फिर भी आपके लिए विशेष अनुदान देने के लिये घोषणा करता हूं। क्या यह सही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय क्राइटेरिया के आधार पर क्या किसी समिति के माध्यम से रखा जाता है और समिति में यह निर्णय लेने के बाद यह निर्णय किन के सामने प्रस्तुत होता है अन्तिम निर्णय के लिए ? क्या यह मानें कि शिक्षा मंत्री के पास इसका अन्तिम निर्णय होता है ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, केटेगराइजेशन में मेल प्रेक्टिसेज भी काउन्ट की जाती हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि यह 90 पर्सेन्ट में आता है या 50 पर्सेन्ट में आता है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग प्राइवेट इन्स्टीटयूशन्स में हैं जिनको आप एड देते हैं उनकी सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज़ और कन्डीशन्स ऑफ सर्विसेज के बारे में आपका कन्ट्रोल है या नहीं है ? और क्या यह सही है कि जो इस तरह के प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में लोग हैं उनको मनमाने ढंग से चाहे जिस समय बरखास्त कर दिया जाता है और सस्पेण्ड कर दिया जाता है ? क्या इसके लिए कोई सिक्योरिटी है ? अगर नहीं है तो यह राज्य सरकार इसकी सिक्योरिटी की गारन्टी क्यों नहीं लेती है ?

श्री मोतीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि जिन, संस्थाओं की एड में गत वर्ष 10 प्रतिशत, की कमी कर दी थी उसको वापिस इस साल बढ़ाकर देंगे या नहीं ? दूसरे यह कि, प्राइवेट तरीके से फेसीलिटीज़ देकर 1971-72 में जो कमेटी ने सिफारिश की थी कि 70 पर्सेन्ट से 80 पर्सेन्ट अनुदान मिलेगा । उनको 80 पर्सेन्ट दिया या नहीं और नहीं दिया, तो क्यों नहीं ?

श्री खेतसिंह : आप सनातन धर्म कॉलेज के लिये परेशान हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। जो कमेटी ने सिफारिश की थी ...

Page No 11

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल है जिस संस्था को शतप्रतिशत अनुदान देती है तो उसको ऋण और देने की क्या जरूरत है ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उस पॉलिसी का भी आप विरोध करेंगे ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : अनुदान के बारे में, ऋण के बारे में उस समस्त क्राइटेरिया के बारे में सारी इन्स्टीट्यूशन्स चलती हैं । सरकार उसका सर्वे करा सकती है ताकि आपकी ग्रान्ट इन एड कमेटी है उस सर्वे रिपोर्ट के बारे में कुछ कर सके · · · ·

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष, महोदय जितनी भी अनुदान प्राप्त संस्थायें हैं वे जुलाई में प्रेस्क्राइब्ड फार्म में भरकर एप्लीकेशन देती हैं । वह एप्लीकेशन इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स में भेजते है वे उसकी जांच करते हैं । उसके बाद डिप्टी डाइरेक्टर के पास भेजते हैं । वे भी उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं । जैसे मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कौन कौन कमेटी के मेम्बर्स हैं । निम्नलिखित मेम्बर्स उस कमेटी के हैं :–

(1) डाइरेक्टर ऑफ प्राईमरी एण्ड सेकेन्डरी एज्यूकेशन–कनवीनर

(2) डाइरेक्टर ऑफ कॉलेज एज्यूकेशन

(3) चेयरमेन, बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एज्यकेशन ।

(4) ए रिप्रजेन्टेटिव ऑफ एजूकेशन डिपार्टमेंट ।

(5) ए रिप्रजन्टेटिव ऑफ फाइनेन्स डिपार्टमेंट

(6) डाइरेक्टर ऑफ संस्कृत एज्यूकेशन इसके अलावा

(7) डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन ईच रेन्ज ।

(8) तीन नोमीनी नॉन ऑफिसियल मेम्बर ।

(9) डाइरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्यूकेशन ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये नॉन-आफिसियल मेम्बर कौन कौन से हैं ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अन्तिम निर्णायक · · · ·

श्री खेतसिंह : ये इतने लोग शामिल होकर सारी एप्लीकेशन की छानबीन करते हैं । जो केटेगराइजेशन बताया है, उसकी जांच करने के बाद मुकम्मिल रिपोर्ट देते हैं । फिर वह फाइनेन्स डिपार्टमेंट में जाता है । फाइनेन्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर टिप्पणी करता है और फाइनेन्स मिनिस्टर आखिरी ऑथोरिटि है ।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : नॉन-ऑफिसियल मेम्बर्स कौन कौन हैं ?

श्री खेतसिंह : नोन ऑफिसियल मेम्बर्स हैं एक मिस परवर, प्रिन्सिपल कानोडिया कॉलेज, एक ए० डी० बोहरा, विख्यात व्यक्ति हैं जोधपुर के इन्डस्ट्रियल एसोसियेशन के · · · ·

Page No 12

12

श्री श्रीराम गोटेवाला : इन्डस्ट्रियल एसोसियेशन के विख्यात व्यक्ति . . .

श्री खेतसिंह : और एज्यूकेशन में भी है इनकी ख्याति । जोधपुर से आये हुये माननीय सदस्य जानते हैं, आप नहीं जानते हैं । और तीसरे कोई उदयपुर के महानुभाव हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

(व्यवधान)

नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री हनुमान सहाय ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : केटेगराईजेशन का जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : एम्पिल टाइम दे दिया गया । चिकित्सा मंत्रीजी ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पूरा जवाब भी नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : काफी चीजें रह गई हैं सदन के सामने आने की ।

श्री अध्यक्ष : Next question has been taken now.

(व्यवधान-अश्रव्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उदयपुर के कौन हैं, नाम बता दीजिये ।

एक माननीय सदस्य : आपका नाम नहीं है । . . .

श्री निरंजन नाथ आचार्य : क्या यह सही है . . .

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० 317

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम अमरसर

317. **श्री हनुमान सहाय व्यास** : (बैराठ) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के ग्राम अमरसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्वार्टर बने हुए हैं ? यदि हां, तो इन क्वार्टरों का क्या उपयोग होता है ?

(2) क्या यह सही है कि दो क्वार्टरों को बने हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं और उनके किवाड़ नहीं होने के कारण यह बेकार पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अमरसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जीप (गाड़ी) वर्षों से गायब है ? यदि हां, तो कब से ? और सरकार द्वारा अब तक इस गाड़ी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां, किन्तु अपूर्ण होने के कारण इनका उपयोग नहीं हो रहा है ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं । गाड़ी मरम्मत में है । कम्पनी को भुगतान करने के उपरान्त भी गाड़ी सही हालत में प्राप्त नहीं हो रही है । अतः कानूनी कार्यवाही की जा रही है । जिस अधिकारी/कर्मचारी की गलती से यह हुआ उसकी विभागीय जांच के आदेश हो चुके

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
हैं। दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी।

श्री हनुमान सहाय व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा यह गाड़ी किस तारीख से मरम्मत में रखी हुई है और कहां रखी हुई है। क्या यह सही है कि यह गाड़ी 10 वर्ष से रखी हुई है। 10 वर्ष तक आपका कोई फैसला नहीं हुआ। इस अधिकारी के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है। दूसरा जो मकान बने हैं उनका कब्जा कितने रुपये लगने से पूरा हो सकता है। आपने बताया कि किवाड़ की जोड़ी बाकी है तो क्या 10 साल में किवाड़ की जोड़ी भी नहीं लग सकी, सारा मकान बना हुआ तैयार पड़ा है और सरकार इतने वर्षों तक किवाड़ न लगाना उचित समझती है? इतने वर्षों तक उस डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की? क्या जांच की? सारी डिटेल में जानकारी दीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या इससे बढ़कर अन्धेर हो सकता है? यह तो अन्धेर की पराकाष्ठा है।

श्रीमती कमला बेनीवाल: अध्यक्ष महोदय, सारी वस्तुस्थिति को देखने से मैं सहमत हूं। यह कार्यवाही बहुत देर से हो रही है और बहुत लम्बे अर्से से यह गाड़ी रिपेयर में पड़ी है और श्री माथुर हैं, उनके यहां रिपेयर में है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका ड्राइवर तनख्वाह ले रहा है क्या? यह भी बता दीजिये

कई माननीय सदस्य : वह तो ले ही रहा होगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसका 240.30 पैसे का भुगतान सितम्बर, 73 में किया गया है। इस भुगतान के किये जाने के उपरान्त भी मोटर को हैन्ड ओवर करने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा वह और चार्ज क्लेम करता है 200 रुपये तो रिपेयर के मांगता है और 60 रु० गैरेज के भी चार्ज करना चाहता है।

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या गाड़ी खोखा नहीं हो गई है? क्या यह सरासर राजस्थान सरकार का नुकसान नहीं है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मोटर कम्पनी का कहना है 1,500 रु० सड़क पर लाने का और लगेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अब उसकी कीमत क्या रह गई है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं स्वयं निवेदन कर रही हूं यह बहुत बड़ी अनियमितता हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। जांच होने पर जो अधिकारी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी तक दोषी है या नहीं, यह भी नहीं देखा गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 10 वर्ष तक तो जांच नहीं हुई है। अब क्या जांच बाकी रह गई है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्या 10 साल से जांच पूरी नहीं हो पाई है?

(व्यवधान –अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह (नदबई) : हैड आफ दी डिपार्टमेंट का अधिकारी ही दोषी है और कौन हो सकता है। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं की ......

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं कह चुकी हूं। यह गंभीर मामला है। बड़ी अनियमितता हुई है। जांच बैठाई हुई है। तीन महीने के अन्दर-अन्दर जांच रिपोर्ट आने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसी सैकड़ों नजीरें हैं रैड टैपिज्म और लायत लाली की। सरकार की प्रेस्टिज धीरे धीरे सिन्क हो गई है और अब उसको उठाना भी मुश्किल है। महात्माजी आ जायं तो भी नहीं उठ सकती है। कुछ न कुछ तो करिये मंत्री महोदय।

श्री कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, क्वार्टर्स का जहां तक सवाल है 10 हजार का एस्टीमेट आया है। तखमीना शीघ्र तैयार करवा कर कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय उच्च माध्यमिक शाला, मावली

318. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक शाला, मावली में अनिवार्य अंग्रेजी विषय के 11वीं कक्षा में कितने वर्ग हैं और वहां अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापकों के कितने पद हैं और इस समय अंग्रेजी के कितने वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत हैं ?

(2) श्री गोवर्धन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नाथद्वारा में 11वीं कक्षा में अंग्रेजी के कितने वर्ग हैं तथा वहां वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के कितने पद हैं और कितने वरिष्ठ अध्यापक इस विषय में कार्यरत हैं ?

(3) दोनों विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या में इस प्रकार का अन्तर रखने का क्या कारण है और उसका कितना औचित्य है ?

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में नाथद्वारा के उक्त विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या अधिक थी ? यदि हां, तो उनकी संख्या में कमी कब की गई और ऐसा करने का क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) राजकीय उच्च माध्यमिक शाला, मावली में 11वीं कक्षा के दो वर्ग हैं और वहां पर अंग्रेजी के दो पद हैं और इस समय दो अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत हैं।

(2) श्री गोवर्धन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नाथद्वारा में 11वीं कक्षा के 6 वर्ग हैं तथा वहां वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी का एक पद है और वहां एक वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी में कार्यरत है।

(3) सामान्यतः उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक विषय का एक वरिष्ठ अध्यापक दिया जाता है। इस वर्ष जहां-जहां अधिक पद थे उनका समायोजन किया गया। मावली से अगले सत्र से अंग्रेजी का एक पद हटा दिया जावेगा।

(4) नाथद्वारा से वरिष्ठ अध्यापक के समायोजन के अन्तर्गत ही अंग्रेजी के एक वरिष्ठ अध्यापक का पद इसी सत्र में कम किया

(श्री खेतसिंह)

गया। पूर्व में अंग्रेजी वरिष्ठ अध्यापक के दो पद थे और एक पद हटा दिया गया। गत वर्ष 72-73 में वहां पर तीन वर्ग के समकक्ष ही छात्र संख्या थी और तीन वर्ग तक एक ही वरिष्ठ अध्यापक पर्याप्त होता है। अतः वहां से दूसरे अध्यापक का अन्यत्र समायोजन किया गया। चूंकि वहां इस समय छः वर्ग हैं। अतः अगले सत्र में छात्रों की संख्या बढ़ी तो पद और बढ़ा दिया जावेगा।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भी वहां पर छः वर्ग थे और वहां से एक अध्यापक और एक सीनियर टीचर वापिस हटा लिया गया जबकि अन्यत्र कई ऐसी स्कूल हैं जहां पर केवल दो दो वर्ग थे वहां एक एक अध्यापक रहने के बजाय दो दो अध्यापक आज भी मौजूद हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप उन छात्रों की संख्या बता देंगे कि गत वर्ष कितने छात्र थे और इस वर्ष कितने छात्र हैं और अन्य स्कूलों के छात्रों की संख्या भी बता दीजिए जहां दो दो अध्यापक हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह भी बता दीजिए कि अध्यापक रखने का क्राइटेरिया क्या है ? एक टीचर के कितने पीरियड होने चाहिएं और उसके आधार पर दो टीचर रखना क्या जस्टीफाइड है या नहीं ?

श्री खेतसिंह : मावली से आने वाले माननीय सदस्य भी कुछ पूछेंगे क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षा मंत्रीजी ने एक को लाभ न देते हुए भी दूसरे का नुकसान कर दिया उसके लिए तो मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन क्या शिक्षा मंत्रीजी ने इस सेशन के बाद में नीचे से आने वाले विद्यार्थियों के अनुपात को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है ?

नम्बर दो, शिक्षा मंत्रीजी आज पानी के लौटे पर भी क्रांतियां हो रही हैं इसका भी खयाल रहे। ऐसी स्थिति पैदा न हो जाय कि एक अध्यापक को हटा दिया और खामख्वाह भूचाल पैदा करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले विद्यार्थियों को सामने रख कर अपने दिमाग को ओपन रखें तो उचित होगा। यह कहें कि आवश्यकता होगी तो रखेंगे और आवश्यकता नहीं रही तो हटा देंगे।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले सत्र में नाथद्वारा हायर सैकण्डरी स्कूल के अन्दर अगर छः वर्ग थे तो दो पद होने ही चाहिएं। यदि दो नहीं रख कर एक ही रखा है तो मैं इसकी जांच करूंगा कि क्या कारण थे। जहां तक अध्यापक रखने का प्रश्न है, तीन वर्ग पर एक अध्यापक होना चाहिए। अगर वहां पर छः वर्ग थे और अध्यापक एक ही रहा तो यह वास्तव में बहुत ही कम है। मैं आज ही यह आदेश दूंगा कि एक अध्यापक और लगा दिया जाय।

जहां तक मावली से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न है अगले सत्र तक दो अध्यापक चलेंगे और उस वक्त लड़कों की संख्या को देख कर निर्णय करेंगे। अगर

(श्री खेतसिंह)
लड़कों की संख्या पूरी नहीं हुई तो फिर माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर संख्या बढ़ गई तो क्षमा का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री जान मोहम्मद।

ग्राम भटखेड़ा में डकैती का मामला

319. **श्री हाजी जान मोहम्मद** (पिड़ावा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि दिनांक 15-4-73 को श्री भेरुदास वैरागी, ग्राम भटखेड़ा, जिला झालावाड़ के यहां डाका पड़ा था जिसमें उसके लड़के, औरत, लड़की और बहू को काफी चोटें आने की वजह से शफाखाना, रायपुर में भर्ती किया गया था व दो-तीन हजार रुपये का माल भी डाकू ले गए थे? यदि हां, तो उस डकैती पर आज तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार एस. पी., झालावाड़ को इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश देगी?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाब सिंह शक्तावत): (1) जी हां। इस डकैती में केवल 495) रु० का माल जाना मुस्तगीस ने दर्ज करवाया था जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुकद्दमा दर्ज कर दो नामजद मुल्जिमान श्री अभयसिंह व मोती बागरी को गिरफ्तार किया गया, परन्तु उनसे काफी प्रयत्न करने के बावजूद भी माल बरामद नहीं हो सका, इस कारण एफ. आई. आर. अदम सबूत में दिनांक 14-2-74 को दे दी गई है।

(2) सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक को, उप-महानिरीक्षक, आरक्षी से जांच कराने हेतु आदेश दे दिये हैं।

श्री हाजी जान मोहम्मद : मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि जो जानकारी दी गई है वह गलत है। जो डाका पड़ा है उसमें ढाई-तीन हजार का माल लूटा गया और उसकी रिपोर्ट लिखवायी है। जब इस मामले में पुलिस द्वारा वाजिब कार्यवाही नहीं की गई तो मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री बरकत साहब से मिला और उनसे अर्ज किया और उन्होंने सारे मामले को मंगा कर देखा तो जांच से उनको भी इत्मीनान नहीं हुआ। यह सच वाकया है कि बदमाशों ने डाका डाला और उसकी औरत और लड़के को मारा। जो मुलजिमान थे उनका एस० डी० ओ०, झालावाड़ से दोस्ताना था और उन्होंने जो इन्क्वायरी की उसमें माल बरामद नहीं हो सका। वहां के थानेदार और एस० डी० ओ० दोनों दोस्त थे और वे मुलजिमान मुस्तगीस को तबाह कर देना चाहते थे और डाके के समय उसकी औरत और लड़के को पीटा गया। तीन औरतों को इतना मारा गया कि वे 27 रोज तक शफाखाने में पड़े रहे....

श्री अध्यक्ष: आपका मजीद सवाल क्या है?

श्री हाजी जान मोहम्मद: मैं यह हालात बता रहा हूं। मैं चाहता हूं....

श्री केदारनाथ : मंत्रीजी को जो अच्छा लगे उसका जवाब दे दें।

श्री हाजी जान मोहम्मद : मामले को खराब कर दिया गया है और साजिश की गई है......

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उस वाकयात के बारे में एक पत्र 7-11-73 को मुख्य मंत्री को लिखा था और उस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने एस० पी० झालावाड़ से इसकी रिपोर्ट मंगाई थी और तहकीकात से संतुष्ट नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने यह आदेश दिया है कि इस मामले की कार्यवाही डी० आई० जी०, कोटा रेंज स्वयं करें।

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

प्रश्न सं० 320

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं० 321

श्री बिरदाराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री सांवरमल मोर।

बालिका विद्यालय, ग्राम थोई

322. **श्री सांवरमल मोर** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के थोई ग्राम के बालिका विद्यालय को गत वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया था ? यदि हां, तो नियमानुसार इस वर्ष सातवीं कक्षा तक की बालिकाओं को पढ़ाने के लिए कितनी अध्यापिकाएं नियुक्त की जानी चाहिए थीं तथा इस समय कितनी अध्यापिकायें कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि काफी कम अध्यापिकायें कार्यरत होने से छात्राओं की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो भविष्य में कब तक उचित व्यवस्था कर दी जावेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) यह सही है 1 प्रधानाध्यापिका के अतिरिक्त अध्यापिकाओं की आवश्यकता होती है किन्तु वर्तमान में प्रधानाध्यापिका के अतिरिक्त 3 अध्यापिकायें कार्यरत हैं।

(2) शेष रिक्त स्थानों पर नियुक्ति कर दी गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नियुक्ति तो हो गई लेकिन कब तक पहुंच जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्नकर्ता ही पूछ लेंगे आप क्यों तकलीफ करते हैं।

प्रश्न सं० 323

श्री दीपंकर।

पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन

323. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार के जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा जनवरी, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक किस किस समाचार पत्र-पत्रिका और स्मारिका को कितना कितना रुपया कब कब विज्ञापनों के लिए किस किस दर पर दिया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष राज्य के छोटे पत्र-पत्रिकाओं को गत वर्ष की तुलना में कम विज्ञापन दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के पत्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोटा

Page No 18

18

(श्री दीपंकर)

प्रणाली अनुसार सीमित धनराशि से बीस बीस हजार रुपये के अधिक विज्ञापन दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) समाचार पत्रों, स्मारिकाओं को जो विज्ञापन दिया गया उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

	परिशिष्ट
जनवरी, 73 से मार्च, 73	अ
अप्रेल, 73 से दिसम्बर, 73	ब
स्मारिकाओं को जनवरी, 73 से दिसम्बर, 73	स

समाचार पत्रों को जो विज्ञापन दिया जाता है उनकी दरें परिशिष्ट 'द' पर हैं। स्मारिकाओं को उनकी अपनी दरों पर दिये गये विज्ञापनों की राशि परिशिष्ट 'स' पर है। परिशिष्ट अ, ब, स, द की सूचियां सदन की मेज पर रख दी हैं।

(2) जी, नहीं। दोनों वर्षों में छोटे पत्रों को दिये गये विज्ञापनों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट 'क' पर है।

(3) जी हां, कुछ अधिक प्रसार वाले पत्रों में वर्गीकृत विज्ञापन देना प्रचार की दृष्टि से आवश्यक था, ये विज्ञापन सम्बन्धित विभागों के आग्रह पर ही दिये गये थे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह कैटेगराइजेशन जो किया है उसका आधार क्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कैटेगराइजेशन के लिए राज्य सरकार ने कुछ आधार बना रखा है, वह मैं आपको बता देती हूं :

"If any paper is published from more than one place, total circulation from all the places, standard of journalism, qualifications and experience of the Editor, regularity in publication of the paper, number of pages and standard of the published material, standard of articles pertaining to problems of Rajasthan, number of advertisements, other than Government advertisements, rates of advertisements, progress made since the establishment of the paper and advancing and declining trends in respect thereof."

यह क्राइटेरिया इसका तय किया गया है। इसको कायम करने के लिए कैटेगराइजेशन कमेटी बनी हुई है। इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए कमेटी स्वयं निर्णय व सिफारिश करती है।

श्री केदारनाथ : एडीटर की क्या क्वालिफिकेशन है ? कौन-कौन एडीटर हो सकते हैं ? मिनिमम क्वालिफिकेशन एडीटर की क्या रखी गयी है क्योंकि आखिर वे इतने बड़े अखबारों को एडिट करते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : 5 वर्ष का एक्सपीरियन्स होना चाहिए, यह उनकी क्वालिफिकेशन है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस कमेटी में जो लोग हों वे पढ़े लिखे होने चाहिए।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली) लेकिन जो ब्लैकमेलिंग करते हैं उनको एडवरटाइजमेन्ट मिल जाता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पत्रकारों में से नियुक्त किया जाता है। जो पत्रकार घोषित हैं वे ही इसके मेम्बर हैं। 8 सदस्य कमेटी के हैं। डाइरेक्टर भी उसमें है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दीपंकर : मध्यम श्रेणी के अखबारों को प्रोत्साहन देने के लिए कौनसा कदम उठाया जा रहा है?

जिस जिले के विज्ञापन हैं वे उस जिले के समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाने चाहिएं। क्या सरकार ऐसा मानती है? यदि हां, तो फिर वहां के समाचार पत्रों को क्यों छोड़ दिया जाता है? इसका जवाब आना चाहिए।

श्री मनोहरलाल (कामां) : यह सारा का सारा भट्टजी की मर्जी से होता है। भट्टजी जिसको चाहते हैं उसको विज्ञापन दे देते हैं। यह कब तक चलेगा? हर मंत्री ने यहां पर कहा है कि भट्टजी को हटाया जाएगा। परन्तु भट्टजी वहीं के वहीं पर बैठे हैं और वे आपकी भी चिलमपोशी करने लगे हैं, मुख्य मंत्री की भी करते हैं। सारे मंत्रियों को वे हटाते जा रहे हैं। जब तक वे यहां पर रहेंगे ऐसा ही होता रहेगा। भरतपुर के पत्रकारों के साथ भी यही भेदभाव वे कर रहे हैं। भरतपुर के समाचार पत्रों के साथ कभी सहयोग नहीं किया है बल्कि उनको दबाया और धमकाया गया है।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्टरी करें माननीय सदस्य। प्रश्न करें, भाषण नहीं।

श्री मनोहरलाल : यह भट्टजी का ठेका कब तक चलेगा?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसके बाबत में एक वर्गीकरण कमेटी का जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है, उसके द्वारा ही यह तय किया गया है कि किस प्रकार से किन किन पेपर्स को कितना कितना क्लासीफाइड विज्ञापन दिया जाय साल भर में और कितना डिस्प्ले विज्ञापन दिया जाय और उसको तब गवर्नमेन्ट एप्रूव करती है और उनको एडवरटाइजमेन्ट दिया जाता है। पूर्व में इसका विभाजन इस प्रकार किया हुआ नहीं था। लेकिन इसको बाद में कर दिया गया है। पिछले अर्से से यह विज्ञापन वर्गीकरण कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक ही दिया जाता है। इसमें एक बार सिफारिश का उल्लंघन हुआ है जिसका कारण पूर्व में उल्लेख किया है।

श्री अध्यक्षः नेक्स्ट।

श्री दीपंकर : एक प्रश्न और पूछना है।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ चुके हैं।

श्री दीपंकर : बीच में दूसरों ने पूछ लिया था। मैंने दो प्रश्न ही पूछे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक सवाल और पूछ लीजिए।

श्री दीपंकर : सी को 60 पैसे, बी को 1.20 पैसे और ए को 2 रुपये प्रति

(श्री दीपंकर)

कॉलम सेन्टीमीटर की दर से विज्ञापन दिया जाता है। यह किस आधार पर तय किया गया है और यह कब से लागू है ? वर्तमान महंगाई को देखते हुए क्या सरकार इन विज्ञापन की दरों में परिवर्तन करने के बारे में सोचती है और इन दरों के समानीकरण के लिए सरकार कौनसे कदम उठाने जा रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : दरों को और अधिक बढ़ाने के लिए और 15 पर्सेन्ट सरचार्ज बढ़ाने के लिए वर्गीकरण समिति ने सिफारिश की है कि यह किया जाना चाहिए। यह उनकी मान्यता है लेकिन धनाभाव के कारण इस समय कोई आश्वासन देने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न क्लोज्ड।

प्रश्न संख्या 324

अजमेर जिले में इन्डस्ट्रियल एस्टेट

324. **श्री केसरीमल** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर जिले में कितने शहरों में इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने का कब तक निर्णय लिया गया ? हर शहर में कितने कितने शेड होंगे ? जितने शेड बनाने का निर्णय लिया गया वे बन गये या नहीं ?

(2) जिन शेडों को औद्योगिक इकाइयां लगाने व चलाने हेतु दिये गये क्या इन शेडों में कार्य जारी है ? यदि हां, तो कितने शेडों में ?

(3) राजस्थान में प्रत्येक जिले में कितनी कितनी औद्योगिक बस्तियां बनाने का निर्णय गत वर्ष तक लिया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) उद्योग विभाग द्वारा अजमेर जिले के माखुपुरा में 30 शेड बनाने का निर्णय लिया, जो बन गये हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा मशीन टूल्स कारपोरेशन के पास पांच शेड बनाने का निर्णय लिया गया था। पांचों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पर्वतपुरा में 10 और शेड बनाने का निर्णय इस वर्ष लिया गया है, जिनका निर्माण कार्य अब प्रारम्भ किया जावेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्मित 30 शेडों में से 25 शेडों में कार्य जारी है। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा निर्मित पांच शेडों में से एक में मशीन लगने का कार्य जारी है।

(3) राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा औद्योगिक बस्तियां बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। निगम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करता है, उनमें कहीं कहीं पर शेड बनाये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक बस्तियां निम्न स्थानों पर बनाने का निर्णय लिया गया है:—

जयपुर, माखुपुरा (अजमेर), उदयपुर, पाली, सुमेरपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, श्री गंगानगर, कोटा और भीलवाड़ा।

श्री झाबर मल सुण्डा (फतेहपुर): सीकर को क्यों छोड़ दिया गया है ?

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय मुझे सूची नहीं मिली है? जवाब में यह बताया गया है कि 30 शेड बनाये गये हैं। 25 में काम हो रहा है। 5-6 बेकार पड़े हैं। क्या इनमें उद्योग नहीं लगे हैं या दिये नहीं गये हैं।

एक माननीय सदस्य : औद्योगिक बस्तियाँ बनाने का क्या मापदंड है ?

श्री मनोहरलाल: भरतपुर के शेड सब-लेट कर दिये गये हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सब-लेट का अलग से प्रश्न है। आप प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दूंगा।

श्री मूलचंद सामरिया : जवाब क्या देंगे सब-लेट हो गये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिन पांच शेडों के बारे में जानकारी चाही गई है उनमें कार्य शुरू नहीं होने के कारण अलॉटमेन्ट केन्सिल कर दिया गया था। उनमें से दो शेड्स के आवंटन केन्सीलेशन के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है जिसके कारण वे पड़े हुए हैं। शेष जो तीन बचे हुए हैं उनके आवंटन की कार्यवाही जारी है।

श्री केसरी मल : क्या वास्तव में इन 25 शेडों में काम चल रहा है। कच्चा माल बन रहा है या बंद पड़े हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वहां पर मशीन वगैरह लग गयी है और कार्य जारी है।

श्री माणकचंद सोगानी (अजमेर पूर्व): अजमेर के बारे में इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय ? वहां पर जो शेड लगाये गये हैं उनमें बिजली की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं की गई है। यदि नहीं है, तो देरी क्यों हो रही है ? बिजली की बराबर सप्लाई नहीं होने के कारण कार्य में बाधा पहुंचती है और हतोत्साह होकर काम छोड़ देते हैं। क्या इसका आप पूरा बन्दोबस्त करावेंगे ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। जो जानकारी दी है कि वहां पर बिजली की असुविधा है तो जानकारी प्राप्त कर सुविधा प्रदान कर दी जावेगी।

श्री केसरीमल : जिन शेडों में काम शुरू है वहां काम इसलिए तो बंद नहीं है कि उनको कच्चा माल देने की व्यवस्था नहीं है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

झुन्झुनू जिले में सड़क निर्माण में आयी भूमि का मुआवजा

320. **श्री शीशराम ओला** (पिलानी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनू

Page No 22

22

(श्री शीशराम ओला)
जिले में अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जितनी भी सड़कें बनाई हैं उनका मुआवजा उन काश्तकारों को, जिनकी भूमि पर सड़कों का निर्माण हुआ है, अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक मुआवजा नहीं देने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बहुत सारी सड़कों का निर्माण होने के बाद अनधिकृत तौर पर जहां कि उन लोगों ने जिनके सड़क के पास खेत लगते हैं या घर लगते हैं कब्जा कर लिया है और इस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति को हड़पा जा रहा है और इसके फलस्वरूप सड़क पर दुर्घटना अधिक घटित होती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) यह कहना सही नहीं है कि झुंझुनूं जिले की समस्त रोड्स का मुआवजा भुगतान नहीं हुआ है, 19 सड़कों में भिन्न भिन्न काश्तकारों की आई भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? शेष में कार्यवाही की जा रही है, जैसे ही अवार्ड प्राप्त होगा मुआवजा भुगतान करा दिया जायेगा ।

(2) 14 सड़कों पर अनधिकृत कब्जे की जानकारी अधिशासी अभियन्ता, झुंझुनूं को प्राप्त हुई है जिनकी शिकायत राजस्व विभाग अधिकारियों एवं पुलिस थानों में भेजी गई है । अनधिकृत कब्जों से हुई दुर्घटना की शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

जयपुर-जालोर मार्ग की बसें

321. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से जालोर राज्य पथ परिवहन की दो बसें चलती हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन बसों को जयपुर से जालोर होते हुए भीनमाल व सांचोर तक चलाने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार जोधपुर से जालोर जाने वाली बस को भी भीनमाल तक चलाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । जयपुर से जालोर निगम की दो यात्री वाहनें चलती हैं । फालना सांडेराव, तख्तगढ़, जालोर, सिरोही, कालीन्द्री, रामसीन, भीनमाल और रानीवाड़ा एवं मंडार, जालोर वाया रानीवाड़ा, रामसीन राष्ट्रीयकरण योजनाओं के स्वीकृत हो जाने पर जयपुर से जालोर वाहन को भीनमाल-सांचोर तक चलाया जा सकेगा । ये योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ।

(2) जी हां । मंडार, रानीवाड़ा, भीनमाल, रामसीन, जालोर मार्ग के राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात् जोधपुर-जालोर वाहन को भीनमाल तक चलाया जा सकेगा । यह योजना सरकार के विचाराधीन है ।

Page No 23

2·3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक निदेशालय, बीकानेर

240. श्री गोरधन सिंह (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के परिपत्र सं० एफ० 6 (64) एफ० डी० (एफ० एण्ड ए०) 61, दिनांक 16 मई, 1972 के अनुदेश सं० 4(5) के अन्तर्गत किसी विभाग के योजना बजट के प्रस्ताव विभागीय लेखाधिकारी के द्वारा जांच के लिए जाने के बाद आगे भेजे जाने चाहिए ?

(2) क्या यह सही है कि प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक निदेशालय, बीकानेर में प्लान बजट तैयार करने और एप्रूव करवाने का कार्य उप-निदेशक (जूनियर), जो हैड आथोरिटी है और प्रशासनिक अधिकारी इंचार्ज सेक्शन, जो कि प्रावैधिक एवं लेखों की जानकारी से अनभिज्ञ हैं, के स्तर पर होता है ?

(3) क्या उक्त निदेशालय में एक वरिष्ठ लेखाधिकारी, एक लेखाधिकारी, 6 सहायक लेखाधिकारी और लगभग 10 लेखाकार हैं लेकिन उनसे परामर्श नहीं किया जाता ?

(4) क्या यह सही है कि उप-निदेशक, श्री अग्रवाल और प्रशासनिक अधिकारी, श्री गोपाल पुरोहित और लगभग 4-5 लिपिक महीने में 20-25 दिन जयपुर में दौरे पर रहते हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1972-73 व 1973-74 (अब तक) में इनके द्वारा किये गये दौरे, उसका प्रयोजन क्या लेखा सेवी भी था, से युक्त सूची सदन की मेज पर रखें ?

(5) क्या गैर लेखा सेवी वर्ग के लिए वित्तीय मामलों हेतु दौरा करना औचित्य पूरक है ?

(6) क्या इस निदेशालय के प्लानिंग संक्शन में नवसृजित लेखाकार के पद पर नियुक्त व्यक्ति को लेखा कार्य न देकर अनावश्यक कार्य सौंपा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) प्रशासनिक अधिकारी का पद किस प्रयोजन हेतु सृजित कराया गया था और अब उनके द्वारा क्या अंजाम दिया जा रहा है ? क्या सरकार इस पद के धारक द्वारा सृजन के समय उससे अपेक्षित कार्य अब नहीं किये जाने और जांच से इसे फालतू एवं अनौचित्य पूरक पाया जाने पर, इसको समाप्त करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है। यह भी सही नहीं है कि उप-निदेशक (जूनियर) और प्रशासनिक अधिकारी प्रावैधिक एवं लेखों की जानकारी से अनभिज्ञ हैं अपितु वे लेखों एवं बजट सम्बन्धी पूर्ण जानकारी एवं अनुभव रखते हैं।

(3) आवश्यकतानुसार विभाग में कार्यरत लेखाधिकारी एवं कर्मचारियों से इस संबन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है।

(4) केवल आवश्यकतानुसार ही विभाग द्वारा इन अधिकारियों को जयपुर

(शिक्षा मंत्री)

भेजा जाता है। इन अधिकारियों द्वारा वर्ष 72-73 व 73-74 में जो भ्रमण किये गये हैं उसका ब्यौरा संकलित किया जा रहा है।

(5) उपरोक्त अधिकारियों को जिस कार्य के लिए भ्रमण पर भेजा जाता है वे उस कार्य से पूर्ण दक्ष हैं। अतः औचित्य-पूर्ण है।

(6) यह सही नहीं है।

(7) प्रशासनिक अधिकारी के पद का सृजन जिस प्रयोजन हेतु करवाया गया है उसी कर्तव्य का दायित्व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा वहन किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी के पद की पूर्ण उपयोगिता और औचित्य है। अतः इसे समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

हायर सैकन्डरी स्कूल, कुशलगढ़ का अध्यापक

214. **श्री जीथिंग** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भूतपूर्व अध्यापक श्री धरणीधर पांड्या ने उज्जैन विक्रम विश्व-विद्यालय से सर्विस के समय प्राइवेट परीक्षा दी? उन्हीं तारीखों में हायर सैकन्डरी स्कूल, कुशलगढ़ में भी उपस्थिति बताई गई है?

(2) क्या यह सही है कि दोनों स्थानों पर उपस्थिति बताने पर राज्य सरकार ने कार्यवाही की है? यदि हां, तो फर्जी उपस्थिति बताने पर उक्त अध्यापक के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक ने अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिया? यदि हां तो कौन सी तारीख को और कौनसी तारीख से उन्हें स्कूल में उपस्थित होने से मुक्त किया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक ने स्कूल में उपस्थित नहीं रहते हुये उस पीरियड का वेतन बिल प्रस्तुत कर उठा लिया है? यदि हां, तो कितने माह का वेतन व कितनी रकम उठायी है?

उत्तर

(1) जी हां। उपस्थिति नहीं बताई उन दिनों तातील थी।

(2) दो जगह हाजिरी बताने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उन दिनों तातील थी। जांच दूसरे मुद्दे पर हुई।

(3) श्री पांड्या ने विभाग से दिनांक 30-12-72 को त्याग-पत्र दे दिया जिसे दिनांक 21-4-73 से स्वीकार कर लिया गया।

(4) जी नहीं।

नये स्कूल खोलने का निर्णय

242. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने इसी वर्ष जुलाई मास से राज्य में नये महा-विद्यालय तथा विभिन्न स्तर के नये स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उनकी अलग अलग कुल कितनी संख्या है तथा वे कहां कहां किस प्रकार की परिस्थितियों वाले स्थानों में खोले जावेंगे और निश्चित

(श्री मीठा लाल)
स्थान के मापदंड की क्या प्रक्रिया होगी ?

उत्तर

इस वर्ष जुलाई मास में राज्य में नये खोले जाने वाले व क्रमोन्नत किये जाने वाले विद्यालयों का प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

सेवामुक्ति के विरुद्ध विद्यालय निरीक्षक, जयपुर को की गई अपील

243. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चन्द्र प्रकाश सोगानी, सहायक अध्यापक, प्रदीप शिक्षण केन्द्र संस्था के प्रबन्धकों द्वारा की गई उनकी सेवा मुक्ति के विरुद्ध विद्यालय निरीक्षक, जयपुर को कोई अपील की ? यदि हां, तो विद्यालय निरीक्षक ने उक्त अपील पर क्या निर्णय दिया ? निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या विद्यालय निरीक्षक के उक्त निर्णय को न मानने पर संस्था के प्रबन्धकों को निरीक्षक द्वारा अनुदान बन्द करने की कोई चेतावनी दी गई है ? यदि हां, तो कृपया उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि अध्यापक को पुनः अभी तक सेवा में संस्था ने नहीं लिया है और संस्था लगातार विभागीय आदेशों की अवहेलना कर रही है ? यदि हां, तो विभाग एवं राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या शिक्षा निदेशक को यह अधिकार है कि अपीलान्ट अधिकारियों का निर्णय न मानने पर संस्था को अनुदान राशि में रुपया काट कर अध्यापक को दे देवें ? यदि हां, तो इस अध्यापक को क्यों नहीं दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि निजी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के मामलों में शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने कर्तव्यों का नियमानुसार पालन नहीं कर रहे हैं ।

उत्तर

(1) जी हां, निर्णय की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(2) जी हां, प्रतिलिपि संलग्न है ।

(3) जी हां, संयुक्त निदेशक, जयपुर द्वारा विद्यालय निदेशक द्वारा अपील पर दिये गये निर्णय को अमान्य किय जाने के कारण अध्यापक को पुनः सेवा में नहीं लिया गया ।

(4) जी हां, परन्तु जैसा प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में बताया गया है कि निर्णय अध्यापक के प्रतिकूल है इसलिए अनुदान राशि से अध्यापक को भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है ।

(5) विभाग के समस्त नियमों का अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री सनातन धर्म संस्कृत महा-विद्यालय, लालसोट

244. **श्री मीठा लाल** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री सना-

(श्री मीठालाल)
तन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, लालसोट (जयपुर) को ग्रान्ट-इन-एड कमेटी द्वारा एड 70 प्रतिशत से बढ़ा कर 80 प्रतिशत देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसे अभी तक स्वीकृत एड क्यों नहीं दी जा रही है ? यदि दी जावेगी तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय के आचार्य की नियुक्ति की स्वीकृति भी राज्य सरकार द्वारा अभी तक नहीं भेजी गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक भेज दी जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्रान्ट-इन-एड ने प्रावधान उपलब्ध होने की शर्त के आधार पर सिफारिश की थी, किन्तु आयोजना भिन्न मद में अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण प्रतिशत नहीं बढ़ाया जा सका। अलबत्ता राज्य सरकार ने इस संस्था को आयोजना मद से 5,000/- की अतिरिक्त तदर्थ सहायता दी थी। योजना भिन्न बजट में अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध होने पर प्रतिशत वृद्धि पर विचार किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 17-11-73 को प्रसारित की जा चुकी है। इसकी सूचना संस्था को भी दी जा चुकी है।

राजस्थान नहर के पानी का उपयोग

245. **श्री ज्ञान सिंह चौधरी** (मादपुरा): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान नहर में इस समय कितना पानी उपलब्ध हो रहा है और क्या उपलब्ध पानी का सिंचाई के लिये शत प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या यह सही है कि राजस्थान नहर का बहुत सा पानी डाइवर्शन और एस्केपों द्वारा फालतू बहाया जा रहा है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

सन् 1973-74 में राजस्थान नहर में निम्न मात्रा में जल उपलब्ध हुआ है अथवा होने का अनुमान है :-

अप्रेल	1973	1,49,240	क्यूसेक गाज
मई	1973	1,62,200	,,
जून	,,	1,57,474	,,
जुलाई	,,	1,47,500	,,
अगस्त,	,,	1,39,400	,,
सितम्बर	,,	2,13,690	,,
अक्टूबर	,,	1,53,264	,,
नवम्बर	,,	81,083	,,
दिसम्बर	,,	76,449	,,
जनवरी,	1971	57,839	,,
फरवरी	,,	57,370	,,
मार्च	,,	1,00,000 (अपेक्षित)	,,

इसमें से इस नहर के हिस्से का जल केवल अप्रेल, मई, जून, अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 73 में एवं जनवरी, फरवरी व मार्च, 74 तक पूरा उपयोग में आ सका। माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 73 में हिस्से के पानी का काफी भाग काम में नहीं आ सका क्योंकि उपलब्ध जल की मात्रा राजस्थान की गंग कैनाल,

(राज० नहर परियोजना मंत्री) भाकड़ा एवं राजस्थान नहर की क्षमताओं से अधिक थी।

सन् 1974-75 में भी गर्मियों के कुछ महीनों में हमारे हिस्से के जल का इन्हीं कारणों से पूरा प्रयोग नहीं हो सकेगा जाड़े के दिनों में आशा है कि 3.8 मिलयन एकड़ फीट हिस्से के जल में से 3.1 मिलयन एकड़ फीट जल इन तीनों नहरों पर इस्तेमाल कर लिया जावेगा और शेष पोंग डेम में संगृहीत रख कर शुरू की खरीफ की फसलों की अच्छी बिजाई की जा सकेगी।

जी नहीं। केवल सन् 1972-73 में ही इस प्रकार पानी एस्केप और डाइवर्शन से निकाला गया चूंकि इसका अन्य स्थानों पर उपयोग सम्भव नहीं था और यह धारणा थी कि इस प्रकार के जल से कुछ उपयोग प्राप्त हो सकेगा।

छत्रपुरा एवं नाहरगढ़ के किसानों की डूब में आई भूमि

246. **श्री राम गोपाल** (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला कोटा में छत्रपुरा तालाब बांधने से छत्रपुरा एवं नाहरगढ़ के किसानों की जमीनें डूब में आई हैं? यदि हां, तो कितने ऐसे किसान हैं तथा किस किस काश्तकार की कितनी भूमि डूब में आई है?

(2) जिन किसानों की जमीनें डूब में आई हैं उनके लिए क्या राज्य सरकार ने मुआवजा तय किया है? यदि हां, तो क्या यह मुआवजा उन काश्तकारों को दे दिया गया है?

(3) क्या सरकार उक्त किसानों को अन्य स्थान पर जमीनें आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस जगह?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। सभी काश्तकारों को मुआवजा देने के चैक दिनांक 30-3-1972 को जारी कर दिए गए थे। कुछ काश्तकारों ने समय पर चैकों का भुगतान नहीं करवाया अतः उनके मुआवजे के चुकारे की कार्यवाही विभाग द्वारा पुनः की जा रही है।

(3) जैसा ऊपर बताया गया है काश्तकारों का मुआवजा तय किया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

नहर विभाग में बेलदारों की नौकरी

247. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि भगवानदास, सुरजाराम, कुन्दनसिंह, कुम्बनराम जो नौ साल से नहर विभाग में बेलदारी का काम करते थे करतारसिंह, नानूराम, श्यामलाल, जो आठ साल से और पूर्णचन्द जो छः साल से नहर विभाग में बेलदारी का कार्य कर रहे थे किस आधार पर नौकरी से अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरी खण्ड द्वारा मुक्त कर दिये गये?

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त बेलदारों की नौकरी पुख्ता थी और बिना किसी नोटिस या कारण के उन्हें मुक्त कर दिया गया है? क्या सरकार जांच कर इन्हें फिर नौकरी पर बहाल करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) किसी भी कर्मचारी को मुक्त नहीं किया गया है।

(2) उपरोक्त बेलदारों की नौकरी अर्द्धस्थायी है। किसी भी कर्मचारी को नौकरी से अलग नहीं किया गया है अतः जांच कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सहायक अभियन्ता दौसा द्वारा वसूली

248. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सहायक अभियन्ता, दौसा द्वारा 1973-74 के वर्ष में वसूल की जाने वाली राशि का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? क्या इसकी वसूली सन्तोषजनक तरीके से अब तक हो रही है? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि वसूल की जा सकी है? क्या वसूली की गति अत्यन्त धीमी है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

दौसा उपखण्ड के लिये 1973-74 में वसूली का लक्ष्य 17.50 लाख रुपये का है। अप्रेल 73 से जनवरी 74 तक करीब 14 लाख रुपयों की धनराशि वसूल की जा चुकी है जो सन्तोषजनक मानी जाती है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चम्बल सिंचाई योजना

249. **श्री राम गोपाल** (किशनगंज) व **श्री शिवनारायण** (बारां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल सिंचाई योजना के अन्तर्गत उन गांवों को जो गांव लिफ्ट कमांड में आ रहे हैं सिंचाई के नक्शे में दिखा रखा है। यदि हां, तो राज्य सरकार उन गांवों में सिंचाई कार्य कब तक प्रारम्भ करेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील मांगरोल व सब तहसील अन्ता क्षेत्र के कुछ गांव इस-योजना के अन्तर्गत आ रहे हैं? यदि हां, तो वहां ट्यूब वैल लगेंगे, या कुओं के लिए ऋण दिया जावेगा?

(3) अन्ता पंचायत समिति (तहसील मांगरोल) गैर कमांड क्षेत्र का लघु सिंचाई योजना के सम्बन्ध में जो अर्द्ध विस्तृत भूजल सर्वेक्षण कराया गया है उस सर्वेक्षण प्रतिवेदन को उस क्षेत्र की जनता के हित में कब क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

उत्तर

(1) लिफ्ट सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को सिंचाई के नक्शों में दिखा रखा था परन्तु तत्पश्चात् लिफ्ट कमाण्ड के ग्रामों को राजस्थान के 17 जून, 1971

(श्री सिंचाई मंत्री)

के राज-पत्र में प्रकाशित सूचना संख्या एफ 8 (62) सिंचाई/62, दिनांक 13-3-1971 द्वारा सिंचाई क्षेत्र में फिलहाल न सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई थी। अर्थाभाव के कारण इस योजना को पांचवी पंचवर्षीय योजना में नहीं सम्मिलित किया जा सकता।

(2) जी हां। मांगरोल तथा अन्ता तहसीलों के कुछ ग्राम इस योजना में सम्मिलित थे। नहरें बनाकर पानी पम्पों द्वारा उठाने का इस योजना में प्रस्ताव था।

(3) इसका सम्बन्ध राजस्थान भूजल मण्डल से है।

ग्राम रीजोन (झालरापाटन) का तालाब

250. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रीजोन तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ के तालाब को बड़ा बनाने हेतु कई बार विभाग एवं मंत्री को सर्वे कराने हेतु निवेदन किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तालाब जो अभी है को बनाने की स्वीकृति दो वर्ष पहले ही हो चुकी थी परन्तु ग्रामवासियों के निवेदन करने पर कि इसे बड़ा बनाया जाय क्योंकि सिंचाई केवल 60 एकड़ जमीन से ज्यादा नहीं होती है, दुबारा मंजूरी देने व सर्वे के लिए लिखा गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रीजोन तालाब के दो बार सर्वेक्षण कराने के प्रार्थना-पत्र मिलने पर इसका निरीक्षण दो बार करवाया जा चुका है।

(2) दोबारा निरीक्षण करने पर बान्ध को बड़ा बनाना लाभप्रद नहीं पाया गया।

जिला बून्दी में चम्बल योजना

251. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी में चम्बल योजना के अन्तर्गत ग्राम खटकड़ से गैन्डोली-लाखेरी-सवाई माधोपुर होते हुए सिंचाई के लिये सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो कब और इसके अन्तर्गत कहां कहां की कितनी कितनी भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और इस पर कितनी राशि व्यय होगी ?

उत्तर

जी हां। बून्दी जिले में चम्बल योजना के अन्तर्गत बून्दी ब्रान्च नहर पर स्थित ग्राम खटकड़ से गैन्डोली-लाखेरी-सवाई माधोपुर होते हुये सिंचाई के लिये सर्वे 1962 में किया गया था। परियोजना प्रतिवेदन में बून्दी ब्रान्च केनाल को बढ़ा कर लगभग 65,000 एकड़ अधिक भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी जिसमें बून्दी जिले

(श्री सिंचाई मंत्री)

को बून्दी एवं केशवराय पाटन, कोटा जिले को इन्द्रगढ़ एवं सवाई माधोपुर जिले की सवाई माधोपुर एवं खण्डार तहसीलों के क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना में सम्बन्धित व्यय का तखमीना लगभग 279.50 लाख रुपये का वर्ष 1964 में बनाया गया था जलाभाव के कारण इस योजना का कार्य चालू नहीं किया जा सकता।

आर० डी० की खुदाई का ठेकेदार को भुगतान

252. श्री **चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आर० डी० 470 से 472½ की खुदाई का कार्य ठेकेदार द्वारा पूरा कर दिया गया है? यदि हां, तो समय पर कार्य को पूरा करने के बाद आज तक ठेकेदार को 87,000 रुपये का भुगतान क्यों नहीं किया गया? और अब इसका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

(2) ठेके के सम्बन्ध में लिए गये एग्रीमेंट की कापी व फाइनल बिल की सूची व भूतपूर्व चीफ इन्जीनियर श्री रामसिंह के फैसले की प्रति सहित सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ठेकेदार ने पूरा काम नहीं किया इस कारण भुगतान नहीं किया गया?

(2) ठेके के सम्बन्ध में किये गये एग्रीमेंट की प्रति व फाइनल बिल की प्रति संलग्न है। भूतपूर्व चीफ इन्जीनियर श्री रामसिंह ने इस विषय में कोई फैसला नहीं किया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति क्षेत्र राशमी का विद्युतिकरण

253. श्री **गणेशलाल** (गंगरार): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतिकरण योजना पंचायत समिति क्षेत्र राशमी (जिला चित्तौड़गढ़) के अन्दर लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए सर्वे हो चुकी है? यदि हां, तो कब व इस योजना के अन्तर्गत कितने गांव लिए गये हैं? व कार्य कब शुरू होकर कब तक सम्पन्न होगा सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, इस योजना के अन्तर्गत 56 गांवों की स्वीकृति आर० ई० सी० नई दिल्ली से प्राप्त हुई है जिसमें से 21 ग्राम राशमी तहसील के हैं। 56 ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। यह योजना तीन साल में कार्यान्वित होगी, जिस पर कार्य वर्ष 74-75 में प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री गंगानगर-पदमपुर-रायसिंह नगर मार्गों पर चलने वाली बसें

254 **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर जिले में गंगानगर-पदमपुर, पदमपुर रायसिंह नगर मार्गों पर कितनी सरकारी बसें चल रही हैं ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि बसें समय पर नहीं चल रही हैं ? रास्तों में जो खड्डे आते हैं वहां से यात्रियों को नहीं उठा रहे और बसों में इतनी भीड़ होती है कि सत्तर अस्सी यात्री बस में भरे होते हैं और इसके अतिरिक्त बहुत से यात्री बसों के ऊपर बैठ कर आते हैं ?

(ग) सभी यात्रियों को आने जाने की सुविधा नहीं दे सकते, रास्ते से सवारियां नहीं उठा सकने और अपेक्षित बसों के अभाव में क्या सरकार प्राइवेट बसों के परिचालन का विचार रखती है ?

(घ) सरकार कब तक यात्रियों की यह असुविधा समाप्त करेगी ?

उत्तर

(क) गंगानगर जिले में गंगानगर–पदमपुर मार्ग पर निगम की 26 बसें चलती हैं। गंगानगर–रायसिंह नगर मार्ग पर 16 बसें चलती हैं वे ही बसें पदमपुर–रायसिंह नगर मार्ग पर चलती हैं।

(2) यह सही नहीं है कि निगम की वाहनें समय पर नहीं चलती हैं। रास्ते में यात्रियों को उठाया जाता है। यह सही नहीं है कि बस में 70-80 यात्रियों को बैठाया जाता है एवं बसों की छतों पर बैठाया जाता है।

(ग) जी नहीं। सरकार ने शत-प्रतिशत बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया है। अतः निजी वाहनों को परिचालन की अनुमति प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं है।

(घ) यात्रियों को सुविधा प्रदान करने हेतु निगम सचेष्ट है।

सहायक प्रादेशिक प्रबन्धक, गंगानगर

255. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में जिला गंगानगर में परिचालकों द्वारा किराया अधिक वसूल किया जा रहा है और निगम द्वारा जो किराया निश्चित किया गया है वह भी नियमों के विपरीत है ?

(ख) क्या यह सही है कि गंगानगर से पदमपुर 37 कि० मी० है, जल्लूका 46 कि. मी., 40 आर० बी० 48 कि० मी० रायसिंह नगर 69 कि० मी० मगर जो किराया वसूल किया जा रहा है, उसमें पदमपुर 40, जल्लूका 50, 40 आर० बी० 52, रायसिंहनगर 76 का किराया वसूल किया जा रहा है जो नियमों के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या निगम इसकी जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराने का विचार रखती है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि इस समय गंगानगर से पदमपुर का किराया 1.85

Page No 32

32

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
पैसे हैं जब कि यात्रियों से वसूल 2 रु० किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि इस अधिक वसूली के लिए, सहायक प्रादेशिक प्रबन्धक गंगानगर जिम्मेदार है और इसीलिए वह गंगानगर में अपने आदमियों के सिवाय दूसरे को चालक या परिचालक नियुक्त नहीं करते ? क्या सरकार उपरोक्त मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी नहीं ।

(ख) यह इस अंश तक सही है कि गंगानगर से पदमपुर 40, जल्लूकी 50, 40 आर० बी० 52, रायसिंहनगर 76 कि० मी० का किराया वसूल किया जा रहा है । इसका निर्धारण इन मार्गों का सर्वे कराने के बाद ही किया गया है और यह नियमों के विरुद्ध नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

कस्बा सुजानगढ़ की हरिजन बस्ती का निर्माण कार्य

256. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू कस्बा सुजानगढ़ में एक हरिजन बस्ती का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो कब तथा उस पर कितनी राशि व्यय की गई और कुल कितने मकान बनाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त हरिजन बस्ती का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और कोई भी परिवार आज तक उसमें बसाया नहीं गया है । यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा सुजानगढ़ जिला चूरू के मेहतर परिवारों के लिए निम्न वर्षों में निम्न धन राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई । जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है:-

क्र० सं०	वर्ष	स्वीकृत मकान संख्या	स्वीकृत अनुदान राशि	दर
1	1964-65	51	38250	750
2	1965-66 व 1967-68	58	58000	1000

(2) जी नहीं । परिवार इन मकानों में रह रहे हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बीकानेर के अस्थायी आयुर्वेदिक औषधालय

257. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर जिले में धावरिया,

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

गिरांजसर आदि अन्य किस किस गांव में अकाल के समय विभाग द्वारा कितने अस्थाई आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि अस्थायी औषधालयों में से कुछ औषधालय राज्य सरकार ने चालू रखे हैं और कुछ को बन्द कर दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम थावरिया व अन्य ग्रामों में वहां की जनता द्वारा औषधालय भवन बनाकर आयुर्वेद विभाग के नाम रजिस्ट्री करा कर सौंप दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन भवनों की लागत दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अकाल के समय अस्थाई औषधालय क्रमश: थावरिया, गिरांजसर, कोलासर, कोलायत, जस्सूसरगेट, एवं गोगागेट में खोले गए थे।

(2) जी हां। ग्राम जस्सूसरगेट, गोगागेट व कोलासर मे औषधालय चालू रखे गए हैं तथा ग्राम थावरिया गिरांजसर तथा कोलायत में औषधालय बन्द कर दिए थे। थावरिया ग्राम में अस्थाई शिविर औषधालय पुन: चालू करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

(3) केवल 3 ग्रामों को जनता द्वारा भवन बनाकर विभाग के नाम रजिस्ट्री करादी हैं। सूची सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

जोधपुर नगर के लिये छोटी एम्बूलेन्स की व्यवस्था

258. **श्री अमृत लाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सत्य है कि जोधपुर नगर के पुराने भाग में सड़कें व गलियां कम चोडी होने से वर्तमान एस० एन० मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की एम्बूलेन्स गाडियां गम्भीर बीमारी की परिस्थिति में भी नहीं पहुंच सकती ? यदि हां, तो छोटी थ्री व्हीलर एम्बूलेन्स का कब तक प्रबन्ध कर दिया जायेगा ?

उत्तर

यह सत्य है कि जोधपुर नगर की पुराने भाग की सड़कें व गलियां कम चोड़ी है और वहां एम्बूलेन्स नहीं जा सकती। धन उपलब्ध होने पर छोटी थ्री व्हीलर एम्बूलेन्स का प्रबन्ध किया जा सकेगा।

राज्य की डिस्पेन्सरी एवं एड पोस्ट

259. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य में कितनी मेडिकल डिस्पेन्सरीज एवं एड पोस्ट कार्य कर रही हैं ?

(2) उनमें प्रतिदिन कितने आउट डोर मरीजों के इलाज का औसत आता है ? कृपया सूची स्थान दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(3) एक मेडिकल एड पोस्ट को डिस्पेन्सरी में अप-ग्रेड करने तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में नई डिस्पेन्सरी प्रारम्भ करने के क्या सिद्धान्त हैं ?

उत्तर

(1) 555 डिस्पेन्सरीज एवं एड पोस्ट कार्यरत हैं।

(2) उक्त संस्थानों में कुल मरीजों की संख्या व उनका औसत निम्न प्रकार हैं :--

1972

रोगियों की संख्या		रोगियों का औसत	
आउटडोर	इनडोर	आउटडोर	इनडोर
68,67,735	16,851	35,180	502

(3) एड पोस्ट को डिस्पेन्सरी में अपग्रेड करने के संबंध में स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में 105 नई डिस्पेन्सरी खोलने का प्रावधान प्रस्तावित है। इनके स्थानों का चयन, जन संख्या, भवनों की उपलब्धि तथा स्थानीय क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाएगा।

भिक्षावृति का उन्मूलन

260. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने लोग भिक्षावृति के सहारे अपना जीवनयापन कर रहे हैं ? राज्य सरकार उन्हें बेहतर जिन्दगी गुजारने के लिए क्या क्या साधन जुटा रही है ? इनमें कितने अपंग हैं और कितने मानसिक रोग से पीड़ित हैं ?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में भिक्षावृति उन्मूलन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 1961 की जनगणना के आधार पर राजस्थान राज्य में भिक्षुकों की संख्या 50,551 है। विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में सिर्फ अजमेर में ही भिक्षुकों का सर्वेक्षण पूरा संपादित हो पाया है तथा जयपुर में चालू है।

अजमेर में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर भिक्षुकों की शारीरिक अवस्था के अनुरूप निम्न वर्गीकरण किया जा सकता है:—

अशक्त	11.8 प्रतिशत
विरूप शरीरीय	5.9 ,,
दृष्टि विहीन	2.5 ,,
कोढी	2.5 ,,
कोढ़ के कारण विकृति / अक्षमता	3.7 ,,
लम्बी बीमारी से पीड़ित	4.0 ,,
अनुसूचित	1.0 ,,
विक्षप्त एवं पागल	4.7 ,,

राजस्थान में भिक्षा निरोधक विधेयक लागू नहीं होने पर भी राज्य सरकार के भिक्षावृति उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत अजमेर, जयपुर व उदयपुर में भिक्षु गृहों के माध्यम से तथा अतिरिक्त भिक्षुक केन्द्रित

(समाज कल्याण मंत्री)
क्षेत्रों में सघन कार्यक्रमों द्वारा भिक्षुकों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर, पुरुषार्थी भावना जाग्रत करते हुए, उन्हें समाज के उपयोगी नागरिक की तरह स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

भिक्षुक गृह प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र द्वारा उन्हें बुनाई, दरी, निवार, काष्ठ-कला, लुहारी, उद्योग का प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें स्वतंत्र व्यवसाय हेतु बैंक से ऋण की व्यवस्था की जाती है। सहकार के आधार पर सहकारी समिति का गठन कर सी०एस०एम० व सोयाबीन ग्रांट द्वारा निर्मित बिस्कुट पोषाहार केन्द्रों में बांटा जा रहा है, जिसके द्वारा लाभ भी अर्जित किया गया है। भिक्षुक केन्द्रित क्षेत्रों में उसी अनुरूप सघन कार्यक्रम के अन्तर्गत पोषाहार केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं। उपर्युक्त वृद्ध एवं अशक्त पेन्शन की व्यवस्था, उद्योग संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है।

अजमेर व जयपुर में राजस्थान बाल अधिनियम लागू कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप उपेक्षित भिक्षुक 16 वर्ष तक की बालिका व 18 वर्ष तक के बालक सर्वेक्षण गृह में प्रारम्भ में रखे जाते हैं।

(2) भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिये राज्य सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में भिक्षावृत्ति निरोधक कानून को क्रियान्वित करने के लिए प्रावधान प्रस्तावित किया है।

पथ परिवहन निगम के लिपिक के बकाया वेतन का भुगतान

261. **श्री केसरदेव** (लक्ष्मणगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री भागचन्द जैन, भूतपूर्व वरिष्ठ लिपिक ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्य किया है? अगर हां, तो कब से कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री भागचन्द जैन का वेतन बकाया है? अगर हां, तो आज तक भुगतान क्यों नहीं किया गया? शीघ्र भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

श्री भागचन्द जैन दिनांक 19-9-66 तक राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा में रहे।

(2) जी हां।

श्री भागचन्द जैन भूतपूर्व कनिष्ठ लिपिक की अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी पत्रावली पर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने के कारण निलम्बित काल का भुगतान नहीं हो सका है। इनके विरूद्ध जांच पूर्ण होने पर ही जांच निर्णय के आधार निलम्बन काल के वेतन भुगतान के प्रश्न पर निर्णय लिया जाना सम्भव हो सके।

विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी

262. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री मूलचन्द सामरिया)

करेंगे:—

गत दस वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कितने कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने भेजा गया। सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

नये थाने

263. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार राजस्थान में इस वर्ष नये थाने कायम करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कितने व कहां कहां ? जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने पुलिस का पुनर्गठन करने हेतु एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसने राज्य में नये थाने स्थापित करने हेतु सिफारिश की है। कमेटी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(2) मामला अभी विचाराधीन है।

मृतक सिपाही के परिवार को मुआवजा

264. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि जिला बूंदी के थाना गेन्डोली के श्री महावीर प्रसाद शर्मा एच० सी० नं० 407 दिनांक 30-7-73 को अनाज के भरे ट्रक को रोकते समय ट्रक से मारा गया ?

(2) क्या यह सही है कि ट्रक को बूंदी पुलिस ने पकड़ा था ? यदि हां, तो कब और अब तक क्या कार्यवाही हुई ? ट्रक में किस प्रकार का खाद्यान्न भरा हुआ था और वह कहां से भर कर लाया गया था और कहां पर बेचा जाना था ?

(3) क्या मृतक सिपाही श्री महावीर प्रसाद के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि श्री महावीर प्रसाद एच० सी० पुलिस थाना गैन्डोली की दिनांक 29-7-73 व 30-7-73 की रात्रि में एक ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस समय मृतक मुख्य आरक्षी सरकारी ड्यूटी पर था।

(2) जी हां। दिनांक 31-7-73 को ट्रक नं० आर०जे०एक्स० 775 को बरामद किया गया था। मुकद्दमा जेर तफतीश है ट्रक सुपुर्दगी नामे पर दिया गया है जिस समय पुलिस ने उक्त ट्रक को पकड़ा तब ट्रक खाली था।

(3) मृतक मुख्य आरक्षी की नोमिनी को रुपये 2814 इन्शोरेन्स के दिये गये हैं व मृतक की बहन जो स्कूल में अध्ययन कर रही है उसके लिये रुपये 1000 बैनवलेंट फण्ड से राजस्थान पुलिस मुख्यालय से स्वीकृत हुये हैं। मृतक के ग्रेच्यूटी के कागजात ए० जी० राजस्थान के कार्यालय में भिजवा दिये गये हैं।

अकाल राहत कार्यों के लिये स्वीकृत राशि

265. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत फागी तथा चाकसू तहसीलों में कुल कितने कुए स्वीकृत हुए ? आसामी व गांव वाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कुओं के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया तथा बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया तथा कितने कुओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने कुओं का कार्य अपूर्ण है ? यदि कुए अपूर्ण हैं तो उसके क्या कारण हैं ? ये अब कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे ?

(स्थागित किया गया)

अस्थाई कर्मचारियों की संख्या

266. **श्री मोठालाल** (लालसोट) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के सम्बन्ध में क्या कोई आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस आश्वासन के समय कितने कर्मचारी अस्थाई थे और आज अस्थाई कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(स्थगित किया गया)

पुलिस द्वारा आयोजित अखिल भारतीय खेल-कूद प्रतियोगिता

267. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजित 23वीं अखिल भारतीय खेल-कूद प्रतियोगिता पर कुल कितना व्यय हुआ ? वर्गीकृत व्यय की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि सम्पूर्ण भारत की टीमों ने उक्त प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया ? यदि हां, तो किन किन टीमों ने भाग लिया और किन टीमों ने भाग नहीं लिया ?

उत्तर

(1) 23वीं अखिल भारतीय पुलिस खेल-कूद प्रतियोगिता पर कुल रु० 86,055.40 व्यय हुआ है। वर्गीकृत व्यय की तालिका संलग्न है ।

(2) जी हां, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली व भाग न लेने वाली टीमों की तालिकायें पृथक्-पृथक् संलग्न हैं। जिन राज्यों की टीमों ने भाग नहीं लिया उसके कारण के बारे में राज्य सरकार को जानकारी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

पुलिस द्वारा जांच किये गये मामले

268. **श्री झाबरमल सूण्डा** (फतहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार ने जनवरी, 1972

(श्री झाबरमल सुथार)

से अब तक कितने पुलिस द्वारा जांच किये जा रहे मामलों को सी. आई. डी. से जांच करवाने के आदेश दिए ?

(2) उन मामलों में पुलिस द्वारा की गई जांच के क्या निष्कर्ष थे ? प्रत्येक मामले के निष्कर्ष बताते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त मामलों में सी. आई. डी. द्वारा जांच करने पर जांच के क्या निष्कर्ष रहे ?

(4) पुलिस विभाग द्वारा की गई जांच एवं सी. आई. डी. द्वारा की गई जांच में यदि कोई भिन्न निष्कर्ष निकले हों, तो उसके क्या कारण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या भिन्न निष्कर्ष का कारण पुलिस या सी. आई. डी. विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों की जांच में कोई त्रुटि या गफलत है ?

(6) क्या इस त्रुटि या गफलत के लिए क्या कोई जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार इस त्रुटि या गफलत के लिए दोषी को दण्ड देने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और भविष्य के लिए ऐसे मामलों में क्या सरकार कोई प्रक्रिया निर्धारित करेगी जिससे त्रुटि या गफलत न हो सके एवं दोषी के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही हो सके ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1972 से जनवरी, 1974 तक सी० आई० डी०, सी० बी० में कुल 186 मामले जांच हेतु प्राप्त हुए।

(2) चाही गई सूचना संलग्न तालिका के कॉलम नं० 5 में अंकित है।

(3) चाही गई सूचना संलग्न तालिका के कॉलम नं० 6 में दर्ज है।

(4) केवल दो मामलों में भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकले जिसकी सूचना संलग्न तालिका के कॉलम नं० 7 में दर्ज है।

(5) यह सूचना तालिका के कॉलम नं० 8 में अंकित है।

(6) चाही गई सूचना संलग्न तालिका के कॉलम नं० 9 में दर्ज है।

(7) जी हां, दोषी पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जाती है व भविष्य में भी की जायेगी। इस बारे में प्रक्रिया पूर्व से ही निर्धारित है। जो व्यक्ति दोषी या गफलत में पाये जाते हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आबू रोड में बाढ़ से क्षति

269 श्री भूराराम (आबू) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आबू रोड में बाढ़ से नगरपालिका क्षेत्र में 1,380 मकान

(श्री भूराराम)

नष्ट हुए ? तथा पंचायत समिति क्षेत्र में 1,400 मकान नष्ट हुए ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार बाढ़ सहायता के रूप में मकान बनाने के लिए कुछ निर्धारित धन राशि बाढ़ पीड़ितों को वितरित कर रही है ?

(2) बाढ़ से आबू रोड़ तहसील में कुल कितने मकान नष्ट हुए ? कितने परिवारों को कितनी कितनी धनराशि वितरित की गई ? कितने परिवार अभी तक इस लाभ से वंचित रहे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पिंडवाड़ा तहसील के धनारी, भावरी, खाखरवाड़ा, काछोली, उडवारिया, इसावा, अजारी आदि ग्रामों में भयंकर बाढ़ आई थी ? यदि हां, तो विभिन्न ग्रामों में कुल कितने मकान नष्ट हुए ? कितने परिवारों को कितनी धनराशि वितरित की गई, कितने परिवार इस सहायता से वंचित रहे ?

(4) उक्त ग्रामों के कितने बेघरबारों को मकान हेतु भूमि उपलब्ध कराई है ? कितने अभी तक वंचित रहे हैं ? क्या इन बाढ़ पीड़ितों को भूमि प्राप्त हो सकेगी ? अगर हां, तो कब तक ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पिंडवाड़ा तहसील के धनारी, भावरी ग्राम पंचायतों का आम जनता कृषि योग्य भूमि के नष्ट हो जाने से बेसहारा हो गई है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अभी तक बेसहारा जनता को कृषि योग्य भूमि आवंटित की है ? अगर नहीं, तो क्यों, तथा अब कब तक दे दी जायेगी ?

(स्थगित किया गया)

बाकानी थाने में दर्ज चोरी व डकैती के केस

270. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ के बकानी थाने के अन्तर्गत 1 जनवरी, 72 से 31 दिसम्बर, 73 तक कितने कितने केस, कितनी कितनी चोरी, डकैती व अन्य अपराधों के मामले दर्ज रजिस्टर किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अपराधों में, कितने केसों में चोरी बरामद हुई या कितने चालान कब-कब हुये बाकी कितने और कौन कौन से मामलों में अदम सबूत में फाइनल लगा दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के थानेदारों के विरुद्ध यह भी शिकायतें हैं कि वे समय पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करते ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ के बकानी थाने के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 72 से 31 दिसम्बर, 73 तक कुल 52 अभियोग पंजीबद्ध हुए। जिनमें सरकाबिलजब्र 2, नकबजनी 17, चोरी मवेशी 5, सरका-साधारण 2 व अन्य 26 अभियोग घटित हुये। डकैती का कोई अपराध घटित नहीं हुआ। इसी प्रकार सन् 1973 में कुल 86 अभियोग भा० द० सं० के अन्तर्गत पंजीबद्ध

(गृह मंत्री)

हुए जिनमें सरकाबिलजब्र 5, नकबजनी 36, सरका मवेशी 3, सरकासाधारण 6 व अन्य 46 अभियोग घटित हुए। सूची संलग्न है।

(2) सन् 1972 के 52 अभियोग में से 13 अभियोगों में फाइनल रिपोर्ट दी गई जिसमें 12 एफ० आर० अदम पता में दी गई व 1 एफ० आर० अदम वकुआ में दी गई। अदम सबूत में कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं दी गई। 39 अभियोगों में चालान किया गया। सन् 1973 के 86 अभियोग में से 23 में फाइनल रिपोर्ट दी गई जिसमें 2 अदम सबूत में दी गई, 8 अदम बकुआ में दी गई व बाकी 13 अदम पता में दी गई। 52 अभियोगों में चालान पेश किया गया। 21 अभियोग जेर तफतीश हैं व एक अभियोग का अनुसंधान धारा 157 (बी) सीआर० पी० सी० के अन्तर्गत नहीं किया गया। जिन अभियोगों में माल बरामद हुआ है उनकी तालिका संलग्न है।

(3) जी हां, थाना बकानी के एस० एच० ओ०, श्री चौथमल के विरुद्ध समय पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की 1 शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर जांच कराई गई तो जांच से सिद्ध पाई गई। जिस पर श्री चौथमल की एक वर्ष के लिये वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के सेवारत कर्मचारी

271. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में फरवरी, 1974 तक पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के सेवारत कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी है? शाखावार, जिलेवार तथा पदवार संख्या बतलाने की कृपा करें? क्या इससे नियुक्तियों में वांछित प्रतिशत पूरा हो गया? यदि नहीं, तो इसकी पूर्ति हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

राज्य में फरवरी, 74 तक पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के सेवारत कर्मचारियों की संख्या संलग्न तालिका में जिलेवार एवं पदवार अंकित है। अभी तक वांछित प्रतिशत पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के रिक्रूट्स पुलिस के नाप तौल के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इन जातियों के व्यक्तियों का प्रतिशत पूरा करने हेतु राज्य सरकार ने दिनांक 1-4-71 से रोस्टर प्रणाली लागू की है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-74)

43. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय, बकानी, जिला झालावाड़ में

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

छात्राओं से शुल्क परीक्षा व दीगर शुल्क सन् 1973 में वसूल किया गया है ? यदि हां, तो निम्न छात्राओं से कितना कितना शुल्क किस किस हेतु किन किन रसीद नम्बर व तारीख से किनके हस्ताक्षरों से वसूल किया गया :–

(1) साधना कुमारी पुत्री श्री हंसराज, कक्षा 6 ।

(2) ऊषा पुत्री श्री दुलीचन्द, कक्षा 8 ।

(3) सुशीला पुत्री श्री सुखलाल, कक्षा 8 ।

(4) ऊषा पिता का नाम नहीं, बकानी जाति विप्र ।

(5) सुशीला पिता का नाम नहीं, बकानी हिन्दू ।

(6) साधना कुमारी, बकानी जैन ।

उत्तर

यह सही है कि उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय, बकानी, जिला झालावाड़ में छात्राओं से शुल्क परीक्षा व दीगर शुल्क सन् 1973 में वसूल किया गया है, अर्थात् नियमानुसार समस्त प्रकार की शाला शुल्क वसूल की गई है ।

प्रश्न में जो छात्राएं अंकित हैं उनके नाम दो दो बार अंकित कर दिये गये हैं और इस प्रकार एक नाम की दो छात्राएं हैं । शाला रेकार्ड के आधार पर वास्तव में तीन ही छात्राएं हैं जिनसे शाला शुल्क उनके नाम के आगे अंकित दर से वसूल की गई है, जिसकी सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 18-3-74 की रात्रि को पुलिस विभाग तथा सहकारिता विभाग के कर्मचारियों द्वारा सहकारी बाजार को अपने कब्जे में ले लेने के विषय में ।

2. श्री केसरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक नगरपालिका के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण हड़ताल के सम्बन्ध में ।

3. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री और गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 18 मार्च से उदयपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा चलाए जा रहे "विश्वविद्यालय बचाओ" आन्दोलन के विषय में ।

4. सर्व श्री रामावतार अग्रवाल, मोहम्मद गफ्फार अली व योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर की कच्ची बस्तियों और गृह निर्माण समितियों के संगठन, महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा भूख हड़ताल करने के सम्बन्ध में ।

5. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश, जिलाधीश अलवर द्वारा अपने निवास स्थान पर भूमि की अनाधिकृत खेती के विषय में ।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है

Page No 42

42

(श्री अध्यक्ष)

और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

6. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, मनोहरलाल व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर के गिर्दीकोट (घंटाघर) बाजार में गत सप्ताह गाय को मारने की किसी घटना के विषय में ।

7 श्री रामलाल (बाड़ी), सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़ी क्षेत्र में गत सप्ताह कई हत्याएं और अन्य अपराध होने के विषय में।

8 सर्वश्री जोगेन्द्र, केदारनाथ, रामकिशन व विट्ठल भाई, सदस्य विधान सभा की ओर से निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़ में महंगाई आदि की समस्याओं को लेकर किये गये आन्दोलन में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में।

9. सर्व श्री मनोहरलाल, भानुकुमार शास्त्री व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 13 फरवरी को भीनमाल के पुलिस अधिकारियों की ओर से अण्डर ग्राउण्ड वाटर वर्क्स की एक जीप को तोड़ने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के विषय में।

10. श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा में गत 7 मार्च को एक व्यक्ति द्वारा होली का त्यौहार मनाती हुई भीड़ पर तीन फायर करने के सम्बन्ध में।

11 श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 16 मार्च को रात्रि को पुलिस अधिकारियों द्वारा जयपुर में ऑटोरिक्शा चालकों की पिटाई के विषय में।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर माननीय सदस्य यदि चाहें तो आज पुलिस विभाग की बजट की मांग के समय चर्चा उठा सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

12. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग को डी० पी० सी० द्वारा चयन किये गये कुछ अभियन्ताओं को पदोन्नत न करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य चाहें तो लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित बजट की मांग के समय इस प्रश्न पर चर्चा उठा सकते हैं।

13. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला गंगानगर में शीत लहर के कारण फसलें नष्ट होने के विषय में।

राज्य में शीत लहर से होने वाली क्षति पर राज्य सरकार का वक्तव्य हो चुका है। माननीय सदस्य फिर भी चाहें तो कृषि विभाग से सम्बन्धित बजट की मांग के समय इस प्रश्न को उठा सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

14. सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर नगर के राज रणछोड़जी के मन्दिर के चौक को देवस्थान विभाग द्वारा नीलाम किये जाने के सम्बन्ध में।

15. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, मनोहरलाल व गिरधारीलाल भार्गव,

(श्री अध्यक्ष)
सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर नगर के पोकरण हवेली क्षेत्र में गत 6 फरवरी को लगी आग के सम्बन्ध में।

ये दोनों ही प्रश्न के विषय हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

16. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से:—

(1) शालीमार सिनेमा में केनाडा सरकार की ओर से दिखाई जा रही कुछ फिल्मों के सम्बन्ध में।

(2) बजाज नगर में हरिजन बस्ती की निवासनी श्रीमती धापू देवी को नगर विकास न्यास द्वारा बेघरबार कर देने के विषय में।

ये दोनों ही विषय अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव राज रणछोड़जी का मन्दिर, जो स्वर्गीय श्री जयनारायणजी व्यास के मकान के सम्मुख है, उसके सम्मुख एक बहुत बड़ा चौगान आया हुआ है चौक के रूप में जिसको दानकर्ता ने राज रणछोड़जी के मन्दिर की मूर्ति को भेंट स्वरूप में आज से सैकड़ों वर्ष पहले भेंट किया था। अध्यक्ष महोदय, वहां पर स्वर्गीय व्यासजी के मकान के सम्मुख इस मन्दिर के चौक के अन्दर हजारों गरीब यात्री दिन-रात पनाह लेते हैं। रामदेवजी के मेले के सम्बन्ध में हजारों यात्री वहां पर कई दिनों तक रहते हैं और गरीब तबके के लोग जो बाहर से आते हैं, जो होटल या सराय में नहीं रह सकते, जो पैसा नहीं दे सकते, वह वहां रात को विश्राम करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं। आज देवस्थान विभाग उस भूखण्ड को नीलाम करने जा रहा है जिससे सारे नगर के अन्दर जन-आक्रोश व असन्तोष चारों तरफ बढ़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को जिस परपज के लिए दानकर्ता भेंट करता है, उस मन्दिर की प्रॉपर्टी को, उस मूर्ति की प्रॉपर्टी को नीलाम करने का अधिकार केवल कानून में ही नहीं रहता बल्कि संविधान के अन्दर यह धार्मिकता के ऊपर भी आघात होगा, क्योंकि मन्दिर के अहाते के अन्दर और मन्दिर की प्रॉपर्टी को नीलाम करने के ऊपर कोई भी व्यक्ति आकर ऐसी भी व्यवस्था लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति आकर ऐसा रह सकता है....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहियेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं संक्षेप में ही कह दूं। आजकल में वह नीलाम होने वाला है इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम नीलाम करने की आज्ञा को फिलहाल रोक दें।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति ने राज रणछोड़जी की मूर्ति के लिए भेंट दी और अब वहां पर नीलाम में, मूर्ति के खण्डन में विश्वास रखने वाला व्यक्ति उस जमीन को खरीद लेता है और वहां पर मूर्ति-पूजा के खण्डन का प्रचार करता है। इसी प्रकार से एक मजहब के आदमी ने किसी विशेष मजहब के प्रचार के लिए वह भेंट की और अब उस मजहब की खिलाफत करने वाला व्यक्ति उसको खरीद लेता है

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

तो वह देवस्थान विभाग द्वारा बेचना भेंटकर्ता के द्वारा दी गई, डोनर के द्वारा दी गई भावना के खिलाफ ही नहीं होगा, बल्कि इसके कारण लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी पैदा हो जायगी। इनके कारण साम्प्रदायिक वैमनस्य और तनाव भी फैल सकता है। यह फण्डामेन्टल राइट्स धार्मिक पूजा के कान्स्टीट्यूशन में दिये गये हैं कि हर व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार पूजा कर सकता है, प्रॉपर्टी रख सकता है, उनका भी उल्लंघन होगा। आज राज रणछोड़जी के मन्दिर का चौक केवल इसलिए बेचा जा रहा है कि देवस्थान महकमे के खजाने में पैसा आ जाय। आज वह जमीन बेच रहे हैं तो कल मन्दिर की इमारत को बेचेंगे और परसों मूर्ति को बेचेंगे। अध्यक्ष महोदय यह कहां जाकर रुकेगा मामला?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए कि नीलाम आजकल में ही हो रहा है। और निश्चित रूप से देवस्थान के मंत्री महोदय के स्थगन आदेश नहीं होंगे या कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो इसमें मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, मल्टीप्लीसिटी ऑफ लिटिगेशन और लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि देवस्थान महकमे को उस प्रॉपर्टी के बेचने के बारे में स्टे ऑर्डर जारी करें और नीलाम को स्थगित कर दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा जो स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसके सम्बन्ध में आपने यह निर्णय दिया है कि इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो पूछा जा सकता है, लेकिन आग तो अभी लग रही है और उससे बचाने की अभी आवश्यकता है। लोग जो बेरोजगार और बेघरबार हो गये हैं पोकरन की हवेली में। 35 लाख का नुकसान कूता गया है और वह ऐसे व्यक्तियों का होना चाहिए जिनमें कोई फेरीवाला है और कोई सिरकी वाला है जो कि रात दिन फेरी चलाकर गुजारा करते हैं या सिरकी बेचकर गुजारा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर आयेगा अगले सत्र तक। तो जो व्यक्ति बेघरबार हो गये हैं उनको राहत नहीं मिलेगी। मेरा सेटिस्फेक्शन जरूर हो जायगा कि मैंने प्रश्न पूछ लिया और उसका उत्तर आ गया। ऐसे मामलों के लिए राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर के पास फण्ड्स होते हैं, स्पेशियल फण्ड्स होते हैं केलेमिटीज के लिए। यह पहला मौका नहीं है। 72 में भी ऐसे 2 4 किस्से हो गये थे तो उस समय के जो मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने अपने पर्सनल फण्ड से रुपया निकाल कर दिया था और रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही की फोरमिलिटीज को कम्प्लीट कराये बिना इन्टेरिम रिलीफ उनको दिया था। मैं निवेदन करूंगा कि पोकरण की हवेली के अन्दर 6-2-74 को आग लगी और दो दिन तक लगातार फायर फाइटर्स और जो साधन होते हैं उनको झोंकने के बाद बड़ी मुश्किल से दूसरे इलाके आग को न पकड़ें इतना ही काबू किया जा सके। लेकिन उसमें कम से कम 50-60 व्यक्ति बेघरबार हो गये हैं। उनके साधन लकड़ी, खिड़की वगैरह जलकर राख हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि इस बारे में मन्त्री महोदय वक्तव्य दें। यह हो सकता है कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर

(श्री गुमानमल लोढा)

आग लगाई हो। सम्भव है, यह आरोप गलत हो, राज्य सरकार इस बारे में जांच कराये कि जो पोकरन हवेली में आग लगाई गई है, वह अज्ञात कारणों से लगी है या असामाजिक तत्वों ने अशान्ति पैदा करने के लिए यह कोशिश की है। जिनका लकड़ी का स्टॉक था या अन्य प्रकार का सामान और मकान थे, वह गिर गये हैं। उनको अविलम्ब राज्य सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाये। यह मेरी मांग है।

एक मेरा और स्थगन प्रस्ताव था। अध्यक्ष महोदय, आपने यह आज्ञा फरमाई है कि जो वाद-विवाद चलेगा, उसके अन्दर यह लाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कुछ घटनाएं जो होती हैं, मैं आप को याद दिला दूं, 1857 में हिन्दुस्तान में गदर हुआ था, वह गाय और सूअर की चर्बी को लेकर हुआ था। एक छोटी सी चीज इतनी बड़ी हो जाती है। यदि छोटी-सी चीज को समाप्त नहीं किया जाये, बढ़ने दिया जाये, तो उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जोधपुर में गिरदी कोट में जो घटना घटी वह वहां के असामाजिक मुस्लिम तत्वों ने की है। इससे पहले भी असामाजिक मुस्लिम तत्वों ने सिंधी शरणार्थियों से मारपीट की है। उन लोगों को लहुलुहान कर दिया है। यह पहला मौका ही नहीं है। राज्य सरकार इस बारे में सतर्क होकर एक्जम्प्लेरी एक्शन ले। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढा : केरल के अन्दर मुस्लिम लीग को साथ में मिलाकर शासन किया जा रहा है। इसलिए इस प्रकार की घटनायें की जा रही हैं। मेरा निवेदन है, इस बारे में कठोर प्रिवेन्टिव और इग्जेम्प्लरी कार्यवाही की जाये। वर्ना ये प्रश्न ऐसे हैं कि आगे इस बारे में भ्रम पैदा हो सकते हैं। अफवाहें पैदा हो सकती हैं। इनको दबाना देश के हित में है। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं। मन्त्री महोदय, जो प्रॉब्लम है, उसको समझें, उसके औचित्य को समझें। उस पर कार्यवाही करें और हाउस को सूचित कर दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 21 अगस्त, 1971 तक जो जो व्यक्ति कच्ची बस्ती में आबाद हैं, उनको बेदखल नहीं किया जायेगा। पर श्रीमती धापू देवी, बजाज नगर में रहने वाली, इसके मकान को यू० आई० टी० वाले बिना नोटिस दिये तोड़ आये। उसके बच्चे बेघरबार हो गये हैं। वह उसी स्थान पर, जहां मकान टूटा है रह रही है। मैं ये तीन चित्र सदन में लेकर आया हूं। उसके बच्चे किस प्रकार से बेघरबार होकर पड़े हुए हैं। माननीय सदस्य केदारनाथ ने लिखा है कि यह 12 साल से रह रही थी। दूसरे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने भी प्रमाणपत्र दिया है। म्युनिसिपल कौंसलर नाथूलाल हैं, उन्होंने भी प्रमाणपत्र दिया है। उसका मकान तोड़ दिया गया है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय और राज्य सरकार ने घोषणा की थी। स्वर्गीय मुख्य मन्त्री महोदय ने इस प्रकार का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद हरिजन महिला का मकान तोड़ दिया गया है। और लोगों के मकान भी गिरवाये हैं। इसी कारण कच्ची बस्ती

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
के लोगों ने विधान सभा के सामने धरना देने का कार्यक्रम बनाया है ।

श्री अध्यक्ष : थोड़े शब्दों में कहे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब कि यह घोषणा राज्य सरकार ने की थी कि 21 अगस्त, 1971 तक रहने वालों के मकान नहीं तोड़े जायेंगे । सरकार ने अपनी घोषणा के परिपत्र नगर परिषद् और यू० आई० टी० को नहीं भेजे । जिसके अभाव में मकान तोड़ दिये गये । मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया, उसके तुरन्त बनाने चाहिए । भण्डारी समिति को रिपोर्ट विचाराधीन पड़ी है । इन कच्ची बस्ती वालों को सस्ती रेट में जमीन दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कच्ची बस्ती वालों के मकानों पर सर्वे नम्बर भी नहीं लगाये गये हैं । पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । रोशनी उपलब्ध नहीं है । सरकार की ओर से यह कहा गया था कि 31 दिसम्बर, 1971 तक मुहैया कर दिया जायेगा । मैं समझता हूं कि पानी और बिजली तक की व्यवस्था नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : कहां कच्ची बस्ती का मामला और कहां पानी और बिजली का मामला ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कहीं की इंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कच्ची बस्ती में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है । भारतीय जनसंघ के तत्वावधान में उन्होंने राजस्थान विधान सभा के सामने धरना देने का प्रोग्राम रखा है । जब तक मन्त्री महोदय, वक्तव्य नहीं दे देंगे, तब तक कच्ची बस्ती वालों का धरने का प्रोग्राम चलेगा ।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय को कच्ची बस्तियों के बारे में स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए । उनको बेघरबार नहीं किया जायेगा । मैंने एक गरीब हरिजन महिला का जो प्रश्न उठाया है । वह वहां पर 12 साल से रह रही थी । उसकी ओर मन्त्री महोदय और राज्य सरकार का ध्यान खींचा है ।

दूसरा मेरा जो प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय, जयपुर में जो शालीमार सिनेमा है, उसमें कनाडा सरकार और भारत सरकार का जो फिल्म विभाग है, दोनों की ओर से सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक शो दिखाया जाता है । उनका एन्टरटेन्मेंट टैक्स माफ किया है । उसमें 7 कथा चित्र हैं और 7 डोक्युमेन्टरी हैं । मुझे पता नहीं माननीय सदस्यों ने देखा है कि नहीं । जो मन्त्री महोदय हैं, श्रीमती कमला बेनीवाल, वह भी पिक्चर देखने के लिए गई थीं । हालांकि वह बीच से ही उठकर आ गई थीं । ये इतने अश्लील डोक्युमेन्टरी और कथा चित्र हैं कि उनमें बिल्कुल नग्न चित्र भोगविलास करते हुये दिखाये गये हैं । इस प्रकार का उनमें नग्न प्रदर्शन किया गया है । वह दिखाया जाता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप किस सिलसिले में देखने गये थे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उन चित्रों के प्रदर्शन पर रोक लगाना आवश्यक है। इससे भारतीय संस्कृति का हनन होता है। उनको देखकर जो लोग आयेंगे, उन पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अतएव राज्य सरकार स्वयं करे या कलेक्टर महोदय को आदेश करे। वह एन्टरटेनमेन्ट टैक्स माफ करके प्रोत्साहित करते हैं, वह नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राज्य सरकार इस बारे में सक्रिय कदम उठाये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। वह यह कि उदयपुर विद्यार्थियों का आन्दोलन इसलिए चल पड़ा कि उदयपुर विश्वविद्यालय उदयपुर से हटाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हटाने की योजना नहीं है। राज्य सरकार आज ही ऐसी घोषणा कर दे कि उदयपुर विश्वविद्यालय वहां से नहीं हटाया जायगा तो मैं समझता हूं कि आन्दोलन समय पर चैक हो जायगा, समाप्त हो जायगा अन्यथा वह आग ऐसी भड़केगी जिसको रोकना सम्भव नहीं होगा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मंत्रीजी आज ही घोषणा कर दें।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव इस बात पर है, अलवर के जिलाधीश हैं श्री चन्द्रप्रकाश मीणा, गत वर्ष भी और इस वर्ष और अभी भी उनके निवास पर अफीम की खेती लगी हुई है। यह एक बहुत बड़ा आरोप है, कॉग्नोजेबल आफेन्स है। हम छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ कर हथकड़ियां लगा कर गधे पर काला मुंह करके बिठाने की घोषणा करते हैं, लेकिन आज हमारी सरकार के एक जिलाधीश ने स्वयं अपने निवास स्थान, जो लगभग आधा बीघा में है, भक्त निकेतन जिसका नाम है, उसमें अभक्त लोगों जैसा अफीम की खेती करने का काम किया जा रहा है। आज यहां पर गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी अभी वहां जाकर, मौके पर आई० जी० को साथ ले जाकर, छापा मार कर, अफीम की खेती पकड़ कर ऐसे जिलाधीश को गिरफ्तार किया जाय और उन्हें ऐसे पद से तुरन्त हटाया जाय।

श्री भरतलाल (बामनवास) : आपने सुनी सुनाई बात कह दी है या आपने स्वयं ने देखा है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : हां, हां।

श्री भरतलाल : खुद ने देखा है या सुनी सुनाई बात कही है...

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप गृह मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

श्री भरतलाल : गृह मंत्रीजी तो जवाब देंगे ही, आप यह बतायें आपने देखा है ?

श्री मनोहरलाल : आप अफीम खाते हैं क्या जो आप कह रहे हैं ?

Page No 48

48

श्री श्रीराम गोटेवाला : सुनी हुई और देखी हुई बात में चार अंगुल का फर्क रहता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश के बंगले में अफीम की खेती लगी हुई है, आप आई० जी० को भेज कर जांच करा लीजिये और जांच करा कर पकड़िये और पकड़ कर जो कानूनी कार्यवाही की जाती है वह करिये। यह वर्गिंग जेबल अफसोस है, जिलाधीश आधा बीघा में अफीम की खेती करता है। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं सोचता हूं कि गृह मंत्रीजी यथा शीघ्र इस बारे में कार्यवाही करेंगे। ऐसा नहीं हो कि अभी वहां टेलीफोन से सूचना प्राप्त करके वह उजाड़ कर फेंक दें और बाद में जांच के लिए पहुंचें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वह गम्भीर मामला है। यह क्योंकि अलवर से सम्बन्धित मामला है।

श्री अध्यक्ष : (एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर) आपको बाद में समय दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर के कलेक्टर के बंगले में अफीम की खेती है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। मैंने इसका वहां कभी जिक्र नहीं सुना। एक बात जरूर है जिसकी वजह से कन्ट्रोवर्सी जनसंघ और कलेक्टर के बीच में है हमारे अलवर के अन्दर.....

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : पहले आप सुन लीजिये।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां के महाराज कुमार बृजेन्द्र सिंह, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की......

श्री गुमानमल लोढ़ा : जनसंघ और कलेक्टर के बीच में कोई विवाद है नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : महाराज कुमार के जनसंघ के लोग समर्थक हैं। और जोर जबरदस्ती प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की......

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी इसकी जांच करा लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर के कलेक्टर ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और एफ० आई० आर० दर्ज कराया। जनसंघ के लोग इस बात से नाराज हैं क्योंकि कलेक्टर ने महाराज कुमार के खिलाफ एक्शन लिया। (शोरगुल, अश्रव्य) अध्यक्ष महोदय, उनके बंगले पर अफीम की कोई खेती है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर है, तो उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय। उसमें मुझे एतराज नहीं है। लेकिन उसके पर्दे में राजाओं और महाराज कुमार को संरक्षण करने की कोशिश की जाय और कोई जो हिम्मत वाला अधिकारी हो, जो राजाओं और महाराज कुमारों के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत करे उसे इस तरह से ब्लेकमेल करने की कोशिश करें.....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : भरतपुर में महाराजा ने कांग्रेस के उम्मीदवार का चुनाव में प्रचार किया और आपने भी उस कैन्डीडेट का समर्थन किया......

Page No 49

49

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : और इस सबसे बड़ी नाराजगी के कारण यह कहें कि उनके बंगले में अफीम की खेती होती है……

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह उनके अफीम की खेती करने वाले मामले में उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है……

(शोरगुल, अश्रव्य)

मैं मानता हूं माननीय रामानन्दजी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कलेक्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिनके बंगले में अफीम की खेती लगी हुई है । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं………

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री भरतलाल : कलेक्टर को बदनाम करना चाहते हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप चलिये मेरे साथ ।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात न करें ।

श्री भरतलाल : आप कलेक्टर को झूठे ही बदनाम करना चाहते हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आपके साथ नहीं जा सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी जांच कर ली जाय । इसमें दिक्कत की बात नहीं है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि खेती नहीं है । (शोरगुल, अश्रव्य) यह ठीक तरीका नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं……

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं केवल यह चाहूंगा……

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुख्य मंत्रीजी सदन में हैं, वह सदन को जानकारी दें कि इस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं दो मिनट कहना चाहता हूं……

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर ने अगर गैर कानूनी कार्यवाही की है……

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय रामानन्दजी ने कहा……

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो उस पर एक्शन लें । मैंने तो उसकी पृष्ठ भूमि बताई है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे दल पर जो आरोप लगाया है, मैं दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं (शोरगुल, अश्रव्य) यह कहा गया……

श्री अध्यक्ष : आरोप सुनने की तो आदत आपकी है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह आरोप लगाया गया, (व्यवधान)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

एक मिनट ठहरिये। हमारे विधायक ने कहा कि अलवर के जिलाधीश के बंगले में अफीम की खेती है। यह बात सही भी हो सकती है क्योंकि अभी तक माननीय रामानन्दजी ने यह नहीं कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार यह बात गलत है। अगर यह स्थिति नहीं है तो हमारे इस आरोप के ऊपर यह कहना कि जिलाधीश के खिलाफ यह इल्जाम इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हम राजा-महाराजा के खिलाफ हैं या हम कोई राजा-महाराजा के पक्ष में हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना कि जो एलीगेशन लगाया है, उसको वाटर डाउन करने का प्रयास है। राजा-महाराजा के खिलाफ कौन है, उनके पक्ष में कौन है—यह तो भरतपुर के चुनाव ने बता दिया है। भरतपुर के महाराजा की छाप लगा कर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया गया और कम्युनिस्टों ने उनका साथ दिया इससे साफ हो गया कि कम्युनिस्ट राजा-महाराजाओं के पक्ष में हैं या नहीं...

श्री दीपंकर : आपके बारे में तो समझ लिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा निवेदन है, इस प्रश्न के ऊपर जांच कर के मंत्री महोदय कहें। जांच के बाद हमारा आरोप गलत साबित हो तो उसके बाद कहें, तो मैं समझता हूं कि माला फाइड है ब्लेक मेलिंग है-उसकी फाउन्डेशन माननीय रामानन्दजी बनायें तो समझ में आ सकता है। वह स्वयं कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि यह आरोप गलत है, या यह सत्य है। उसके बावजूद भी इसे पॉलिटिकल कलर देना शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूं कि अननेसेसरी जिलाधीश को प्रोटेक्शन दिया जाता है और इस क्वेश्चन को वाटर डाउन किया जा रहा है। मेरा कहना है कि अलवर के महाराजा के खिलाफ जिलाधीश कार्यवाही करें, राज्य सरकार करे इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, उनको कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनसंघ अलवर में पब्लिकली प्रोटेक्ट कर रहा है महाराज कुमार को।

श्री मनोहरलाल (शोरगुल, अश्रव्य): औरतों ने घसीट घसीट कर जूते लगाये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप दो घोड़ों पर सवार हैं। भरतपुर में जाकर भरतपुर के महाराजा के साथ मिल कर कांग्रेस के विरुद्ध लड़े हुए उम्मीदवार श्री रामकिशनजी का विरोध कर रहे थे और कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। जहां जहां राजा-महाराजा कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं उनका आप समर्थन करें। आपको मालूम नहीं है कि अफीम की तस्करी का, अफीम का कहां व्यापार होता है, कहां अफीम जाती है,...

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसकी जानकारी तो आपको अधिक है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अफीम की तस्करी के बारे में आप जानकारी कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अफीम की तस्करी होती है उसके बारे में आप ज्यादा जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : खत्म करें, काफी हो गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अफीम की तस्करी का पता नहीं लगायें तब तक आप अलवर के कलेक्टर का प्रोटेक्शन मत कीजिये। उसकी जांच हो जाय, उसकी जांच होकर आने दीजिये। उसके बाद में आप आरोप लगायें तो बात समझ में आ सकती है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं, कोई आदमी हो, कोई भूतपूर्व राजा हो या उसका कुंवर हो, वह कानून से वंचित नहीं है, अगर वह कानून की अवहेलना करता है तो सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और जरूर दी जानी चाहिए। वैसे वास्तविक रूप से देखा जाय तो आज रिपब्लिकन सैट अप में कोई राजा महाराजा नहीं है, अगर किसी के दिल में यह है कि यदि कोई राजा-महाराजा है भूतपूर्व तो वह कानून से वंचित नहीं है। एक बात। इसके साथ यह मुझे मालूम नहीं है कि कलेक्टर, अलवर के यहां क्या खेती है, बगीचे में क्या उगाते हैं, अफीम उगाते हैं, फूलों के रूप में अफीम उगाते हैं या अफीम निकालने के लिए अफीम उगाते हैं। जो कुछ हो, वह कानून से वंचित नहीं रहने चाहिए। कानून सब पर लागू होता है। कलेक्टर की बात हो, राजा-महाराजा की बात हो, अलवर के कुंवर की बात हो, फोर फंक्ड बात को लेकर उसको किसी दल से जोड़ना मैं समझता हूं कि सदन में मत-मतान्तर हैं, उसमें कम्युनिस्ट हैं वह ऐसा कह सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने बात कही थी।

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्योंकि उन्होंने मोटिव इम्प्यूट किया है...

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप कर रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव हमारा है, हमने अपने विचार रखे हैं, आप उस स्थगन प्रस्ताव का जवाब आने से पहले मोटिव इम्प्यूट कर रहे हैं कि हमारी मन्शा अलवर जिलाधीश का बदनाम करने की है, हमने तो स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवेदन कर दिया। आपका जो कहना था, आपने उत्तर दिया...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अफीम की खेती तो अभी लगाई होगी, यह मुझे जानकारी नहीं लेकिन मैं जब अलवर से आया तब भी किसी ने जिक्र नहीं किया। अगर कोई कलेक्टर या कोई भी गड़बड़ करे, गैर कानूनी कार्यवाही करे, तो सख्त सजा होनी चाहिए, इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन यह भी तथ्य है कि यह एक बड़ी पब्लिक कन्ट्रोवर्सी का सवाल अलवर में बन गया है जिसको पब्लिकली वहां जनसंघ व महाराज कुमार प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज उस कन्ट्रोवर्सी के बारे में डिबेट है क्या ?

श्री अध्यक्ष : You have spoken thrice on this subject.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है और कच्ची बस्तियों का यहां महासंघ बना हुआ है, उसने पिछली 23 फरवरी से अपनी मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल चला रखी है। स्वर्गीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी इसी सदन में कि जो भी लोग कच्ची

Page No 52

52

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बस्तियों में 21 अगस्त, 1971 तक जिनकी बसावट है उन लोगों को वहां पर बसाया जाएगा, उनको बेदखल नहीं किया जाएगा। यह जो आन्दोलन चल रहा है, उसी घोषणा को इम्पलीमेन्ट कराने के लिए ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इतने दिनों से उनका कोई ठोस रूप से निर्णय न होने के कारण से गत 16 तारीख को उसके अध्यक्ष हनुमान सहाय और मंत्री अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मतलब यह है कि जो घोषणा की गई वह सही दिशा में है, उसको अमली रूप दिया जाना चाहिये।

स्थिति यह है कि इन कच्ची बस्तियों में जो लोग बस रहे हैं, उनको अनिश्चितता की वजह से न पानी की, न बिजली की, न सड़कों की व्यवस्था है और यहां तक कि राष्ट्रपतिजी ने जो कुछ बस्तियां एलॉट करके दे दीं, पट्टे दे दिए, उन तक को ठीक तरह से नहीं बसाया गया है, जो बसे हुए हैं उनको दिक्कत आ रही है बसने में। इस समस्या का हल करना होगा और करना चाहिए और बहुत खुशी की बात है कि मुख्य मंत्री जो सदन में आ गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सवालों पर आने स्वायत्त शासन मंत्री उनसे बातचीत भी कर रहे हैं लेकिन किन्हीं बातों पर मतभेद है और निर्णय करने के लिए आप उनसे कहिये और वह अपना स्टेटमेंट दें, उनकी मांगों को मंजूर करें और ऐसी व्यवस्था कायम करें ताकि बार बार सरदर्द इस सदन का न हो, ऐसी मशीनरी क्रीएट की जाए विशेष हालात देखकर, इतनी बड़ी समस्या है, जयपुर में इतनी बड़ी बस्तियां हैं जिनमें गरीब तबका है वे बसने हैं, उनको थोड़े ही समय में बसाया जाए। विस्तृत तरीके से स्पेशियल मशीनरी एग्जीक्यूशन करने के लिए क्रीएट कर दी जाए जिनमें जनता का इन्वाल्वमेंट हो, बस्ती वालों का इन्वाल्वमेंट हो तो समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज आप इस सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री को आदेश दें कि वे वक्तव्य दें। आज प्रदर्शन करने के लिए तमाम बस्ती वाले आए हुए हैं, अच्छा होगा अगर मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करें उनको वहां संबोधित करें या वे यहां आ जायं जैसे उनको ठीक लगे लेकिन मैं समझता हूं जहां तक उद्देश्य है, सरकार ने जो डिक्लेरेशन किया उसके इम्पलीमेंटेशन की बात है जिसको कि देरी की वजह से और गड़बड़ी हो रही है।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री रामलाल (बाड़ी) : मेरा निवेदन है कि बाड़ी और धौलपुर में शिडयूल्ड कास्ट के लोग अपने खेत में पानी लगाते रहे केवलियां पुत्र कासीराम कौम काछी उनके साथ लोग झगड़ा करके उनको मार के रात को तालाब पर डाल गये। आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ न चालान पेश हुआ। ऐसी घटनायें रोजाना हमारे क्षेत्र में हो रही हैं। शिडयूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के साथ अन्याय हो रहा है। गरीबों को मार मार कर उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको मारा जा रहा है, कई बार सरकार से निवेदन कर चुके हैं, ऐसी हालत में उनके लिए इंतजाम करना चाहिए, मुझे कहना नहीं चाहिए कि पिछड़ी जाति की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। एक मोरा बदमाश

(श्री रामलाल)
डकैत है, वह रोजाना हरेक गांव में जाकर मारना-पीटना उसका काम है। पिछड़ी जाति के लिए कोई हथियार नहीं हैं, हथियार कोई नहीं ले सकता, पैसा उनके पास में नहीं है। एस० पी० साहब 500-500 रुपए रक्षा कोष के नाम पर एक एक आदमी से लेकर लाइसेन्स देते हैं और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में सरकार सुविधा दे.... ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कच्ची बस्तियों का जुलूस आया है.....

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं गुजारिश करूंगा कि मुख्य मंत्री जाकर उनको सम्बोधित करें और मैं गारन्टी लेता हूं वह खामोशी से सुनेंगे और कुछ भी कहेंगे उस पर किसी किस्म की कठिनाई नहीं होगी। फिर भी कुछ शंका है तो वह यहां ही डेप्युटेशन से मिलें।

दूसरा मेरा महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है। कुछ एसिस्टेन्ट इंजीनियर्स का सलेक्शन किया गया है। डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी की तरफ से 52 लोगों को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया जाए और 15 लोगों का भी सलेक्शन किया कि इनको सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर पद पर पदोन्नत किया जाए। उसमें हुआ क्या कि जो पी० एस० सी० है वह तो इस बात पर जोर दे रही है कि जो हमने सलेक्शन्स कर दिए हैं उनको लागू किया जाए और राज्य सरकार कह रही है कि 1973 व 1974 को मिलाकर लिस्ट जारी की जाए उससे शंका पैदा होती है कि क्या यह तो नहीं है कि 1973 व 1974 में कुछ लोगों को तरक्की देने के लिए, अपग्रेड करने के लिए ऐसा किया जा रहा है इसलिए आपस में कन्फलिक्ट पैदा हो रहा है राज्य सरकार और पी० एस० सी० में, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार की नीति यह है कि जो फैसले हैं उनको उस समय तक के लिए रोका जाए जब तक राज्य सरकार के सलेक्टेड आदमी प्रोमोशन न पायें या पी० एस० सी० का फिर उद्देश्य ही क्या है और उसमें राज्य सरकार कितनी सीमाएं निर्धारित करती है। तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि उन्हें तनख्वाहें दिलायी जांय।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, थोड़े में ही गुजारिश कर रहा हूं लेकिन आज चार चार महीनें हो गये उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं इधर एकाउन्टस वाले ऑब्जेक्शन करते हैं और इधर पी० एस० सी० के केन्डीडेटस को आप नौकरी पर नहीं ले रहे हैं और दूसरों को आप चार महीने हो गये तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार उनको पदोन्नत भी नहीं करना चाहती और उन्हें तनख्वाहें भी नहीं दे रही है तो यह तो बहुत ही गम्भीर स्थिति हो गयी है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि आखिर आप स्पष्ट करें कि आया पी० एस० सी० के सलेक्ट किये हुए केन्डीडेटस को रखने की जरूरत समझते हैं या नहीं, इस पर आप जल्दी से जल्दी फैसला करलें। क्योंकि आज चार चार महीनें हो गये उन लोगों का तनख्वाहें नहीं मिलती हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कृपया इसके लिये आपके मारफत यह राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह एक स्टेटमेन्ट इसके बारे में दे दे । अगर वह स्टेटमेन्ट नहीं देते हैं तो आप क्लेरीफाई कर दें कि उन लोगों को कब तक तनख्वाहें मिल जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव तो दिये हैं जो कि पुलिस विभाग से ताल्लुक रखते हैं उसके बारे में तो अभी निवेदन नहीं करूंगा, उसके बारे में तो आज पुलिस की डिमान्ड के वक्त आज बोलूंगा, पर तीसरा स्थगन प्रस्ताव और दिया है । उसमें मेरा मतलब है कि उस दिन जब रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेन्ट दिया था तब मैंने उनसे कहा था लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं । मेरा निवेदन यह है कि हमारे गंगानगर जिले के बारे में जब इस बारे में कोई स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो उसकी रिपोर्ट कृपया 'पटवारी वगैरह से नहीं मंगायें । हमारा गंगानगर का एरिया जो है वह इरिगेशन डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक रखता है । हमारे यहां पर इरिगेशन और ड्रेनेज रूल की धारा 32 के अनुसार यह दिया है जो मैं पढ़कर सुनाता हूं:—

"If a crop, which has been irrigated with canal water, is subsequently damaged by failure or stoppage of supply or by . . ."

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब है कि धारा 32 के अन्तर्गत आप उसकी रिपोर्ट इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के एक्स० इएन० से रिपोर्ट मांगा करें । जो रिपोर्ट एक्स० इएन० इरिगेशन द्वारा भेजी जायेगी वह सही होगी । आप पटवारियों से रिपोर्ट नहीं मांगा करें क्योंकि जो पटवारी लोग रिपोर्ट देंगे उनसे हमें फायदा नहीं होने वाला है । आप एक्सइएन० की रिपोर्ट मांगे, क्योंकि हमारा संबंध गंगानगर जिले के लोगों का इरिगेशन विभाग वालों से है न कि रेवेन्यू विभाग से । इसलिये मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसकी रिपोर्ट एक्सइएन०, गंगानगर, इरिगेशन के द्वारा मंगायी जाय ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है · · · · ।

श्री अध्यक्ष : बहुत थोड़े में कहें ।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, वह स्थगन इस बारे में है कि टोंक के मजदूरों को पैसों का भुगतान नहीं किया गया है । टोंक नगर परिषद् में काम करने वाले मजदूरों को पिछले 1-7-72 से लेकर 30-12-72 तक की तनख्वाहें नहीं मिलीं । यह क्या बात हुई कि आप श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं दो । इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होने जो काम किया उसके कागजात व एम० बी० की किताब वहां के अधिकारियों ने खो दी है । इसके लिये पुलिस में भी रिपोर्ट की गयी । अब पुलिस में रिपोर्ट करें, चाहे कुछ भी करें

(श्री केशरीमल)
इसमें हमें मतलब नहीं, लेकिन उन मजदूरों को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऐसा भी सुनने में आया है कि वहां के अधिकारियों ने पैसे तो उठा लिये हैं और उन्हें खा गये हैं और जो बिल वगैरा थे उन्हें कहीं पार कर दिया है। अब उन मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है। वहां के मजदूरों ने इस बारे में लगातार सरकार को लिखा . . .

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें जल्दी से जल्दी पैसा दिलाया जाये। अब स्थिति ऐसी हो गयी है अध्यक्ष महोदय, कि मजदूर लोग तंग आकर उन्होंने पिछले पांच-छः दिन से वहां पर भूख हड़ताल कर रखी है। आज वहां लगातार भूख हड़ताल चल रही है। मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह एक स्टेटमेन्ट इस बारे में दें। खैर, स्टेटमेन्ट तो क्या दें लेकिन उन लोगों को चार-चार महीनों तक मजदूरी के पैसे नहीं दिये गये उसके लिये जो शिकायतें की गयीं उसके लिये श्रम विभाग से पूछना चाहिये कि आखिर मजदूरी क्यों नहीं दी गयी और यह भी पता लगायें कि आखिर भूख हड़ताल क्यों हुई वहां। इसी लिये मेरा श्रम मन्त्रीजी से निवेदन है कि उनके खिलाफ जो कि भ्रष्ट अधिकारी हैं एक्शन लिया जाना चाहिये। उसके साथ मैं यह भी चाहूंगा कि श्रम मन्त्री इसके लिये उन्हें पैसे दिलाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं वैसे आपने तो इस पर जानकारी चाही है पता नहीं कब जायेगा तब तक मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि श्रम मन्त्री उन लोगों की मजदूरी दिलाने की व्यवस्था करावें ताकि इन लोगों की भूख हड़ताल समाप्त हो। यह श्रम मन्त्री के डिपार्टमेन्ट की बात है वह यह व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हांडा थोड़े में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही थोड़े में कहूंगा क्योंकि आज पुलिस विभाग की मांगों के सम्बन्ध में सदन में चर्चा है उस वक्त बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 18 तारीख को इस विधान सभा में सहकारी मन्त्रीजी ने यह घोषणा की थी कि जयपुर में जो सहकारी बाजार है उसको बन्द नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, उसी 18 तारीख को रात को 12 बजे उस सहकारी बाजार के दफ्तर के ऊपर उसके जनरल मैनेजर श्री विलियम, और उसके प्रशासनिक अधिकारी श्री आर. एस. वर्मा और सहकारी विभाग के उप-रजिस्ट्रार श्री सतीशचन्द्र माथुर मय पुलिस के जिसमें अशोक नगर के थानेदार भी थे वहां पर पहुंचे और उस सहकारी बाजार का ताला तोड़ा। सहकारी बाजार के स्टोर का ताला तोड़ा गया और वहां पर इनडेन गैस के सलेन्डर दो ट्रकों में भर कर वहां से ले गये। वहां पर जो चपरासी थे, चौकीदार थे, उन्हें कमरे में बन्द कर दिया गया। वहां पर जो सहकारी बाजार का रिकार्ड रूम था उसका भी ताला तोड़ दिया गया। सारा का सारा रिकार्ड वहां से हटा लिया गया। अध्यक्ष महोदय, 18 तारीख को ही सदन में घोषणा की

Page No 56

56.

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

गई कि जयपुर के सहकारी बाजार को बन्द नहीं किया गया और उसी 18 तारीख की रात को 12 बजे इस प्रकार की कार्यवाही हो, यह तो बहुत ही गम्भीर प्रश्न पैदा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत सहकारी मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि जब आप कह रहे थे कि जयपुर के सहकारी बाजार को बन्द नहीं किया जायेगा और अगर आपने उसे बन्द कर दिया तो उनके कर्मचारियों का क्या होगा, आज उस सहकारी बाजार के 14 हजार रिश्तेदार हैं उनका क्या होगा सहकारी बाजार के जो 6 लाख रुपये के ऐसेट्स हैं उनका क्या होगा ? यह तो ठीक है कि जिस प्रकार की सहकारी मन्त्री ने सदन में यह घोषणा की कि जयपुर के सहकारी बाजार में जो इनडेन गैस है उसकी एजेन्सी जयपुर गैस वाले नवलगढ़ ठाकुर साहब को नहीं दी जायेगी और न ही पन्डित गैस वाले को ही दी जायेगी। बल्कि वह क्रय-विक्रय संघ को दी जायेगी। यह तो ठीक है जब आपको क्रय-विक्रय संघ को ही देना था तो आपने इनडेन गैस के दो ट्रक भर कर सलेन्डर वहां से क्यों हटाये ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो विषय बहुत ही गम्भीर है। यह तो प्रिविलेज का प्रश्न बन जाता है। प्रिविलेज का प्रश्न तो मैं बाद में अलग से उठाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, हमने जब जयपुर के ऑल इण्डिया रेडियो से जब जयपुर के सहकारी बाजार के बारे में बन्द करने की खबर सुनी तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं आपके मारफत सहकारिता विभाग के मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब फिफ्थ फाइव प्लान में दो सुपर बाजार खोलने की व्यवस्था है और जब आपने यह कहा कि आप नये सुपर बाजार नहीं खोल कर इसे ही जयपुर के सहकारी बाजार को चालू रखना चाहते थे फिर आपने ऐसा क्यों किया ? इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर सहकारी बाजार में जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ में जयपुर के सहकारी बाजार के अन्दर जो 12 लाख रुपये का गबन हुआ है उसकी लाइबीलीटी फिक्स करते हुए पूरी कार्यवाही करें। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सहकारी मन्त्री इस बारे में जवाब दें क्योंकि आज जयपुर की जनता में और पूरे राजस्थान में इस सहकारी बाजार की जो दस शाखायें हैं उन सभी जगहों की जनता में पूरी तरह से असन्तोष व्याप्त है उसके लिये ध्यान दिया जाय।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

श्री भूराराम, सदस्य विधान सभा के साथ पुलिस कर्मचारी का अभद्र व्यवहार

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of privilege Sir. Privilege has priority over all issues. मेरा प्रिविलेज यह है अध्यक्ष महोदय कि कल यहां पर सदन में उपाध्यक्ष महोदय जब आसन पर बिराजमान थे तब एक प्रश्न माननीय सदस्य श्री योगेन्दनाथ हांडा द्वारा सदन में रखा गया। उन्होंने कहा कि विधान सभा के एक माननीय सदस्य श्री भूराराम के साथ एक पुलिस वाले ने अभद्र व्यवहार किया।

(श्री निरंजननाथ अचार्य)

उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विशेषाधिकार के दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि यह अशोभनीय घटना घटी। वह बात सदन में आ गयी तो वह हाउस की प्रोपर्टी हो गई और यह हमारे यहां रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस की धारा 160 और 162 के अन्तर्गत आता है। उस पर अध्यक्ष महोदय का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होता है। इसके बारे में आपने क्या अंतिम निर्णय लिया? दूसरा चूंकि यह प्रश्न सदन में उठाया गया था इसलिये यह सदन के अधिकार की बात में आता है। उस व्यक्ति ने जिसने अभद्र व्यवहार किया उस व्यक्ति को एट दी बार ऑफ दी हाउस में बुलाया जाय। इस सदन में यह परम्परा रही है कि उस पर सदन द्वारा ही फैसला किया जाता रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा ओब्जर्व किया है कि इस प्रश्न पर अध्यक्ष की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार का प्रश्न मानता हूं और सदन की प्रतिष्ठा के लिये यह चाहूंगा कि इस प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द किया जाय या ऐसी व्यवस्था अध्यक्ष महोदय दें ताकि यह प्रश्न माननीय सदस्यों के विचारार्थ रखा जा सके। इसलिए सारे प्रश्न पर इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ही जानकारी इस सदन को मिल सकती है दूसरों के माध्यम से नहीं। कल, अध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम हुआ कि उस व्यक्ति को सस्पेन्ड कर दिया गया। मुझको यह कहते हुए खेद होता है कि अध्यक्ष महोदय तक के माध्यम से यह घोषणा सदन में नहीं की गई। यदि ऐसा होता तो अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था कान्ट्राडिक्ट नहीं होती और एक ही होती। उसमें व्यवस्था पनिशमेंट की भी हो सकती है, हाउस में बुला कर ताड़ना दी जाने की भी व्यवस्था हो सकती है, रेफर टू दी प्रिविलेज कमेटी की भी व्यवस्था हो सकती है। यह प्रश्न अभी भी ओपन है। इस पर विचार किया जा सकता है और उसके लिये अध्यक्ष महोदय की ओर से व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा भी संकेत है कि सदन के प्रांगण पर घोषणा कर दी गई और उस व्यक्ति को पनिशमेन्ट दे दी गई। उसको भी अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था में एम्बोडीड करना चाहिये, अलग से सूचना देना उचित नहीं जबकि सबजुडिस मामला है, व्यवस्था का मामला है। यह सदन की परम्परा के प्रतिकूल रहता है। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि यह प्रिविलेज का प्रश्न है इसको आप किस रूप में लेते हैं यह आपके ऊपर है जिससे कि इस सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा को कायम रखा जा सके।

श्री गुमानमल लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, यह पाइंट ऑफ प्रिविलेज रेज किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने रेज किया था।

श्री गुमानमल लोढ़ा: कल यह इश्यू हाउस में था ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उनका भाषण मेरे से अधिक हो यह तो बात समझ में नहीं आती।

श्री गुमानमल लोढ़ा: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर प्रश्न जो प्रिविलेज

(श्री गुमानमल लोढा)

का रेज किया, मुझे ऐसा लगता है कि वे यहां पर कल नहीं थे जब यह प्रश्न बाद में उठा इसलिए पूरी स्थिति उनके ध्यान में लाना आवश्यक है और सदन के ध्यान में भी लाना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्य श्री हांडाजी के द्वारा यह सूचना देने के बाद में आपने इसकी जानकारी लेकर उचित कार्यवाही क्या हो सकती है उसको सदन को बताने के लिये फरमाया था। हमने इस प्रश्न को कल फिर सायंकाल दुबारा जब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देने वाले थे उसके पहले उठाया था और उस समय सदन में जितने भी दल के माननीय सदस्य थे उनकी यह भावना थी कि अन्तिम आज्ञा देने के अन्दर चूंकि माननीय अध्यक्ष के अनुसार कुछ समय लगने वाला था, कुछ बयान हो रहे थे और कुछ होने थे और कल का समय माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के पहले समाप्त हो रहा था हम ने यह निवेदन किया था कि माननीय सदस्य श्री भूराजी स्वयं आगये हैं यहां पर और उन्होंने इस उस में यह कहा था कि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो यह मेरा अपमान नहीं है, सब ही माननीय सदस्यों का अपमान है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का अपमान है और अध्यक्ष महोदय का अपमान है। उन्होंने जो कहा वह ठीक था। आसन को गरिमा, सदन की गरिमा यह सब अनुकूल बात है। मैंने अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन किया था कि कोई न कोई कार्यवाही आज की जाय जिससे सदन की गरिमा, सदन के अन्दर सदस्यों का जो प्रिविलेज है उनके ऊपर कुठाराघात न हो। इस पर शीघ्र ही निर्णय दिया जाय क्यों कि हाउस सीज्ड ओफ दी मेटर है और कोई इस सम्बन्ध में घोषणा न हो यह अशोभनीय होगा। इस रूप से सदन में कार्यवाही करते करते लम्बा समय निकल गया और इस प्रकार की घटनाओं को हल्के तरीके से देखा गया और शीघ्रातिशीघ्र इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो अच्छा नहीं रह सकेगा। इसी कारण से यह सब निवेदन किया था। अध्यक्ष महोदय, कल की स्थिति में आप आज्ञा दें। माननीय हांडाजी जैसा कहना चाहते हैं, उनको सुन कर कोई भी आज्ञा दें। जो व्यक्ति गिल्टी है, गिल्ट के जिसके बारे में एलीगेशन्स हैं उसको सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय और भी कोई कार्यवाही करके उसको खिलाफ चाहे इस को प्रिविलेज कमेटी में मामले को भेज दिया जाय या यहां बुला कर उसको ताड़ना दी जा सकती है यह सब व्यवस्था का प्रश्न आपके पास है। यह भी कहा था कि कोई इन्टेरिम ऑर्डर अध्यक्षजी की ओर से नहीं लिया है। सरकार चाहे तो ले सकती है। हमने, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य श्री रामानन्दजी भी थे, सत्तारूढ दल के सदस्य भी थे चेम्बर में जाकर बार बार कहा, उपाध्यक्ष महोदय, आसन पर विराजमान थे, उनको भी हमने कहा कि कोई न कोई आज्ञा होनी चाहिये और सदन में जो माननीय मंत्री महोदय उस समय उपस्थित थे, जो कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक भी हैं उन्होंने भी सदन की भावना के अनुसार और सदन के नेता और विरोधी दल के सदस्यों को कान्फिडेन्स में लेकर डिपार्टमेन्टल एक्शन लेने के लिये सदन की गरिमा को रखने के लिये यह किया था। हमें यह भ्रम न हो कि सदन को बाई-पास करने के लिये

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
कोई बात की हो ऐसा नहीं था । आज जो भी आपके विचार हों, मैं व्यक्तिगत रूप से यह चाहूंगा कि जिस प्रकार का माननीय सदस्य के साथ इन्सिडेन्स हुआ है और भूराजी ने बड़े हृदय विदारक शब्दों में वर्णन किया था, जो व्यक्ति दोषी है, उसका दोष प्रमाणित है कहीं शंका की कोई गुन्जाइश नहीं है उसको सदन में लाकर रेप्रिमेन्ड किया जा सकता है उसके विरुद्ध कोई न कोई सजा जो आप निर्धारित करें, सस्पेन्शन की ही सजा न हो, डिपार्टमेन्टल प्रोसिडिंग्स हो सकती है, सदन की ओर से सजा दी जा सकती है। वह अध्यक्ष महोदय के अधीन है। वह जो भी इस पर व्यवस्था दें वह सब को शिरोधार्य होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत ही सीरियस है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं दो मिनिट में अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : काफी समय हो गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो मिनिट।

श्री अध्यक्ष : केवल दो मिनिट ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसी भी घटना पहले भी हुई थी कि सदन को एक्जीक्युटिव आदेश लेने पड़ गये थे। 62 में एक लाश हनुमानगढ़ से सदन के सामने लाई गई। सदन एक्जीक्युटिव आदेश दे सकता है या नहीं यह समस्या थी। इस सदन ने एक्जीक्यूटिव आदेश कर सस्पेन्ड किया एस. एच. ओ. को और मेडीकल बोर्ड यहां बैठेगा यह भी आदेश दिये। कल यह प्रश्न खड़ा हुआ कि यह सदन एक्जीक्युटिव आदेश ले सकता है या नहीं। गवर्नर महोदय, राज्यपाल महोदय हमारे कोन्स्टिटयूशनल हैड हैं। आप कोन्स्टिठयूशन के माइन्ड हैं पायलेट हैं और सदन के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदय, इंगलैंड की पार्लियामेन्ट का उदाहरण है। चार्ल्स फैंकिड को सिर देना पड़ा था क्योंकि कोन्स्टिट्यूशनल हैड ने पार्लियामेन्ट के मेम्बर को गिरफ्तार करने की कोशिश की। यह भूरारामजी का ही प्रश्न नहीं है, यह सदन के सम्मान का भी प्रश्न है। एक हैड कान्स्टेबल सस्पेन्ड हो जाय को बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी सजा नहीं है। कम से कम सदन में यह परम्परा डाली जाय कि जिस व्यक्ति ने माननीय सदस्य का अपमान किया है उसको सदन के अन्दर लाया जाय और वह हाथ जोड़ कर खड़ा हो और उसको रीप्रेमेन्ड किया जाय । मैं इसको बड़ी सजा मानता हूं बल्कि उसको सस्पेन्ड करके उसके बच्चों को भूखों न मारा जाय।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी दुर्घटना प्रथम बार ही इस सदन के समक्ष नहीं आई है। मैं यह मानता हूं यह एक प्रिविलेज का इश्यू है। सबसे उत्तम तरीका यह होगा कि आसन के द्वारा डिसपोज ऑफ कर दिया जाय। अब सस्पेन्सन हुआ है या नहीं हुआ है, यह तो मुझे मालूम नहीं। किसी समाचार पत्र में ऐसे समाचार मुझे ज्ञात नहीं हुए —व्यक्तिगत रूप से नहीं। यह सस्पेन्सन हुआ है तो यह एलीगेशन लगाया जा सकता है कि इश्यू भी बाई-पास किया गया है किन्तु

(श्री लक्ष्मणसिंह)
मैं कह सकता हूं इसको बाई-पास करने की चेष्टा नहीं है। यह हाउस सुप्रीम है, यह हाउस कोर्ट भी बन सकता है, यह हाउस कठोर से कठोर सजा भी दे सकता है। यह आसन की महिमा और गौरव, प्रेस्टीज के अनुरूप जो होगी वह होगी। यह वह मामला नहीं है जो छोटा मोटा हो, महत्वपूर्ण मामला है। सदन की गरिमा से सम्बन्धित है। मैं अध्यक्ष महोदय से आशा करता हूं जो अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देंगे, वह सर्वमान्य होगी।

श्री अध्यक्ष : कल सदन में इस विषय पर चर्चा हुई। मैंने सदन से निवेदन किया था इस सम्बन्ध में। यह भी सवाल आया था उस वक्त मुअत्तली के बारे में। मैंने उस समय कहा था सस्पेन्सन करने का अधिकार, स्पीकर, को नहीं है। यह हाउस, यह सदन सुप्रीम है। उस मर्यादाओं के भीतर यह किसी को भी सजा दे सकता है, सदन को अधिकार है। कोई समझे कि किसी व्यक्ति ने इस सदन का, इस सदन के किसी माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन् किया है तो वह सदन चाहे तो उसको रेप्रीमेन्ड कर सकता है, सदन चाहे तो इम्प्रीजनमेंट कर सकता है, चाहे तो जेल भी भेज सकता है लेकिन जहां तक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का सवाल है जहां तक मैं समझता हूं और जहां तक इस सदन की परम्पराओं का प्रश्न रहा, पार्लियामेन्टरी परम्पराओं का प्रश्न है, सस्पेन्सन का ऑर्डर वह यहां नहीं हो सकता है। उस सम्बन्ध में मैंने जो निर्णय लिया है वह मैं आपसे निवेदन कर देता हूं--

विशेषाधिकार प्रश्न पर व्यवस्था

माननीय सदस्य श्री भूराराम ने यह आरोप लगाया है कि कल दिनांक 19-3-74 को दिन के करीब 1-00 बजे जब वे विधान सभा भवन के बाहर अपने किसी परिचित व्यक्ति के लिये सदन की कार्यवाही देखने का पास बनवाने के लिये खड़े थे तब उनके साथ पुलिस के एक कर्मचारी ने जिसका नाम उन्हें याद नहीं है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और यह प्रार्थना की कि सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय। इस प्रश्न को अन्य माननीय सदस्यों ने भी विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाया है।

सदन के दोनों पक्षों की ओर से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की गई है। ऐसी स्थिति में मैं इस मामले को नियम 162 के तहत विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

प्रतिवेदन

श्री मोहन लाल छंगाणी : (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1972-73 सदन की मेज पर रखता हूं।

आधा घण्टे की चर्चा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को सेवाओं में उपयुक्त स्थान

श्री अध्यक्ष : आधा घण्टे की चर्चा। यह आप लोग तय कर लें कौनसी

(श्री अध्यक्ष)
पद्धति अपनाना चाहिये । इसको 1-35 पर खत्म कर दिया जाय। उसमें माननीय मंत्री महोदय का उत्तर भी आ जायगा।

श्री मीठालाल ।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को सेवाओं में उपयुक्त स्थान देने के मामले को लेकर इस सदन में और बाहर भी माननीय मंत्री महोदय की ओर से, सरकार की ओर से बड़े बड़े व्याख्यान और बड़े बड़े भाषण दिये जाते हैं और कहा जाता है उचित स्थान देंगे लेकिन इन 26-27 वर्षों के बाद भी उनको वह स्थान जो सरकार द्वारा नियत किया गया है, वह प्राप्त नहीं हो रहा है जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति दोनों. लोगों में बड़ी भारी, निराशा अशान्ति और आक्रोश की भावना होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की गरिमा के अनुसार उनको जो 28 प्रतिशत 11 और 17 विभिन्न विभागों में रिजर्वेशन रखा है उनके बारे में केन्द्र सरकार से समय समय पर इस प्रकार के आदेश हुये हैं कि उन्हें उचित स्थान दिया जाय और जब तक खाली रखा जाय जब तक उन्हीं लोगों द्वारा भरे नहीं जाते हैं। लेकिन होता यह है कि सरकार की आज्ञा के उपरान्त उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करार देकर, इस तरह के नोट लगाकर कह देते हैं कि योग्य उम्मीदवार प्राप्त नहीं हुये हैं जबकि उनकी पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार से स्पष्ट आदेश हैं अगर इन समुदायों के जो भी उम्मीदवार प्राप्त नहीं हुये हैं तो उन स्थानों को तब तक खाली रखा जाय जब तक कि उनमें से योग्य उम्मीदवार प्राप्त नहीं हो जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, 26 वर्षों से इनके विकास का बहुत प्रपोगेन्डा कर रहे हैं। आपने करोड़ों रुपये खर्च कर दिये हैं तो क्या करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी आप योग्य उम्मीदवार पैदा नहीं कर सके और अगर नहीं कर सके तो करोड़ों रुपया आपने बरबाद क्यों कर दिया उससे क्या फायदा और जो डींग मार रहे हैं कि हमने इतना कर दिया। एल० डी० सी०, यू० डी० सी० के स्थान पर भी आपको योग्य उम्मीदवार प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो करोड़ों रुपया खर्च करने का क्या नतीजा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय 72-73 के आंकड़ों से स्पष्ट है कि जितना प्रतिशत नियत किया है, इन सेवाओं में उनको जानबूझ कर आपने, आपके अधिकारियों ने नहीं भरा जिससे उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है और केवल आपकी ढिंढोरा पीटने वाली नीति ढकोसला मात्र है ।

अध्यक्ष महोदय नियोजन कार्यालय से सन् 72 में सब मिला कर 24 हजार 91 जो स्थान थे उनमें 28 प्रतिशत से 6478 और आवेदनकर्ता तीनों में मिलाकर 4116 ने प्रार्थना-पत्र दिये और 28 प्रतिशत के आधार पर जो उनकी संख्या होनी चाहिये वह 4116 है लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों को 1563 को काम दिया और अनुसूचित जन-जाति को केवल 66 स्थान इस तरह कुल 1729 । इसी तरह सन् 73 में कुल 7 हजार 81 । 25257 रिक्त स्थान

(श्री मीठालाल)

और 28 प्रतिशत के हिसाब से 7080 प्रार्थना-पत्र 15 431। अनुसूचित जाति के 1754 और अनुसूचित जन-जाति के 881 कुल मिलाकर 2631 जबकि 28 प्रतिशत से 4352 हो जाते हैं। आपने 2635 दिये हैं। वह किस आधार पर दिये हैं ? प्रार्थना-पत्र भी आये इसके बावजूद 2635। जिन आवेदनकर्ताओं को काम दिया वह किस आधार पर दिया ?

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आपने 13-3-74 को स्वीकार किया कि आरक्षी पदों पर उनकी जो समुचित पूर्ति होनी चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए और सर्विस मिलनी चाहिए वह नहीं मिल सकी है। उसके सही आंकड़े तो नहीं हैं। तो यह भी आप असमंजस में डालने वाली बात करते हैं। आपने 1971, 1972 और 1973 में कितने लोगों को काम दिया उसका भी आंकड़ा नहीं बता सके तो यह भी सरकार के लिए गुमराह करने वाली बात है और शर्म वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय, तीन विभाग राजस्थान में इन सर्विसेस के लिए जिम्मेदार हैं सचिवालय, समाज कल्याण विभाग और नियोजन विभाग। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो तीन विभाग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार भी हैं और बहुत कुछ इन सेवाओं की पूर्ति के लिए सरकार से सहयोग कर सकते हैं और सहायता कर सकते हैं क्या इन तीनों विभागों में रिजर्वेशन के अनुसार विभिन्न पदों पर शिड्यल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग कार्यरत हैं ? क्या यह पद भरे हुए हैं ? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि नहीं। क्योंकि स्वीकृत पदों के आधार पर मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। राजपत्रित अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 69 है जिसमें अन्य वर्ग के 63 हैं और अनुसूचित जाति के 17 परसेन्ट के आधार पर 10 होने चाहिये और केवल 2 लगा रखे हैं, अनुसूचित जन-जाति के 11 पर्सेन्ट के आधार पर 7 होने चाहिये और आपके केवल 2 लगा रखे हैं। अधीनस्थ सेवाओं के लिए स्वीकृत पद 350 हैं जिसमें से अन्य वर्ग के 208 कार्य कर रहे हैं और अनुसूचित जाति के 83 और अनुसूचित जन जाति के 18 हैं जब कि 25 होने चाहिए। मंत्रालयिक के स्वीकृत पद 208 हैं इसमें से अन्य वर्गों के 168 कार्य कर रहे हैं और अनुसूचित जाति के 29 ही हैं जब कि यह 35 होने चाहिये और अनुसूचित जन-जाति के केवल 5 हैं जब कि 23 होने चाहिए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद 682 हैं उसमें अन्य वर्गों के 375 हैं, अनुसूचित जाति के 133 हैं और अनुसूचित जन-जाति के 83 हैं और जबकि अनुसूचित जाति के 77 होने चाहिये और अनुसूचित जन-जाति के 137 हैं जब कि 129 होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में तो आपने पूर्ति कर दी जिनका झाड़ू लगाने का या सफाई करने का काम है। आप इस समुदाय में से उच्च पदों के लिए योग्य नहीं मानते इस लिये इस चतुर्थ श्रेणी में तो आपने पूर्ति कर ली और दूसरों में नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ की भी आपने स्थापना की है जिसमें 22 कर्मचारी इसके लिये लगाये गये थे और उनके ऊपर आपने

(श्री मीठालाल)
लाखों रुपये खर्च किये लेकिन यह 1972 में काम केवल 5 आदमियों को दे सके। 1970 में इस प्रकोष्ठ की स्थापना हुई और 1972 तक केवल 5 आदमियों को कार्य दे सके। इससे साफ जाहिर है कि इस समुदाय की तरफ कितना इन्टरेस्ट है यह आपको खुद ही मालूम पड़ जायेगा।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के मामले में मैं निवेदन करूंगा कि जो जिला परिषद् और ग्राम पंचायत चयन आयोग है या जो भी संस्थायें आपने बना रखी हैं इनमें इनको उच्च पदों पर नहीं रखोगे तब तक रिक्त पदों की पूर्ति होना असम्भव है।

न्यायालयों में न्याय की सर्विसेज के लिए जैसे आर० जे० एस० है या आर० एच० जे० एस० हैं इनके लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की गई थी कि इन पदों पर इन समुदाय के लोगों में से पूर्ति की जाये। इसके अन्दर आपने केन्द्रीय सरकार की बात मानी थी। अध्यक्ष महोदय, 1969-70 को अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के आयुक्त की रिपोर्ट के पेज 103 पर गृह मंत्रालय की सिफारिश थी।

"गृह मंत्रालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण के प्रश्न को भी संबंधित राज्य सरकारों से उठाया था। विभिन्न राज्य सरकारों से गृह मंत्रालय द्वारा ज्ञात की गई इस संबंध में स्थिति परिशिष्ट के विवरण में बताई गई है। इस विवरण से यह देखा जाएगा कि अन्य राज्यों के साथ राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय विवरण में बताई गई सीमा तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण करने को सहमत हो गए हैं"।

लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1969-70 की रिपोर्ट है क्या आपने इस विभाग में किसी को किया है? अगर किया है तो यह बताने का कष्ट करें कि आपने हाईकोर्ट में या जिला सत्र न्यायालयों में कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग लिये हैं? या केन्द्रीय सरकार को भी आपने आश्वासन दिया है उसका भी उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आपके जितने भी एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज के आफिसेज हैं उनमें अनुसूचित जाति के लोगों ने प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं और उनमें यह प्रार्थना-पत्र दो तरह के हैं–एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की और दूसरे शहरी क्षेत्र के लोगों की। जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं उनमें 70 प्रतिशत ऐसे आदमी हैं जो कि ग्रामीण इलाकों के हैं और जब नौकरी में आप स्थान देते हैं तो अधिकांश स्थान शहरी क्षेत्र के रहने वालों को ही दिये जाते हैं और देहाती क्षेत्र में रहने वालों को नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अलग अलग जिलों के आंकड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्रों के। मैं सारे आंकड़ों में न पड़ कर केवल प्रतिशत के बारे में ही निवेदन करूंगा। बांसवाड़ा में 67 परसेन्ट, डूंगरपुर में 73 परसेन्ट, उदयपुर में 59 परसेन्ट, चितौड़ में 54 परसेन्ट और सवाई माधोपुर में 61 परसेन्ट अनुसूचित जाति के लोगों ने जो देहाती क्षेत्रों से हैं उन्होंने आपके पास प्रार्थना-पत्र दिये हुए हैं जिनको अभी तक काम नहीं मिल सका है।

(श्री मीठालाल)

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आपने जो इनके उत्थान के लिए ये आगे जाकर पढ़ सकें या योग्य उम्मीदवार इनमें से मिल सकें इसके लिये पब्लिक स्कूल वगैरह हैं या अन्य स्कूल्स हैं जिनको आप एड देते हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनमें भी रिजर्वेशन रखें ताकि आगे जाकर योग्य उम्मीदवार बन सके। इन संस्थाओं में आपने इनके लिये कोई रिजर्वेशन नहीं रखा है। पब्लिक स्कूल जो इंग्लिश मीडियम के हैं और जिनको एड दी जाती है सरकार इनके होस्टल में रिजर्वेशन रखे ताकि इन समुदाय के लोग भी उनमें जाकर विद्याध्ययन कर सकें और आगे योग्य उम्मीदवार बनने में सफल हों।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो रोस्टर प्रणाली के आधार पर प्रमोशन सिस्टम अपनाया था इसमें जब तक आप प्रमोशन नहीं देते जब तक कि अन्य कर्मचारियों का भी उसमें समावेश नहीं करते। जबकि होना यह चाहिए कि इन समुदाय के लोगों में से आदमी नहीं मिले तो यह नहीं कि अन्य समुदाय के सदस्यों के साथ जोड़ा जाये बल्कि उनको विशेष प्रमोशन दें जिससे यह लोग आगे बढ़ सकें। इनको योग्यता के आधार पर नहीं आंक कर केवल राजनैतिक और भ्रष्टाचारी तरीके से आप नापते हैं।

मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस विभाग में उच्च अधिकारी से लेकर नीचे तक के पदों पर विशेषकर हरिजनों को सबसे ज्यादा रखना चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि इस विभाग में तो घोर अंधेरगर्दी बरती गई है और इस ओर कोई ध्यान नहीं रखा गया है। बलात्कार के मामले आते हैं और दूसरे मामले आते हैं उनके ऊपर पालना नहीं हो पाती उसका एक मात्र कारण यही है।

अध्यक्ष महोदय, एक खास बात और है कि सर्विस में भरती के लिये जो बैन लगी हुई होती है मेरा निवेदन है कि यह बैन अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों के ऊपर नहीं रहे और जो रिक्त है उनके लिये बैन हट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति उस समय भी करें जिस समय कि यह बैन लगा हुआ हो।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को भी उत्तर देने का समय दें।

श्री मीठालाल : दो मिनट। इसके अतिरिक्त देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी है उसके लिये एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्जेज में प्रार्थना-पत्र दे दिये हैं उनके बारे में सरकार ने आज तक कोई ठोस नीति और ठोस कार्यक्रम नहीं अपनाया। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस काम के लिये आप अधिक से अधिक ध्यान देकर देहाती बेरोजगारों के लिये भी ध्यान दें और आर०ए०एस० और आई०ए०एस० परीक्षाओं के सेन्टर हमारे राज्य से बाहर दूसरी जगह भी हैं और हमारे राज्य में पूर्व ट्रेनिंग सेन्टर नहीं हैं तो मेरा निवेदन है कि अन्य राज्यों में भी खोल रखे हैं तो केन्द्रीय सरकार से निवेदन करें कि राजस्थान में भी ट्रेनिंग सेन्टर खोले। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जानी चाहिए और जब तक पूर्ति नहीं हो उनको खाली रखा जाना चाहिए तभी उन पदों का उपयोग हो सकता है। अगर किन्हीं

(श्री मीठालाल)
विभागों के अन्दर आपके आदेशों के बावजूद भी पूर्ति नहीं होती है तो उन उच्चाधिकारियों के खिलाफ जिनके कारण ये स्थान नहीं भरे गए हैं उनके खिलाफ जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए और उसमें इस सदन के माननीय सदस्यों को रखा जाना चाहिए जिससे कि हमें इस बात की पूरी जानकारी हासिल हो सके कि इस समुदाय के लोगों को उचित स्थान प्राप्त हो रहा है या नहीं और किसी अधिकारी ने जानबूझकर तो हरकत नहीं की है और अगर उसने जानबूझकर हरकत की है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करे और कमेटी बैठा कर जांच करायें जिससे राज्य सरकार को रिपोर्ट मिल सके और वह उचित कार्यवाही कर सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय यह सही है कि हमको जितना शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए नौकरियों के बारे में करना चाहिए उतना नहीं कर सके फिर भी मैं थोड़ा सा ब्यौरा देना चाहूंगा। पिछले तीन वर्षों में 70, 71 व 72 में विभिन्न राजस्थान सरकार की संस्थाओं ने अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों की नियुक्ति सम्बन्धी सूचना दी है। उसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति औसत से अधिक हुई है परन्तु उपरोक्त सूचना के अवलोकन से मैं आपको थोड़ासा बताना चाहूंगा, हम डिनाई नहीं करते, मैंने इसको माना है कि हम इसको पूरा नहीं कर पाए हैं। फिर कुछ तो हमारे पास सूचना नहीं है कि हमारे विभागाध्यक्षों ने रोस्टर प्रणाली को उनके विभागों में किस तरह लागू की है या जो कोटा हमने सर्क्यूलर जारी करके फिक्स किया था वह पूरा हुवा या नहीं। अभी तक, मैं इस सदन में यह स्वीकार करने से नहीं घबरा रहा हूं कि कई विभागों ने सूचना नहीं दी है। जितनी सूचना मिल पाई है, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं। जैसा माननीय मीणाजी ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में यह संख्या ज्यादा रही है····

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

आप सुनिए। जो हमारे सिस्टम में कमजोरियां रही हों लेकिन हमारी आस्था है, हमारा ध्येय है कि इस 28 पर्सेंट के कोटे को पूरा किया जाय। प्रमोशन में जो कोटा लागू किया गया है इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का पैटर्न है, जो उनकी हिदायतें हैं, उसको अमल में लाया जावे, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय इसमें भी कोई दो राय नहीं है और हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो मैं यह बताऊं कि 70-71 में हमारे पास में अभी तक 48 विभागों से सूचना नहीं आई है जब कि हमने 91 विभागों को लिखा था। जैसे गजेटेड है, गजेटेड में········

श्री नत्थसिंह : माननीय मंत्रीजी, जिन विभागों ने अभी तक आपको सूचना नहीं भेजी है क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं कार्यवाही निश्चित तौर से कर रहा हूं।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। ये क्या सूचना दे रहे हैं जब कि उनके पास स्टेटमेन्ट ही नहीं है। जब 14 तारीख को मामला आ गया उनके सामने कि आधा घण्टे की चर्चा होगी फिर भी आप सूचना एकत्रित नहीं कर पाए····

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय..

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमने इसके लिए टीम बनाई है, पूरी टीम है परसोनल डिपार्टमेंट की जिसने घूम घूम कर 12 डिस्ट्रिक्ट में सूचना एकत्रित कर ली है। फिर यह हिदायत दे दी गई है कि जो कोटा है, चाहे वह प्रमोशन का हो, चाहे वह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हो, उसको पूरा किया जाना चाहिए। अगर आप फैक्ट चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि चतुर्थ श्रेणी में हमारी रिपोर्ट के अनुसार 44.6 इन 71-72 में पूर्ति हुई है। अब गजेटेड में 14.7 पर्सेंट है। सबओर्डिनेट में 13.1 पर्सेंट है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ में 18.9 पर्सेंट है। 71-72 में गजेटेड में 23.8 पसट, सबओर्डिनेट में 15.2 पर्सेंट, मिनिस्ट्रियल में 14.4 पर्सेंट और फोर्थ क्लास में 32.4 पर्सेंट। 72-73 में, इसलिए यह कह रहा हूं इन्फोर्मेशन अभी तक कम्प्लीट नहीं है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि कम्पलीट इन्फोर्मेशन कलेक्ट की जावे और सदन के माननीय सदस्यों को पूरी 2 सूचना दी जाय। रोस्टर प्रणाली को भी किस तरह से पूरा कर रहे हैं इसके बारे में भी सूचना एकत्रित की जा रही है। थोड़े दिनों के बाद मैं इस स्थिति में हो सकूंगा कि मैं आपको कम्पलीट इन्फार्मेशन दे सकूं लेकिन आप यह मान कर चलिए कि भारत सरकार की जो इच्छा है और हमारी भी उसमें आस्था है, हमारा भी ध्येय है कि जो यह 28 पर्सेन्ट का रिजर्वेशन है और प्रमोशन कोटा है उसको पूरा किया जाय। प्रमोशन कोटा के बारे में निवेदन करूं कि कुछ दिक्कतें और रूकावटें आती हैं....

श्री जयकिशनलाल : एक बात मैं निवेदन करूं..

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं, आफ्टर फिनिस ऑफ दिस रिप्लाई।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जैसे डी०पी०सी० केरी फारवर्ड पोस्टों को करने में थोड़ा हिचकिचाती है। इस बारे में जो भी भारत सरकार निर्णय करेगी हम उस निर्णय को लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने 73 के अन्दर सभी विभागों को सक्यूलर जारी कर दिया था, उसके बाद रोस्टर प्रणाली के लिये एक स्कायड कायम किया जो हमेशा इसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहेगा कि यह प्रणाली इम्प्लीमेंट होती है या नहीं। इसकी सूचना के लिए स्क्वायड बनाया गया है और अभी तक वह 12 जगहों पर, 12 जिलों में जा कर पूरी की पूरी सूचना एकत्रित कर चुका है और जो सूचना बाकी है वह भी थोड़े महीनों में सारी की सारी सूचना मिल जाएगी। और तब तो पूरी हिदायतें देदी हैं कि सारे प्रमोशन में चाहे कैरी फोरवर्ड किया जावे, चाहे डाइरेक्ट रिक्रूट हो, इसकी शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइब के लिए पूरी की पूरी

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
गारन्टी दी जावे, यह हमारा निश्चित मत है।

श्री मीठालाल : केन्द्र सरकार ने 69-70 की रिपोर्ट में यह कहा था, कि उच्च न्यायालयों, कोर्टों में, आर० ए० एस० और आर० पी० एस० में पूर्ति नहीं हुई है। आप यह बताइये कि ज्यूडिशियरी में अपोइन्टमेंट्स के लिए आपने क्या किया है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं आपको कह चुका हूं कि हम सर्क्यूलर जारी कर चुके हैं कि चाहे ज्यूडिसियरी हो चाहे···

श्री मीठालाल : इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। यही तो सबसे बड़े दुख की बात है कि आपने आदेश जारी कर दिया पर उनको आपके अधिकारी मान नहीं रहे हैं। तो जो अधिकारी उन आदेशों को पूरा नहीं कर रहे हैं क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अगर नहीं करते हैं···

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम उसके लिए सशक्त कदम उठायेंगे।

श्री नत्थसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह विश्वास दिलाया जावे कि हम एक दो दिन में, पांच दिन में, दस दिन में यह पूरे के पूरे डिपार्टमेंटों से सूचना लेकर सदन को आश्वस्त करायेंगे।

श्री जयकिशनलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न था इस सम्बन्ध में और मझे सरकार की तरफ से यह लिख कर भेजा गया था और इस तरह का उत्तर दिया था कि दस व्यक्ति जैसे साथ साथ प्रोमोट किए जायेंगे उस समय शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को भी प्रमोशन किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि क्या यह योजना गलत है या नहीं है। यदि गलत है तो उनके बारे में सरकार क्या निर्णय ले रही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सूचना अभी तक एकत्रित कर रहे हैं··

श्री रघुनाथ विश्नोई : सूचना कब तक इक्टठी कर लेंगे, यह बता दीजिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं आपको तीन महीने के अन्दर सूचना दे दूंगा। यह जो सारा स्क्वैड है वह काम कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको सारे भारतवर्ष का चित्र दूं, चाहे तमिलनाडू हो या महाराष्ट्र हो, रिजर्वेशन में हम हर वक्त आगे रहे हैं···

(कई मा० सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री नत्थसिंह : आपके हर विभाग, आपके कर्मचारी, अधिकारी आपको गलत सूचना इकट्ठी करके देते हैं और उम्मीदवारों को भर्ती नहीं किया जाता है।

श्री जयकिशनलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि दस को एक साथ प्रमोशन दें तो उनके साथ शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भी देंगे। दूसरा मेरा निवेदन है कि मैंने उसके बारे में यह पूछा था कि जैसे स्टूडेंट हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर हैं उनसे आठ घण्टे की ड्यूटी ली जा रही है तो क्या हमारी सरकार इस पर निर्णय करेगी कि केवल उसको स्टाइपेंड ही मान कर उनके साथ में इस प्रकार की रियायत करेगी। यदि उनसे आठ घण्टे की ड्यूटी लेते हैं तो क्या उनको सरकारी कर्मचारियों

Page No 68

68

(श्री अर्यकिशनलाल)

की तरह पूरा भत्ता और पूरी तनख्वाह देने के बारे में सरकार के सामने कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट और हैं । दो मिनिट में आप जवाब दे देंगे । डेढ़ बजे खत्म कर देंगे ।

(कई मा०सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

श्री नरसिंह : इसके लिए कमेटी बनाई जावे जिसमें विधान सभा के सदस्यों को लिया जाय और पूरे जिले की इन्क्वायरी करके रिपोर्ट करें। इसके लिए कमेटी बनाई जावे और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के आदमियों को लिया जावे ।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय · · ·

श्री अध्यक्ष : आपको पूरा टाइम दे दिया है · ·

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी सहायता करिए ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी सहायता करने के लिए ही बैठा हूं । But I shall have to finish it within two minutes.

श्री मीठालाल : आप कहते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी जावेगी लेकिन पूर्ति नहीं की जा रही है । आपने आदेश निकाल दिया लेकिन आपके अधिकारी उसका उत्तर तक नहीं देते तो आप क्या उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? इस सारे मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी बनायें जिसमें विधायक भी लिए जावें । वह कमेटी इस बात की जांच करे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है और उस पर क्या कार्यवाही करना चाहते हैं । कुछ तो आप घोषणा करें नहीं तो यह आधे घन्टे की चर्चा से मतलब क्या निकला ।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या आप पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर किसी को सदस्य नियुक्त करेंगे या हाई कोर्ट में जो जजेज हैं उस प्रतिशत के हिसाब से इन लोगों में से जज नियुक्त कराने का प्रयास करेंगे । क्या आप आर०ए०एस०,आर०पी० एस० वगैरा में इस प्रपोर्शनेट में अधिकारियों की नियुक्ति करने का आर्डर दे सकते हैं? क्या आई० पी० एस०, आई० ए० एस० ऑफिसरों में प्रपोर्शनेटली इनको नियुक्त किया गया है और क्या इण्डियन फारेन सर्विस में इन रेशों के अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ? जो प्रतिशत आप बता रहे हैं क्या उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल नहीं हैं ? इसको निकाल कर अध्यक्ष महोदय बताएंगे तो अन्य सर्विसेज की संख्या बहुत ही कम होगी · · · ·

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यह राजनैतिक प्रश्न बन गया है । माननीय सदस्य ने सक्यूलर को नहीं पढ़ा है । हाई कोर्ट में रखा रहे हैं या नहीं यह प्रश्न नहीं है । हमारी नीति इस मामले में स्पष्ट है । · · (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब चाहते हैं तो सुन लीजिए ।

श्री मूलचन्द सामरिया : इससे पूर्ति नहीं हो रही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह 1973 का सर्क्यूलर है। हम हाईकोर्ट में नहीं लेना चाहते हों यह प्रश्न नहीं है। सारी सर्विसेज की डिटेल मैं दे दूंगा। 28 पर्सेन्ट का कोटा हम पूरा करना चाहते हैं और इस सिद्धान्त को लागू किया जाएगा। लगातार सर्क्यूलर इश्यू कर दिये गये हैं कि इसकी पूरी की पूरी सूचना हम को आनी चाहिए परन्तु अभी नहीं आई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा कमिटमेन्ट किसी तरह से कमजोर है।

श्री मूलचन्द सामरिया : पर्सेन्टेज और गिर जाएगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह सही है कि हमने आदेश जारी कर दिए हैं और सख्त कार्यवाही करेंगे जो भी विभागाध्यक्ष इसका उल्लंघन करेगा। तीन महीने के अन्दर अध्यक्ष महोदय यह सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और आवश्यकता पड़ी तो आपकी कमेटी बिठा देंगे। अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार जो भी पालिसी अख्तियार करेगी उसको राजस्थान में लागू किया जाएगा।

अनुदान की मांगें
मांग सं० 16, 3, 4 व 5

श्री अध्यक्ष : मांगें। मुख्य मन्त्री

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं.. –

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, पान्इट ऑफ आर्डर सर। माननीय स्टेट मिनिस्टर मुख्य मन्त्री की ओर से मांगे प्रस्तुत कर रहे हैं तो उन्हें यह कहना चाहिए कि मैं मुख्य मन्त्री के बिहाफ पर प्रस्ताव करता हूं.... यह शब्द बोलने चाहिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से....

श्री लक्ष्मणसिंह : इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Minister includes all Ministers. This is the correct position under the Rules.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अगर माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट हो जाएं तो मुझे कहने में आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,03,37,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 3 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 197. को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,45,000 रुपये की राशि प्रदान की जावे।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 4 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,54,26,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 5 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 79,76,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुई ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : 1 मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की दरों पर चर्चा के लिये) ।

2. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों से कार्यालय कार्यकाल के अतिरिक्त ड्यूटी लिये जाने पर व अन्य कर्मचारियों की भांति मानदेय व सुविधा न दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

3. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाहियों की वेतन श्रृंखला पर चर्चा के लिये) ।

4. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (सिपाहियों को वर्ष में तीन वर्दियों के स्थान पर 5 वर्दियों के दिलाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

5. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 538 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य पथ परिवहन में विनियोजित राशि का उचित फल नहीं मिलने पर चर्चा के लिये) ।

6. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में सुधार लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

7. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपराधों की बढ़ती हुई वृद्धि को रोकने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये) ।

8. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानों में बंदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उनके रहने के स्थान की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों को वर्तमान में दिये जाने वाले मानदेय पर चर्चा के लिये) ।

10. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 213 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रीपरिषद् पर होने वाले अनावश्यक व्यय में मितव्ययता पर चर्चा के लिये) ।

11. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 213 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में जनता के विश्वास के अभाव पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 213 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कर्मचारियों की मांगों पर अपनाये गये सरकारी रवैये पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न सेवा नियमों के बनाने में कार्मिक विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 276 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत विभाग द्वारा समय पर निर्देश न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री दीपंकर (लाडनू):

15. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

16. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की चोहटन तहसील के हैडक्वार्टर चोहटन में सर्किल ऑफिसर यानि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के नये पद के सृजित करने पर चर्चा के लिये।)

17. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले की सरहद पर गजरात प्रान्त के नैनवा गांव में दिन दहाड़े डकेती की गई थी, जिसमे मुलजिमान नामजद हो चुके और उनसे माल भी बरामद कर लिया गया परन्तु उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न करने के कारण पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विशेष सेवा पदक प्रदान करने के आधारों के बारे में चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 213 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिये मंत्रियों के निवास स्थान पर जल और विद्युत व्यय में कमी और उनके दौरों पर नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से, 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, लालफीताशाही के कारण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

23. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा खुले तौर से आर० एस०एस० में सक्रिय भाग लेने पर भी उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम न उठाये जाने पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में मितव्ययता लाने के बारे में चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दृष्टिकोण समाजवाद के अनुरूप न होने से राज्य के निर्देश, आज्ञाओं एवं नीतियों के परिपालन में अकर्मण्यता, उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण काफी अर्से से नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रवृत्तियों में सक्रिय भाग लेने के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कड़ा कदम उठाने में निष्क्रियता एवं ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमावर्ती क्षेत्र में ईमानदार एवं योग्य अधिकारी एवं कर्मचारी न भेजे जाने से देश की सुरक्षा के खतरे में पड़ने की संभावना है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :

29. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भवानी मंडी व गंगधार, जिला झालावाड़ के थाने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना असनावर व थाना बकानी क्षेत्र में मवेशी चोरी को रोकने व बरामद करने में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में पुलिस की निष्क्रियता एवं उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता, अकर्मण्यता के कारण जनता में असंतोष पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला अधिकारी एवं कर्मचारी, जिला झालावाड़ द्वारा उदासीनता एवं लापरवाही के कारण जनता की परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) :

34. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255- के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर में एक ही पुलिस अधिकारी का बार बार स्थानान्तरण करने से फैले भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये) ।

35. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिये राज्य सरकार की स्पष्ट नीति न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

36. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों, हाई कोर्ट के जजों एवं उच्च राजकीय अधिकारियों को निवास के लिए आवंटन किए जाने वाले बंगलों की भूमि और भवनों के फर्श के क्षेत्रफल की अधिकतम सीमा निर्धारण के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) :

37. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारियों द्वारा निहित स्वार्थी व धनाढ्य वर्ग के लोगों के कार्यों में नाजायज सहयोग देना तथा जन प्रतिनिधियों को झूठा फौजदारी मुकदमों में फंसाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) :

38. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बढ़ते अभियोग और अपराधों की रोकथाम में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252- के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल के पुनर्गठन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (व्यवस्था एवं पद्धति के कार्य प्रणाली और उपलब्धि पर चर्चा के लिये) ।

41. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय जांच विभाग के अर्थहीन व्ययों पर चर्चा के लिये) ।

42. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय कर्मचारियों को विशेष सहूलियतों पर चर्चा के लिये)।

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह) :

43. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील क्षेत्र और थाना क्षेत्र एक ही होना चाहिए जिससे प्रशासन सुविधाजनक हो सके इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) :

44. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री मनोहर कोठारी)

कम कर दिया जाय (देलवाड़ा और खमनोर में थानों के लिये उपयुक्त स्थान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा से सर्किल ऑफिसर का मुख्यालय नहीं हटाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा में उप-जिलाधीश के कार्यालय की स्थापना संबंधी चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) :

47. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग से से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन लाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन की कमियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) :

49. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में पुलिस विभाग में अव्यवस्था के फलस्वरूप फैल रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में फिजूल खर्ची कम करने पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उप-जिलाधीश, टोंक के लगातार 8 वर्ष से वहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

52. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस ट्रेनिंग कालेज, किशनगढ़ में उचित ट्रेनिंग न होने पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों पर स्टेशनरी उपलब्ध नहीं होने से जनता की असुविधा पर चर्चा के लिये)।

श्री चिमन सिंह भाटी (भीम) :

54. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) :

55. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के पुलिस प्रशासन की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अंतगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन के प्रति जन-असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) :

57. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सराड़ा, जिला उदयपुर की पुलिस द्वारा असत्य शिकायतों में बिना सबूत जनता को परेशान करने पर चर्चा के लिए) ।

श्री शंकरलाल (पाली) :

58. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों को अफसरान् की तुलना में आवश्यक सुविधाएं न मिलने पर चर्चा के लिये) ।

59. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालफीताशाही व भ्रष्टाचार को मिटाने पर चर्चा के लिये) ।

60. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनावश्यक पदों को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) :

61. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार के विरोध में विपक्षी दलों द्वारा आयोजित प्रदर्शनों पर पुलिस द्वारा किये जाने वाले लाठीचार्ज व दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

62. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा चोरों व डकैतों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

63. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

64. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 213-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के पानी व बिजली के बढ़ाये गये व्यय से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये) ।

65. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन द्वारा अनियमित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व):

66. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) :

67. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255- के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में गिरती हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

68. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255- के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव सूरतसिंह-पुरा, तहसील बीकानेर के थाना नोखा

(श्री भीमसेन)
से थाना नापासर में स्थानान्तरण करने हेतु चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय मार्ग एवं सीमा स्थित पुलिसथाना, जामसर, लणकरण-सर, महाजन व पूगल में दूरभाष-यंत्र की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छत्तरगढ़, जिला बीकानेर में पुलिस चौकी के स्थान पर पुलिस स्टेशन की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

71. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की आबादी तथा क्राइम को देखते हुए सिविल पुलिस की कम संख्या पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखकर पेट्रोल के खर्चे को कम नहीं किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सतर्कता समितियों को अधिक अधिकार दिये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

74. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस रक्षक नहीं रही है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जोयिंग (कुशलगढ़) :

75. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के साथ पुलिस की दमनपूर्ण कार्यवाही पर चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) :

76. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 500 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पुलिस कर्मचारियों द्वारा जनता पर अन्याय-पूर्ण व्यवहार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

77. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार व पुलिस द्वारा खाद्यान्न तस्करों को संरक्षण देने पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण पुलिस स्टेशनों पर अनियमितताओं और शोषण पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोस्टर प्रणाली

(श्री नाथूराम)

एवं अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिए नियुक्तियों के आरक्षण हेतु केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार नियोजन कार्यालयों की सेवाओं की उपयोगिता हेतु नियोजन सेवा, जनशक्ति, समाजकल्याण (रोजगार विंग) उद्योग (रोजगार विंग), विभागों के एकीकरण पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त लाल फीताशाही, नौकरशाही पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय के विभिन्न वर्गों में, अनुसूचित जाति/जन-जाति के आरक्षण प्रतिशत में रही कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर):

82. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले के पुलिस थाना, रघुनाथगढ़ को पिथदाली में हस्तांतरित करने को व सूरपुरा गांव में 25 फरवरी को हुई सती को रोकने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सीकर में नीम का थाना सब-डिस्ट्रिक्ट में स्पेशियल पुलिस चौकी लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन को अधिक चुस्त व कम खर्चीला करने पर चर्चा के लिये)।

श्री करनसिंह (डीग):

85. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के अनुशासन में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी):

87. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के सिपाहियों के वेतनमानों पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित एवं अनुसूचित जन-जाति का कोटा पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर):

91. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255- के अन्तर्गत मांग से से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

92. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255- के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में कार्य शिथिलता तथा व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

93. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255- के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

94. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255- के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग चोरों से बरामद माल को माल के मालिक को वापस लौटने में करने वाली देरी पर चर्चा के लिये) ।

95. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने में टाल नीति अपनाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

96. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग को आधुनिकरण यंत्रों से लैस करने हेतु चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में अपराधियों की व अपराधों की जांच के तरीके, जो मारपीट के हैं उस पर चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

98. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255- के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संगीन फौजदारी मुकदमों में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये) ।

99. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की मौजूदा परिस्थितियों में सतर्कता नहीं बरतने पर चर्चा के लिये) ।

100. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255- के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

101. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस फोर्स में भर्ती में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सदस्यों को निर्धारित प्रतिशत की कमी को दूर करने पर चर्चा के लिये) ।

102. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पेंडिग मुकद्दमात के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

103. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पुलिस थानों एवं चौकियों के पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में पदोन्नतियों में पक्षपातपूर्ण रवैये से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर० ए० सी० की एक बटालियन को डिस्बेंड करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस भर्ती में होने वाली अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में मुकद्मों की पंजीयन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जी० आर० पी० पुलिस की निष्क्रियता से रेल्वे में बढ़ती हुई अकर्मण्यता गुंडागर्दी एवं चोरियों की शिकायतों पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में जवानों की भर्तियों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संगीन मुकद्दमात में पुलिस तफतीस में गम्भीर अनियमितताओं एवं अदालतों में पुलिस की ओर से पैरवी में गफलत बरतने पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाजायज शराब एवं नाजायज अफीम के व्यापार में पुलिस विभाग की साझेदारी पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सी० आई० डी० विभाग में गैर तफतीश मुकद्दमों के निपटारे हेतु चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 265–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होम गार्ड्स के जवानों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दिलवाने पर चर्चा के लिये ।

115. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय पुलिस विभाग के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
अफसरों को विशेष सेवाओं के लिये विशेष सेवा पदक दिलाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

116. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर० ए० सी० जवानों को एमर्जेन्सी ड्यूटी में लगाने पर उनको विशेष भत्ता दिलाने पर चर्चा के लिये) ।

117. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों से संगीन फौजदारी मुकदमें शिकायतों पर तब्दील किए जाकर (सी०आई० डी० विभाग द्वारा तफतीश कराने के आधारों की चर्चा के लिए) ।

118. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होम गार्ड्स से आर० ए० सी० में पदोन्नतियां करने के आधारों पर चर्चा के लिये) ।

119. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में हाल ही में हुई पी० एस० आई० एवं थानेदारों की भर्ती में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

120. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की चोरियों के माल को बरामद करने में असफलताओं पर चर्चा के लिये) ।

121. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विधान सभा सत्र में लगे पुलिस कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी भत्ता दिलाने पर चर्चा के लिये) ।

122. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन के सुधार के बारे में गठित कमेटियों की रिपोर्टों के अनुसार क्रियान्विती के बारे में चर्चा के लिये) ।

123. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय की मौजूदा व्यवस्था में मूलभूत सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

124. मांग संख्या 4, मुख्य शिर्षक 252—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) :

125. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

126. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय में लोगों की नियुक्तियों में जो अनियमिततायें होती हैं उनके सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

127. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में आर० पी० एस० व अन्य स्थानों पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के सुरक्षित स्थानों की पूर्ति न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा में दिनांक 25-2-74 को पुलिस द्वारा निर्दोष व्यापारियों, यात्रियों एवं विद्यार्थियों की निर्मम व अनावश्यक पिटाई के बाबत चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य पुलिस द्वारा जनता के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज, अश्रुगैस व पत्थरबाजी करने पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के सिपाहियों की दुर्दशा को सुधारने के प्रयत्न न करने हेतु चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपराध के नये नये तरीकों के आविष्कार के साथ पुलिस का उन्हें रोकने में असमर्थ रहने पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में ए० एस० आई० के पदों पर सीधी भर्ती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्न श्रेणी के पुलिस कर्मचारियों को यूनियन के गठन की अनुमति देकर उसे मान्यता देने के विषय में चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 253–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा के उप-खण्ड दण्डनायक के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन-जति के लोगों की वांछित प्रतिशत में आर० ए० एस० आदि पदों पर नियुक्ति न करने पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन द्वारा अधिकारियों का राजनैतिक दबाव से ट्रान्सफर करने पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम):

137. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार व अकर्मण्यता की वजह से जुर्म में वृद्धि पर चर्चा के लिये)।

(श्री किशन मोटवानी)

138. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होम गार्ड्स विभाग में बॉर्डर होम गार्ड्स विंग सही रूप में उसके कार्य का मूल्यांकन न कर सही मान्यता न देने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) :

139. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा गुंडों को प्रोत्साहन देने तथा भ्रष्टाचार फैलाने में स्वयं दोषी है इस पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में बढ़ती हुई अनियमितताओं पर अंकुश करने हेतु चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम श्रीनगर में लगातार 10 चोरियां हो जाने के पश्चात् भी पुलिस की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन अपने उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यों के निभाने में असफल रहा इस पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरूलाल (अकलेरा) :

143. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सरकार काबू पाने में असफल रहने में जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस स्टेशन मौलता क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस स्टेशन मनोहर थाना क्षेत्र में चोर एवं बदमाशों के आतंक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम घाटोली जिला झालावाड़ क्षेत्र में चोर एवं गुंडों के आतंक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) :

147. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपराधवृत्ति में वृद्धि एवं पुलिस की अकर्मण्यता के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) :

148. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय अफसरों को आधुनिक साधनों से भली प्रकार शिक्षित कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

149. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय द्वारा किये जाने वाले तबादलों में होने वाले खर्चों पर चर्चा के लिये) ।

श्री हनुमान सहाय (बैराठ) :

150. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना विराटनगर में कायम किए जाने तथा सरकार के अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये) ।

151. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में पुलिस स्टॉफ की कमी, पुलिस स्टेशनों पर स्टाफ एवं वाहन सुविधा का अभाव तथा नवीन चौकियां एवं थाने कायम किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये) ।

152. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु जयपुर जिले के दो जिले कायम किये जाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) :

153. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निरंतर बढ़ती जा रही अराजकता, छुरेबाजी, हत्याएं एवं दुर्घटनाओं पर पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये) ।

154. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन की अव्यवस्था एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति सौतेला व्यवहार करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) :

155. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांडेराव की पुलिस चौकी के स्टॉफ के जुर्म रोकने के कार्य में असमर्थता पर चर्चा के लिये) ।

156. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तखतगढ़ पुलिस थाने के स्टॉफ द्वारा एक अध्यापक की हत्या के मामले से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :

157. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में पिछले दो वर्षों में हथोड़ा मार तथा कनपटी मार द्वारा की गई अनेकों हत्याओं का पता लगाने में पुलिस की पूर्ण असफलता पर चर्चा के लिये) ।

158. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम झाखड़ावाली तहसील सुरतगढ़ में हरिजन स्त्रियों के साथ बलात्कार तथा हरिजनों की पिटाई के मामलों को पुलिस द्वारा दबा देने पर चर्चा के लिये) ।

Page No 84

84

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

159. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के विभिन्न थानों द्वारा हरिजनों पर मुकदमें बनाकर उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल करने पर चर्चा के लिये) ।

160. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जाटोली, धना तहसील भरतपुर के निवासी भमल जाटव की हत्या में पुलिस द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

161. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 538–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होम गार्ड्स विभाग में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

162. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 538–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टेट रोडवेज पर खर्च की जा रही राशि का उचित उपयोग न होने पर चर्चा के लिये) ।

163. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 213–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अभी हाल ही में मंत्रि परिषद् द्वारा अपने बिजली और पानी व भत्ते की बढ़ोतरी की गई है इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

164. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्पेशियल कमेटी की इन्क्वारीज की कार्य प्रणाली पर चर्चा के लिये)

165. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

166. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन अभियोग निराकरण समिति, गंगानगर द्वारा की गई कार्य शिथिलता एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

167. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन अभियोग निराकरण समिति की कार्य प्रणाली पर चर्चा के लिये) ।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) एवं **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) :

168. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चोरियां बरामद कराने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

169. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की सी० आई० डी० शाखा की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये) ।

170. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटर गेरेज की गाड़ियों का उचित पर्यवेक्षण नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

(श्री बनवारी लाल एवं श्री श्रीराम गोटेवाला)

171. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के सिपाहियों को लाइन्स की मैस से अपर्याप्त व निम्न श्रेणी का भोजन देने पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारीलाल (धोलपुर) :

172. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धोलपुर सब-डिवीजन में डकैतों द्वारा गरीबों पर अत्याचार किये जाने को रोकने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारी लाल (धोलपुर) **एवं श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर):

173. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 213–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के अनावश्यक यात्रा व्यय में कमी करने पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारीलाल (धोलपुर) :

174. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धोलपुर सब-डिविजन को जिला बनाने के बाबत पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले की सपेंड सब-तहसील को तहसील बनाने के बाबत चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा दी जाने वाली वृत्तिका और विशिष्ट सेवाओं की राशि में भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारीलाल (धोलपुर) **एवं श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर):

177. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 253–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वधीक कर्मचारियों को शीघ्र पदस्थापित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 229–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी सम्पदाओं की उचित देखभाल के अभाव पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लॉटरी विभाग के केम्प इन्चार्जों पर सरकारी राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लॉटरी विभाग में नियुक्त किये जाने वाले वर्कचार्ज कर्मचारियों में पक्षपात किये जाने पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लॉटरी विभाग के अधिकारियों के यात्रा भत्ते में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

Page No 86

86

(श्री बनवारी लाल एवं श्री श्रीराम गोटेवाला)

182. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (लॉटरी विभाग द्वारा देय पारितोषिक में पक्षपात होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 295-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लॉटरी विभाग के केम्पों में होने वाले अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली) :

184. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय फालना, जिला पाली में बढ़ती हुई गुण्डागर्दी व अनेक समस्याओं को निपटाने के लिए पुलिस चौकी में क्षमता बढ़ाने के लिए पुलिस कॉन्सटेबल की संख्या वृद्धि हेतु आवश्यक प्रावधान न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

185. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली उप-जिला खण्ड में गत 3 (तीन) वर्षों में हत्याओं एवं चोरियों की वारदातों में वृद्धि होने पर भी कोई विशेष प्रबन्ध हेतु आवश्यक प्रावधान न रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) :

186. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस लाइन, चूरू के चारों ओर धूल के छाये हुए धोरे नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेगिस्तानी क्षेत्र के पुलिस थानों में जीप व टेलीफोन व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दधवा खारा, जिला चूरू में थाने के लिए भवन की कमी पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू कोतवाली के एस० एच० ओ० को इन्सपेक्टर के पद का होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में पुलिस जवानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में आधुनिक यन्त्र एवं उपकरणों की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी (बयाना) :

192. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा (कोटपुतली) :

193. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपुतली में राष्ट्रीय मार्ग पर नई पुलिस चौकी कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपुतली में उप-पुलिस अधीक्षक का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपुतली तहसील में बढ़ रही चोरी व गुण्डागर्दी रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) :

197. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सेवा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मितव्ययता एवं अनुशासन में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा) :

199. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में पुलिस की अकर्मण्यता व अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में प्रशासन की कमियों के बारे में और अव्यवस्था में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामलाल (बाड़ी) :

201. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़ी पुलिस स्टेशन में स्टाफ की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

202. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, शिथिलता एवं अकर्मण्यता तथा अनैतिकता पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले में एक थाने से दूसरे थाने में सुपरिन्टेन्डेन्ट के द्वारा एस० आई० एवं ए० एस० आई० के तबादले करने की पॉवर को समाप्त करने के क्रम में चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) :

204. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में सिपाहियों की भर्ती में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरलाल (कामां):

205. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कर्मचारियों के पदोन्नती सम्बन्धी उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं करने बाबत चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरज भान हत्याकांड में शामिल षडयन्त्रकारियों का चालान कराने तथा हत्या में प्रयुक्त रिवाल्वर देने वाले का पता लगाने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीग-सब-डिवीजन में नियुक्त पुलिस कर्मचारियों द्वारा अन्याय किये जाने व भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने पर चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन द्वारा कर्मचारियों तथा अधिकारियों के तबादलों में अपनायी गई धांधली को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी विकास क्षेत्र भरतपुर जिले को सम्मिलित कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (राजस्थान राज्य का भौगोलिक तथा आर्थिक आधार पर पुनः गठन करने हेतु चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पहाड़ों में तहसील स्थापित कर सरकार को सात हजार रुपये वार्षिक की बचत करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयाल सिंह संघु (करणपुर) :

212. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 –के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुरद्वारा गुढ़ा जोहड़ में जो गुण्डों ने 23-2-1972 को आक्रमण किया था उसके सम्बन्ध में मौके पर बैठी इस पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 – के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मण्डी पदमपुर में खुले आम जुओं को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये)

214. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में पुलिस प्रशासन में बढ़ रही रिश्वतखोरी पर चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिक्ख पुलिस सब-इन्सपेक्टरों की गंगानगर जिले में उनका होम डिस्ट्रिक्ट कह कर नियुक्ति न करने व पक्षपात करने पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 538 – के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य पथ परिवहन में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 538-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ए० एस० पी० गंगानगर द्वारा ड्राईविंग लाइसेन्स का काम स्वयं अपने हाथ में रखने से होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 – के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिक्खों को गिरफ्तार करके हवालात में बन्द करते समय उनकी पगड़ियां उतारना जो सिक्ख धर्म के विरुद्ध है इस पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 – के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जुलूस-जलसों में आर० ए० सी० का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये इस पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 538-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर पथ परिवहन डिपो द्वारा निर्धारित राशि से अधिक किराया वसूल करना एक रुपये पच्चीस पैसे के स्थान पर दो रुपये लेना रेजगारी की कमी के कारण ज्यादा किराया वापस न देने पर चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 538-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर पथ परिवहन डिपो में बसें कम होना, पुरानी होना और टायरों की कमी होने व उनका समय पर न चलना इस पर चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 538-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर, पदमपुर, रायसिंहनगर सड़क पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन द्वारा गंगानगर से पदमपुर 37 कि० मी०, जल्लू का 46 कि० मी०, 40 आर० बी० 48 की० मी०, रायसिंहनगर 69 कि० मी० के स्थान पर क्रमशः 40, 50, 52 व 76 कि० मी० के किराये की वसूली पर चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 538-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य पथ परिवहन द्वारा गंगानगर पदमपुर, रायसिंहनगर सड़क पर चल रही बसों का किराया असली दूरी से अधिक दूरी लिखकर वसूल किया जाना इस पर चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252-के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूटर व फिएट-कार

Page No 90

90

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)
के विषय में विरोधी पक्ष के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा):

225. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 253–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ स्थित दण्डनायक अदालतों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा क्षेत्र की गरीब जनता पर किये जा रहे अनुचित व्यवहार एवं अत्याचार तथा बदमाशों के आतंक को समाप्त करने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में लोग पुलिस अधिकारियों द्वारा अफीम व अनाज की तस्करी में साझेदारी पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (झालावाड़ जिले के लगे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर भ्रष्टाचार की शिकायतें पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पिड़ावा क्षेत्रान्तर्गत स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं से आम जनता को हो रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा):

230. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में विशेष कर कोटा डिवीजन में बढ़ते हुए अपराध पर चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन के पुनर्गठन पर चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज):

232. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन में हो रही हत्याओं तथा अपराधों की बढोतरी पर चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन में पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (छग):

235. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

236. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन में आये दिन होने वाली हत्याओं तथा गुण्डागर्दी बढ़ने पर चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन के पुनर्गठन पर चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के सांगोद पुलिस थाने के विरुद्ध सांप्रदायिक झगड़े कराने की शिकायतों पर चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में पुलिस अधीक्षक आरक्षी न होने से कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने की चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा पुलिस डी० आई० जी० रेंज में लगे थानेदारों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों पर चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

241. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरों में ट्रैफिक पुलिस की शिथिलता से ट्रैफिक की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले में पुलिस में सिपाहियों की भर्ती में जिले के बाहर के लोगों को न लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों पर आवश्यक साधन—वायरलेस, जीप आदि रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

244. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना, डेगाना जिला नागौर को कस्बे से बाहर हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले में हुई चोरियों के सम्बन्ध में खास कर पादु पुलिस थाना, जिला नागौर की चोरियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थावला पुलिस थाना, जिला नागौर के अन्तर्गत हुई चोरियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

247. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पादूकलाँ पुलिस

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

थाना, जिला नागौर के पुलिस स्टॉफ के जनता के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले को दो जिलों में विभक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिला के अन्तर्गत रिया व मूंडवा को अलग अथवा सब-तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद (मालपुरा) :

250. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बढ़ते हुए साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में अनावश्यक पदों का सृजन किया गया है तो उन्हें समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के प्रशासनिक ढांचे में अनावश्यक पदों एवं अधिकारियों को दी जा रही अनावश्यक सुविधायें समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

253. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त लालफीताशाही एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

254. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुविधाओं व अधिकारों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़):

255. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दांतारामगढ़ जिला सीकर के पुलिस स्टेशन में स्थान के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :

256. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ चूरू के थाने में स्थान के अभाव पर चर्चा के लिये)।

257. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) :

258. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर बाटी तहसील

(श्री भंवरसिंह शेखावत)

में लगातार सती होने पर अंकुश लगाने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर):

259. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

260. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों पर अधिक सिपाहियों के न रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में यातायात सम्बन्धी विशेष दस्तों का गठन न किये जाने एवं पर्याप्त यातायात सम्बन्धी दिशा निर्देशन के अभाव पर चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा जांच कार्यों में शीघ्रता न बरतने से अपेक्षित जांच परिणामों में हुई देरी होने पर चर्चा के लिए)।

263. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा राज्य में अधिक उड़न दस्तों का गठन नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में अधिक सुव्यवस्था लाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के आधुनिकरण पर चर्चा के)।

266. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 213–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के बिजली पानी के अधिक व्यय पर चर्चा के लिये)।

267. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 213–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा राजकीय कारों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

268. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय सेवाओं में कार्य के निष्पादन में विलम्ब होने से उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों पर चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन):

270. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री उम्मेदीलाल)

कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति के लोगों की भर्ती नहीं करने से असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

271. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) एवं श्री रामकिशन (भरतपुर) :

272. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार पुलिस की वर्तमान व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन लाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार शासन सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार सामान्य प्रशासन में सुधार लाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर० ए० एस० अफसरों की पोस्टिंग व तबादलों में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई पक्षपातपूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

275. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस स्टेशनों का परिसीमन सुविधाजनक न होने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त अव्यवस्था से जन साधारण की कठिनाइयों के सम्बंध में चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 4 मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न सेवा नियमों की समय पर पालना न करने से कर्मचारियों और अधिकारियों में व्याप्त असंतोष और अस्थिरता पर चर्चा के लिये)।

278. मांग संख्या 4 मुख्य शीर्षक 252–के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न स्तर पर स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित न किये जाने सम्बन्धी समस्या पर चर्चा के लिये)।

279. मांग संख्या 4 मुख्य शीर्षक 252–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय जांच में अत्यधिक समय लगने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय में अनावश्यक पदों को समाप्त करने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिये)।

281. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न जिला स्तर की समितियों का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में करने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री नत्थासिंह (नदबई) :

282. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255– के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

283. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आगजनी के मुकदमे जुर्म जेर दफा 435, आई० पी० सी० पुलिस थाना, सिवाणा सी० आर० न० 21/73, जिला बाड़मेर के अंतिम नतीजे के बारे में चर्चा के लिये)।

284. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन के खर्च में कमी एवं उसे कुशल कर्त्तव्यपरायण एवं सेवाभावी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) :

285. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

286. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के प्रशासनिक ढांचे को बदलने हेतु चर्चा के लिये)।

287. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के सिपाहियों को अधिक सुविधाएं देने पर चर्चा के लिये)।

288. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की मिलीभगत से जुर्म बढ़ने पर चर्चा के लिये)।

289. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक-265 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त रिश्वतखोरी, पक्षपात और गैर-जिम्मेदारी पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बास्सूर) :

290. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

291. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सतर्कता आयोग के समक्ष दायर शिकायतों की जांच कराने की सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) :

292. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की पुलिस चौकी पांचू, सूंडसर तथा जसरासर को पुलिस स्टेशन में परिवर्तन किया जाय इस पर चर्चा के लिये)।

293. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला चूरू के पुलिस स्टेशन सांडवा के अधीनस्थ ग्राम लालगढ़

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)
के ग्रामीण हरिजनों के साथ होने वाले अत्याचारों पर चर्चा के लिये) ।

294. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान मे पुलिस सिपाहियों को वर्दी व वेतन भत्ता आदि के भुगतान में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

295. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस में हरिजन सब-इन्सपेक्टरों की पुलिस स्टेशनों पर नियुक्ति नहीं कर उनको अधिकतर लाइन में हाजिर रखा जाता है और उनके साथ छुआछूत व दुर्व्यवहार की दृष्टि अपनाई जाती रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

296. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में किसानों व हरिजनों की नियुक्ति व पदोन्नति में किये जाने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

297. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के पुलिस स्टेशन नोखा के अधीनस्थ ग्राम झाडेली में पुलिस वनवासियों से ग्रामीण जनता पर हमला करवा रही है पर चर्चा के लिये) ।

298. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू जिले के पुलिस स्टेशन सांडवा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

299. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में छुआछूत के जितने भी मुकदमे दायर किए गए हैं उनमें अधिकतर पुलिस ने हरिजनों की इम्दाद न कर मुलजिम पक्ष का पक्ष लेकर अधिकतर राजीनामा करवा दिया है इस पर चर्चा के लिये) ।

300. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के छोटे कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला मौजूदा महंगाई को ध्यान में रखते हुए तुरंत बढ़ाई जाये इस पर चर्चा के लिये) ।

301. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस में अनूसूचित जाति व जन-जाति के लोगों की जनसंख्या के आधार पर नियुक्ति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

302. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 252—के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण हरिजनों व किसानों को सामान्य नौकरियों में 80 प्रतिशत स्थान दिया जाय इस पर चर्चा के लिये) ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

303. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 296—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात विभाग में चल रही धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 16, 3, 4 व 5 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, यह बात सही है कि आज अपराधों में वृद्धि हो रही है....

(1.34 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

और पुलिस अपनी असमर्थता के आधार पर इन बढ़ते हुए अपराधों को रोकने में असमर्थ है। थानों में बंदियों के साथ दुर्व्यवहार होता है और यह बात सत्य है कि पुलिस विभाग में इस समय जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो कि वे अपने उच्च नेताओं से सीखे हैं और वह चरम सीमा पर है। पुलिस वाले शांति-पूर्ण प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज करते हैं, अश्रुगैस चलाते हैं और पत्थरबाजी भी होती है। जनता को आतंकित किया जाता है और इन सारी बातों के लिए कौन जिम्मेदार है, आज यह प्रश्न हमारे सामने है और प्रश्न यह है कि पुलिस वालों में असन्तोष है। पुलिस वालों की जो रीजनेबल डिमाण्ड्स हैं उनको सरकार नहीं मानेगी और आप उसको खड़ा कर रहे हैं विधान सभा के सामने, कलेक्टरी के सामने। उसका जब भी मौका आयेगा अपना हाथ साफ करेगा। वास्तव में जो उसको दुःख है उसको कोई नहीं सुनता है और फिर वह निर्मम लाठी प्रहार करता है गरीब जनता पर राज्य सरकार की गलतियों के कारण और गरीब जनता को पुलिस की इस लाठी-चार्ज का शिकार होना पड़ता है। आप भाषण करेंगे, लम्बी चौड़ी बात करेंगे। परन्तु आपके भाषण से कुछ होने वाला नहीं है। आप कभी अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे तो मालूम होगा वहां क्या हालत है। मंत्री कभी सिपाही बन कर देखें, आप एक बार सिपाही हो जाएँ तो आपको मालूम हो जाएगा कि सिपाही की वेदना क्या है? मैं मूल प्रश्न की ओर आ रहा हूं। जयपुर में ट्रैफिक की समस्या है। पिछली बार इस सदन में जब पुलिस की डिमाण्ड पेश हुई और मैंने अपने विचार व्यक्त किए तो स्वर्गीय मुख्य मंत्री ने मेरे पहले वाक्य पर ही यह आश्वासन दिया था और कहा था कि पुलिस वालों का मैस अलाउन्स 7 रुपया और बढ़ा दिया जाता है और वह अब 24 रुपया मिलेगा। आज हालत यह है कि उनको 17 रुपया ही मैस अलाउन्स का मिलता है। पांच रुपये की एक बार बढ़ोतरी कर दी गई। बाद में सदन में मुख्य मंत्री का ध्यान कई बार इस ओर दिलाया गया। वास्तव में 24 रुपया मैस अलाउन्स मिलना चाहिए किन्तु वह मिल रहा है 17 रुपया ही। पुलिस के जो कर्मचारी हैं उन सबको एक जैसा मैस अलाउन्स मिलना चाहिए। आप कहते हैं कि इसके लिए कटिबद्ध हैं परन्तु उसके बावजूद आर० ए० सी० के जवान को 25 रुपया मैस अलाउन्स और पुलिस लाइन वाले को 17 रुपया और थाने के जवान को 10 रुपया मिल पा रहा है। यह इतना अन्तर क्यों है? पुलिस लाइन में जो खाना मिलता है उसको जानवर नहीं खा सकता और इसके विपरीत आर० ए० सी० को जो खाना दिया जाता है उसमें दो प्रकार की सब्जियां, चपाती। इस प्रकार की सुविधा है। मेरा कहना है कि पुलिस के जवान एक समान हैं तो उनका भोजन भी एक जैसा क्यों नहीं है। इस असमानता की ओर मैं मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आशा करता हूं कि इस भेदभाव को वे समाप्त करने के बारे में यहां पर कहेंगे।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दूसरी बात जो मैं निवेदन करूंगा वह यह है कि वर्दी इनको समय पर नहीं दी जाती है, वर्दी खराब दी जाती है, जुर्राब खराब दिये जाते हैं, पैंट खराब दी जाती है, कोट खराब दिया जाता है। पहले वर्ष में एक बार वर्दी दी जाती थी। राज्य सरकार ने एक वर्ष के बजाय अब कह दिया है कि दो वर्ष में वर्दी दी जायगी। यह कैसी व्यवस्था की है इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

पदोन्नति के बारे में मेरा यह निवेदन है कि एक सिपाही से लेकर थानेदार तक पदोन्नति सीनियोरिटी के आधार पर नहीं की जाती है और मनमाने ढंग से की जाती है और सीधी भर्ती की जाती है उप-निरीक्षकों की। आखिरकार सिपाही से लेकर थानेदार के मन में आयेगा कि पदोन्नति सीनियोरिटी के आधार पर नहीं की जाती है और सीधी भर्ती से उप-निरीक्षक को कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे पद का कोई आदमी अगर ईमानदारी से काम करता है और पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा करता है तो उस सिपाही को आई० जी० पी० तक पदोन्नत होने की छूट होनी चाहिए। पदोन्नति सीनियोरिटी के आधार पर की जानी चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं की जानी चाहिए।

इसके बाद मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यहां एक नई पुलिस लाइन बनी है तो उसमें नये आरक्षी और मुख्य आरक्षी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। उप-निरीक्षक के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था है। नई पुलिस लाइन्स में लट्टू जरूर लगे हुए हैं, बल्ब जरूर लगे हुए हैं लेकिन वह बन्द रहेंगे। पुलिस वालों के परिवार वहां पर रहते हैं और रात को माताएं और बहनें भली प्रकार से पुलिस लाइन्स में नहीं घूम सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं।

इसी तरह से पुलिस के कर्मचारियों की मदद के लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखे गये हैं–धोबी रखे गये हैं और नाई रखे गये हैं–लेकिन वह धोबी और नाई की सुविधा पुलिस के जवानों को नहीं मिलती है। वह उनको न मिलकर बड़े बड़े अफसरों के यहां उनके घरों पर सारे धोबी और सारे हज्जाम लगाये जाते हैं। वह उनको अपने घर के काम में लेते हैं और पुलिस के कर्मचारियों को कोई उनसे सहूलियत नहीं मिलती है।

इसी प्रकार से बच्चों की पढ़ाई के लिए जो उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा नहीं मिलती है। आप वह सुविधा छोटे तबके के कर्मचारियों को देते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि मैट्रिक पास हो जायगा तो उसके बाद में किसी प्रकार की शिक्षा का एलाउन्स देंगे, लेकिन मैट्रिक पास होना किसी पुलिस के सिपाही के लड़के के लिए कठिन है। इसलिए होना यह चाहिए कि पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाई का एलाउन्स दिया जाय और उसके बाद में छात्रवृत्ति के आधार पर पुलिस के जवानों के लड़के अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनको आप दें, तो यह अच्छा होगा। आज, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि मैट्रिक तक तो आप पढ़ाई का एलाउन्स नहीं देते हैं और पैसे वालों को देते हैं।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके यहां पर मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश, जो गजेटेड होली डे हैं वह भी नहीं मिलती हैं। आप उनको छुट्टी देते नहीं हैं और 24 घन्टे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उनसे बराबर काम लेते हैं । तो 8 घन्टे की ड्यूटी पुलिस कान्स्टेबल की करनी चाहिए । अगर आप उनको राजपत्रित छुट्टियां नहीं देते हैं तो उसके एवजाने में उनको वेतन देना चाहिए । उनसे 8 घन्टे की ड्यूटी करानी चाहिए ।

इसी प्रकार से समय पर मेडिकल की जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है । उसके कारण से पुलिस के कर्मचारी और उनके परिवार के आदमी का प्राणान्त हो जाता है और उनको समय पर पैसा नहीं मिलता है ।

इसी प्रकार से माननीय मंत्री महोदय, यदि कोई सिपाही ड्यूटी पर काम करते करते भी मर जाय तो मैं समझता हूं कि लावारिस आदमी के लिए म्युनिसिपैलिटी 60 रुपये लकड़ियों के लिए दे देती है, लेकिन माननीय मंत्रीजी, आपके विभाग का यदि सिपाही मर जाता है तो उसको आपका विभाग किसी प्रकार की सहूलियत नहीं देता है । न लकड़ी की सहायता देता है, न ढोने की देता है और न किसी प्रकार से पैसे की मदद देता है । उसके जो साथी हैं उनको विवश होकर अपने वेतन में से कटौती कराकर उस व्यक्ति के लिए, जो सिपाही ड्यूटी पर रहते हुए मरा है, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए मरा है, पैसा देना पड़ता है ।

इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हरियाणा में चले जाइये, आप पंजाब में चले जाइये, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइये वहां पर सिपाही की जो वेतन श्रृंखला है वह ज्यादा है राजस्थान से । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में सबसे कम सिपाही को वेतन दिया जाता है ।

इसी प्रकार से जिन जवानों को सलेक्शन करके लिया जाता था उनको एल. ए. सी. बनाया जाता था वह समाप्त कर दिया और जो 4 रुपये का इन्क्रीमेंट दिया जाता था वह समाप्त कर दिया ।

थाने में मैस में राशन नहीं आता है । उनके राशन कार्ड अलग से बने हुए नहीं हैं इसलिये उनको बाजार से गेहूं खरीदना पड़ता है जो कि महंगा मिलता है । यह आपकी व्यवस्था है । थाने में गेहूं की व्यवस्था राशन से आपको करनी चाहिये ।

पहले 40 पैसे पर–डाइट के हिसाब से लेते थे । अब 50 में भी पेट नहीं भरता है इसलिये 80 पैसा पर–डाइट एक टाईम की खानी पड़ती है । इसलिये 60 पैसे का घाटा एक जवान को एक दिन में भुगतना पड़ता है ।

इसी प्रकार से इन्सपेक्टर्स चाहे सी० आई० डी० के हों या पुलिस के, और आर० ए० सी० के कमाण्डर एक ही रैंक के होते हैं । उनमें से कई को सुविधाएं मिलती हैं थानों में और जो सी० आई० डी० में काम करते हैं तो उनको वह सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जब एक ही प्रकार के लोग हैं तो एक ही प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए । मैं समझता हूं कि 12 बजे तक यहां पर प्रहरी खड़े रहें और मैं पूछना चाहता हूं कि 31 रुपया एम० एल० ए० को भत्ता मिलता है, लेकिन यहां पर प्रहरी खड़ा हुआ 12 बजे तक ड्यूटी देता है वह प्रहरी सी० आई० डी० का है या पुलिस विभाग का

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
फिर उनको ड्यूटी एलाउन्स क्यों नहीं देते हैं। यह आपको आज ही यहां पर घोषणा करनी चाहिए।

इसी प्रकार से प्रति वर्ष सिपाहियों का मेडिकल होना आवश्यक है। गांवों के लोग ऊंट रखते हैं और ऊंट रखने के लिए व्यक्ति को केवल 40 रुपया माहवार दिया जाता है। एक ऊंट का पेट 40 रुपये में किस तरह से भरेगा ? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए।

थानेदार से आप रात-दिन काम लेते हैं और उसको यूनिफार्म के लिए 45 रुपये वर्ष में। 45 रुपये से ज्यादा तो उसके जूतों की बूट पालिस में ही खर्च हो जाते हैं। जूते खरीदना तो दूर, पैन्ट खरीदना तो दूर वह उसमें पालिश भी नहीं करा सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कई एम० एल० एज० थानेदारी करने को तैयार हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : थाने पर जो सिपाही रहते हैं उनको 7 रुपया और 10 रुपया आप दोनों समय का देते हैं। उसमें उनका पेट नहीं भरता है तो आपके जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे उन्होंने इन सिपाहियों के बारे में डाइट के बारे में घोषणा की थी, 17 रुपये से बढ़ा कर 24 रुपये की घोषणा की थी, लेकिन आज वह नहीं हो रहा है।

इसी प्रकार से हार्ड ड्यूटी एलाउन्स इनको मिलना चाहिए। राज्य कर्मचारियों का आन्दोलन हुआ और जिन सिपाहियों ने अच्छे प्रकार से ड्यूटी दी उनको कुछ नहीं दिया गया और उसके सिलसिले में गलत सूचियां बनाकर अपने आदमियों में किसी को कैश रिवार्ड और किसी को और प्रकार का इनाम दिया गया। गलत सूची बनाकर अपने कृपापात्रों को देने की बात करते हैं, लेकिन जिन सिपाहियों ने निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाया है, मैं समझता हूं कि उनकी ओर आपने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से गलत सूचियां बनाकर अपने चहेतों का भला किया है। राजस्थान के एक सचिव हैं जिनका नाम मैं खोलना नहीं चाहता हूं। उन्होंने केवल अपने ड्राईवर को यह सुविधा दिलाने के लिए गलत सूची बनाकर 50 रुपये अपने ड्राइवर को दिलवा दिये, लेकिन जो सिपाही अपनी ड्यूटी पर तैनात रहा, जो जनता के सामने खड़ा रहा, जिसने जनता में शान्ति बनाये रखी उनको इस प्रकार का इनाम नहीं दिया गया।

मैं इस प्रकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी बातों के अलावा मैं मंत्री परिषद् की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मंत्री परिषद् मितव्ययता के नाम पर क्या बचत कर रही है। कहां बचत कर रही है ? यह एक प्रकार का ढोंग है। आपने पिछली बार एक हजार रुपया पानी और बिजली का बढा लिया। इस प्रकार का व्यवहार राजस्थान में दिन प्रतिदिन हो रहा है। राजस्थान की हालत खराब है। आपने इस प्रकार का अध्यादेश निकाला कि पिछला बकाया जो कि पिछले मंत्रियों में था नल और बिजली का उसका भी खर्चा राजस्थान सरकार वहन करेगी। कल जो आने वाले मिनिस्टर हैं उनका भी आपने एक हजार रुपया बढ़ा दिया, यह क्या है ? राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने कहा था कि कोई भी मिनिस्टर अपनी गाड़ी अपने घर के काम में नहीं लायेगा। आप देख लें कि सब्जी खरीदने में, स्कूलों में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अपने बाल बच्चों को छोड़ने के लिए रामगढ़ घूमने के लिए, अलवर घूमने के लिए काम आती है। मंत्री अपनी गाड़ियों को काम में लेते हैं। पैट्रोल का दुरुपयोग होता है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने यह हुक्म निकाला था कि केन्द्रीय मंत्री इतना ही पेट्रोल खर्च करेंगे इसी प्रकार से यहां पर पैट्रोल की एक सीमा निर्धारित कर दें। यदि आज आप जयपुर की सड़कों पर निकल जायें तो आपको मिनिस्टरों की गाड़ियां घूमती नजर आयेंगी। इसके लिए भारतीय जनसंघ एक विशिष्ठ आन्दोलन चलायेगी कि आपकी गाड़ियां दुरुपयोग करती नजर आवेंगी तो उनको रोककर ड्राइवर महोदय से कह देंगे कि यह गाड़ी हमारी है इसको छोड़कर चले जाओ।

पुलिस पर से जनता का विश्वास उठ गया है। पुलिस वाले क्या काम करेंगे। दो मार्च को जयपुर बन्द की बात थी लेकिन जयपुर की जनता की भावना बन्द की नहीं थी। उनको डर था कि पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी और कम्युनिस्ट पार्टी वाले हमारी दुकानें लूट लेंगे। लोगों ने भयभीत होकर बाजार बन्द रखे। पुलिस यदि उनको आश्वासन दे देती कि हम तुम्हारी दुकानों के बाहर खड़े हैं तब देखते कि लाल झण्डे वाले कैसे दुकानें बन्द करवाते। जयपुर में एक भी दुकान बन्द नहीं होती। दुकानों की लूट के डर से लोगों ने दुकानें बन्द कर दीं, और लाल झण्डे वालों ने वाहवाही ले ली कि हमने जयपुर बन्द करवा दिया। जयपुर की जनता सुरक्षा चाहती थी, लेकिन पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे सकी इसलिए मजबूरी से उनको दुकानें बन्द करनी पड़ीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भीलवाड़ा में आपको खुली छूट थी। आपने लाउडस्पीकर पर खुला ऐलान किया। लोगों के सिर फोड़ दिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपने कर्मचारियों के साथ में सहयोग का हाथ बढ़ाया है। लेकिन बदले की भावना से कर्मचारियों के ट्रान्सफर किये जाते हैं। बदले की भावना से जयपुर के दो पत्रकारों को पकड़ा गया था। दोनों पत्रकारों को डी० आई० आर० के अन्दर सींकचों में डाल दिया। आप वह मुकदमा वापिस लेने की घोषणा करें।

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

पंजाब का उदाहरण आपको अपने सामने रखना चाहिए। आपका लाटरी विभाग है। हॉस्पीटल के लिए लाटरी खोली जा रही है। हॉस्पीटल में दवाइयों की कमी है। टैक्स के लिए आपने शराबबन्दी की बात कही थी। बिक्री कर शराबबन्दी के नाते लगाया था। चण्डूखाने में आन्दोलन करने की जरूरत नहीं है। आप कहते, शराब बन्दी होगी। लॉटरी टिकट निकालेंगे। इस प्रकार का कदम यदि आप अपने हाथ में लें, तो भारतीय जनसंघ आपका साथ देगा। इन दूध पीते बछड़ों और कर्म फोड़ो पार्टी के लोग तो क्या मदद करेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप अपनी खोपड़ी का अन्दाजा कर लीजिये। कर्म आप का फूटा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मालूम पड़ता है प्रेरणा का स्रोत उमड़ रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप अपने मन्त्रिमण्डल का खर्चा कम कीजिये। खर्चे को कम करके आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। पुलिस की मांगें आपके सामने हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपको घोषणा करनी चाहिए कि मन्त्रिमण्डल का खर्चा कम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस डिमाण्ड पर मैं अपना निवेदन करना चाहता हूं। एक ओर तो मैं राज्य सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में जो डाकुओं की समस्या थी क्योंकि मध्य प्रदेश पास म लगा हुआ था वह समस्या खत्म हो गई है। पुलिस का यह अभियान काफी कामयाब रहा है। परन्तु इस बजट में जबकि राजस्थान काफी संकट से गुजर रहा है तो कुछ पैसे की कटौती कर सकते हैं। ऐसा मेरा खयाल है। वह इस तरह से हो सकता है कि जिस प्रकार से कभी राजस्थान में कमिश्नरी थी। तो जब यह देखा गया कि जिले के कलेक्टरों से ही काम चल सकता है तो ये कमिश्नर बेकार हैं। इस तरह से हमारी राजधानी में एक आई० जी० का पद है। इस तरह की योजना है कि दो-तीन आई० जी० के पद होने जा रहे हैं। यह पुलिस की जो लाइन बनाई है, यह देखने के लिए कि आई० जी० का क्या आदेश है और एस० पी० उसका पालन करते हैं या नहीं। इसी के साथ साथ यह अमला जोड़ा है। इसको हटा दें तो कोई कमी आने वाली नहीं है। इससे बचत हो सकती है। इसमें उपाध्यक्ष महोदय, काफी बचत हो सकती है। आई० जी० के आदेश होते हैं, कभी डी० आई० जी० के आदेश होते हैं। कर्मचारी पशोपेश में पड़ जाते हैं कि किन आदेशों का पालन करें। इसलिये डी० आई० जी० के पद खत्म कर दें तो अच्छा है। पुलिस में जो मिनिस्टीरियल स्टाफ है, उसके बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वह जैसी कि पुलिस है, उस प्रकार से वह पुलिस का नहीं है। पुलिस की एक्टिव सर्विस से उसका विपरीत आचरण है। इसके कारण पुलिस को काफी बदनामी उठानी पड़ती है। हमने गत हड़ताल में पुलिस के सिपाहियों को और थानेदार को सारे के सारे लोगों को गश्त में, ड्यूटी पर जाते देखा है। इसके विपरीत उन्हीं के दफ्तरों के बाबू लोग पुलिस की गुप्त सूचनाएं आन्दोलन करने वालों को देते थे। हड़ताल के इन्तजाम को सफल करते थे। इसके लिए यह अच्छा होगा कि पुलिस के सिपाहियों को ही बाबू बनाकर बैठायें। तभी यह समस्या खत्म होगी। तभी पूर्णरूप से यह पुलिस विभाग पर लागू होगी। एक और बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि मिलिटरी में भी जो बाबू लोग होते हैं, वह उन्हीं का स्टाफ का होता है। उसी प्रकार से पुलिस में भी होना चाहिए। इसके अलावा बहुत-सी जगह ऐसी राजस्थान में हैं, हो सकता है, हिन्दुस्तान में और भी हों। वहां के थानेदार का जो पद है, वहां कोई आदमी लगेगा तो बहुत बड़ी रकम गुपचुप दी जाती है। अगर रिकार्ड में यह शो नहीं करें तो यह मान कर चलें पुलिस विभाग में जो अधिकारी हैं, वह यह बात जानते हैं। ऐसे थानों में लगाने के लिए थानेदार को काफी पैसा देना पड़ता है। अधिकारियों को काफी पैसा मिलता है। इस बारे में, मैं यह निवेदन करूंगा, कि ऐसे थानों में बिना तनख्वाह के थानेदार लगाने की घोषणा कर दी जाये तो भी लोग जाने के लिए तैयार हो जायेंगे। इसका मतलब यह है कि वहां पुलिस में अपराधों की

(श्री दीपंकर)

रोकथाम के नाम पर, यह वातावरण पैदा कर दिया है कि पुलिस का आदमी किसी को भी बुलाकर थाने में लायें तो चाहे जितना पैसा उससे वसूल कर ले। उसकी रोकथाम करने की कोशिश करनी चाहिए। पुलिस में पहले पहल नागरिक का सम्पर्क अगर किसी से होता है तो वह पुलिसमैन से होता है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक वाक्य रहता था "मेरे योग्य सेवा" आजकल शायद वह हटा दिया है। क्योंकि इससे वह दूसरों की सेवा के लायक दूसरों के सामने उपस्थित होता है। इसलिए शायद शर्म आने लगी। इसीलिए सेवा का रिकार्ड बनाते हैं। अमुक ने ऐसा काम किया। अमुक को पदक दिया जाये। सही काम करने पर उनको राष्ट्रपति पदक भी मिलता है। तो मेरा निवेदन है कि असली सेवा का रिकार्ड तैयार करना चाहिए। होता ऐसा है कि काम कोई करता है और वाहवाही किसी को मिल जाती है। उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि किशनगढ़ महाराजा की हत्या हुई थी एक बहुत बड़ा केस था और जिसको बी० बी० सी०, लन्दन ने ब्रोडकास्ट किया था और दुनियां भर में चर्चा रही थी। जिस सी० ओ० ने कुछ घण्टों में ही अपराधियों को पकड़ा, उस बेचारे को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला और उसको एक्टिव सर्विस करने के लिए कोई थाना नहीं मिलता है। उनको सी० आई० बी० में लगा रखा है और डी० आई० जी० को पदक मिल गया है कि इतनी बड़ी हत्या का राज खोल दिया। यह भेदभाव करने की व्यवस्था जो है, जिसने अच्छा काम किया है वह तो वैसा ही रह जाता है, न उसको पदक मिलता है, न निगरानी और जिसने काम नहीं किया, जो ओहदेदार है, उसको पदक दे दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस तरह की निगाह होनी चाहिए और इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए और की जाय कि जो लायक आदमी हैं, उनको ही ऐसे पद पर बैठाना चाहिए जिससे वह अधिक से अधिक सामाजिक सेवायें कर सकें।

अपराधों की रोकथाम के लिए इस साइंस एण्ड टेक्नोलोजी के जमाने में वैज्ञानिक पद्धति काम में ले रहे हैं। लेकिन आज भी गांवों में जो थाने हैं, वहां वैसे ही लट्ठ बज रहे हैं। किसी ने कुछ अपराध किया हो या नहीं किया हो–आज भी उसी तरह से लट्ठ बजते हैं, जिसके कारण कई बार कई लोग बुरी तरह से अंगहीन हो जाते हैं और लीपा-पोती के आधार पर उनको इधर से उधर कर दिया जाता है। उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि डीडवाना थाने में एक आदमी पकड़ा गया, और उसको इस बुरी तरह से बिना किसी कसूर के थानेदार साहब ने पीटा कि मजिस्ट्रेट साहब ने तीन दफा यह आदेश दिया कि मुलजिम को पेश किया जाय और उसकी डॉक्टरी करवाई जाय, लेकिन न पेश किया गया और न डॉक्टरी करवाई गई। लेकिन रातोंरात जाकर दो नाइयों को ले जाकर उसको खाट पर डाल कर उसकी मालिश करवाई। थानेदार ने कह दिया कि रिमाण्ड कराया गया है। लेकिन रिमाण्ड नहीं किया गया था। तो यह जो पुरानी पद्धति है, उसको आप खत्म कर सकें तो अच्छो रहेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान गृह रक्षक दल ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछली भारत-पाक लड़ाई के समय भी अच्छा काम किया था और शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए भी यह अच्छा काम करता है। लेकिन होम गार्ड के साथ में आज सौतेला व्यवहार किया जाता है। और सबसे बड़ी कमी रखी गई है वह है

(श्री दीपंकर)

कि होम गार्ड को पुलिस के नीचे रख दिया गया है । गृह रक्षक दल में कोई नौकरी करते हुए, कोई भी धन्धा करते हुए, कोई भी सदस्य बन सकते हैं । इसमें जो व्यक्ति आते हैं वह सेवावृत्ति से आते हैं । लेकिन गृह रक्षक दल पुलिस के नीचे होने से पुलिस के सिपाही तक अपने जूते पालिश करवाने के लिए होम गार्ड को भेज देते हैं। उनको न पहनने के लिए कपड़े देते हैं और न सर्दी में उनको कोट देते हैं, न जर्सी देते हैं । उनको कहा जाता है परेड में आने के लिए। वह सर्दी में बराबर परेड करने के लिए आते हैं, इस कारण कई आदमी बीमार हो जाते हैं । इसके अलावा होम गार्ड का इन्चार्ज ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है, जो किसी के कहने-सुनने में नहीं आता है उसको वहां भेज दिया जाता है और वह हर बात के लिए कहता है, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है । यह एक महत्वपूर्ण विभाग है । इसलिए इसको पुलिस से जुदा किया जाना चाहिए और गृह रक्षक विभाग का नाम देकर, उनको अच्छी ड्रेस देनी चाहिए, उनको पूरी सुख-सुविधा देनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह सही मायने में हमारी सैकण्ड डिफेंस लाइन है आज सैकण्ड डिफेन्स लाइन के नाम पर लाखों रुपया बरबाद करते हैं, कॉलेजों में । मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप कॉलेजों से पता लगवा लीजिये कि कितने विद्यार्थी परेड में शरीक होते हैं, उनको काफी अच्छी ड्रेस दी जाती है, लेकिन जो राइफल होती है उसके बड़े गुप का नाम भी बता दें तो समझिये कि सही मायने में यह सैकण्ड डिफेन्स लाइन है । इसके अन्दर जो रिटायरशुदा जमादार हैं या अन्य ऑफिसर हैं, वह जाते हैं और केवल खानापूर्ति करते हैं। मेरा निवेदन है कि सही सैकण्ड डिफेन्स लाइन की इस गृह रक्षक दल में भावना है इसमें कुर्बानी की भावना है, इसको प्रोत्साहन देने के लिए बजट में पूरा प्रावधान करना चाहिए । इसको पुलिस से मुक्ति दिलानी चाहिए और अच्छी ड्रेस देनी चाहिए । इसको आप मिलिटरी कमाण्डर के नीचे रखें और परमानेन्ट कम्पनी के रूप में इसको बना दें । गृह रक्षक दल के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसमें से गृह रक्षक दल के लोगों की ड्रेस के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है, वह लोग अपने घर की ड्रेस पहनते हैं । इसलिए इसे पुलिस विभाग से अलग किया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार के मामले इस महकमे में सबसे ज्यादा होते हैं । और जो भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, उसको जब किसी केस के लिए कहते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है । बड़ी मुश्किल है, इस महकमे के साथ जुड़े होने से वह निष्पक्ष रूप से अपना काम नहीं कर पाते हैं । इसलिए इसको जुदा कर देना चाहिए और पूरा स्टाफ देना चाहिए ताकि किसी तरह से भ्रष्टाचार को रोक सकें।

आज जितने पुलिस ऑफिसर हैं, ओहदेदार हैं, उनकी एक आदत सी बन गई है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज उन्होंने जितनी नाजायज तरीके से कमाई की है, उतनी और किसी महकमे में किसी ने नहीं की है । इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है । इस महकमे में रद्दोबदल होनी चाहिए, इसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए । ऐसे व्यक्तियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट देना चाहिए जो भ्रष्ट हैं । आपको जन प्रतिनिधियों से जानकारी लेनी चाहिए कि अमुक पुलिस ऑफिसर अमुक जगह काम कर रहा

(श्री दीपंकर)

है, उसके विषय में आपकी क्या राय है इससे सही स्थिति का पता लग सकता है और भ्रष्टाचार को रोकने में प्रवृत्ति रखने वाले लोग आगे आयेंगे और आपको मालूम हो सकेगा कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार करने की आदत छोड़ी है या नहीं।

बहुत से ऐसे कैसेज आज भी पड़े हैं जो आयु वृद्धि के हैं। बहुत से व्यक्ति जल्दी में पुलिस में भर्ती हो गये और उन्होंने अपनी आयु में दुरुस्ती नहीं कराई। नियमों में यह है कि रिटायर होने के पहले निवेदन कर सकते हैं कि आयु कम थी, और पुलिस में जल्दी में भर्ती हो गये तो आयु उनकी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन मनमाने तौर पर आई० जी० कार्यालय और सेक्रेटेरियट लेवल पर मंत्री महोदय की आज्ञा प्राप्त किये बिना भी ऐसे मामले फाइल कर दिये जाते हैं। उनकी फाइल देखी जाय तो सही मायने में ऐसे कैसेज हैं जिनमें स्कूल का सर्टिफिकेट पेश है और जन्मपत्री की कापी दी है। इसके साथ में लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनीयन भी है कि आयु में वृद्धि होनी चाहिए (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) लेकिन वह कैसेज ऐसे के ऐसे पड़े हैं। मेरा निवेदन है कि उन पर निर्णय करना चाहिये।

आज बहुत से पुलिस कर्मचारियों ने इस तरह का प्रबन्ध किया हुआ है कोई भी थाने का सिपाही वेतन लेता है तो उसके वेतन में से दो रुपये, डेढ़ रुपये काट कर जिला हैड क्वार्टर पर जो बाबू है, वेतन वाला, उसके पास तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से इस विभाग में पुलिस के सिपाही तक की लूट होती है। यह हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी सिपाही से पूछा जा सकता है। उसको जो वेतन मिलता है, उसमें से डेढ़ रुपया, दो रुपया काट कर जिला मुख्यालय पर जो बाबू है तनख्वाह के बिल बनाने वाला, जो टी०ए०, डी०ए० बनाता है, उसके पास पहुंचाया जाता है। इसी तरह से कोई सिपाही जिला मुख्यालय में पहुंच जाता है तो उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है कि तुम बहुत अच्छी जगह हो, बहुत कमाई की जगह है, कुछ खिलाओ पिलाओ। उस बेचारे से कचौरी खा जाते हैं, मिठाई खा जाते हैं। यह परम्परा बनी हुई है। वह भी वहां से प्रेरणा लेकर थाने में जाता है कि इस बार जाऊंगा तो अधिक कमा कर आऊंगा। मेरा निवेदन है कि इस कमाई के तरीके को रोका जाना चाहिए।

इस पुलिस के महकमे के साथ में जुड़ा हुआ है न्याय व्यवस्था का प्रश्न। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए, आन्दोलन को दबाने के लिए, निश्चित तौर पर मेरी मान्यता है, कि उनको जिस तरह के आदेश होते हैं, उसी तरह से वह अपना काम करते हैं। इसमें न जनसंघ को नाराज होने की जरूरत है और न और किसी को नाराज होने की जरूरत है। उनका काम लॉ एण्ड ऑर्डर बनाये रखने का है। यह एक महत्वपूर्ण महकमा है। इस महत्वपूर्ण महकमे को सबने मिल कर डिग्री भी दी है। इसको इससे बचायें और हम सहयोग करें, इसमें सुधार करें, और थानों में जितने अच्छे साधन मिलने चाहिए अपराधों की रोकथाम के लिए वह प्राप्त होते रहें। पुरानी परम्परा के मुताबिक कुछ सिपाहियों को ऊंट का एलाउन्स मिलता है, चाहे उनके पास ऊंट नहीं हों। मेरा निवेदन है कि सारे थानों पर जीप होनी चाहिए, सारे थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए और सारी सुख-सुविधा वहां

(श्री दीपंकर)

प्राप्त होनी चाहिए जिससे जितना जल्दी हो सके, अपराधों का पता लगा सकें और अपराधियों को पकड़ सकें। आज साधनों के अभाव में वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण समाज में जो अपराधों की संख्या घटनी चाहिए, वह आज बढ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि थानों को ज्यादा से ज्यादा साधनों से सुसज्जित करें। यहां तक कि स्टेशनरी भी थानों पर ऐसे लोगों से मांगी जाती है जो रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं उनसे कहते हैं कि एक दस्ता कागज ले आओ या पेंसिल और कार्बन ले आओ, थाने में स्टेशनरी नहीं देते और वे रिपोर्ट करने वालों से मांगते हैं तो यह लज्जाजनक बात है। नये बजट में पैसा बनायें जो शान शौकत के खर्चे हैं उनको बचायें और वह पैसा थानों को दिलायें जिससे वे समाज को न्याय दे सकें और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में विशेष तौर से कार्यवाही की जा सके। एक आई०जी०पी० को भी भ्रष्टाचार निरोधक का आदमी कह सके कि आपने ऐसा काम कैसे किया भ्रष्टाचार निरोधक को ताकत दे सकें, ऐसी मुझे पूरी आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि पुलिस की डिमांड्स अब तक जब कभी इस सदन के प्रांगण पर रखी गई, ऐसा कठोर और भयावह समय नहीं था जैसा इस वक्त है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह समय आ गया है कि वह राइटिंग ऑन दी वाल जो दीवार पर लिखा है उसको देखें और वह मैं इसलिए कहता हूं कि हम अपनी आखें बंद करके, जो चारों तरफ गुजर रहा है उसको अनदेखी नहीं कर सकते। आज समाचार पत्र में था कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने दो आदमियों को याद किया "ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान"। जनता तो साफ हो गई, सत्ता भी सामने नहीं रही। जब उनमें बेबसी आ गई तो ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान, यह कहकर वे छूट कर निकले। मैं विशेष संकेत देने के लिए आग्रह करता हूं मुख्य मंत्री से कि अब पुलिस के संबंध में कुछ कहा जाए, वह समय नहीं, उनका दायित्व बड़ा है, उनकी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे समय में मैं उन व्यक्तियों में से नहीं जो आलोचना करूं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केवल ईश्वर अल्लाह रह गया है जिस पर सत्ता आश्रित होने लगती है अब सत्ता और जनता दोनों आमने सामने हैं एक प्रांगण पर हैं। एक ओर सत्ता है और दूसरी ओर जनता है। गुजरात के प्रश्न को मैं यहां नहीं लाना चाहता, वहां जनता ने सत्ता छीनकर अपने हाथ में ले ली, इसको हम दरगुजर नहीं कर सकते और उन्होंने नए संस्कार ढूंढे हैं, उनकी आपत्ति और विरोध दो बातों पर रहा है। भ्रष्टाचार के संबंध में विरोध और महंगाई के संबंध में विरोध और वहां की जनता ने हमको जिम्मेदार ठहराया। हम राज नेताओं को जिम्मेदार ठहराकर, उन्होंने हमसे स्पष्टीकरण मांगा है कि हमने सत्ता को इससे मुक्त क्यों नहीं रखा है, जनता को हमने राहत क्यों नहीं दी और स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने संस्कार भी पुराणों के माफिक शास्त्रों के माफिक संस्कार ढूंढे और उन संस्कारों के आधार पर हमारे माथों का मुंडन किया है और फिर हमारा वाहन निर्धारित किया कि तुम इसके योग्य हो। पुराणों, शास्त्रों के माफिक ये संस्कार हैं, इसलिए मैं इन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

संस्कारों के संबंध में चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हम आज कहें और सत्ता पर ही दोषारोपण करें तो उचित नहीं परीक्षण अपने आप ही कर लेना चाहिए कि जनता की निगाहों में हम क्या हैं और जनता हमसे क्या अपेक्षा रखती है ।

इस संदर्भ में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पहले ब्रिटिशर्स के जमाने में नीचे से उत्पन्न होता था नीचे से चलता था, अब वह हिमालय से चलता है, ऊंचाई से चलता है और वहां से चलता हुआ एक गटर में नीचे तक पहुंचता है

एक माननीय सदस्य : गंगा के जरिये....

श्री निरंजननाथ आचार्य : गंगा तो आपके लिये हो सकती है मैं तो इसको गटर का नाला कह सकता हूं। यह समय आत्म परीक्षण का है और आत्म परीक्षण जब हम करें तो अपना विश्लेषण हम करें सत्ता के साथ साथ, पुलिस के साथ साथ, गांवों के संदर्भ में हमारा कर्त्तव्य, हमारी निष्ठा और उस भ्रष्टाचार में हमारा कितना सहयोग और कितना असहयोग? मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन यह स्वयं की समीक्षा का प्रश्न है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब जनता हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है और हमसे सवाल पूछती है और वह सवाल उन्होंने गुजरात से पूछा, अब बिहार से पूछा जा रहा है और वह सवाल अब उत्तर प्रदेश में भी है । यह तो सौभाग्य है कि वहां पी० ए० सी० का रिवाल्ट हुआ और दबा दिया गया । इस संदर्भ में हमें पुलिस के प्रति इस प्रांगण पर विचार करना पड़ेगा और उस विचार को इस संदर्भ में जब हम देखते हैं कि पुलिस का दायित्व बढ़ गया है, जिम्मेदारियां बढ गई हैं और राजस्थान की पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत कुछ निभाया है । उस संदर्भ में, मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा उनके एमाल्यूमेन्ट्स, उनकी सैलरी उनकी सुविधायें, उनके कष्ट, जबकि प्रतिदिन उनको संघर्ष में से गुजरना पड़ता है, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए । इससे उनमें विश्वास पैदा होगा, उनकी निष्ठा बढ़ेगी, उनमें दायित्व की भावना पैदा होगी और इस संदर्भ में उस के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस कमीशन कायम किया जाए, इससे पुलिस में विश्वास पैदा होगा, सतर्कता जागेगी, उनको भान होगा कि राज्य सरकार हमारे प्रति सतर्क और सजग है । पहले भी मैंने इस बात को दोहराया था लेकिन भूतपूर्व मुख्य मंत्री शायद इस प्रश्न को अवहेलना की दृष्टि से तो नहीं लेकिन उन्होंने कोई वाया मीडिया निकाला पुलिस सर्विसिज ठीक करने का, इसलिये मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं ।

मैं पुलिस के लिये कहना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुरूप उनका व्यवहार नहीं है । आपका किशनगढ़ ट्रेनिंग स्कूल हो, चाहे आबू का हो उनके व्यवहार के ढांचा ढालने के कोर्स व इनकी शिक्षा पद्धति को बदलना चाहिये । जब हम पुलिस व्यवहार की बात करते हैं तो स्काटलैंड यार्ड पुलिस को आदर्श मानते हैं, सतर्क मानते हैं, कर्त्तव्य के प्रति सक्रिय मानते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये विद्यालय जो पुलिस के हैं भले ही पुलिस के हाथ में रहें लेकिन ये उन व्यक्तियों के हाथ में ही रहने चाहिये जो इस पद्धति में विश्वास करते हैं, जो डेमोक्रेसी में कमिटेड हैं, ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिये जो डेमोक्रसी के ढांचे में पुलिस वालों को ढाल सकें और जनता के साथ कैसा

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

व्यवहार होना चाहिये, उनके प्रति जागरूक हो सकेंगे।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, आपको मालूम है कि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड का संशोधन हो गया, 1 अप्रेल से सेपरेशन आफ जुडीशियरी हो रहा है, ए०पी०पी० की नियुक्ति उसमें आवश्यक हो गई, और आपको मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट इस प्रश्न पर बहुत चिंतित है क्योंकि 1 अप्रेल के दिन क्रिमिनल साइड में कैओस पैदा होगा यदि राज्य सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और मुझे मालूम है इस प्रश्न पर आपका विभाग उदासीन है, ए०पी०पीज० की नियुक्तियां समय पर नहीं हुईं उस संशोधन के अनुसार आगे के कदम नहीं उठाए गए तो जिला मजिस्ट्रेट बैठे रहेंगे, मजिस्ट्रेट्स बैठे रहेंगे और जितने मुद्दे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के, उन पर कार्यवाही नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप क्रिमिनल लॉ को सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं तो आपको इस बारे में दो चार रोज में ही कोई कदम उठा लेना चाहिये। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ करप्शन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वैसे करप्शन के बारे में बहुत कुछ यहां पर कहा जा चुका है और मैं यह मानकर चलता हूं कि ये करप्शन हमारे जीवन का वे आफ लाइफ हो गया है। यह हमारे जन जीवन में पूरी तरह से प्रवेश पा गया है और इसे निकालना हमारे लिये बहुत ही मुश्किल हो गया है। करप्शन के सन्दर्भ में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार पंडित नेहरू ने इस संबंध में कहा था कि हम भ्रष्टाचार को हमारे स्वतन्त्र भारत से निकालेंगे। भ्रष्टाचारी को हम उसके नियरेस्ट लेम्प पोस्ट पर लटका देंगे। इसी प्रकार हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने भी यही उद्‌गार प्रकट किये। प्रधान मन्त्री नेहरू को पत्र लिखा उसमें यही कहा कि अगर आप भ्रष्टाचार को नहीं निकाल पायेंगे तो यह प्रजातंत्र को बड़ा खतरा होगा। इस करप्शन के लिये श्री नन्दाजी ने और श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने तथा हमारे यहां भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने भी इसे मिटाने की घोषणायें कीं। लेकिन यह करप्शन हमारे देश में बराबर पनप रहा है। यह हमारे जन जीवन में इतना प्रवेश कर गया कि अब इसे हमारे जन जीवन से अलग करना दुरुह हो गया है। हमारे यहां पर करप्शन को हटाने के लिये कुछ माध्यम राज्य सरकार ने अपने लेवल पर कायम किये हैं। जिसमें विजीलेन्स कमीशन, डिपार्टमेन्ट ऑफ प्रिवेन्सेज और एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट हैं। आज जब हम इन विभागों से करप्शन को मिटाने का प्रयत्न करते हैं तो सभी विभाग हमारी तरफ देखते हैं। वह देखते हैं कि हम क्या करते हैं करप्शन के संबंध में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन के बारे में यह कहा था कि इलेक्शन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही मिलता है उन्होंने यह इसलिये कहा कि जितनी प्रेसक्राइब लिमिट हम इलेक्शन में पैसा खर्च करने की रखते हैं उससे कई हजार रुपये ज्यादा खर्च कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि करप्शन तो हर तरफ बढ़ रहा है। आज इलेक्शन में क्या होता है उसको सब जनता जानती है। आंखों देखती है बोलती नहीं है। मैं अभी यू० पी० के इलेक्शन के बारे में नहीं कहूंगा और न आने वाले चुनावों के बारे में भी कुछ कहना पसन्द करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जनता ने यह सब देखकर अपने मन

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

से जन प्रतिनिधियों के प्रति अपनी आस्था घटाली या यों कहें कि जनता का विश्वास आप से उठ गया। जनता का आप पर से विश्वास खो गया है। जनता का आप पर इसलिये विश्वास नहीं रहा कि आपने विजीलेन्स कमीशन कायम किया। कई रिपोर्ट्स विजीलेन्स कमीशन की आई और अब भी निकलने वाली है हमने देखा नहीं है लेकिन आने वाली है। इसी प्रकार हमने उप लोकायुक्त और लोकायुक्त की स्थापना की इसलिये कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उस वक्त हमने सदन में मेजें थपथपाई थीं। यहां पर सदन के अन्दर कहा था कि बड़ा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लायें हैं और राजस्थान दूसरे प्रान्तों से एक कदम आगे हैं भ्रष्टाचार मिटाने में। हमने यह देखा कि विजीलेन्स कमीशन में जो मुकदमात इन्वेस्टीगेशन किये हुए पड़े थे और उसमें कुल आई.ए.एस., आर.ए.एस० आर. पी.एस., और आई.पी.एस. आफिसर्स के खिलाफ में एक्शन ले लिये जाने चाहिये थे। जिनके प्रोसीक्यूशन होने चाहिये थे या जिनके खिलाफ में डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कराये जाने के आदेश हो चुके थे उसमें करीब 15 उच्च अधिकारी थे जिनके प्रोसीक्यूशन होने के आदेश हो चुके थे पर उनके खिलाफ में आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वह सभी कागजात आज इतमिनान से आपकी सेक्रेटरियेट में पड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपका विजीलेन्स कमीशन का दफ्तर अप्रेल सन् 73 में समाप्त हो गया जब यह समाप्त हो गया तो यह कार्यवाही कौन करेगा? इस संबंध में अभी तक कोई राज्य सरकार ने आदेश नहीं निकाले कोई सूचना नहीं भेजी है। विजीलेन्स कमीशन ने अपनी राय दे दी है कोई एक्शन हो नहीं रहा है। बाद में उप लोकायुक्त और लोकायुक्त कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा कि पेन्डिंग केसेज का जो कि विजीलेन्स कमीशन के हैं उनका क्या होगा। आपके कानून सेविंग क्लाज नहीं हैं आप उसमें इनसर्ट नहीं करिये। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के अधिकार उन्हें दें। जितने भी भ्रष्टाचार के केसेज जिनमें कि विजीलेन्स कमीशन की मान्यता के अनुसार प्रोसीक्यूशन होना चाहिये था या एक्शन लेना चाहिये था, उसे डिफन्क्ट मत होने दीजिये वह उसमें क्लाज रखिये। उपाध्यक्ष महोदय जब लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति की बात हो रही थी तो विरोधी दल की तरफ से हमने प्रोफेसर केदार को अपनी सम्मति देने भेजा था। यहां जिसको लोकायुक्त नियुक्त किया गया। लेकिन आज यह स्थिति है कि इनके पास कोई काम नहीं है और वह दोनों हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनके पास एक भी मुकदमा नहीं है वैसे आपने उनको सन्तरी दिया है, बंगला दिया है। बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी हैं। चूंकि उनके पास कोई काम नहीं है वह दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। ऐसा हमने अखबारों में पढ़ा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को इफेक्टिव कीजिये। उसे मजबूत बनाइये। इस कानून को एमेन्ड करिये और उसमें सेविंग्ज क्लाज कीजिये। आपने जो सरपन्चों और प्रधानों और जिला प्रमुखों को और कोऑपरेटिव सोसाईटीज के अध्यक्षों को जो एग्जम्प्ट किया है उन्हें उसमें इन्क्लूड कीजिये। ग्रिवीनसेज की डेफिनेसन को इसमें और एड करिये। यह जो आपने इसमें रखा है कि पांच साल का जो आपने लिमिटेशन किया है उसे समाप्त करिये। आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह लिमिटेशन पब्लिक सर्वेन्ट्स हटाइये। इस पर आप विचार करें। और जो विजीलेन्स कमीशन के जो मुकदमें आई० ए० एस० और आई०पी०एस० आफिसर्स

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

आर० ए० एस० आफिसर्स के पड़े हुए है उनके लिये स्पष्ट आदेश दें। यहां पर हाउस में डिक्लेयर करें कि हम उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं जिससे कि हमें भी सन्तोष हो और उन्हें भी सन्तोष मिले। और अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो तुरन्त एक्शन लें। और लोकायुक्त और उप लोकायुक्त कानून है उसमें यह सेविंग्ज क्लाज को जोड़िये और उसे इफेक्टिव बनाईये और उन लोगों को जिनका प्रोशिक्यूशन करना है उन्हें प्रोशिक्यूट कीजिये। नहीं तो फिर हमारे ऊपर से इन लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को हटादें तो अच्छा रहेगा क्योंकि इनका वजन हमारी जनता पर पड़ रहा है। वैसे भी पार्लियामेंट इस कानून को ला रही है तब अपने आप ही हमारे यहां भी लागू हो जायगा। इनका वजन हम पर नहीं डालें। उपाध्यक्ष महोदय इस संबंध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किस तरह से हम करेप्सन से पिन्ड छुड़ाये। मैं अपनी स्वयं की अनुभूति को याद करता हूं कि मैं गांव-गांव और घर-घर पैदल चलने वाला अपनी कोन्स्टीट्युएन्सी में घमने वाला हूं। मैं इस भ्रष्टाचार से तबाह हूं। आज हमारे सरकारी कर्मचारी का सात-सात बार तनख्वाह में इजाफा किया गया, उन्होंने संघर्ष किया हमने भी अपनी सहानुभूति रखी पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी है। जब हमने इनकी तनख्वाह में इजाफा किया लेकिन इन्होंने यह एद नहीं किया कि हम करेप्शन नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय यह भ्रष्टाचार नीचे से पटवारी के लेवल से शुरू होता है और ऊपर लेवल तक ठेट जाता है। आप कितनी भी सुविधायें इन कर्मचारियों को दें लेकिन यह भ्रष्टाचार करते चूकते नहीं है इधर आपने पीठ मोड़ी उधर उन्होंने पैसा खाया। यह तो डाका डालते हैं। इतनी सुविधा मिलने पर भी नहीं मानते हैं। यह क्या गांव में क्या शहरों में कहीं भी जनता को लूटने से बाज नहीं आते हैं। इसलिये मैं यह कहता हूं कि भ्रष्टाचार हमारी लाइफ में इनकोरीजीबल है। हम तो इससे बाज आये। यह भ्रष्टाचार हमारे जन जीवन में ऐसा प्रवेश पा गया है कि वह हट नहीं सकता है। अगर हम इसे सही मायने में हटाना चाहते हैं तो हम सभी को राजनैतिक सिद्धान्तों से परे होकर भेदभाव पूर्ण नीति से परे होकर यह देखना पड़ेगा कि अपने आपको पहले साफ करना है दूसरों की बुराइयों को सुनने के साथ।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से जो मैंने निवेदन किया है, मेरा विश्वास है, दो तीन पहलुओं पर ज्यादा नहीं तो, भ्रष्टाचार को दूर करने के जो मीडियम हैं, उनको एक्टिव करने के कदम, राज्य सरकार उठायेगी, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन और पुलिस की मांगों के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं मैं उनके बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं।

पहले मैं सामान्य प्रशासन को लेता हूं। हमारा मौजूदा सामान्य प्रशासन जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है जनता की बढती हुई आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है और इसके लिये जब तक हमारा सामान्य प्रशासन, हमारा शासन जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति न करे, जनता के कष्टों को दूर न करे तो उस प्रशासन को क्या स्थिति हो सकती है।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अब हम विकास करने जा रहे हैं, हम समाजवादी कदम उठाने जा रहे हैं, हम प्रगतिशील कदम उठाने जा रहे हैं परन्तु हम जो कदम उठाना चाहते हैं उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हमारी प्रशासकीय सेवाओं पर निर्भर है। राजकीय सेवाओं पर निर्भर है। वे किस प्रकार से हमारी नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं इसको हम को देखना है। हमने इसको गौर से नहीं देखा है। हम अच्छे से अच्छे निर्णय ले लें, हम प्रगतिशील कदम उठाने का निर्णय ले लें किन्तु उन निर्णयों का यदि क्रियान्वयन ठीक नहीं हो सकता है तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती।

हमने निर्णय लिया है, लैंड रिफोर्म्स के बारे में, सीलिंग के बारे में। हमारे निर्णय क्रियान्वित नहीं हुए और सीलिंग कानून की दुर्गति हुई। हमने गेहूं के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया और हमें असफलता मिली। हमें इसकी तह में जाना होगा और सोचना होगा कि कौन से निर्णय लेने जा रहे हैं और जो निर्णय लेने जा रहे हैं उनकी क्रियान्विति क्यों नहीं अच्छी तरह से होती है। इसके लिये हमें खुद को अपने आपको भी सोचना है कि हममें खुद में क्या कमजोरियां हैं। उनको हल नहीं किया तो समय जो आ रहा है, वह बड़ा विकट समय है। महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिये महंगाई को रोकने के लिये, भ्रष्टाचार को रोकने के लिये, प्रजातन्त्र पर जो अटैक हो रहा है, बड़ा भारी संघर्ष जनता कर रही है, गुजरात में संघर्ष किया, बिहार में संघर्ष कर रही है, आग की लपटें जो प्रजातन्त्र को खत्म करने के लिये फैल रही है, उस हालत में हमको बड़ी जिम्मेदारी से काम करना होगा। हमें प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिये कांग्रेस को बलशाली बनाना होगा और कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो भ्रष्टाचार को मिटा सकती है। कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो इस शासन को ठीक प्रकार से चला सकती है।

अब दूसरा प्रश्न है ....

श्री उपाध्यक्ष : आप सामान्य प्रशासन से सामान्य भाषण पर आ गये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दूसरा जो प्रश्न है वह यह है कि सेवाओं के बारे में जो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी होती है उसका जो प्रोसिजर एडोप्ट किया जाता है उसमें बहुत डिले होती है। चार्ज शीट लगाने में ही कहीं छः छः महीने और कहीं 2 तो एक एक साल लग जाता है। दो दो, तीन तीन साल सस्पेन्शन में रहते हैं और फिर बहाल हो जाते हैं। मैंने देखा है तहसीलदार और एस० डी० ओज० के सस्पेंशन्स हुए, 75-80 परसेन्ट केसेज में वे बहाल रहे। सस्पेन्शन जब करो कि प्राइमा-फैसी यह एस्टेब्लिश हो कि वाकई यह तहसीलदार सस्पेन्शन के लिये उपयुक्त है, प्राइमा फेसी चार्जेज एस्टेब्लिश हों तब ही जाकर सस्पेन्शन करना चाहिये। वरना सस्पेन्शन करके कार्यवाही को लम्बा करते हैं, डिस्पोजल देर से करते हैं और नतीजा यह होता है कि घर बैठे 2 बहाल होने के बाद सबकी सब राशि उसको मिल जाती है।

जिला प्रशासन के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। मैं यह चाहता हूं कि एस०डी०ओ०, कलेक्टर्स टूर करते हैं। उसके अन्दर वे नाइट हाल्ट करते हैं जैसे बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में सिवाणा में हाल्ट करते हैं परन्तु उनको गांवों में इन्टीरियर में हाल्ट करना चाहिये और वहां की समस्याओं को देखना चाहिये। ग्राम सभा बुला कर समस्याओं को सुनना चाहिये।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पुलिस के बारे में विचार रखना चाहता हूं। पुलिस के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस समय जो परिस्थिति है उसमें उनका बड़ा उत्तरदायित्व है। हड़तालें हो रही हैं, आन्दोलन हो रहे हैं। राजस्थान की पुलिस जो कार्य कर रही है वह स्वागत योग्य है परन्तु अभी जो परिस्थिति है और देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं उनको देखते हुए पुलिस को और सजग होना पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार की शक्तियां जो दूसरे प्रान्तों में कार्य करती हैं वे यहां भी कर सकती हैं। यहाँ पर वे शक्तियां कमजोर हैं। पहले से ही अपने को जागरूक होना है और पुलिस को इसके लिये सशक्त होना है उसके लिये जो भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता हो वह ट्रेनिंग देनी चाहिये और खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को भी इस प्रकार की नीति निर्धारित करनी चाहिये कि जिससे वह यह डाइरेक्शन दे कि वे हिंसावादी शक्ति का कम से कम प्रयोग करें। बहुत ही आवश्यकता हो तब जाकर लाठीचार्ज करें, हिंसा का प्रयोग करें। अगर हिंसा से दबाने की कोशिश की, ज्यादा ताकत से दबाने की कोशिश की, गोली से दबाने की कोशिश की तो वे शक्तियां और जोर पकड़ेंगी और बढ़ेंगी। इसलिये इस बारे में गहराई से सोचना है। प्रजातन्त्र के युग में सोच समझ कर कोई ढंग से नीति निर्धारित करनी होगी।

कुछ केसेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक केस है भैराराम का जो सांचोर कोआॅपरेटिव बैंक के चेयरमेन थे। उनका मर्डर हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : किसी कोर्ट में पेन्डिंग है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जी हां, पेन्डिंग है।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं ज्युडिशियल ला के बारे में जानता हूं। इस प्रकार बोलूंगा जिससे उस केस पर कोई असर न पड़े। मैंने एक्यूज्ड अभी तक नहीं पकड़ा गया है उसको अरेस्ट नहीं किया है। दो तीन साल से चल रहा है। यहां तक इन्फोर्मेशन मिली है कि उस मुल्जिम के 2॥ वर्ष की एक लड़की है, तीन वर्ष हुए उसको फरार हुए, एक छः महीने की और लड़की हुई है। वह गांव में आता है परन्तु पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है।

इट इज ए पीस आफ एविडेन्स। इसलिये शक होता है। इसलिये उस मुल्जिम को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करनी चाहिये और दूसरा केस डकेती का है। नैनवां जिला जालोर में गुजरात में डकेती हुई 3 लाख की और उसका माल बरामद भी हो गया, जैसलमेर में। पुलिस लाइन में पड़ा है। मुल्जिमों के नाम भी नामजद हो गये। पर अभी तक कोई कार्यवाही इस बारे में नहीं की गई। चालान प्रस्तुत नहीं किया गया।

इन दोनो केसों के बारे में मैं जानना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र शर्मा।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस पुलिस विभाग के बारे में सदन में चर्चा है। विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह कहा जाय कि यह एक भयंकर विभाग है तो अत्युक्ति नहीं होगी। जिस मंत्री को यह विभाग मिल जावे उसका भाग्य ऊंचा हो जावे। वह मंत्री भी भयंकर हो जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह मंत्री अन्तर्ध्यान हो जाता है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आपको हमको दिखाई न दे, वह बेहतर होता है ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : यह सेवा का भी विभाग है । इस विभाग पर तरस भी आता है पर जब अधिकारियों को देखते हैं उनके रोब और रुतबे को देखते हैं उनके आतंक को देखते हैं और तानाशाही रवैये को देखते हैं तो गुस्सा भी आता है ऐसे द्वन्द्व में एक तरफ विभाग की यह हालत है कि उसकी आधारभूत नीचे की इकाई सिपाही दिन रात ड्यूटी देता है, सर्दी गर्मी की जिसे परवाह नहीं है, जो बराबर एक जगह से दूसरी जगह पर भगाया जाता है हमारी सुरक्षा में रहे, आन्दोलनों से मुठभेड़ करे, लाठी चार्ज करे, पत्थर खावे, इन बड़े बड़े अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों के बंगलों की जन आक्रोश से रक्षा करे, जनता का आक्रोश स्वयं खुद पर झेले, और इन अफसरों को होशो हवाश खोकर ऐशो इशरत करने की खुली छूट दे । उनकी सुविधा क्या है, उनका वेतन क्या है, उसकी वर्दी की क्या हालत है ? उसके खाने के मैस की क्या हालत है । इस प्राणी को इस हालत में देखते हैं तो वास्तव में इस विभाग पर तरस आता है । इनसे सहानुभूति होती है ।

पर उपाध्यक्ष महोदय, सिपाहियों से ऊपर देखते हैं और थानेदारों की तरफ निगाह जाती है तो रुतबा और आतंक दिखाई देता है । इनसे बड़े बड़े घबराते हैं । ये भाग्यशाली हैं और इनकी अगर किसी से नाराजी हो ज वे तो उसे तुरन्त झटका और अपना आतंक उस पर जमाने में देर नहीं लगती ।

एक माननीय सदस्य : आपके साथ हुआ है ऐसा ?

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : वकालत के नाते रोज देखता हूं किस्से उनके और यदि ऐसा करने की नौबत आई तो मुझे और आपको भी नहीं बख्शते ये । इसको देखते हुए इस विभाग पर गुस्सा भी आता है ।

इसलिये कहना चाहता हूं कि इस विभाग की यह जो हालत है इसमें परिवर्तन करना होगा । इसके तौर तरीकों को बदलना होगा । आज का जो माहौल है देश में, जिस तरह से देश की हालत बदल रही है, जिस तरह के तौर तरीके समाज में चल रहे हैं, राजनैतिक दल जिस तरह से चल रहे हैं उसको देखते हुए पुलिस विभाग का पुराना तरीका डंडेबाजी का तरीका, पीटने पाटने का तरीका, कई दिन तक बिना रेकार्ड में बताये हिरासत में बिठाये रखना और कहा यह जाता है कि थानेदार, एस० पी० वही सफल जो एक मिनिट में पचास गाली निकाले डंडे का पूरी तरह से उपयोग करता रहे, यह सब आज की स्थिति में बदलते हुए समाज में, तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में फिट नहीं बैठने वाले हैं ।

हमें तफतीश के तरीके बदलने होंगे । बरामद करने के तौर तरीके बदलने होंगे । हमें आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान का सहारा लेना होगा । पुराने बर्बर तरीके छोड़ने होंगे । तब जाकर इस विभाग की बुराइयों से हमें छुटकारा मिल सकता है ।

यह विभाग बड़ा मशहूर रहा है । भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से हुई अगर इसकी खोज की जाय तो उसकी जड़ें इस विभाग में पाई जावेंगी मैं आज इस बात से तो सहमत नहीं कि आज जो भ्रष्टाचार में यह विभाग सबका सिरमौर है । शुरुआत इससे जरूर मानी जा सकती है । पर आज कई विभागों ने इस विभाग को बहुत पीछे छोड़ दिया है भ्रष्टाचार की होड़ में कई विभागों ने इसको पछाड़ दिया है ।

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

फिर भी जिस विभाग का सम्बन्ध सामान्य जनता से है । न्याय और सुरक्षा जिस पर आधारित है उसमें भ्रष्टाचार अगर रहता है तो आम जनता को बहुत अधिक परेशानी होती है । और कई विभागों में कितना ही भ्रष्टाचार हो उससे अधिकांश में सीधा सम्बन्ध सामान्य जन की सुख सुविधाओं से नहीं रहता ।

आज इस पुलिस विभाग की यह हालत है कि पहले तो बहुत से अपराध दर्ज ही नहीं होते । लोग रिपोर्ट कराने के लिये थानों में जाते ही नहीं । वे जानते हैं कि अपराधी को तो जब पकड़ेंगे और उसे सजा देंगे तब देंगे, पहले तो जो जाता है उसी को सजा मिलने वाली है । इसलिये मैं पहले तो यह निवेदन करूंगा कि इन थानों को सख्त निर्देश दिये जावें कि वह रिपोर्ट बराबर दर्ज करें । आप कह देंगे तुरन्त कि हमने तो ऐसे निर्देश जारी कर रक्खे हैं । ऐसी स्थिति में मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपके इन निर्देशों पर अमल कितना होता है यह भी आप अच्छी तरह से देखें। आप कहेंगे कि दुबारा निर्देश जारी कर देंगे । तो जिसके पहले वाल निर्देशों की हालत यह हो कि दुबारा निर्देश जारी करने पड़ें कोई उनकी परवाह ही नहीं करें तो इस हालत में तो आपको कुछ और तरीके ही सोचने होंगे ।

रिपोर्ट आधी से ज्यादा बिना दर्ज हुए रह जाती है इसके बावजूद पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा कि राजस्थ[illegible]यपुर जिले में सबसे ज्यादा अपराधों [illegible] संख्या आई है । सबसे अधिक अपराध यहां दर्ज हुए । जयपुर जिला तरक्की कर रहा है । अपराधों में ही सही । विकास में न सही । विनाश की तरफ ही सही । पी० डब्लू० डी० के कामों में, सड़कों में, बिजली में, उद्योगों में, सिंचाई के साधनों में और इस तरह के कई विकास के कामों में तरक्की न सही । अपराधों के जगत में ही अगुवा बनने में तरक्की हो रही है । इसके लिये पुलिस विभाग को मुझे धन्यवाद देना चाहिये । इस तरक्की के लिये उसे मैडल मिलना चाहिये ।

अब आप यह महसूस कर रहे हैं कि जयपुर जिले में अपराध बढ़ रहे हैं तो आप इसका समाधान क्या सोचते हैं । आज जयपुर जिला और जयपुर नगर बहुत बढ़ रहा है । यह समस्या पैदा कर रहे हैं । यदि वास्तव में इन पर काबू पाना चाहते हैं तो यहां की पुलिस की व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा । जयपुर जिले को प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में बांटना होगा । एक जयपुर जिला जिसमें आज के जिले के समग्र गांव और तहसीलें रखी जा सकती हैं । और दूसरा जयपुर शहर का एक जिला । आज हालत यह है कि एस० पी०, डिप्टी एस० पी०, एडीशनल एस० पी० सभी जयपुर नगर में ही व्यस्त हैं । उनको यहां नित नये होने वाले आन्दोलनों-हलचलों से ही फुरसत नहीं है । यहां मंत्री रहते हैं, अधिकारीगण रहते हैं, अनेकों विभागों के अधिकारी रहते हैं, प्रभावशाली लोगों का बहुत बड़ा समूह यहां है उन सबकी सुरक्षा में ये अधिकारी और पुलिस फोर्स लगी रहती है । गांवों की चिन्ता वे नहीं करते ।

पुलिस विभाग पर बोलने के लिये मसाला में इकटठा कर रहा था कि अखबार मेरे सामने आया । उसमें मैंने देखा कि कोटपूतली में बराबर चोरियों का तांता शीर्षक से काफी गम्भीर समाचार थे । माननीय गृह मन्त्रीजी ने भी उसे पढ़ा होगा । आज भी वही हालत है जो मैं बराबर कहता आया हूं । कोटपूतली

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
में चोरियां बराबर हो रही हैं। इसकी रोक थाम के लिये हड़तालें, प्रदर्शन हुए, डेपूटेशन हर स्तर के अधिकारियों से मिले, एस० पी० आई० से मिले, मिनिस्टर तक से मिले। पर कोई व्यवस्था इनकी रोकथाम की नहीं की गई। पुलिस की स्ट्रेन्थ का यह हाल है वहां कि जो आज से बीस साल पहले था वही आज भी है। एक दो सिपाही बढ़ा दिये हों तो अलग बात है।

श्री दीपंकर : बंटवारा हो गया समाजवादी राज्य में।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : समाजवाद का सिद्धान्त मेरे यहीं से लागू करेंगे आप। आजादी से पहले जो स्टाफ था तब से आज तक केवल एक कान्स्टेबल बढ़ा है। यह है हालत। जब कि पिछले 26।27 सालों में यह इलाका कितना आगे बढ़ गया यह बताऊं। आज यह नेशनल हाई वे हो गया। ट्रैफिक बढ़ गया। डिग्री कालेज वहां खुल गया। विद्यार्थियों के आन्दोलन रोज होते रहते हैं। ट्रान्सपोर्ट बढ़ गया। राजस्थान-दिल्ली का सीधा ट्रकों का रूट बन गया। इसको देखते हुए समय-समय पर आश्वासन जरूर दिये जाते रहे पर बढ़ाया एक भी सिपाही नहीं। आज हालत यह है कि ब्लैक मार्केटिंग, तस्करी, अनाज का स्मगलिंग दिल्ली और हरियाणा दो प्रान्त लगते हैं उधर उनमें हो रहा है। इस स्थिति में वहां चेक पोस्ट होनी चाहिये। पुलिस स्टाफ बढ़ना चाहिये।

पुलिस मुस्तैदी से काम कर सके, इसके लिये उसे आवश्यक साधन भी देने होंगे। आज उनके पास आने के साधन नहीं हैं। यातायात के साधन नहीं हैं। पुलिस स्टेशन पर साधन नहीं हैं। टेलीफोन तक की सुविधा नहीं है।

अब कटौतियों का सवाल जहां तक है आपने बिजली नल के खर्चे में कटौती की। पैट्रोल, टेलीफोन के खर्चों में कटौती कर दी। जिन विभागों से आप काम लेना चाहते हैं और जन सुविधाओं से जिन का सीधा सम्बन्ध है उन विभागों से काम लेना चाहते हैं तो ये सुविधाएं तो उनको और अधिक से अधिक देनी होंगी। कटौती अगर आपको करनी है तो और स्थानों में करिये। सिविल लाइन्स के इन बंगलों में रहने वालों के ऐश आराम में कमी करिये। इन भ्रष्ट अधिकारियों को इन आराम के बंगलों से खदेड़िये। इनसे डटकर काम लीजिये। अगर ये लोग इन साधनों का दुरुपयोग करें तो इनको रोकिये। इनके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही करिये। चाहे वह फिर कितना ही बड़ा अधिकारी हो।

दूसरी बात निवेदन करूंगा कि आपके ये जो सर्किल बटे हुए हैं वे कई सालों से वैसे ही चले आ रहे हैं। इन पर भी दुबारा विचार करना चाहिये। जो क्षेत्र जिस थाने और जिस सर्किल के पास लगता है उसके पास लगना चाहिये ताकि नियंत्रण की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से काम हो सके और पुलिस भी अच्छा काम कर सके।

इसी प्रकार सामान्य प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हम यह सुनते थे प्रशासन के मामले में राजनैतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जायगा। वह स्टेज चली थी लेकिन आज नहीं है। अधिकारी मनमानी किया करते थे। पंच, सरपंचों, एम.एल.एज. को कोई पूछता तक नहीं था लेकिन अब सचिवालय में विधायकों की ओर चलने लगी है। कुछ दृष्टिकोण बदला है लेकिन वह

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

दृष्टिकोण नहीं बदला जो जनतन्त्र में होना चाहिये। आज विधायकों की यह हालत है। कल की घटना मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं तो कहना चाहता हूं अधिकारियों की बात छोड़िये, अगर विधायक किसी विभाग को पत्र लिखता है तो विभाग तो जवाब न दे, वह माना जा सकता है लेकिन विधायक मंत्री को, पत्र लिखता है तो मंत्री की ओर से उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। कोई भी काम कीजिये, जो कानून में हो, नियमानुसार ही काम कीजिये लेकिन पत्र का जवाब तो दीजिये। जवाब का वह अधिकारी है। क्या इस प्रकार के निर्देश आप अपने अधिकारियों को देना चाहेंगे लेकिन यह असर जब पड़ेगा जब आप स्वयं पत्रों का जवाब देंगे।

आज शायद ही कोई मंत्री ऐसा होगा जो विधायकों के पत्र का जवाब देता होगा। कोई एक्शन लेना है, देना है तो उसका जवाब नहीं दें लेकिन पत्र का किसी प्रकार का तो उसे जवाब दें। आम लोगों की बात छोड़ दीजिये। उनकी तकलीफ सुनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है जब विधायकों की बात ही नहीं सुनी जाती है जो जन-प्रतिनिधि हैं। इसलिये मैं कहना चाहूंगा यदि आप लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं तो इस ढांचे में परिवर्तन कीजिये, अधिकारियों का दृष्टिकोण बदलिये। कई सलाहकार समितियां बनीं, विकास समिति बनी, विधायकों की समिति बनी, कई अलग अलग समितियां बनी, खाद्य सलाहकार समिति बनी लेकिन आप अपने अधिकारियों से पूछें कितनी बार मीटिंग बुलाते हैं। समितियां बना देते हैं लेकिन उनकी कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। आप यह चाहते हैं कि एम. एल. एज. को किसी तरह राजी करदें, कमेटियों में फिट करके, वरना मंत्री बनना चाहेंगे, उधर का सवाल है, इधर का तो सवाल ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय इन कमेटियों का चेयरमेन किसको बनाते हैं कलेक्टर को उस कलक्टर को जिसको फुर्सत नहीं है। प्रशासनिक जिम्मेदारी उस पर डाल देते हैं और फिर दुनियां भर की कमेटीज का काम भी कलेक्टर करे। इस हालत में, मैं कहना चाहता हूं वास्तव में यदि आप जन-प्रतिनिधियों का सहयोग चाहते हैं और वास्तव में आपके काम करने की नीति है तो आज एस०डी०ओ० कलेक्टर की जो हालत है उसमें उसको फुर्सत नहीं है। नई नई बातें, नई नई योजनायें उन सबका चेयरमेन कलेक्टर। कलेक्टर के लिए यह सब काम करवाना सम्भव नहीं है। वह कोई मशीन नहीं है, आखिर वह भी एक आदमी है, वह कितना काम कर सकता है यह आप सब जानते हैं।

मैं मेरे जिले के बारे में कहना चाहता हूं और मैं कहना चाहूंगा, मैं कह सकता हूं जिलाधीश महोदय हमारे गांवों में जाते हैं। पहले जो जिलाधीश थे वे नहीं गये। उनकी दिलचस्पी के बावजूद, उनकी समस्यायें के निराकरण के बावजूद जब कोई अधिकारी काम नहीं कर सकता है तो उसको हटा दीजिये। कुछ अधिकारी वास्तव में काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जन-प्रतिनिधियों की समस्यायों का निराकरण नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। यदि वास्तव में आप अधिकारियों से काम लेना चाहते हैं तो उन पर जिम्मेदारी डालिये और एक अधिकारी के पास इतना काम होना चाहिये कि वह सारी समस्यायों को सम्भाल सके।

आज उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत है जहां तक सब डिविजनों की हालत है–मुकदमात की, मेरे खयाल से सचिवालय से इस प्रकार के आदेश निकले थे कि सप्ताह में एक या दो

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

दिन जनता की तकलीफें सुनी जायेंगी, अख बारों में भी आया था, एस० डी० ओ० और कलेक्टर आकर समस्यायें सुनें। एक दो बार पधारे भी थे दो साल पहले की बात है। दो चार महीने चालू भी रखा। अब पता नहीं उस आदेश की पालना कहां गई? हर सोमवार को तकलीफ सुनी जायगी अब न सोमवार है, न मंगलवार और न कोई वार है। केवल आप पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं केवल घोषणा करना चाहते हैं, केवल नारे देना चाहते हैं, केवल जनता को भावों में रखना चाहते हैं तो नये नये रोज आदेश निकालिये आपके सारे अधिकारी जानते हैं आदेश। रोज निकलते हैं। एक दो दिन उस पर कार्यवाही होती है और फिर चुप हो जाते हैं तहसील और डिवीजन के अधिकारी यही कहते हैं कि उनके अधिकारियों का, सचिवालय के अधिकारियों का काम है रोज आदेश निकालना। आज जनता में भी यही रवैया बन गया है कि सरकारी अधिकारी रोज नये नये आदेश निकालते रहते हैं लेकिन पालना एक भी नहीं होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह फैसला करना पड़ेगा आज किस प्रकार की व्यवस्था रखना चाहते हैं। एक कागज को नीचे से लेकर ऊपर तक आने में कितना टाईम लगता है। आपके सचिवालय में पहले ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेकेटरी फिर सेक्रेटरी। कई स्टेज लगा दी गई हैं। किसी कागज पर एक्शन लेना है तो जो रुकावटें डाल दी हैं इसको आपको कम करना होगा। शीघ्र निपटारे की व्यवस्था करनी होगी। जो जगह जगह असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी रख रखे है, उसमें कटौती करनी पड़ेगी। जल्दी फैसला हो सके इस प्रकार की व्यवस्था सचिवालय में करनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहूंगा जहां हमारी आर्थिक स्थिति खराब है और अगर हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो हम कोई विकास का काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्रशासन में अनाप सनाप खर्चे हैं, जिनमें काफी खर्चा होता है लेकिन उस खर्चे के बावजूद कोई फायदा नहीं। इसलिये मैं कहना चाहूंगा इन सारी व्यवस्थाओं को देखें और देखने के बाद सुझाव दें जिससे जो फालतू खर्चे हैं जिनका जनता के दृष्टिकोण से कोई उपयोग नहीं है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उसका कोई उपयोग नहीं है और जो बीच बीच में स्टेज बनाये हैं उनमें कमी करनी चाहिये। हर कागज को डिसपोज ऑफ करने में इतना टाइम चाहिये वह फिक्स कर दीजिये और इतने समय में उस कागज का फाइनल निपटारा हो जाय उसके लिए भी समय निश्चित कर दीजिये।

आज कोई ससपेन्शन का सवाल आता है, चार्जशीट का सवाल आता है उसमें काफी टाइम लग जाता है। आज 6-6 महीने, 1-1 साल तक ससपेन्शन वालों को चार्जशीट न दें नतीजा यह होता है कि हजारों रुपया उसको देना पड़ता है बिना काम के। तो कर्मचारी यह सोचता है ससपेन्शन इनाम है। इसलिये टाइम लिमिट होनी चाहिये। इतने समय में चार्जशीट दे दी जायगी, एन्क्वायरी इतने टाइम में कर ली जायगी और कोई अधिकारी कार्यवाही नहीं करता है तो उस अधिकारी पर रेस्पान्सीबिलिटि डाली जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय मैं अधिक न कहते हुए यदि हम चाहते हैं इस प्रकार के जो प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिये, वह सन्तोषजनक नहीं है। चाहे पुलिस की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो। हमें सुधार करना चाहें

Page No 118

118

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

पड़ेगा और मैं एक बार और कहना चाहूंगा आज गांवों के जो मामले हैं, आप तो केवल शहरों तक ही सीमित हैं, क्योंकि यहां के लोग आन्दोलन करते हैं और आन्दोलन करते हैं तो फौरन अधिकारियों का और मंत्रियों का ध्यान चला जाता है लेकिन गांवों की हालत में चाहे गुण्डागर्दी हो रही हो, शान्ति न हो, अव्यवस्था हो रही हो, शिकायत करने के बाद भी अधिकारीगण ध्यान नहीं देते हैं और न आप ध्यान देते हैं और नतीजा यह होता है कि गांवों की जनता यह मानती है कि गांव वालों की सरकार सुनती नहीं है।

मेरे क्षेत्र में चोरियों का मामला बराबर बढ़ता जा रहा है। पुलिस सख्ती से कोई काम ले या फिर कैम्प लगाये लेकिन कैम्प लगाने से आप डरते हैं, क्योंकि आपकी आलोचना होती है। या तो आलोचना से डर लीजिये या फिर सख्ती से कदम उठाइये या फिर जनता को अपने हाल में छोड़कर यह कह दीजिये कि चोर चोरी करता है, वह सलाह से करता है। समाजवाद ला रहा है। हम आपके समाजवाद की भी बात मान लें अगर चोर पैसे वालों के यहां चोरी करता है तो और उससे हमें सन्तोष हो जायगा कि आपके एजेन्ट हैं, समाजवाद ला रहा हैं अमीरों से पैसा छीन रहे हैं लेकिन गरीबों के यहां चोरी करें तो गरीबी बढ़ा रहे हैं और यह कौनसा समाजवाद ला रहे हैं। आप गरीबी हटाने का काम कर रहे हैं, आप समाजवाद लाने का काम कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं? आपने उनको शह दे रखी है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी पुलिस के संबंध में और सामान्य प्रशासन के संबंध में कुछ कटौती प्रस्ताव हैं और उनके बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और 80 प्रतिशत जनता सबसे पीछे है और गरीब है और अपना गुजारा किसी तरह से कर रही है। इसके बावजूद पुलिस का जो कर्तव्य है और सुरक्षा की भावना जो जनता में पैदा होनी चाहिये उसके बजाय उनमें अविश्वास पैदा होता जा रहा है। उसका जबरदस्त कारण यह है कि आज पुलिस के प्रति लोगों में इतना अविश्वास पैदा हो गया है कि कोई सिपाही के रूप में भगवान भी गांव में पहुंच जाये उस वर्दी में तो लोग आतंकित हो जाते हैं, घबराते हैं कि यह क्या आफत आई है। आज गांव वालों की हालत काफी खस्ता हो गई है। मैं अपनी कान्स्टीटुएन्सी के बारे में निवेदन करूंगा कि वहां के मवेशी और जो भी चोरियां हुई हैं 6 महीने के अन्दर लाखों रुपये के मवेशी बकानी और असनावर थानों के द्वारा मुल्जिमान से मिलकर और बदमाशों को संरक्षण देकर पुलिस ने पार करा दिया उनको पकड़ नहीं सकती और उसके बाद वही लोग जो चोरियां करने वाले हैं और दूसरे दलालों के मार्फत कहते हैं कि आधी कीमत दे दो तो हम तुम्हारे मवेशी ला देते हैं। जब लोग मवेशी चुराकर ले जाते हैं और दूसरे दलाल वापिस कर देते हैं तो उनको पुलिस के न पकड़ने में

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

क्या कारण है। जब यह होता है तो उपाध्यक्ष महोदय शंका पैदा होती है कि बदमाशों से पुलिस मिली हुई है। सारे ही तो बदमाश नहीं हो सकते, सारे ही चोर नहीं हो सकते और सारे ही भ्रष्ट अधिकारी नहीं हो सकते लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कोटा डिवीजन के लिए कि जितने भी थानेदार हैं कोटा के अन्दर आधे थानेदारों की कोठियां बनी हुई हैं। आप देखें कि दस साल पहले उनकी क्या हालत थी और आज एक-एक, दो-दो और तीन-तीन लाख के बंगले बने हुए हैं। यह रुपया उनके पास कहां से आया और कैसे पहुंच गया ? एक थानेदार 5 हजार रुपया लेता है और कोई 2 हजार रुपया लेता है और यह कहते हैं कि हमें ऊपर पहुंचाना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि ऊपर पैसा कहां दिया जाता है और उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि उच्च अधिकारी अपराध कराने के लिए जिम्मेदार हैं, चोरियां कराने के लिए जिम्मेदार हैं और डकैतियां कराने में भी जिम्मेदार हैं। आज तक झालावाड़ जिले में जितनी चोरियां दो सालों के अन्दर हुई हैं और अपराध हुए हैं उनमें न तो किसी को पकड़ा गया और न सजा हुई, न चोरियां बरामद हुई हैं। 90 पर्सेन्ट ऐसे कैसेज हैं कि जिनमें चोरियां बरामद ही नहीं हुई हैं।

थानों में जाने की हिम्मत देहात वालों की कतई नहीं है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनकी जाते ही पिटाई होती है या उनसे पैसा लिया जाता है और इस डर से वह थाने में नहीं पहुंचते, अपनी बात नहीं कह सकते और इसके बाद भी यदि कोई हिम्मत करता है तो किसी नेता के सिफारिश से या पैसा देकर केस रजिस्टर कराता है तो आधे कैसेज तो रजिस्टर ही नहीं होते - यह सही बात है और ऊपर से उसके बारे में यह कहा जाता है कि फलां थानेदार अच्छा काम कर रहा है। थाने नीलाम होते हैं। कोई 5 हजार में होता है, कोई 10 हजार में होता है तो कोई 2 हजार में होता है। इस जिले के कुछ थानों के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां भवानीमण्डी थाना है वहां थानेदार बचन राम है। उन्होंने सैकड़ों ट्रक पुलिस की देखरेख में मध्य प्रदेश में पहुंचाये। इसके बारे में काफी शिकायतें कीं, एस० पी० को की कि सप्लाई के अधिकारी और थानेदार मिलकर सारे ट्रक जवार के और दाल के मध्य प्रदेश में भेजते हैं। रेल्वे के अन्दर लोकल ट्रेन में बोरे रवाने होते हैं और पुलिस देखती रहती है। यह हालत इनकी है जब कि इनको इसलिए मुकर्रर किया गया था कि तस्करी नहीं हो लेकिन जब से अनाज की निकासी हुई है तब से तो कोई बात पैदा नहीं हुई लेकिन पुलिस के थानेदार तस्करी में भी हाथ बंटाते हैं और भ्रष्टाचार में भी हाथ बंटाते हैं क्योंकि उनके पिता यहां कोई पुलिस अधिकारी रह चुके हैं इसलिए शायद उनके खिलाफ कार्यवाही में उनका लिहाज करते होंगे।

इसके बाद गंगरार में थाना है वहां उमाकान्त भट्ट थानेदार हैं इन्होंने एक कन्जर को 6-1-74 को गोली से मार दिया। रास्ते चलते गोली मार दी और उसकी लाश को एक गाड़ी में डालकर लाये और उस तहसीलदार से मरे हुए आदमी के बयान कराके तस्दीक करा दी कि हम आपस में लड़ रहे थे।

इसी प्रकार से ग्राम टींगी थाना सांगोद में किसी धाकड़ को जो 7-2-74 को रास्ते

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

चलता हुआ था उसको किन्हीं आदमियों के द्वारा मार दिया गया। याने उसका मर्डर हो गया। वहां के थानेदार ने, न तो पोस्ट मोर्टम कराया और 6 घन्टे के बाद पहुंचा और कहा कि हार्ट फैल हो गया।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह हरकतें रहीं तो जनता क्या करना चाहती है और क्या करेगी यह आप और हम सब जानते हैं। सीधी कार्यवाही करने के लिये जनता तैयार होगी। इससे लोकतंत्र की क्या हालत होगी, यह आप ही अन्दाज लगा सकते हैं। तो क से कम ऐसे बदमाश थानेदारों को जो कि रुपया भी लेते हैं और केस भी रजिस्टर नहीं करते, लोगों को पीटते हैं और झूंठे मुकदमे चलाते हैं—इसी थानेदार उमाकान्त भट्ट की एस० पी० साहब ने 12-3-74 को जांच की और 13-3-74 को उन्हीं शिकायत-कर्ताओं को बुलाकर उनके खिलाफ झूंठे कैसेज लगा दिये और उनको अब भी बन्द कर रखा है। उनकी मारपीटाई रोज ही की जाती है और दस-दस दिन तक उनको मारा जाता है। इनका एक-एक और दो-दो हजार लेना बहुत आसान बात है।

मैं निवेदन करूंगा कि दो तीन महीने पहले गणेश को थानेदार व डाक्टर गंधार के भाई ने मिलकर मारा नाथूसिंह, अनार सिंह और कालूसिंह को बुलाकर थाने में बन्द रखा और 1500 रुपया लेकर छोड़ दिया और उनसे कहा कि तुमने फलां आदमी का मर्डर कर दिया। और बाबू लाल को बन्दूक के सिलसिले में बुलाकर कि तुम्हारे पास लाइसेन्स ही नहीं है 1500 रुपये ले लिये। जब कि वह कहता है कि मेरे पास बन्दूक ही नहीं है। तो यह शिकायतें आपके एस० पी० के दफ्तर में और आई० जी० के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं और इसके बावजूद भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने पर उसको लाइन हाजरी दी जाती है और फिर किसी थाने में भेज दिया जाता है। तो प्रशासन के कारनामे की और जनता के अहित की बात मैं आपके सामने रखता हूं। लोगों को इतना मालूम है कि डाकुओं को कब्जे में ले लिया लेकिन दिन दहाड़े जो यह कर रहे हैं इसका क्या होगा? जनता में असुरक्षा की भावना है, अपने आपको असुरक्षित समझ रहे हैं और इसके बारे में काफी लोगों के कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती।

इसी तरह से मैं प्रशासन के लिए भी निवेदन करूंगा कि प्रशासन का मामला इतना ढीला और अकर्मण्यता का है कि मैं इसके बारे में निवेदन करूं कि कलेक्टर झालावाड़ को 17 फरवरी को यहां से लिखा गया कि इमीजियेटली खाद्य पदार्थ पहुंचाने का और ज्वार पहुंचाने का काम होना चाहिए, उसको आज तक भी वहां पर लोगों को अनाज प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी शिकायतें हमारे सामने आती हैं और हम रोज कहते रहते हैं सतर्कता समिति जिलों में बनाई गई है। सतर्कता समिति में कोई आदमी अपराधी साबित हो गया तो उसके बारे में डिपार्टमेंट को कार्यवाही करने के लिए लिखा जाता है लेकिन वहां पर फिर दुबारा जांच शुरू होती है। होना तो यह चाहिए कि जो आदमी सतर्कता समिति के सामने दोषी सिद्ध हो गया तो उसको फौरन सजा दी जाय लेकिन उसके बदले में फिर दुबारा जांच शुरू होती है। इसका मतलब यह है कि सतर्कता समिति बिल्कुल नाकारा है या उसको कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

(श्री राम प्रसाद बोहरा)
मेरा निवेदन है कि सतर्कता कमेटियां से जो केस फाईनल होकर जाय उन पर एकदम, इमीजियेटली कार्यवाही की जानी चाहिए आज सतर्कता समितियां असफलता की ओर जा रही हैं ।

इसी प्रकार से यातायात विभाग में हमारे यहां पर राष्ट्रीयकरण हुआ झालावाड़ में। उस राष्ट्रीयकरण के होने के बाद जितनी परिवहन की बसें लगी हुई हैं उन परिवहन की गाड़ियों में आज तक, उनकी शिकायतें करने के बाद भी न तो उनकी व्यवस्था ही सुधारी गई है न उनकी गाड़ियों को समय पर चलाने की कोई व्यवस्था ही हुई है। जनरल मैनेजर साहब भी वहां पधारे थे लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई । गाड़ियां टाइम पर नहीं पहुंचती हैं और लोगों को बड़ी परेशानी होती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो दुर्व्यवहार की शिकायतें सामने आती हैं उन पर कम से कम ऐसा एक्शन लिया जावे जिससे जनता में विश्वास पैदा हो ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग सं० 16 के लिए 18,03,27, 000 के पैसों की मांग की गई है । वैसे तो आज मांग सं० 16 के साथ मांग संख्या, 3,4 और 5 भी हैं जिसमें कि राजस्थान के प्रमुख विभाग आ जाते हैं । मिनिस्टर्स की केबिनेट आज ही डिस्कस होकर बैठे हुए मिनिस्टर, विजिलेंस कमीशन की जगह काम करते हुए सतर्कता आयोग, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, रोडवेज आदि आज की मांगों के अन्दर शामिल हैं । इतनी बड़ी लम्बी बातें तो आज सारी की सारी तय नहीं की जा सकती हैं लेकिन इसकी प्रमुख दिशाओं की तरफ मैं अवश्य आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 62 में जब राजस्थान सरकार की ओर से पुलिस की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तब इस मुबारक गौरव को राज्य सरकार ने लिया था कि हम सारे भारत वर्ष के अन्दर सबसे कम पैसा पुलिस के बजट पर खर्च करते हैं । पड़ौसी प्रान्तों में एकाध को छोड़ कर उन्होंने यहां आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि हम अपने पड़ौसी प्रान्तों के मुकाबले में पुलिस के ऊपर बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं । 1962 में यू०पी० में जहां 10 करोड़ खर्च होता था, मध्यप्रदेश में 6.37 करोड़ का बजट था, मद्रास में जहां 5 करोड़ का बजट था, पंजाब में 4.95 करोड़ का बजट था, वहां राजस्थान का 4.21 करोड़ का बजट था । हालांकि इसमें भी यह कोई गौरव की बात नहीं थी, राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यू.पी. की आबादी को देखते हुए, राजस्थान की आबादी को देखते हुए उस समय भी पुलिस के ऊपर राजस्थान का खर्चा बहुत ज्यादा था। लेकिन आज के इस 18,03,27,000) रु० के बजट को देख कर तो चौंकना पड़ता है । चाहे वह नहरी बजट हो, चाहे वह विकास का बजट हो,चाहे वह आदिवासियों के सुधार का बजट हो,चाहे वह गरीबों की झोंपड़ी में बिजली का लट्टू जलाने का बजट हो, इतना बजट नहीं बढा है जितना कि पुलिस का बजट चार गुना बढ गया है । ऐसा कोई बजट नहीं है राजस्थान का जो फूल कर चार गुना हो गया हो ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके मुकाबले क्राइम भी चार गुना बढ़ गया है। मैं सन् 1961, 62 और 63 के क्राइम के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बड़ा गौरव लेते हुए उस समय क्राइम के बारे में सरकार ने कहा था कि पर कांस्टेबल 1.4 पर स्क्वायर माइल 0.18 है और उस वक्त टोटल क्राइम के आंकड़े 24,957 थे जब कि सन् 1962 में थे और सन् 61 में 21,274। वैसे देखा जाय तो सन् 61-62 के अन्दर 3683 क्राइम के आंकड़े ज्यादा बड़े गौरव के नहीं थे लेकिन 69 की रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने यह कहा कि आई०जी०पी० कांफ्रेंस में और राजस्थान सरकार ने एक फैसला लिया था, निर्णय लिया कि पर्चे दर्ज करने की फ्रीडम दे दी इस लिए हमारे क्राइम का इन्डैक्स बढ़ गया है और फिर उस वक्त राज्य सरकार ने यह बात कह दी कि इनमें 20 प्रतिशत केसेज झूठे हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसके मुकाबले में आपके सामने सन् 1972-73 के आंकड़े प्रस्तुत करूं तो आप देखेंगे कि सन् 71-72 के अन्दर जहां क्राइम की दर 39,204 थी पर 71-72 में 36,743 थी, और इस तरह से एक साल में 2,461 बढ़ गई, यह अपने आप में बड़ा परसेन्टेज है। लेकिन इसके मुकाबले 72-73 के आंकड़े तो चौंका देने वाले हैं। जहां 72 के आंकड़े 39,204 हैं वहां 72-73 में 44,229 का आंकड़ा है क्राइम का। कुल मिला कर 5025 क्राइम इन्क्रीज हुआ 72-73 के बीच में। अब इस इन्क्रीज के लिए राज्य सरकार चाहे कोई दलील दे कि इण्डस्ट्रियलाईजेशन बढ़ गया, बढती हुई आबादी, ओटोमस बढ़ गया। जैसे कि कैपिटलिस्ट कन्ट्रीज में हुआ करता है, जैसे अमेरिका जैसे देशों की रिपोर्ट हुआ करती हैं कि क्योंकि हमारा इण्डस्ट्रीयलाईजेशन बढ़ गया, ओटोमेशन हो रहा है इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी दलील किसी हद तक सही हो सकती है। यह कैपीटलिस्ट कन्ट्रीज की खामियों को सबसे ज्यादा सिद्ध करता है यू०एन०ओ० की रिपोर्ट को एस्टब्लिश करता है लेकिन फिर भी अमेरिका के क्राइम को देखते हुए राजस्थान के अन्दर सन् 1962 के मुकाबले आज 73 के क्राइम के जो आंकड़े हैं वे आश्चर्यजनक हैं और चौंका देने वाले आंकड़े हैं। 73 के अन्दर 44,229 कुल केसेज थे जबकि 61 में 24,957 कुल केसेज थे क्राइम के। इस प्रकार यह इन्क्रीज 9,272 हुई है यानी सीधा साधा हिसाब है कि 45 पर्सेंट क्राइम इन्क्रीज हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने सन् 64 की रिपोर्ट के अन्दर एक गौरव लिया और वह गौरव यह था कि हम मोडर्नाईजेशन कर रहे हैं और उस मोडर्नाइजेशन के अन्दर लेबोरेटरी, फिंगर प्रिंट की बातें, क्राइम के स्पेशलाईजेशन की बातें और दूसरी बातों के साथ एक यह भी बात थी कि हमारे पास अब एक कुत्ता है जो कि क्राइम को स्मेल कर सकता है, क्रिमिनल के पैरों को स्मेल कर सकता है। आज 73 के अन्दर राजस्थान की सरकार गौरव ले रही है कि अब हमारे पास तीन कुत्ते हो गए हैं जो क्राइम स्मेल कर सकते हैं।

श्री भगराज चौधरी : तीन नहीं चार।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चार नहीं, तीन ही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, जहां राजस्थान के अन्दर 62-63 में 194 निरीक्षक थे वहां 72-73 में 283

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
निरीक्षक हो गए हैं। इसी प्रकार जो 1297 उप-निरीक्षक थे वहां पर 1707 उप-निरीक्षक हो गए हैं । पैर चूमने वाला कुत्ता एक से तीन हुआ है लेकिन इंस्पेक्टर, थानेदार और छोटे थानेदारों की तादाद पहले से तिगुनी चौगुनी हो गई है, मैं राजस्थान की सरकार को बधाई देता हूं कि कुत्तों की तादाद तो…

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप तो कुत्तों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो थानेदार बढ़ाओ, कुत्ते तो आप ही बढ़ जायेंगे और उसकी कमी भी नहीं है । लेकिन जो थानेदारों का व्यवहार जनता के साथ है रघुनाथजी विश्नोई, जरा उसकी ओर कृपा करके दृष्टिपात करिए, ये थाने नहीं बूचड़खाने हैं । कल ही आपके कांग्रेस के कार्यकर्त्ता श्री मांगीलाल भंसाली की क्या दुर्गति की है । श्री मांगीलाल भंसाली पर जूती की चोरी का आरोप लगा कर हथकड़ियाँ डाल कर घुमाया है और उसी भंसाली के बारे में नाथूरामजी मिर्धा और मोहनलालजी सुखाड़िया ने पत्र लिखे हैं । मैं वे दोनों पत्र पढ़ूंगा जो इस राज्य के मुख्य मंत्री को लिखे हैं, वह दोनों पत्र मेरे पास हैं, मैं उन पत्रों को पढ कर सुनाऊंगा ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे रेल कर रहे हैं । पुलिस में अफसरों की संख्या तो 5,002 हो गई लेकिन बेचारे गरीब कांस्टेबलों की संख्या जो 20,259 थी वह बढ़ कर 29,492 हो गई । दस हजार के करीब की वृद्धि हो गई । मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने बहुत बड़ी बातें कीं और उन्होंने बड़ा दर्द जाहिर किया थानेदारों के प्रति । इन्सपेक्टरों का कष्ट प्रकट किया लेकिन उपाध्यक्ष महोदय कान्सटेबलों के बारे में कोई बात नहीं की । इस सदन के अन्दर सिक्युरिटी फोर्स के आदमी सफेद कपड़े पहन कर सुबह से शाम तक एक टांग पर खड़े हैं, उनका खून जम जाता है और दूसरे भद्र पुरुष से, हमारे माननीय सदस्य लढ्ढा साहब से निपटने के लिए खड़े हुए हैं, उन लोगों के बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं दिलाना चाहता है…

एक माननीय सदस्य : लढ्ढा साहब नहीं, लोढा साहब है….

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शब्द कठिन था । अब आप सारे किए हुए खर्चों को देखिये । महानिरीक्षक महोदय, पुराने महानिरीक्षक गोरधनसिंह जी के बारे में सारे सदस्य जानते हैं कि कोटा माइन्स का पत्थर उनके मकान में लगने के लिए आया । दूसरे जो महानिरीक्षक थे और अभी जो महानिरीक्षक रिटायर हुए हैं, उनके सम्बन्ध में कहना नहीं चाहता, जहां उनका आवास भी है और सरकार की ओर से आवास भी है लेकिन इसके साथ साथ महानिरीक्षक के बाद, निरीक्षक लेवल तक और कान्स्टेबल तक आवें, आपने इनके आवास का कितना प्रबंध किया है । यहां पर आपने 287 निरीक्षकों के लिए 80 आवास के क्वार्टर्स बनाये हैं, 1700 निरीक्षकों के लिए 210 आवास का प्रबन्ध किया है और आपने करीब 35 हजार कान्स्टेबलों के लिए, हैड कान्स्टेबल के लिए सिर्फ 6 हजार आवास का प्रबन्ध किया है । जितना बड़ा अधिकारी उतनी बड़ी आवास की सुविधा और वैसी ही तनख्वाह का प्रबन्ध आपने किया । तो यह सारा पुलिस के ऊपर खर्चा पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए करना ही पड़ता है । आज अमेरिका के अन्दर क्राइम का स्पेशिलाइजेशन होता जा रहा है । अगर हम भी

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ते चले गये क्राइम की स्पेशल ब्रान्च खोलनी पड़ेगी। क्राइम को किस तरह से समाप्त कर सकते हैं, वह समाप्त हो सकता है समाजवादी सिस्टम में। यू०एन०ओ० की क्राइम रिपोर्ट पब्लिस की है उन्होंने सोशलिस्ट कन्टरीज के आंकड़े बताते हुए बतलाया है कि सोवियत यूनियन को लीजिये, अमेरिका में क्राइम वहां के मुकाबले पांच हजार टाइम्स ज्यादा है। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो यू०एन०ओ० की रिपोर्ट के एक्स्ट्रैक्ट्स यहां आपको पढ़कर सुनाता। यह पुलिस, इतना पैसा खर्च करने-के बाद हमारा क्या सुधार करती है ? सी० आई०ए० के अड्डे हमारे यहां पर चल रहे हैं। धर्म के नाम पर जनता को कुचला जा रहा है। चाहे स्वामी भगत गिरी हों बीकानेर के, चाहे वे डाक्टर मोहम्मद बदरूद्दीन हों दाऊद बोहरों के, चाहे आनन्द स्वामी प्रभात रंजन-आनन्द स्वामी हों जिनके कि हमारे मुख्य मंगलबिहारी जी हैं, चाहे राम सम्प्रदाय के प्रधान संत राम किशोर हो, चाहे आचार्य तुलसी हों, किस प्रकार से धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर हमारी स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। इस सम्बन्ध में हमारी पुलिस क्या कर रही है ? सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर पुलिस है। क्या कारण है कि वह निष्क्रिय है। इसका कारण बड़ा दर्दनाक है। सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय मैंने आपके सम्मुख कल एक स्थगन प्रस्ताव रखा था सूरतगढ के सम्बन्ध में–वहां के फूड इन्स्पेक्टर जोरावरसिंह शक्तावत को थाने के अन्दर, चूंकि 50 बोरी अनाज को पकड़ा था, कश्मीरी नागपाल साहब की चक्की पर और उन्होंने रामचन्द्र भादू, भादू वहां पर प्रचण्ड हैं, उनकी बोरी पकड़ली, तो उसको थाने के अन्दर ले आया गया और इतना मारा कि वह 4 व 5 मार्च तक बीमार रहा और 6 मार्च को छुट्टी लेकर चला गया। उसके बाद इस शख्स ने कहा कि मेरे साथ थाने में जो कुछ हुआ है, चार तारीख की रात को जिस प्रकार का बुरा व्यवहार हुआ है उसके बाद, उस व्यवहार के बाद मैं जीवित नहीं रह सकता। मैंने राज्य गृह मंत्री महोदय को प्रार्थना की थी कि आप इस बात पर गौर कीजिए। उस समय मैंने कहा था कि इसका साथ देने वाले इन्टक के नेता सत्यपाल युवक, प्रसिद्ध पत्रकार करनीदान, जोकि भारत जन्य अखबार निकालते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेट्री रामप्रकाश हीरा और प्रगतिशील नागरिक मोर्चे के मालचन्द जी खड़गावत, इनका जीवन खतरे में है और उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री सोते रहे और सारा का सारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सोता रहा और कल दोपहर 10 बजे बस स्टेन्ड पर करनीदान की बाहें तोड़ दी गई, दांत तोड़ दिये गये। इतनी बड़ी चेतावनी के बावजूद, इस सदन के अन्दर कहने के बाद, इस प्रकार का निकृष्ट कार्य वहां पर हो गया। मैं आपको बता दूं जोरावरसिंह, जो कि फूड इन्स्पैक्टर था, वह गौरीशंकर, ए०एस०पी०, एन्टी करप्शन जो इस वक्त उदयपुर में अपाइन्टेड हैं और जिनका मकान कि सूरतगढ में है, उनके मकान के अन्दर रात को शक्तावत बैठा हुआ था, ए०-एस०पी० के मकान में जो कि सूरतगढ में है और सूरतगढ की पुलिस की यह जुर्रत हो गई कि उसने जबर्दस्ती उसको वहां से पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गये और उसके साथ साथ दुर्व्यवहार किया गया। उपाध्यक्ष महोदय इसमें ट्रान्सपोर्टर्स भी शामिल हैं, 4-5 ट्रान्सपोर्टर। और यह भादू मुख्य रूप से आक्रमण करने वालों में से है, इस अनाज के ब्लेक को कराने वाले हैं। मुख्य मंत्री

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

ट्रान्सपोर्ट ग्रापरेटर्स को तस्करी से दूर रहने की सलाह, राजस्थान ट्रान्सपोर्ट ग्रापरेटर्स के सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य मंत्री ने जयपुर के ग्रन्दर टांसपोर्ट ग्रापरेटर्स के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सलाह दी कि वे तस्करी से दूर रहें ग्रौर उनको यह पहली सलाह मानी गयी है। ट्रान्सपोर्ट के भ्रष्ट ग्रादमियों ने पुलिस से मिल कर इस सलाह का पालन सूरतगढ में किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो है ही, लेकिन मैंने जो मांगीलाल-भंसाली का कल जिक्र किया था, उस संबंध में स्थगन प्रस्ताव रख रहा था तो मुझे पत्र को पढने नहीं दिया गया था ग्रौर मैंने यह ग्रर्ज की थी ठाकुर कुशलसिंह.....

श्री उपाध्यक्ष : जो डाक्यूमेन्ट ग्राप रेफर करना चाहते हैं उसकी सूचना क्या ग्रापने दी है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुशलसिंह वहां का रहने वाला ठाकुर ......

श्री उपाध्यक्ष : डाक्यूमेन्ट जो रिलेटेड हैं वह भाषण में रेफर करते हैं तो क्या उसकी सूचना दी है ग्रासन को ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने सूचना दी है ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या ग्रासन को दी है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कल मैं स्थगन प्रस्ताव रख रहा था तो ग्रध्यक्ष महोदय ने कहा था जब डिमाण्ड पर ग्राप बोलेंगे उस समय ग्राप यह डाक्यूमेन्ट पढ़कर सुना सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दस्तावेजों के बारे में कह रहा हूं जिनको कि ग्राप रेफर कर रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पत्र हैं रजिस्टर्ड डीड नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप जबानी कह दीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस समय ग्रासन से व्यवस्था दी गई थी जब मैं एडजोर्नमेंट मोशन में इसको रेफर कर रहा था कि इसको जब ग्राप डिमाण्ड पर बोलेंगे उस समय ग्राप इस पर बोल सकते हैं . .

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर ही बोल लें . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्रासन से ग्रध्यक्ष ने पत्र पढ़ने की ग्राज्ञा दे दी थी कि डिमाण्ड के समय चर्चा के दौरान, भाषण के दौरान ग्राप पत्र पढ़ सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात पर कोई व्यवस्था उस समय देने का प्रश्न ही नहीं होता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्राप कार्यवाही मंगाले, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रौर देख लें तब तक मैं दूसरे प्रश्न को उठा लेता हूं । मुझे कोई चिन्ता नहीं है । इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए सदन के माननीय सदस्यों को । एक बहुत ही माननीय व्यक्ति का पत्र है । गुलाबसिंहजी शक्तावत के नाम पर उसमें उन्होंने बताया है कि श्री मांगीलाल मेरी राय में बहुत गरीब, ईमानदार कांग्रेस कार्यकर्ता हैं । उसको झाझावर ठाकुर बहुत ही परेशान कर रहा है । वहां पर एक पुलिस हैड कान्स्टेबल जब्बार नाम का व्यक्ति जो कि झोझावर ठाकुर के हुक्म पर चलता है इसको बहुत बुरी तरह से तंग कर रहा है । मुझे पता नहीं कि ग्रापको इस बात का कितना ज्ञान है । झोझावर ठाकुर साहब भी ग्रापसे मिले होंगे । ग्राप मेहरबानी करके एक सच्चे कांग्रेसी कार्यकर्ता की मदद करेंगे जिसके ऊपर जूते चुराने का मुकदमा बनाकर जेल में रख दिया । यह कांग्रेसी राज्य का कितना बड़ा मजाक है ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

मैं कल यही पढ़ना चाहता था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसमें हथकड़ी लगाकर घुमाने का जिक्र नहीं है। उपाध्यक्ष की व्यवस्था के बावजूद आपने पत्र पढ़ दिया है। लेकिन इसमें ऐसा उल्लेख नहीं है कि उसको हथकड़ी लगाकर घुमाया गया है। माननीय सदस्य ने कल जोरों से कहा था कि उसको हथकड़ी लगाकर बाजार में घुमाया गया था।

एक माननीय सदस्य : यह बात सही है। उसको हथकड़ी लगाकर बाजार में घुमाया गया है।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : जूतों की चोरी लगाई है वह झूंठी है। वह झूठा इलजाम है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हथकड़ी लगाकर जेल में डाला गया है। शक्तावत साहब यह बात सत्य है और चेलेंज के रूप में सत्य है मेरे पास सुखाड़ियाजी का एक पत्र है। कल एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह कांग्रेस का आदमी नहीं है लेकिन मैसूर के गवर्नर और इस राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का यह पत्र मेरे पास है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मैं इस पत्र को पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो मैं अर्ज कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह साधू-संत, पण्डे, सी०आई०ए० के आफिसर्स को दबाने में यह राज्य सर्वथा नाकामयाब रहा है। झकरावाली गांव आज बहुत मशहूर हो गया है और जिसके सम्बन्ध में मैंने अनेकों प्रस्ताव रखे हैं कि वहां पर हरिजनों के साथ भयंकरतम बलात्कार हुए हैं। झकरावाली के पास एक शिवालय है जहां पर बीकानेर से स्वामी भक्तानन्द गिरी पधारे, और वहां पर उनके पधारने पर झोझावरपुरा, भीनासर, सरदार-पुरा, आदि गांवों में लाखों रुपयों से उनका भव्य स्वागत हुआ, और उस शिव मंदिर के ऊपर इन गिरि महाराज ने एक महायज्ञ किया। यह यज्ञ 7-2-74 को सब तरह से अपनी प्रचण्डता पर था तो, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर 200 हरिजन महिलाएँ और 200 हरिजन पुरुष पहुंच गये, और उसी यज्ञ के अन्दर इन्हीं गिरि महाराज के आदेश के ऊपर जिनके इश्तिहार को आप पढ़ें—आप मुझको पढ़ने नहीं देंगे— तो उसमें लिखा है कि अंधों को आंखें मिलती हैं, जिनके औलाद नहीं है उनको बच्चे मिलते हैं, जो लड़के पास नहीं होते हैं व पास हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, स्वर्ग मिलता है, इसलिए इस महायज्ञ में सब पधारें। उस यज्ञ में हरिजन आये तो उनको बड़ी बेरहमी से पीटा गया, स्त्रियां को बेइज्जत किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिये गये और उनके साथ बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं इन हरिजन स्त्रियों को बन्दूक-धारी लोगों ने गिरि महाराज के आदेश पर झकरावाली गांव के अन्दर बन्द रखा। 7 दिन के पश्चात् जब दूसरे लोगों को सूचना मिली तो कलेक्टर के पास पहुंचे और एस० पी० के पास पहुंचे। 14 दिन के पश्चात् मैंने इस सदन के अन्दर एक स्थगन प्रस्ताव रखा लेकिन वहां पर उन हरिजनों के दरवाजों पर बन्दूकों का पहरा था। जिन हरिजनों ने लुकछिपकर झकरावाली गांव से बाहर निकलने का प्रयत्न किया तो उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया। उनको थाने पर नहीं पहुंचने दिया गया ताकि वह अपने कष्ट की रिपोर्ट न कर सकें।

यह वही झकरावाली है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर किसी पंजाब कौर का मामला

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

मैंने उठाया था । इस झकरावाली गांव के पास रितमीसर गांव है उससे ज्यादा दूर नहीं है, उसी क्षेत्र के अन्दर है जहां पर हरिजनों के साथ में भयंकरत्तम अन्याय होता है । इस पंजाबकौर के किस्से के दरम्यान में मैंने अर्ज किया था कि 21 मार्च, 1973 को रितमीसर के हेताराम और लछमीसरूप हरिजन विधवा महिला पंजाबकौर के घर में घुस गये और उसके कपड़े फाड़ दिये और उसको नंगा करके बाहर ले आये । मैंने उस समय के राज्य मंत्री बेनीवाल को प्रार्थनापत्र दिया था तो उन्होंने तुरन्त सी०आई०डी० की रिपोर्ट का आदेश दिया । यहां से वायरलेस गया डीवाई०एस०पी० शेखर को कि तुरन्त फाइल वहीं की वहीं रोक दी जाय जहां पर है । आप वह डेट देखलें जिस दिन वायर लेस इश्यू होता है आपके डी०आई०जी०, सी०-आई०डी० द्वारा, और उस वायरलैस इश्यू होने के चार दिन पश्चात् उसी शेखर ने उन्हीं बदमाशान के चबूतरे पर बैठकर रात के 12 बजे शराब पी और उसी पंजाबकौर को बुलाकर बुरी तरह से डराया धमकाया । वायरलेस के चौथे दिन के बाद ही उस केस को कोर्ट में हैण्ड ओवर कर दिया और उसको सब-जुडिस बना दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, झकरावाली गांव और बड़े बड़े गांव हैं जो भूपतियों के गांव हैं । वह गंगानगर जिला भूपतियों का जिला है । जहां पर भारतवर्ष में सबसे ज्यादा धरती वाले लोग हैं और जहां पर सब से ज्यादा खेतिहर मजदूर हैं जिन खेतिहर मजदूरों पर भयंकरतम अत्याचार होता है ।

श्री मामराज कांग्रेस के कार्यकर्ता होते थे जो कि 52 में राजस्थान की पी० सी० सी० के मेम्बर थे । मामराज मर गये तो यहां इन्हीं मामराज के घर के ऊपर आज उनके लड़के रहते हैं, भाई रहता है । वहां पर थानेदार तेजपाल सिंह मुलावे में रोजमर्रा उन मामराज के घर पर जाते हैं, शराब पीते हैं और उनकी बहू के साथ, मामराज की स्त्री के साथ में व्यभिचार करते हैं और कई दफा तो पकड़कर बुलवाते हैं । सतर्कता आयोग के माननीय सदस्य श्री केदारनाथजी यहां पर बिराजमान हैं उनके समक्ष 29 तारीख को करणसिंहपुर के अन्दर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ और एस० पी० साहब को आदेश दिये गये । इस बात को चार महीने हो गये जबकि करनपुर की मीटिंग में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ था, लेकिन इन चार महीने के बाद भी थानेदार तेजपालसिंह उसी प्रकार से लगातार मामराज के घर पर जा रहे हैं । अपने आदेश से पी० सी० सी० के मेम्बर की बहू को थाने के अन्दर बुलाते हैं और थाने के अन्दर उसके साथ में व्यभिचार होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर और भी कुछ घटनाएं रखूं कि किस प्रकार से हरिजनों पर अत्याचार होता है तो गंगानगर की एक मिसाल और रखना चाहता हूं । वहां पर थानेदार विचित्र कुमार रावतसर के अन्दर हैं । अगर मैं उनका किसी मंत्री से संबंध जोड़ूं तो बड़ी कठिनाई पैदा होगी । अगर संबंध होगा भी तो मैं नहीं जोड़ूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, 25-4-73 को सातू में एक स्त्री के साथ में पोहड़ गांव, तहसील नोहर के मनीराम की स्त्री के साथ में रेप केस हुआ और वह थानेदार साहब के पास थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो उसकी मां भी उसके साथ थीं और उसके पति का नाम मनीराम था और रेप करने वाले बिरजा और चूनी भी थाने के बाहर खड़े थे । थानेदार साहब ने उसको

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मां से कहा कि हम स्पेशियल एन्क्वायरी करना चाहते हैं तो आप कृपा करके (मां और लड़का) थाने से बाहर चले जाओ। दोनों को बाहर निकाल दिया और उसके बाद में जिस प्रकार की उन्होंने एन्क्वायरी की, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जबान उसका वर्णन नहीं कर सकती है। उस स्त्री का हलफनामा मौजूद है जो कि मैं स्वयं मंत्री महोदय को प्रस्तुत करता हूं और वह खुद ही उसको पढ़ लें कि किस प्रकार की निकृष्ट और घिनौनी एन्क्वायरी उस विचित्र कुमार साहब ने थाने के अन्दर की। उसकी बुनियाद पर आखें शर्म से झुक जाती हैं।

ऐसे चहेते थानेदार अनेक हैं। एक थानेदार साहब तो संसार के अन्दर प्रसिद्ध हो चुके हैं और उनको कोई हटा नहीं सकता। वह थानेदार साहब हैं फैज मोहम्मद जो कि तारानगर में हैं आजकल थानेदार फैज मोहम्मद डूंगरपुर में भी थानेदार रहा है। यह फैज मोहम्मद कई लोगों का कृपा पात्र है। उसको कोई हिलाने वाला देखा नहीं है। उसको हिलाना मामूली बात नहीं है। मामूली आदमी नहीं है। तो, बाली वाइफ आफ उदाराम हरिजन, ग्राम जोदासर, तहसील डूंगरपुर, उसको गुन्डे उठाकर ले गये। गुन्डों ने उस औरत को गंगानगर में रखा। वहां उसके साथ कम से कम 100 आदमियों ने व्यभिचार किया है। एफ०आई०आर० में उसने बयान दिये हैं। उस औरत ने बयान दिया है। मेरे पास समय नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। हां डूंगरगढ में 6-9-72 को थानेदार साहब ने एक बाकायदा रिपोर्ट दी कि यह मुकदमा झूटा है। औरत कहीं से बरामद हो गई। थाने में आ गई। थानेदार साहब ने रिपोर्ट लिख दी कि यह अपनी खुशी गई थी। लेकिन उस औरत के पति ने जगजीवनराम और इन्दिरा जी को टेलीग्राम दिया। वह उपाध्यक्ष महोदय, नहीं पढ़ूंगा। इस समय तारानगर कोर्ट में उन्हीं आदमियों के खिलाफ 376 का केस चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : तारागढ़ या तारानगर ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तारानगर।

एक ब्राह्मणी स्मृति देवी वाइफ आफ उदमीराम, देवगढ, तहसील तारानगर, उसको सलाउद्दीन पुत्र जमालुद्दीन उड़ाकर ले गया इन्हीं थानेदार फैज मुहम्मद ने 900 रुपये लिये उदमीराम से। 900 रुपये लेने पर स्मृति देवी को बरामद करके थाने ले आये। रात के 12 बजे उसके साथ में थानेदार ने बलात्कार किया उदमीराम थाने पर था। इन्हीं फैज मोहम्मद ने 7 दिन तक थाने में उसको रखा। 7 दिन के बाद राजगढ़ एस०डी०एम०, कोर्ट में पेश किया तो वह औरत वहां पर चिल्लाई कि इस जुल्मी से मुझे बचाओ। एस०डी०एम० साहब ने आदेश दिया कि इसको बीकानेर रेस्क्यूहोम में भेज दिया जाय। मगर फैज मोहम्मद थानेदार ने उस औरत को कोर्ट से निकलते ही जीप में डाल लिया। जीप में ले जाकर 3 दिन तक थाने में रखा। उसके बाद में मुंसिफ मजिस्ट्रेट तारानगर के सामने पेश किया। तो उन्होंने भी आदेश दिया कि इस औरत को बीकानेर रेस्क्यू होम में भेज दिया जाय। क्योंकि उन थानेदार साहब पर मेहरबान हैं लोग। डी०आई०जी० ने स्पेशल इन्क्वायरी के लिये एक एस०पी० को मुकर्रर किया। कोन करता है परवाह। डी०आई०जी० मिश्रा ने उसको लाइन हाजिर किया। लेकिन आज वह तारानगर में वापिस थानेदार है। जबकि उसके खिलाफ कोर्ट में कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कसेज सदन में रखूं तो सदन का सारा समय समाप्त हो जायगा। लेकिन कुछ कसेज ऐसे है जिनको सदन में लाना आवश्यक है। इसके साथ साथ इतना ही नहीं कि हम अपने को राजस्थान तक ही सीमित रखें। हम राजस्थान के बाहर भी राज्य के प्रचण्ड राजनीतिकों का समर्थन लोगों को है। पूर्णिया तक भी इनकी राजनीति की पहुंच है। वहां के ऋषि कुमार वेद, क्रान्तिकुमार वेद, जिला पूर्णिया, गांव किशनगढ़। इन्होंने अपनी 24 साल की पत्नी को मार डाला। उसके बाद दो बच्चों की हत्या कर दी उपाध्यक्ष महोदय, 302 का केस पकड़ा गया। वह सरदारशहर के रहने वाले हैं। राजस्थान का उस मुकदमे से वैसे कोई संबंध नहीं है लेकिन सरदारशहर में यह कहा गया कि यह हत्या नहीं की गई। यह तो गैस का सिलन्डर फट गया था। गैस का सिलन्डर फटने से तीनों की मृत्यु हो गई। आज राजस्थान वाले महरिया काण्ड नहीं भूले हैं। सन् 1966 में महरजी पुरोहित की हत्या हुई थी। राजस्थान के कोने कोने में गूंजती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

रघुनाथसिंह ने भवरसिंह को दांतों से काट कर पटक पटक कर मारा। उसके बाद रघुनाथ सिंह ने भंवर सिंह के रिश्तेदारों को मारा, 4 और कत्ल किये। रघुनाथ सिंह का दफा 84 में वारन्ट कटा। आज 12 वर्ष हो गये हैं। रघुनाथ सिंह जयपुर की गलियों में मूंछ पर ताव देकर, अशोक मार्ग पर शान से घमता है। राजस्थान पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उसको हथकड़ियां पहनाये। क्योंकि उसको राजस्थान के राजनीतिकों का आश्रय प्राप्त है।

एक माननीय सदस्य : उनका नाम बताइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नाम आप सभी जानते हैं। बहुत महान् नाम है, उनका। नाम बताऊंगा तो टन्टा खड़ा हो जायगा।

आज बिहार में यह गीत गाये जाते हैं। "गुजरात की जीत हमारी है। अब बिहार की बारी है।" कल की घटना आपने सुन ही ली है। 'प्रदीप' के कार्यालय को पुलिस ने घेर रखा था। और 'सर्च लाइट' के दफ्तर में आग लगा दी गई। और यह करने वाले कौन हैं। वह करने वाले आनन्दमार्गी हैं। वह नारा गूंजाने वालों के प्रभात रंजन उनके गुरु हैं। वह कहने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आनन्दमार्गी राजस्थान में नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। यहीं हवामहल के पास पिछले देवस्थान मजिस्ट्रेट और डिप्टी रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बाकायदा दफ्तर दे रखा है। झण्डा लगा है। उनका कार्यालय चलता है। वह प्रभात रंजन जिनकी पत्नी ने बयान दिया है कि उनको समलिंगिक सहभोग की आदत है। वह आनन्द मार्गियों का दफ्तर यहां से सिर्फ 100 गज की दूरी पर चलता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इस विधान सभा की नाक के नीचे, सीढियों के नीचे उतर जायें जहां पर केम्प लगा रखें हैं, उनके बाहर, सवेरे जल्दी आने का कष्ट करें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर भगवा ध्वज फहरा कर यहां आर० एस० एस० की शाखा लगाते हैं। जलेबी चौक में शाखा लगाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय और भी आपको बताऊं, राव धीरसिंह के घर में आर०एस०एस० की शाखा लगती है। गिरधारीलालजी बड़े प्रगतिशील हैं। राव धीरसिंहजी के यहां बाकायदा शाखा लग रही है। अगर यही स्थिति रही तो मैं कह देना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदय

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

को जो कालूलाल श्रीमाली की स्थिति बनारस यूनिवर्सिटी में हुई, वही की वही राजस्थान में आपकी होने जा रही है।

अब मैं जरा आपका थोड़ासा ध्यान भीलवाड़ा के रामस्नेही सम्प्रदाय के सन्त श्री रामकिशोर की ओर ले जाना चाहता हूं। संत रामकिशोर के राम भवन करीब चार सौ राजस्थान के अन्दर हैं। इनका जो राम भवन है, वहां जो खम्वा ऊपर खड़ा हुआ है, उस खम्बे को आप पत्थर का खम्भा मत जानिये। होली के दो दिन के बाद चालीस दिन का जो मेला लगता है, उसमें पधारने का कष्ट कीजिये। उस खम्भे के ऊपर पुत्र प्राप्ति के लिये हजारों नारियों की कंचुकी के धागे बंधे हुए हैं। और यह जो रामस्नेहीजी हैं, इनका भोग होता है, उनके झूठे भोग···

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वहां पर ही नहीं है। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी है जो स्वामी हैं, उनके यहां कई कंचुकी लटकी हुई हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप फिर भाग्यशाली है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको करेक्ट कर रहे हैं, भाग्यशाली नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो उनकी झूठन है उसको हजारों लाखों स्त्रियां खाती हैं। नाहरजी विधुर हैं। सुनिये, उनको झूठन से लाभ नहीं होने वाला है, जनता विश्वास करती है कि उसको लाभ होने वाला है। वह पुत्र लाभ की बात करते हैं और आप हजारों लाखों रुपया फेमिली प्लानिंग पर खर्च करते हैं। वहां के जो गुरू हैं, रामकिशोरजी, उनकी झूठन हजारों लाखों नारियों को खिलाई जाती है और जिस नारी को पुत्र जन्म होता है, उसको वहां बाल दीक्षा दी जाती है, वह रामस्नेही का अनुयायी बनता है···

श्री यशवन्त सिंह नाहर : यह कौनसी डिमान्ड है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पुलिस डिमाण्ड है·····

श्री नवलकिशन लाल : यह तो पुत्र डिमान्ड है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पुलिस की डिमाण्ड है। इस डिमाण्ड पर मैं बताऊं कि आज सी० आई० ए० के अड्डे चल रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि यह पुलिस डिमाण्ड कैसे है, यह रामकिशोरजी लाखों रुपया आज फारिन एक्सचेंज के रूप में खर्च करते हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने क्या किया है। यह सिंगापुर फ्लाई करते हैं, वह क्यों करते हैं ? यह पुलिस डिमाण्ड पर ऐसे है कि लाखों रुपये का चढ़ावा चढ़ता है और जिस ढंग से जब रामद्वारे के सामने मिडिल स्कूल खोला, जिसमें हमारे मित्र जनसंघी मास्टरों की पिटाई हुई, हमारी भी पिटाई हुई, हमने भी संघर्ष किया था और क्योंकि मास्टरों को उनकी तनख्वाह नहीं मिली थी हमने उनके लिए संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी। हमारे पर मुकदमे चल रहे हैं, हमारे साथियों पर मुकदमे चल रहे हैं। यह रामकिशोर संत क्यों दुनियां भर का चक्कर लगाने जाते हैं ? क्यों लन्दन जाते हैं साल में दो दफा ? यह क्यों सिंगापुर जाते हैं साल में दो दफा। लाखों रुपया इनकी यात्रा पर खर्च होता है। यह पुलिस डिमाण्ड में आ जाता है। सी० आई० ए० के लोग, मैं कहता हूं, फ्लेमिंग और फिशर

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

आज बिड़ला इंस्टीट्यूट के अन्दर बैठे हुए हैं। मैंने इस संबंध में प्रश्न उठाया था कि बिड़ला इन्स्टीट्यूट की मैनेजमेंट कमेटी के अन्दर एन्टी नेशनल फारिनर बैठे हैं। और इस फ्लेमिंग के साथ दुनिया भर के अन्दर घूमा करते हैं व तमाम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की इन्डस्ट्रीज में जाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह से लाखों रुपये का फारेन एक्सचेंज यह खर्च करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां खाद्य मंत्रीजी मौजूद नहीं हैं लेकिन वह खुद यहां होते तो रावराजाधिराज सुदर्शन देव की मैं बात करता उनसे आंख से आंख मिला कर। जो प्रिन्सेज कन्सर्न के संस्थापक हैं, और सनेही साहब के परम स्नेही हैं......

श्री यशवन्त सिंह नाहर : हैं ! यह गलत नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : हैं ! स्वीकार करते हैं। इन सुदर्शन देवजी ने एक खटीक बालिका की हत्या कर दी। श्मशान के अन्दर राख छानी गई तो सारा राजस्थान जानता है, 22 बोर के उस राख के अन्दर छर्रे मिले। उसके बावजूद महाराजाधिराज सुदर्शनदेव की गिरफ्तारी नहीं हुई। वह चाहे शिवचरणजी के खिलाफ चुनाव लड़े हों लेकिन वह रामकिशोरजी के परम भक्त हैं और पता नहीं, क्या क्या सेवा किसको किस समय करते हैं।

मैं 2 मार्च की बात जरूर कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय और 2 मार्च की बात के पहले मैं आपको एक बात की बधाई दूंगा कि आपने कर्मचारियों के ऊपर उनके आन्दोलन के दौरान जो सैकड़ों मुकदमे चलाये थे वह वापिस ले लिये। इसके लिए बधाई मैं देना चाहता हूं, लेकिन कर्मचारियों के आन्दोलन के समर्थन के अन्दर जो पत्रकारों पर और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, जो उस समय मैदान के अन्दर उतरे थे, पर झूठे मुकदमे बनाये, उन मुकदमों को आपने वापिस नहीं लिया है। अधिकार के सम्पादक, विष्णु शर्मा और कृष्ण कुमार, जो सच्चाई के साथ लगातार लड़ते रहे, मेरी समझ में नहीं आता, इनके ऊपर जो बिल्कुल झूठे मुकदमे बनाये गये, अधिकार के सम्पादक, इन दो व्यक्तियों के ऊपर बनाये गये वह आज भी उन पर चल रहे हैं। जो मुकदमे इस तरह से कायम हुए हैं, वह आप वापिस लेने का कष्ट करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बस उपाध्यक्ष महोदय, ो मिनट और।

मैं अर्ज कर रहा था, 2 मार्च को भीलवाड़ा के अन्दर मेरे यह मित्र बड़े इस बात को बराबर कह रहे थे कि साहब। आपने जयपुर के अन्दर लाल झण्डे वालों को खुली छूट दे दी। इस भीलवाड़ा शहर के अन्दर लाउड स्पीकर लगा कर हमारे सेक्रेटरी, नन्द लाल गये, तो नन्द लाल के ऊपर मुकदमा बना दिया गया और तीन दिन तक आर० एस० एस० के लोग भीलवाड़ा के लोगों को लाउड स्पीकर पर बोल बोल कर डराते रहे, धमकाते रहते, व्यापारियों को कहते रहे, दुकान बन्द कर दो। आपके किसी एक जनसंघी के ऊपर मुकदमा कायम नहीं हुआ

(**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा**)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) । कालेज के सामने विद्यार्थी इकट्ठे हो रहे थे, एक विद्यार्थी सत्यनारायण मीणा, जो मूलचन्द मीणा के गांव का है, उनका जनसंघी बन्धुओं ने सिर फोड़ दिया । कौशिक का सिर फोड़ दिया। उनके चार चार टांके आये। और आपको पुलिस ने ठीक किया या नहीं नन्द लाल पर मुकदमा बना दिया और हमारे मित्र हैं, इनको खुली छूट दे दी, लेकिन आपको वहां की जनता ने ठीक किया । भीलवाड़ा में हजारों की तादाद में जनता इकट्ठी हुई, उस समय एक बैंक एम्प्लॉयी के नेता बलराम के ऊपर हमला किया । लेकिन उसके बाद पब्लिक मीटिंग हुई, उसके अन्दर इनके आर० एस० एस० के कार्यवाहक जिलाधीश, जिला कार्यवाहक. मैं कई दफा गलत बोल जाता हूं, श्री मूलचन्द अजमेर से सार्वजनिक रूप से माफी मंगाई, जनता ने मंगाई और जनसंघ के वहां के नेता, रूप लाल टाक, एडवोकेट हैं, उन्होंने जनता के समक्ष माफी मांगी ।

इस पर मैं और अधिक न कहता हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहूंगा,·····

श्री गुमानमल लोढ़ा : झूठ बोलने के लिए माफी मांग कर बैठ जाइये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज आपकी पुलिस जनता के आन्दोलनों को कुचलने के काम में आ रही है। आज आपकी नीतियां बदल गई हैं तो आपको पुलिस की मनःस्थिति को भी बदलना होगा । यह बात जरूर है, मैं तारीफ करूंगा, आपने यहां रिसर्च लेबारेटरी कायम कर दी, बहुत प्रशंसा के लायक बात है कि हमारी लेबारेटरी है, जो हमारा वायरलेस सेन्टर है, वहां पर इतने इलेक्ट्रोनिक्स के एक्सपर्ट हैं, इतना अच्छा वायरलेस सेन्टर कहीं नहीं है, वहां स्पेशियलिस्ट आपने इतने बढ़ाये हैं। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, माननीय राज्य मंत्री, लाहौर से जो टेलीविजन प्रोग्राम होते हैं वह आपके बोर्डर पर सीक होते हैं, वह बीकानेर तक सीक होते हैं । हमारा जो 475 मील का बोर्डर है, वहां पर जगह जगह टेलीविजन सैट हैं । लाहौर से गन्दा गन्दा प्रचार होता है, देशद्रोह तक की जिनमें बात करते हैं । आपका बिल्कुल खुला हुआ बोर्डर है । आप टेलीविजन स्टेशन इन प्रोग्राम्स को काउन्टर करने के लिए वहां लगायें । गंगानगर के अन्दर एक मामूली रेडियो के ऊपर जयपुर रेडियो स्टेशन को सीक करना मुश्किल है, अजमेर रेडियो स्टेशन को सीक करना मुश्किल है, लेकिन लाहौर रेडियो स्टेशन सीक आसानी से हो जाता है । आपने घोषणा की थी कि सूरतगढ़ के अन्दर बोर्डर एरिया के लिए एक मीडियम वेव रेडियो स्टेशन लगायेंगे । क्या वहां पर रेडियो स्टेशन लगाने का आपने प्रयत्न किया ?

मैं अंत में कहूंगा कि आपके सारे के सारे पुलिस ढांचे की शक्ति की तरफ मैं आपको संकेत करूंगा, एक एअर फील्ड, जो भारतवर्ष के सबसे बड़े एअर फील्ड में से एक है, इस पर थर्टी थ्री थाउजेण्ड पर इंच प्रेसर के प्लेन लैंड करेंगे। इसका नक्शा सूरतगढ़ से चोरी हो गया, एअर फील्ड का सारा नक्शा चोरी हो गया और आपकी राजस्थान की सारी पुलिस उस नक्शे को ट्रेस नहीं कर सकी। आपके आई० जी० और होम कमिश्नर एक दिन सूरतगढ़ तशरीफ लाए थे, बंगला देश के हथियार करोड़ों की तादाद में वहां सूरतगढ़ में बेच दिए गए,

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

लोगों ने अपनी दो दो हजार की बंदूकें बेचदीं 5-5 सौ में, आपने कितने करप्ट पुलिस अधिकारियों को चाजशीट किया और एक्शन लिया ? इतना बड़ा देशद्रोह का काम हो जाए, एरोड्राम का नक्शा चोरी हो जाए और राज्य सरकार निष्क्रिय रही ।

मैं एम० टी० सी०, अजमेर के संबंध में कहना चाहता हूं वह इसलिए कि जब आपको प्रतिक्रियावादियों से लड़ने की बात होती है तो आपके बहुत से लोग हमारे साथ आते हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गिरधारीलाल व्यास उतरता है, झंडा पकड़ाता है, जखीरेबाजों को पकड़ने की बात करते हैं, लेकिन अजमेर में आपने क्या किया ? जो एम० टी० सी० की इन्डिपेंडेंट यूनियन थी वह लाल झंडे से एफिलिएटेड थी, वहां एक और यूनियन बनाई और हर किस्म का फ्राड किया वहां पर ईशरसिंह की जो मृत्यु हो गई, मर्डर हो गया, उसमें हमारी यूनियन के सारे एग्जीक्यूटिव के सदस्यों को इम्पलीकेट किया, सारी चीजें पढ़ता हूं तो उपाध्यक्षजी नाराज हो जाते हैं, एफ० आई० आर० है, वहां सारे फॉल्स केसेज हुए मजदूरों पर एटैक्स हुए, अगर आप इस तरह से उनकी एकता को भंग करते हैं तो इन प्रतिक्रियावादियों की ताकत बढ़ेगी । आनंदमार्गीय, आर० एस० एस०, ये सी० आइ० ए० के एजेंट्स, जिन्होंने गुजरात में आग लगाई, अब बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, आप सचेत हो जायें, सावधान हो जायें । जनता की, मजदूरों की एकता है प्रगतिशील लोगों की एकता है जिसने प्रतिक्रियावादियों और साम्राज्यवादी एजेंटों का मुकाबिला किया ।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं थोड़ा-सा निवेदन करूंगी और आपको घण्टी नहीं बजानी पड़ेगी। मुझे सामान्य प्रशासन के अन्दर कहना है जो मैं पिछले सत्र में कह चुकी हूं कि प्रशासन बहुत ढीला है जिसके कारण बहुत असुविधायें पैदा होती हैं । कर्मचारीगण अपनी सीटों पर नहीं मिलते हैं जिससे लोग उनकी तलाश में भटकते फिरते हैं। यदि मिल भी जाते हैं तो एक फाइल को निकालने के लिए चाय-पानी बिना उनका काम नहीं चलता और फाइल में डोरा लगाकर इधर से उधर पास आन करते हैं । उदाहरण के लिए मैं पेन्शनर्स का मामला रखना चाहती हूं, उसको देख लिया जाए तो लोग सीटों पर नहीं मिलते हैं, अक्सर चाय की दुकान पर अवश्य मिल जायेंगे और जब सीट पर आते हैं तो पेन्शनर्स से कहा जाता है कि यह बुक नहीं मिली, वह नहीं मिली । तो बेचारे पेन्शनर्स बुढ़ापे के कारण इधर से उधर भटकते नजर आयेंगे । उनमें चलने-फिरने की शक्ति भी न हो लेकिन ये कर्मचारी और अधिकारी शायद इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन उनको भी उसी जगह आना है लेकिन फिर भी वे विचार नहीं करते हैं । आज जब महंगाई का चारों तरफ बोलबाला है, राज्य सरकार कर्मचारियों का करीब करीब हर साल महंगाई भत्ता बढ़ाती रहती है, इन बेचारे पेन्शनर्स की ओर सरकार का ध्यान शायद कभी नहीं जाता । पेन्शनर्स शायद मंहगाई से प्रभावित ही नहीं होते, जितनी पेन्शन उनको मिलती है उसके हिसाब से उनको शायद मिलने वाली चीजें सस्ती मिल जाती होंगी, ऐसा शायद सरकार सोचती है । केंद्रीय सरकार पेन्शनर्स को भी महंगाई भत्ता दे चुकी है लेकिन यहां

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

न उनको मंहगाई भत्ता दिया जाता है न चिकित्सा सुविधायें। जबकि बुढ़ापे में ही सबसे ज्यादा चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत पड़ती है क्योंकि बुढ़ापे अनेक रोगों के शिकार लोग हो जाते हैं और अभी जो कार्यरत कर्मचारी हैं मनमाने ढंग से फर्जी मेडिकल बिल्स बनाकर सरकार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं।

जहां तक पेन्शनर्स को चिकित्सा सुविधायें देने का सवाल है, केवल मात्र 50) रु० पाने वाले लोगों तक चिकित्सा सुविधा दी जाती है और मेरी मांग है कि कम से कम 100) पाने वाले तक को चिकित्सा सुविधायें दी जायें तथा सामान्य अधिकारियों व कर्मचारियों की भांति उनका भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। ऐसा देखने में आया है कि उल्टे पेन्शनर्स को यदि उनके कुछ पैसे बनते हैं तो ट्रेजरी वाले उनको केवल मात्र नोट पकड़ा देते हैं और पैसों के लिए कहते हैं कि रेजगारी का अभाव है, 4 आने हों 8 आने हों या 75 पैसे हों वह नहीं दिए जाते।

(4.03 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

सभापति महोदय, क्या यह भ्रष्टाचार उदाहरण नहीं है कि पेन्शनर्स से ट्रेजरी में इस प्रकार का व्यवहार होता है, क्या यह हमारी समाजवादी सरकार की नीति के अनुरूप है? उन लोगों के साथ अन्याय नहीं है? इन लोगों के बैठने, पीने के पानी तक की व्यवस्था तक नहीं है। उदाहरण के लिए जयपुर में जाकर जयपुर ट्रेजरी को देखें, वे पेन्शनर्स जो बूढ़े हैं, जो बुढ़ापे से प्रभावित हैं उनमें स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, किस प्रकार से बैठे रहते हैं जैसे कोई भिखारियों की जमात लगी हो, ऐसे नजर आयेंगे। जो लोग कभी कुर्सियों पर बैठा करते थे आज उनको हमारी सरकार पीने के पानी की सुविधा नहीं दे पा रही है।

जहां तक यातायात विभाग का संबंध है, वह पूर्णतः सरकारी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है जहां कुछ दिए बिना काम ही नहीं बनता। इतना ही नहीं उच्च अधिकारियों तक पैसा पहुंचता है जो सबोर्डिनेट्स पैसा दिलाने में असमर्थ हैं उनको इधर से उधर उठाकर फेंक दिया जाता है तो मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि इस विभाग में किस प्रकार का सुधार लाना चाहते हैं?

इसी प्रकार जेलों की स्थिति है। बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। मैं कुछ समय तक जेल की सर्विस में रह चुकी हूं और उस समय आई० जी० प्रिजन्स मेजर रामसिंह थे, उनका दृष्टिकोण मानवीय था और वह कहा करते थे कि जेलों को सुधारगृह बनाना चाहिए जिससे बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार हो....

श्री केदार नाथ : आज जेलों की डिमांड तो नहीं है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : सामान्य प्रशासन में जेल भी आते हैं।

तो सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का बर्ताव उन जेल के कैदियों के साथ मानवतावादी हो, उनका दृष्टिकोण मानवतावादी हो, उनको सुधारने की कोशिश करने की तरफ हो, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उन जेलों से छूटने के बाद कई लोग अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आज हमें इन जेलों को वास्तविक सुधार गृह बनाने की जरूरत है। मेरी सरकार से यह मांग है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का दृष्टिकोण मानवतावादी नहीं है, जो कैदियों के साथ अन्याय करते हैं

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
उन्हें ऐसे स्थानों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या सरकार ऐसे विभागों से इस प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को वहां से हटायेगी ? इसके बारे में मैं मुख्य मंत्रीजी से जवाब चाहती हूं। इसके अलावा मैं कुछ इन जेलों में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी वेतनमानों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी। आज जेल में नीचे के केडर में तीन तरह के कर्मचारी हैं। एसिसटेन्ट जेलर, डिप्टी जेलर और जेलर। सभापति महोदय इनके वेतनमानों में बहुत ही असमानता है। आज इन लोगों का उत्तरदायित्व तो कहीं अधिक है पर वेतनमान कम है। इनकी हार्ड ड्यूटीज हैं। और इन्हीं बातों के कारण उनमें असन्तोष है और आज वहां पर जेल पर सारी गड़बड़ियां होती हैं। आप अपने पड़ोसी प्रदेशों के इन लोगों के वेतनमानों को देखें तो पायेंगे कि एसिसटेन्ट जेलर, डिप्टी जेलर और जेलर की तन्खवाहें हमारे यहां के कर्मचारियों से कितनी अधिक हैं। तो मैं आपके मारफत सरकार से यह कहना चाहती हूं कि इस विषय में भारत सरकार ने भी अपनी राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि इनकी दो ही कैटेगरी रहनी चाहियें। एक तो जेलर और दूसरा डिप्टी जेलर। मैं कारागृह मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और उनको निवेदन करना चाहूंगी की इन एसिसटेन्ट जेलर्स और डिप्टी जेलर्स और जेलर्स के वेतनमानों में सुधार तुरन्त किया जावे। और मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार इस ओर जल्दी ही ध्यान देगी। ताकि यहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिये आन्दोलनों और हड़तालों का सहारा नहीं लेना पड़े। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गयी तो काफी भयंकर स्थिति पैदा हो जायेगी। और स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण होगी।

इसके अतिरिक्त मेरा प्रश्न एक और है वह यह है कि राज्य सरकार ने विभिन्न जेलों के लिये सलाहकार समितियां बनायी हैं उनका क्या यही काम है कि किस बन्दी को पहले छोड़ा जाय और किस बन्दी को बाद में छोड़ा जाय ? क्या उनका किसी प्रकार का जेलों के बारे में सलाह देना, उनमें क्या सुधार होने चाहियें इसके लिये कोई अधिकार नहीं है क्या ? उनमें एक विधायक का क्या कर्तव्य होता है ? क्या एक विधायक को जेल के अन्दर जाने के लिये जेल आई० जी० पी० से अनुमति लेनी पड़ेगी। जेल आई० जी० पी० की अनुमति लेने के बाद भी क्या जेल अधिकारी यह कह सकता है कि फलां एम० एल० ए० को जेल में किस प्रकार जाने दिया। क्या ऐसे अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन जाता है ? इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ में राज्य सरकार क्या एक्शन लेना चाहती है ?

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा पुलिस विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहती हूं। सभापति महोदय वैसे पुलिस विभाग की सभी लोग आलोचना करते हैं लेकिन आलोचना के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि उनकी कितनी हार्ड ड्यूटीज हैं। आलोचना की जगह आलोचना करना उचित है। आज आप पुलिस के सिपाही को क्या तनख्वाह देते हैं। आप उसे सिर्फ 45 रुपया देते हैं साल भर में वर्दी के। क्या हमारी सरकार जो 45 रुपया वर्दी के लिये खर्चा देती है उससे इस महंगाई के जमाने में एक पुलिस कान्सटेबल वर्दी पहन सकता है ? इसके अलावा सभापति महोदय, आज पुलिस विभाग में करीब 30,056 पुलिस कान्सटेबल हैं जबकि हमारे राजस्थान की पोपूलेशन करीब ढाई करोड़ से ऊपर है तो क्या हमारी

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

जनसंख्या के अनुपात से इतने पुलिस कान्सटेबल पर्याप्त है ? मेरी राज्य सरकार से आपकी मारफत मांग है कि इसमें पांच हजार कान्सटेबल कम से कम और बढ़ायें जाने चाहियें। इसी प्रकार थानों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। आज थानों में आपस में बहुत ही लम्बी लम्बी दूरियां हैं। मैं मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र की बात बताती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक थाना आमेर है, दूसरा चोंमू है, तीसरा बगरू है। इन तीनों में करीब 40 मील का फासला है। कितनी दूरी है। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई रिपोर्ट करनी हो तो उसको कितना दूर जाना पड़ता है। और जब तक लोग रिपोर्ट लिखाने के लिये थाने में आता है तब तक अपराधी चोर चोरी करके भाग जाते हैं। इसलिये मेरी यह मांग है कि इन थानों में ज्यादा संख्या में कान्सटेबल रखे जायं और थानों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिये। इन पुलिस थानों का पुनर्गठन किया जाना चाहिये और ऐसी स्थिति होनी चाहियें कि यहां की जनता को सुविधा हो। तथा जनता अपनी शिकायतें आसानी से थानों तक पहुंचा सके। अभी पिछले कुछ समय पहले हमारे यहां पर जयपुर में एस० पी० साहब थे मिश्राजी उन्होंने…

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी समाप्त कर रही हूं एक मिनट में। तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि उन्होंने कुछ सुझाव राज्य सरकार के पास इन थानों के पुनर्गठन के बारे में रिपोट भेजे हैं जो कि राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार को चाहिये कि उन पर जल्दी निर्णय लेकर ऐसी व्यवस्था करे कि जनता को उसका पूरा लाभ मिल सके।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (जोधपुर) : सभापति महोदय आज की मांगों पर मैंने तीन कटौती प्रस्ताव दिये थे दो सामान्य प्रशासन पर और एक पुलिस पर। पहले मैं सामान्य प्रशासन की मांगों के बारे में जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में बोलना पसन्द करूंगा। आज सभापति महोदय हमारे यहां पर जितने भी कांग्रेसी विधायक हैं वह यह कहते हैं अपने भाषण में कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें से कई ऐसे जो माननीय सदस्य समाजवाद की परिभाषा क्या है वह भी नहीं जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप बतादें समाजवाद की परिभाषा क्या है ?

श्री अमृतलाल गहलोत : [हां मैं] अभी बतलाता हूं। समाजवाद किसको कहते हैं और वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। समाजवाद दो चीजों पर निर्भर है पहली तो जनता को मूलभूत आवश्यकता का न्यूनतम स्तर उपलब्ध करायें और दूसरी अमीर और गरीब के बीच में कोई खाई नहीं रहने दे। मनुष्य के जीवन में पांच बातों की मूलभूत आवश्यकतायें होती हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा है, यह पांच मूलभूत आवश्यकतायें जिनका निदान होना अनिवार्य है। अगर आप यह पांच चीजें उपलब्ध करावें तो आप समाजवाद ला सकते हैं। मनुष्य को सामाजिक सुरक्षा चाहिये। अमीर और गरीब के बीच कम से कम विषमता होनी चाहिये। सभापति महोदय मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिया है उसमें मन्त्रियों, हाईकोर्ट के जजों एवं उच्च राजकीय अधिकारियों को निवास के लिये आवन्टन किये जाने वाले बंगलों की

(श्री अमृतलाल गहलोत)

भूमि और भवनों के फर्श के क्षेत्रफल की अधिकतम सीमा निर्धारण के संबंध में चर्चा के लिये कहा है। सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि सड़कों पर और फुटपाथों पर सोते हैं। कई लोग फुटपाथ पर खुले आकाश के नीचे सोते हैं और इसके लिये आज बम्बई की जुग्गी झोंपड़ी, कलकत्ता की बस्तियां और मद्रास की चैरी है वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन नर्क के समान है। अभी हमारे जजेज वगैरह और मंत्री लोग जिन बंगलों में रहते हैं वह एक बंगला 20 लाख रुपये तक का है और जिन बंगलों में रहते हैं उनका क्षेत्रफल करीब 8 एकड़ तक का है। एक मंत्री या एक जज अगर 20 लाख रुपये के बंगले में रहता है तो आज उन बंगलों की मारकेट रेन्ट 12 प्रतिशत के हिसाब से करीब 20 हजार रुपये माहवार होता है।

श्री मनोहरलाल : सभापति महोदय मुझे और माननीय गहलोत साहब को कोई मकान नहीं मिला है हम दोनों एक ही परिवार के हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : तो सभापति महोदय हम समाजवाद लाने की बात करते हैं और एक मकान में हमारे मंत्री और जज पर हम बीस हजार रुपये मासिक खर्च करते हैं। आज आप इतने ऊंचे बंगलों में रहकर समाजवाद की बात करते हैं। समाज के साधनों का दुरूपयोग करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या समाजवाद लायेंगे। सभापति महोदय आज हमारे यहां पर जमीन की कीमत कितनी है अभी जयपुर में पांच बत्ती के पास में तारीख 8-8-72 को एक जमीन 990 रुपये प्रतिवर्ग गज से बिकी थी तो इस प्रकार के 8 एकड़ जमीन की क्या कीमत होगी। सभापति महोदय प्यारेलाल ने एक किताब लिखी है। लास्ट फेज में उन्होंने बताया है कि एक कांग्रेसी मंत्री की आचार संहिता क्या होनी चाहिये। मंत्रियों के लिये क्या व्यवस्थायें होनी चाहिये। आप पढ़लें तो आपको पता लग जायेगा कि गान्धी जी ने क्या कहा था?

एक माननीय सदस्य : किसके अन्दर लिखा हुआ है?

श्री अमृतलाल गहलोत : लास्ट फेज बाई प्यारेलाल।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस समाजवाद के जमाने में हम सबसे जहां समाजवाद की अपेक्षा करते हैं हमें यह निर्धारित करना पड़ेगा कि मंत्रियों के, हाई कोर्ट जजेज के और अधिकारियों के मकानों का कितना वैल्यू होना चाहिये और उनका कितना एरिया होना चाहिये। मेरा सुझाव यह है सभापति महोदय, एम० एल० एज० क्वार्टर्स बने हुए हैं। कई मंत्री हमारे वहां पर रहते हैं तो बड़े बड़े बंगले में जाने से कोई चमत्कार नहीं हो जावेगा। जब हमारे माथुर साहब और चौधरी साहब इन बंगलों में रह सकते हैं बनवारीलालजी अभी राजकीय प्रवास भवन में रहते हैं। जब ये रह सकते हैं तो क्या बड़े बंगलों में जाने से अधिक चमत्कार हो जायगा। माननीय राज्य मंत्रीजी गुलाब सिंह जी आप तो जिस फ्लेट में रह रहे हैं उसको छोड़ना मत।

छोटा सा किस्सा बता दूं मैं आपको। महात्मा गांधी ने धोती कुर्ता उतारकर लंगोटी पहिन ली।

(व्यवधान)

(श्री अमृतलाल गहलोत)

रायबरेली की बात है। कस्तूरबा महिलाओं में गईं और गांधीजी कार्यकर्ताओं में गये। शाम को कस्तूरबा आईं तो गांधीजी ने पूछा बा कहां गयी थी। बा ने कहा मैं महिलाओं में गई थी और दर्दनाक दृश्य मैं देख न सकी। पूछा कि क्या बात है बताओ। बा कहती हैं यहां की औरतें मैली साड़ी पहिनती हैं तो मैंने उनसे पूछा कि मैली साड़ी क्यों पहिनती है जबकि तुम्हारे यहां गंगा और यमुना जैसी नदियां हैं। और पानी खूब है और पानी से धोओ तो महिलायें कहने लगीं कि माताजी आपको मालूम नहीं है। एक ही तो साड़ी है हमारे पास। दूसरी साड़ी नहीं है कि इसको धोयें। इसको धोयें तो तन कैसे ढकें। गांधीजी ने देखा कि मेरे देश में यह दरिद्रता है। एक महिला को अपनी इज्जत बचाने के लिये दूसरी उसके पास साड़ी नहीं है। मैं भी धोती कुर्ता त्याग कर आज से लंगोटी धारण करूंगा। गांधीजी झौंपड़ी में बैठ कर देश का संचालन करते थे। होचि मिन्ह भी झोंपड़ी में बैठ कर वियतनाम की बागडोर सम्हालते थे। हमारे मंत्रीगण, अधिकारीगण, जजेज 20-20 लाख की कोठियों में, बंगलों में रहते हैं जिनका किराया 20 हजार रुपया आता है। यह समाजवाद नहीं है।

मेरा कटौती प्रस्ताव है राज्य कर्मचारियों में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। भ्रष्टाचार की बातें हम बहुत करते हैं। राज्य कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं। जब भ्रष्टाचार फैलता है तो समाज की गति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हाती है। जितने यहां पर मामले नजर आते हैं कि एक व्यक्ति कहीं जुल्म कर रहा है तो उस राज्य कर्मचारी पर किसी न किसी ऊपरी राज्य सत्ता का उस पर हाथ है। किसी न किसी की ताकत पर ही तो वह वहां पर भ्रष्टाचार करता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सरकुलर निकाला है कि दो साल पहले किसी का उस जगह से स्थानान्तरण न किया जाय जहां वह रह रहा है। यदि इसको एनेलाइज करेंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि एक साल में चार चार छः छः बार ट्रान्सफर किये गये हैं। केबिनेट के सामने एक बड़ी चुनौती की परीक्षा आयी है। यदि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है तो उनके सामने केबिनेट मेनो बना कर स्वास्थ्य मंत्रीजी ने भेजा है डाक्टरों के ट्रान्सफर की पोलिसी के बारे में। स्वास्थ्य सचिव ने उसको एक्जामिन किया या नहीं यह मुझे नहीं मालूम। राजस्थान सरकार यदि सक्षम है और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है और यदि वह चाहे तो जो यहां लुटेरे कोई डिमोस्ट्रेटर बन कर बैठा है, कोई लेक्चरार बन कर बैठा है, कोई रीडर बन कर बैठा है और 20 करोड़ के बजट को जनता के बजट को अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से भी जो जनता को लूट रहा है उनको क्यों नहीं ट्रान्सफर करते ? ये जो जनता को लूट रहे हैं सरकार के बजट को हड़प रहे हैं इनको यहां से क्यों नहीं ट्रान्सफर करते ? यदि यह पोलिसी बन जाती है और केबिनेट इसको मंजूर कर लेती है तो भ्रष्टाचार में बहुत कमी आयगी। लेकिन यदि यह रिजेक्ट होकर आती है केबिनेट से तो भ्रष्टाचार को दूर करने का दावा करने वाली सरकार, चाहे कितने ही लोकायुक्त और लोकपाल बना ले, चाहे कितने ही कमीशन कायम कर दे, भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकती। और ये सब ढकोसला मात्र बन कर रह जावेंगे। केबिनेट मेमो बन चुका है और आपके सामने, इसका नतीजा आने वाला है। सभापति महोदय

(श्री अमृत ...ल गहलोत)
हम सब सदस्यों को उसका इन्तजार करना चाहिये कि राजस्थान सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये तत्पर है या नहीं। तत्पर है तो वह डाक्टरों के ट्रान्सफर की नीति को अपनायेगी और नहीं तो पोलिसी को ही बदनाम करायेगी।

तीसरा पुलिस के बारे में कटोती प्रस्ताव दिया है। जोधपुर में एक सनसनी कहिये, एक विशेष घटना हुई। जनसंघ ने तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी ने भी शिकायत की। एक पुलिस अधिकारी इस साल भर में चौथी दफा जोधपुर में ट्रान्सफर होकर आगये। जनसंघ वाले कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार के जोर से आया है। वह कहता है कि 30 हजार रुपये खर्च किये हैं। मैं खाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? कहां से वापिस निकालूंगा। वहां के जनसंघ के नेता राज्यपाल के पास पहुंचे। मेरे खयाल से प्रशासन में नया ही कोई यह मामला हुआ होगा कि राज्यपाल महोदय को इसमें लिखना पड़ा राज भवन से कि फलां का ट्रान्सफर करो। मैं नहीं कह सकता सदन के अन्दर कि ये सारी बाते कैसे हुई। यही मैं कह सकता हूं कि एक ही अधिकारी को एक ही जगह पर तीन तीन बार चार चार बार भेजने का क्या अभिप्राय है। डाक्टरों के ट्रान्सफर के नियम बनायें, राज्य कर्मचारियों के नियम न बनायें और पुलिस के कर्मचारियों के ट्रान्सफर के नियम न बनायें यह उचित नहीं है। मैं राज्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि भगवान के नाम पर जोधपुर शहर में आतंक न फैलाये। चौथी बार इसे पुलिस अधिकारी को भेजा है। आई० जी० पी० लेवल के अधीक्षक हैं ईमानदार हैं, डी० आई० जी० ईमानदार हैं पहिले वाले अधीक्षक भागीरयजी विश्नोई थे, उनको आज भी बच्चा बच्चा जोधपुर का याद करता है। जुए खत्म हो गये, वेश्यावृत्ति के अड्डे खत्म हो गये, शराब के अड्डे खत्म हो गये। जनता अच्छे कामों को सराहती है और बुरे कामों की भर्त्सना करती है।

वैसे मेरा नगर राजस्थान का दूसरा नगर है। हमारे नगर में राजनैतिक द्वेष भाव नहीं रखते हैं। जहां तक जनता के हित की बात है एक होकर काम करें जिससे कि एन्टी सोशियल एलीमेंट्स हैं वे समाज पर हावी न हो जायं। राज्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक अफसर एक जगह दो तीन साल काम कर चुका है दुबारा वहां भेजना हो तो आपके पास वह इसीलिए आवेगा कि उसको वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ी करनी है और इसीलिए आयेगा। वह जोधपुर के लिए मिठास लेकर नहीं आयगा,

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढा।

श्री गुमानमल लोढा : सभापति महोदय, आज सदन में सामान्य प्रशासन और पुलिस की मांगों को लेकर विभिन्न विचार व्यक्त किये जा रहे हैं। इस सन्दर्भ में गुजरात की बात भी कही जाती है। बिहार को और उत्तर प्रदेश को भी याद किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात के हालात दिवारों पर लिखे हुए चेतावनी के स्वर आप और हमारे सामने हैं। यदि हम उसे यह कहकर टालने का प्रयास करें कि यहां पर अमुक दल ने गुजरात के संघर्ष में भाग लिया और बिहार में जो कुछ हो रहा है अथवा उत्तर प्रदेश की विधान सभा में गत दिवस में जो कुछ हुआ उसमें किसी विशिष्ट दल के व्यक्ति हैं तो मैं समझता हूं कि आप अब भी इतिहास से सबक लेना नहीं चाहते। आप हिंसा को जनतंत्र के लिये खतरा समझते हैं उसे रोकने का उपदेश देते हैं। पर इस जनतन्त्र की जड़ों को तो आप स्वयं काट रहे हैं। इस आज की हिंसा को

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

स्वयं आप प्रोत्साहन दे रहे हैं इस पर आपने कभी गम्भीरता से विचार नहीं किया। यू० पी० के इलेक्शन को जीतने के लिये गुजरात के धन्ना सेठों से, यू०पी० के मिल मालिकों से ब्लेक मारकेटियरों से होर्डरों से जमाखोरों से आपने करोड़ों रुपया लेकर और अपनी सारी सत्ता का दुरुपयोग करके चुनावों में भ्रष्ट तरीके अपना कर जनमत को फुसला कर, भरमा कर, उसे पैसे का प्रलोभन आदि देकर वोट बटोर कर बहुमत बनाते वक्त आपने यह नहीं सोचा कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। जनतन्त्र इससे बचेगा कि नष्ट होगा? गांधी की इस बात को आप भूल गये कि जनतन्त्र एक पवित्र संस्था है इस पवित्र संस्था में बैठकर इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये साधन भी पवित्र अपनाओ। साधन और हथकंडे आप अपवित्र से अपवित्र अपनाते हैं। जमाखोरों से लाखों रुपया लेकर ऊपर से उनको गालियां देते हैं और उस पैसे से चुनाव जीतते हैं और जनता जब महंगाई की मार खाकर इन जमाखोरों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आपको कहती है तो आप इधर उधर आंय बांय करते हैं। तो आप लगता है इस इतिहास से सबक लेना नहीं चाहते। द्वार पर लिखी हुई इस चेतावनी की साफ लिखावट को आप पढ़ना नहीं चाहते। इन जमाखोरों ने अपने पैसे से आपको खरीद लिया है। आप इनको अब जनता के रोष से बचाना चाहते हैं। जनतन्त्र में यह नहीं चलने वाला है। आज इसका नतीजा आपको भोगना होगा। यह हिन्सा और जन आक्रोश इसी का परिणाम है।

मैं तो चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री, मन्त्रिमण्डल और सत्तारूढ दल के सभी लोग इस बात पर विचार करें कि क्या आप इस विधान सभा को केवल डिबेटिंग सोसायटी बनाकर रखना चाहते हैं और केवल मेन्टल जिम्नेज्म हम यहां बैठे करते रहें यह देखना चाहते हैं? अब फिर मुख्य मंत्री चाहे हरिदेव जोशी हों या चिमनभाई हों जनता जब अपना रास्ता अख्तियार करने का तै कर लेती है तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकेगा। इतिहास अपने आपको दोहराता है। आप इतिहास से सबक लीजिये।

जो मुद्दे सदन में उठाये जाते हैं उन पर सदन के सदस्य जो राय जाहिर करते हैं ईमानदारी से उन पर विचार करें और चलें। इन मुनाफाखोर भेड़ियों के पैसे पर न इतरावें। इनसे पैसा लेकर जनता को इन भेड़ियों के भरोसे न छोड़ें। आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप विधान सभा के सदस्यों के सुझावों पर ओब्जेक्टिवली विचार करें और समस्याओं का समाधान करने में ईमानदारी से काम लें। अगर यह है तो हमारा यहां पर रहना सार्थक होगा। और जनता में जाकर हम कह सकेंगे कि नहीं ऊपर वाले ईमानदारी से आपकी समस्याओं को हल करने में लगे हैं। वास्तव में वे इन जमाखोर भेड़ियों से मोर्चा लेना चाहते हैं। इनके हाथ ये बिकने वाले नहीं है। महंगाई का हल निकाल रहे हैं। अभावों को दूर करने में ताकत लगा रहे हैं। अन्यथा सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से जनतन्त्र में से धीरे धीरे लोगों का विश्वास हटता जा रहा है वह हम सबके लिये खतरनाक है। आपके पापों ने ही आज देश में हिंसा को जन्म दिया है और उस हिंसा से आज आप ही चिन्तित हैं। अगर आप जनतन्त्र में विश्वास करके इन जमाखोरों के पैसे से बचते और ईमानदारी से चुनाव लड़ते तो यह हिंसा देश में नहीं फैलती, गुजरात की घटनाएं नहीं होतीं। अभाव मिटते, महंगाई नहीं बढ़ती। जो दुनिया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का ट्रेण्ड देखकर बढ़ना था उतनी ही बढ़ती, अनाप शनाप रूप से नहीं बढ़ती जैसी आज है । अभाव तो किसी चीज का रहता ही नहीं । अभाव तो आज भी नहीं है । प्रश्न महंगाई का है । चूंकि जमाखोरों के पैसे ने आपका मुंह बन्द कर दिया है इसलिये इतनी गालियां ऊपर से इन जमाखोरों को बोलते हुए भी, समाजवाद का नारा लगाते हुए भी इनके विरुद्ध आपको एक्शन लेने की हिम्मत नहीं पड़ती । सही स्थिति तो यह है ।

आज राजस्थान में यदि हम इस बैक-ग्राउन्ड में विचार करें तो क्या विधान सभा में दिये गये आश्वाशन, यहां की गई घोषणाएं सामान्य प्रशासन द्वारा इम्पलीमेंट की जाती हैं? आज यह तन्त्र भी आपके ये काले कारनामे देख देख कर समझ समझ कर भ्रष्ट हो गया, शिथिल और निष्क्रिय हो गया है, अकर्मण्य बन गया है । राजस्थान के ढाई करोड़ लोगों की आशाओं, अरमानों और आकांक्षाओं को कुचल कर रख दिया गया है ।

आज तो स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार के लिये सरे आम कहा जाने लग गया है कि लोकतन्त्रीय पद्धति में इस भ्रष्टाचार के बिना काम चल नहीं सकता । पटवारी के स्तर से लेकर ऊपर मिनिस्टर के स्तर तक आज जब हम लोग जनता में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बिना पैसा दिये बिना भ्रष्ट तरीके अपनाये बिना रिश्वत दिये बिना शिफारिश कराये कोई भी काम नहीं हो सकता । फिर चाहे वह व्यक्ति का मामला है, या समूह का हो । ट्रान्सफर का मामला हो, प्रमोशन का मामला हो, उद्योग धन्धे लगाने का मामला हो, कालेज में एडमिशन का मामला हो, व्यापार का मामला हो, परमिट लाइसेन्स लेने का मामला हो, टैक्सों से बचने का मामला हो, या किसी तरह के अभाव अभियोग को दूर कराने का मामला हो । इस कारण यह सारा प्रशासन करप्शन के रूप में रह कर आज हमारे सामने खड़ा है । यह करप्ट मशीनरी और ये करप्ट मन्त्री यह सारा का सारा करप्ट मंत्रि-मण्डल कितना ही जनता की आंखों से अपने को बचाने की कोशिश करे आज स्थितियां इन्होंने स्वयं ने ऐसी पैदा कर ली हैं कि करप्शन आज उमड़ घुमड़ कर आया है । बीच में एक डेढ़ साल का गैप थोड़ा स्वर्गीय बरकतुल्ला खां के कारण पड़ा था जिसमें भी कोई ऐसा अन्तर नहीं आया जो उल्लेखनीय हो, वह आज उतने ही रिवेन्जफुल तरीके से सारे गैप को एक साथ मेक अप कर लिया जावे इस रूप में उमड़ पड़ा है ।

मैं कहूंगा जनहित में इस मन्त्रिमंडल ने जितनी घोषणाएं कीं, एक का भी पालन नहीं किया गया । कितनी कमेटियां बनीं, कमीशन बने उनका निर्णय आज दिन तक विधान सभा के पटल पर नहीं रखा गया । जनता को बताया नहीं गया । जनता को और सदन को विश्वास में नहीं लिया गया । हमने बेरी आयोग के बारे में बार बार कहा कि इसे इम्पलीमेंट करो पर यह नहीं बताया गया आज तक कि किस प्रकार की रिकमण्डेशन की गई और उसको किस तरह से इम्पलीमेंट किया गया । छंगाणी कमीशन बैठा । स्कूटर कांड हुआ उदयपुर में, दस बाहर निहत्थे निरपराध व्यक्ति मारे गये । पर उसकी रिपोर्ट भी आज तक नहीं आई । बार बार आश्वासन देने के बावजूद कुछ नहीं किया गया । केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है । भादरा का गोलीकाण्ड हुआ । ये तो थोड़े से उदाहरण हैं । ऐसे कई मामले हैं । लाखों खर्च कर दिये गये । पर उनका नतीजा क्या निकला ?

(श्री गुमानमल लोढा)

ये डरते हैं। आखिर भ्रष्ट लोगों के भी तो आत्मा होती है। अन्दर से वे भी जानते हैं इसलिये डरते हैं कि कहीं ये सब बातें सदन के पटल पर आ गईं तो इनको इम्पलीमेंट करने की बात उठाई जावेगी जो हम उठा नहीं पावेंगे क्योंकि उतना साहस हम में नहीं है। दोषियों को सजा हम नहीं दे पावेंगे। दोषी को सजा आप नहीं दे पावेंगे यह आपकी मजबूरी हम भी मानते हैं। केवल शाक आब्जर्वरों की तरह बोझा को सम्भालने के खातिर कमेटियों का गठन किया जाता है और फिर भुला दिया जाता है उसे हमेशा के लिये।

ये जो मामले कुछ मैंने आपके सामने रखे इसके अलावा निवेदन करता हूं कि आप की भ्रष्ट नीतियों के कारण आपके भ्रष्टाचार के कारण और भ्रष्टाचारियों के पैसे पर पलने के कारण उन मुनाफाखोरों और जमाखोरों के पैसे पर जीने वाले होने के कारण अब आप लोगों में साहस नहीं रह गया है कि जन अभाव अभियोगों को आप मिटा सकें दूर कर सकें, और जब इससे प्रेरित होकर लोग संघर्ष करते हैं, विद्यार्थी वर्ग सामने आता है, दूसरा वर्ग सामने आता है, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग सामने आता है तो आप ब्रिटिश साम्राज्यवादी के तौर तरीके को अपना कर उन लोगों को बर्बर तरीकों से दमन करते हैं। आपने इतनी गोलियां इन पिछले बीस पच्चीस वर्षों के अपने शासन में जनता पर निहत्थों पर चलाई हैं कि उतनी गोलियां शायद अंग्रेजों ने अपने पूरे शासन काल में स्वतन्त्रता सेनानियों पर भी नहीं चलाई होंगी जिन्होंने अन्ततः उस साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया।

मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि आप किस तरह से दमन करते हैं। अकाल के समय में गीर्वा नामक गांव में वहां के काश्तकारों ने जनसंघ के झन्डे के नीचे इस बात का आन्दोलन किया था कि उनके क्षेत्र को अभावग्रस्त घोषित किया जाय। गांव में रहने वाले काश्तकारों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमें चलाये गये। आज भी उन पर मुकदमें पेन्डिग हैं चोहटन में। इसी प्रकार एक अन्य प्रश्न को लेकर जंगलात का प्रश्न था। यहां पर चरने के लिये गोचर की जमीन है इसलिये वन विभाग को न दिया जाय तो उन पर लाठी प्रहार किया गया और जनसंघ के कार्यकर्ता श्री आंसू लाल को हथकड़ियां डालकर बाड़मेर में घुमाया गया। सभापति महोदय आज तक मुकदमें पेन्डिग हैं। बार बार उनको चोहटन में आना पड़ता है। इस प्रकार जनता की अवाज पर जन संघ के शोभसिंह जिसने सारे बाड़मेर में जाग्रति पैदा की उनको और उनके साथियों को बाड़मेर नगर में घुमाया गया। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि इन पर मुकदमें नहीं चलाये जायेंगे लेकिन सभापति महोदय आज उनको परेशान किया जा रहा है और सब प्रकार के मुकदमें बनाकर राजनैतिक बन्दी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

अभी उदाहरण दूंगा सांचोर जो जालोर जिले में आया हुआ है और सभापति महोदय सांचोर में कुछ समय पहले पानी की समस्या को लेकर, पानी की समस्या को हल करवाने के लिये आहवान किया गया, मांग की गई, जुलूस निकाला गया। जनता में अभाव को लेकर मांग करना अपराध नहीं, लेकिन वहां पर उनके ऊपर पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया और सभापति महोदय इतना ही नहीं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मुकदमें बनाये गये, गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार होने के लिये राजनैतिक कार्यकर्ता हर समय तैयार रहते हैं। बलिदान और त्याग करना राजनैतिक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है लेकिन मैं निवेदन करने जा रहा हूं, सनसनीखेज रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं, यह बताऊंगा प्रशासन कैसा है। वहां पर गिरफ्तार करने के बाद प्रशासन की ओर से असिस्टेन्ट इंजीनियर है, उनको यह कहा गया सात जनसंघ के कार्यकर्ता हैं जिनको पानी के आन्दोलन में गिरफ्तार किया है, इनके नाम आप यह कह कर लीजिये कि मैं चश्मदीद गवाह हूं- पत्थर डाल रहे थे, टंकी तोड़ रहे थे। असिस्टेन्ट इंजीनियर ने इन्कार कर दिया। मैं किसी का नाम नहीं जानता, मैं झूठे आरोप नहीं लगा सकता लेकिन सभापति महोदय आपको जानकर आश्चर्य होगा उसके बाद वहां के एस० डी० एम० जो कि प्रशासन की ओर से तैनात थे, भीनमाल का एस० डी० एम० उन्होंने जाकर असिस्टेन्ट इंजीनियर को डीवाई० एस० पी० से झूठे गवाह देने के लिये धमकाया गया, डराया गया और यह कहा यदि आपने इनका नाम नहीं लिया तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, आपकी सी० आर० खराब कर दी जायगी, आपके खिलाफ एक्शन लिया जायगा। राजनैतिक कार्यकर्ताओं के नाम जबरदस्ती लेकर मुकदमें में फंसाने के लिये असिस्टेन्ट इंजीनियर जैसे व्यक्तित्व को इस प्रकार डराया जाय, धमकाया जाय वह शासन कैसा होगा ?

सभापति महोदय यह आरोप मेरा जबानी नहीं है। यह आरोप है उस असिस्टेन्ट इंजीनियर का जिन्होंने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को पत्र लिखा और उसकी नकल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जिसमें प्रोटेक्शन मांगा कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि जनसंघ के कार्यकर्ताओं के नाम झूठे लिखवाये और सर्टिफाइड कापी सभापति महोदय मैंने प्रस्तुत की है, सदन के पटल पर रखना चाहता हूं किस प्रकार जुर्म लगा कर गुण्डागर्दी और अत्याचार इस शासन में हो रहा है जनसंघ के कार्यकर्ताओं पर।

यह ठीक है विधान सभा में बहुमत के बल पर हमारी वाणी को अवरुद्ध कर दिया जाय और पूरा अवसर न दिया जाय लेकिन ढाई करोड़ की जनता के अभाव को लेकर हर नगर और हर शहर में जहां कहीं जनता का प्रश्न होगा पूरी तरह किया जायगा और कोई भी बलिदान करना पड़े, कोई भी त्याग करना पड़े जनसंघ का कार्यकर्ता उससे पीछे नहीं हटेगा।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था यह पत्र-

From Assistant Engineer, P.H.E.D. Project, Sanchore. To the Executive Engineer, P.H.E.D. Project Division, Jalore.

Sub : Police Enquiry regarding stone hitting by the mob over Government Jeep RSQ 3191, residential quarter and the office building.

यह पत्र असिस्टेन्ट इंजीनियर, सांचोर द्वारा लिखा हुआ है और इसमें उन्होंने लिखा है —

"That after this on 14th and 15th instant I was called upon by the S.D.M. Bhinmal and the Dy.S.P. Bhinmal at PWD Rest House Sanchore.

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

The S.D.M. asked me personally that about seven persons have been arrested in connection with the above incident and persuaded me to include names of these persons in my statement already given at the Police Station, failing which they will not be able to cooperate with Water Works Department. Then I told him that actually I did not know the names of these persons as such how could I include names in my statement recorded by the police."

"That the Dy.S.P. Bhinmal told me that now you meet your own fate and do as you like."

माननीय मंत्री महोदय मैंने पत्र देखा है, सर्टिफाइड कापी आप देखिये कितना जघन्य अपराध किया गया है —

"That inspite of all this, S. D. M., Bhinmal persuaded me for the same and threatened me that he will be forced to write adverse report against me to higher authorities and my service will be in danger."

सभापति महोदय, किसी भी सभ्य प्रशासन के अन्दर एस० डी० एम० के द्वारा जो आर० ए० एस० का अधिकारी होता है, इस प्रकार झूठे मुकदमें बनाकर राजनैतिक कार्यकर्ताओं के झूठे नाम लिखवा कर और फर्जी तरीके से केस तैयार न करने पर सरकारी अधिकारी को चेतावनी दी जाय, डराया, धमकाया जाय और कहा जाय कि तुम्हारी सर्विस खराब कर दी जायगी, तुम्हारा कैरियर खराब होगा। मैं समझता हूं इससे ज्यादा लज्जाजनक स्थिति पैदा नहीं हो सकती है —

"That on 17th February, 1974 evening the site of incident was inspected by the Collector, Jalore along with S. D. M. Bhinmal, Dy. S. P. Bhinmal and Jalore; there again the S. D. M. Bhinmal tried to misguide the Collector about myself and told him that although I knew the names of two or three persons, I am not disclosing the same and thereby not cooperating.".

मैं तारीफ करूंगा इस अफसर की, नाम मैं जानता नहीं असिस्टेन्ट इंजीनियर है। बहादुरी के साथ कहा आप चाहे जो कुछ कार्यवाही करलें मैं झूठे नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन सभापति महोदय यहां मामला समाप्त नहीं होता है—

"That the Dy. S. P. Jalore also threatened me that he will frame charges against Water Works staff and police will not care for any safety in future for me and my staff."

श्रीमान् मैं निवेदन करना चाहता हूं इसकी मैंने सर्टिफाइड कापी आपके सामने प्रस्तुत की है। यह ऐसा आरोप नहीं है जैसा अभी लगाया गया लेकिन जबानी तरीके से नहीं ज्युडिशियल कापी की सर्टिफाइड कापी है और जनसंघ के कार्यकर्ता हैं उन्होंने आकर

(श्री गुलाबमल लोढ़ा)

बताया है, लिखित रूप में दिया है । एस०-डी० एम० श्री राम प्रसाद जोशी ने यह कहा मैं केवल असिस्टेंट इंजीनियर से झूठे बयान ही नहीं लूंगा बल्कि जनसंघ के कार्यकर्ताओं को राजनैतिक सन्यास दिलवा दूंगा । ये भूत-पूर्व विधायक हैं । उन्होंने मुझे यह कहा और यह रेकार्ड है आपके सामने । एक नहीं, अनेक घटनायें हैं सभापति महोदय मैं यह जानना चाहूंगा यह राम प्रसाद जोशी, एस० डी० एम०, बालोतरा जनसंघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमें बनायें, जेलखाने में भेजें, स्थान स्थान पर जनसंघ के कार्यकर्ताओं को प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अपमानित किया जाय । सभापति महोदय, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं यदि मंत्रि-मण्डल के सदस्य कठोरता से पालन न करें तो यह दोहराया जा सकता है लेकिन सभापति महोदय, आज जनतन्त्र मखौल बन गया है, मजाक बन गया है जनतन्त्र में राजनैतिक दलों की लाश ले जाई जा रही है और इस कारण से ये आफिसर्स इस प्रकार से न्याय और कानून के जो रक्षक हैं, भक्षक बन रहे हैं । बल्कि न्याय और कानून के रक्षक बनकर यह कहना-चाहिये जो व्यक्ति हैं उनके नाम नहीं जानते तो कोई बात नहीं आपके खिलाफ कार्य वाही करेंगे, शिकायत कर देंगे, सी० आर० खराब कर देंगे· · ·

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह सर्टिफाइड कापी जो मैंने प्रस्तुत की है मंत्री महोदय इसका निरीक्षण करलें और इसकी जानकारी करलें यदि इसमें किसी प्रकार की कहीं भी गलती हो तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए माफी मांगूंगा । नहीं तो असिस्टेन्ट इन्जीनियर गवर्नमेन्ट आफिसर की शिकायत है और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो आर० ए० एस० अधिकारी है श्री रामप्रसाद बोहरा और जिन्होंने आफिसर्स के ऊपर दबाव डालकर झूठे मुकदमे बनाये उनको फौरन सस्पैण्ड किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही करके नौकरी से डिसमिस किया जाना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यदि यह नहीं होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि यह प्रशासन और यहां की राज्य की रीति नीति केवल एक दल के लिए बनी हुई है । मैंने एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं ।

मैं यहां पर सभापति महोदय, कुछ दिन पहले पुलिस के द्वारा ग्राम मूलासर तहसील सरदार शहर के अन्दर एक वर्षीय बच्ची और उसकी मां श्रीमती मूली पुत्री दुर्गादत्त को जिन्दा जलाने की घटना का विस्तृत विवरण एडजर्नमेन्ट मोशन के द्वारा पेश किया था और आज मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि उसके बाद में आज तक हाउस में इस मामले को डिसकस नहीं किया गया, हाउस के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और आज के युग में हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं और महिलाओं के लिए हम सम्मान की बातें करें और बाजार के अन्दर, गांव के अन्दर खड़ी करके महिला को और एक वर्षीय बच्ची के साथ जिन्दा जला दिया जाय और उसके बाद सात फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें उसको डाल दिया जाय और पुलिस के अधि-कारियों के पास लोग गये तो मामले को रफादफा करने के लिए रिपोर्ट तक कलम बन्द नहीं की गयी । 1½, 2 महीने के बाद बड़े अधिकारियों ने लाश के अस्थी पंजरों को निकाला लेकिन मुलजिमों को आज तक

(श्री **गुमानमल लोढ़ा**)

गिरफ्तार नहीं किया गया । यह लज्जास्पद स्थिति हमारे प्रदेश में है । विधान सभा में ऐसी बातें लाई जायें और उसके बाद हमारी पुलिस के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती । हमारे मंत्री महोदय एयर कन्डीशण्ड कमरों में बैठकर सारी बातें सुन लेते हैं लेकिन उनका वायरलैस मैसेज नहीं जाता कि वहां जाकर कार्यवाही करो । यह तो कर लो कि गुमानमल लोढ़ा कहां जा रहा है, उसकी एक्टीविटीज वाच करो और रिपोर्ट भेजो । लेकिन यह नहीं देखते कि जहां नृशंसता से हत्या हुई है, एक वर्ष की बच्ची की हत्या हुई है, उनको जिन्दा जला दिया गया घासलेट डालकर उसके लिए दोषी व्यक्तियों को हथकड़ियां डालकर नहीं घुमायेंगे । जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं को हथकड़ियां डालकर घुमायेंगे क्योंकि वह चुनौती देकर सामने आते हैं ।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के युग में यह तो ठीक है कि पुलिस सरकार के हाथ में है और मंत्री मण्डल सब प्रकार से सक्षम है इस बात के लिए और इस कारण से वह केवल यह कहकर जनता के सामने जायें कि 5 हजार क्राइम्स बढ़े हैं, बहुत अधिक नहीं बढ़े हैं और वह अपने आपको जस्टीफाइड करने की बात करें, प्रशासन के लोग अन्य प्रकार से अपना जस्टीफिकेशन दें लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं सभापति महोदय कि आज के युग में 5 हजार अपराध यदि बढ़ जायें तो क्या यह कम संख्या है? क्या यह हमारा चिन्ता का विषय नहीं है ? और वह अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि यह बढ़े हुए आंकड़े इसलिए लाते हैं कि मुकदमें अधिकतर झूठे थे । 20 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन झूठे हुए इस कारण से यह आंकड़े बढ़ गये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झूठे मुकदमे रजिस्टर हुए तो वह भी तो अपराध है और 211 का अपराध बनता है और क्यों नहीं उनमें चालान किया गया ? लेकिन सभापति महोदय आप तो जानते हैं कि थानों में पुलिस के अधिकारियों के द्वारा झूठे केसेज रजिस्टर कर दिये जायें और सच्चे केसेज को पैसा लेकर रफादफा कर दिया जाये यह तो ऐसी चीज है कि जिसको चौराहे पर खड़ा हुआ हर व्यक्ति आसानी से कह सकता है । दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे शासन ने उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया । मैं चाहूंगा कि इसके बारे में सक्रिय कदम उठाये जायें ।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण दूंगा कि कितनी प्रगति हमारे पुलिस विभाग में हुई है ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जितना समय आपके दल को दिया गया है उससे काफी ज्यादा समय आपने लिया है । और भी माननीय सदस्य बोलेंगे ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं एक ही मिनट में समाप्त कर देता हूं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम एक बजे से बैठे हैं, सभापति महोदय ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक मिनट में उदाहरण देकर समाप्त करता हूं । मेरे पास में सभापति महोदय, मगराज भंसाली, एडवोकेट के यहां चोरी हुई । उसमें यह हुआ कि फिंगर प्रिन्ट्स लिये जायें और चोरों के अलमारियों के ऊपर या कैश बॉक्स पर से निशानात के फोटो लिये जायें । उसके लिए बार बार पुलिस को कहा गया । सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिंगर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

प्रिन्ट्स के लेने के अन्दर तीन, चार दिन का समय लग गया। जयपुर से आदमी आयेगा, वह कैमरा लेकर आयेगा और उसके बाद में फिंगर प्रिन्ट्स के फोटो लिये जायेंगे। सभापति महोदय, आज के युग में जब आदमी चन्द्रलोक में जाकर नक्षत्रों में पहुंच गया है वहां पर हमारे राजस्थान की पुलिस बाबा आदम के जमाने के तरीके अख्तियार करे और कहे कि जयपुर से आदमी आयेगा और तब फोटो लेगा। क्या उनको कैमरा जोधपुर में नहीं मिल सकता था और फिंगर प्रिन्ट्स की फोटो नहीं ले सकते थे? वह प्रिन्ट्स चार दिन तक कैसे प्रिजर्व होंगे? इतने गये गुजरे लॉर्ड क्लाइव के जमाने के तरीके आज तक अपनाये जाते हैं और इस कारण से सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस के प्रशासन में बहुत बड़ी तब्दीली की आवश्यकता है। यह सही है कि इसके लिये फण्ड्स अलॉट किये जायें। इसमें पुलिस के अधिकारियों की इतनी गलती नहीं है जितनी कि सतारूढ़ दल की जो फालतू के अन्दर दुनिया भर की चीजों में तो खर्च करते हैं और जबरदस्त पैसों का अपव्यय करते हैं लेकिन आवश्यक वस्तुओं में काम में पैसे नहीं खर्च होंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन को आज कल की मॉडर्न साइन्स और टेक्नालॉजी को अपनाना चाहिए। मगर कितना दुर्भाग्य है कि सन् 64 में जो दो कुत्ते थे वह तीन हो गए।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय जब तक कि दोनों मांगें पारित न हो जायें तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन की अनुमति है कि मांगे पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये?

स्वीकृति

(सदन का समय प्रस्तुत मांगें पास होने तक बढ़ाया गया।)

श्री गुमानमल लोढ़ा: सभापति महोदय, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सन् 64 से लेकर 74 तक 10 साल की प्रगति का आंकड़ा यह है कि हमारे पास डिटेक्ट करने के लिए पहले दो कुत्ते थे वह एक और बढ़ गया। यदि यही तरीका है प्रगति का तो आने वाली पीढ़ियां खप जायेंगी लेकिन हम टेक्नालॉजी के जमाने में आगे बढ़कर प्रगति नहीं कर सकेंगे। सभापति महोदय, मुझे कहते हुए खेद होता है कि यहां पर पुलिस और सामान्य प्रशासन की मांगों को लेकर धर्मनेताओं के ऊपर आरोप लगाये। आचार्य तुलसी के ऊपर आरोप लगाये, रामस्नेही साधुओं के ऊपर आरोप लगाये गये। इस प्रकार से धार्मिक नेताओं के ऊपर आरोप लगाना शोभनीय नहीं है किसी विशेष व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। लेकिन आचार्य तुलसी जो कि लाखों व्यक्तियों के पूजनीय हैं, इसी प्रकार से रामस्नेही साधु के प्रति लाखों लोगों की धार्मिक भावना हो सकती है। अब यह दूसरी बात है कि किसी व्यक्ति में व्यक्तिगत विकृत्ति हो लेकिन किसी धर्मगुरु के बारे में इस प्रकार आरोप लगाना कहां तक उचित हो सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धान्त हो सकता है कि धर्म और संस्कृति को समाप्त करना, क्लासवार कराना, झगड़े कराना और इस प्रकार से देश के अन्दर सारी विषमतायें पैदा करके उसके बाद विस्फोट कराना और देश को ध्वंस करना और ध्वस करने के बाद अपने तरीके से शासन वहां पर तैयार करना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
लेकिन सदन को उसके लिए इस प्रकार से उपयोग में लाना, यहां सदन में जब हम कोई बात कहते हैं तो सारे हिन्दुस्तान की लाखों, करोड़ों जनता उसको सुनती है और इस प्रकार आचार्य तुलसी के खिलाफ या रामस्नेही साधु के खिलाफ कोई बात कही जाती है तो लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है। हम जिस लक्ष्य को लेकर यहां पर आए हैं उनके बारे में एक शब्द नहीं कहना उनको सब्स्टेंस करने के लिए कोई बात नहीं करना और इस तरह से आरोप लगाना, यह तो कह दिया कि दो की जगह तीन पुलिस के पास हो गए लेकिन यहां पर हमारे कांग्रेस संगठन की मेहरबानी के कारण से × × × लाकर इस प्रकार बिठा दिए कि येनकेनप्रकारेण, किसी न किसी प्रकार से हल्ला गुल्ला करके, झूठे आरोप लगा करके ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर। कम्युनिस्ट पार्टी के चार सदस्यों को जनसंघ दल के नेता × × × कहते हैं यह कहां तक उचित है?

श्री मूलचन्द सामरिया : पार्टी का नाम नहीं लिया है, किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पुलिस के दो की जगह तीन हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी के भी चार बिठा दिए हैं, इसका क्या मतलब है?

श्री सभापति : मैं यह समझता हूं कि राजनैतिक दलों के बारे में या किसी भी माननीय सदस्य के बारे में हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें तो अच्छा होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कहेंगे, फिर वह वापस जवाब देंगे और फिर हल्ला हो जाएगा।

श्री केसरीमल : अभी तो कहते हैं लेकिन जब वापस सुनेंगे तब बुरा लगेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप लोगों का तो ध्यान ही नहीं था इस बात का।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वैसे माननीय सदस्य गुमानमलजी लोढा ने फिर भी जो कुछ कहा है वह प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं होता पर अप्रत्यक्ष रूप से वही ध्वनि आती है। इसलिए मैं यह व्यवस्था देता हूं कि जो शब्द उन्होंने यहां पर उपयोग किया × × × वगैरा उनको एक्सपंज कर दिया जावे।

श्री गुमानमल लोढा : धन्यवाद। मैं इसलिए कह रहा था कि हर एक के खिलाफ आर०एस०एस० के खिलाफ प्रलाप करना, आचार्य तुलसी के खिलाफ प्रलाप करना, रामस्नेही साधु के बारे में बिल्कुल झूठे बेबुनियाद आरोप लगाना, वे भगवा झण्डा लगाते हैं तो भगवा झण्डा तो हर मंदिर पर लगा हुआ है, करोड़ों आदमियों के दिलों में लगा हुआ है। भगवा झन्डा तो इतिहास में लगा हुआ है, संस्कृति में लगा हुआ है, राम और कृष्ण के जमाने से चला आ रहा है। अपने विचारों में भेद हो सकता है। आप लाल झण्डे को लेकर चलेंगे, हम भगवा झण्डा को लेकर चलेंगे। लेकिन यह जनतंत्र का तरीका है, यहां सदन में इस प्रकार का उपहास करने का प्रयास करना, किसी को झूठा बदनाम करने का प्रयास करना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार ये शब्द कार्य विवरण से निकाले गये।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि हमें अपने न्याय प्रशासन में, हमारे सामान्य प्रशासन में जो शिथिलता आ गई है, जो भ्रष्टता आई है, जो अकर्मण्यता आई है, जो निष्क्रियता आई है उसको बदलना है और बदलना चाहिए और पुलिस को भी इसी प्रकार से आज साइंस और टेक्नोलोजी का सहारा लेकर, बदल कर जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए और जनता के भक्षक की जगह इसे रक्षक बनाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री भोपालसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, मुझे डर लग रहा है कि इस पुलिस की मांग पर बोलूं या नहीं बोलूं . . .

श्री सभापति : वह तो आपकी मर्जी पर है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे, जिधर देखता हूं, यहां चारों ओर वर्दीधारी ही वर्दीधारी दिखाई देते हैं, कहीं पर भी चले जायें, मुंसिफ कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां देखो वहीं पर ये हैं और फिर यह कहें कि ये बलात्कार करते हैं, यहां इस सदन में खड़े होकर यह कहें कि पुलिस के अधिकारी सब बेईमान और चोर हैं। इस दीवार के नीचे आपने देखा है कि चारों तरफ पुलिस अधिकारी बैठे हैं और पुलिस अधिकारियों के बीच में हमारा यह जनतंत्र है। इस दस–बीस लाख के असेम्बली भवन में जैसा विश्नोई साहब ने कहा, यहां बैठ कर, एयर कण्डीशन्ड कमरे में बैठकर अपने आपको सुरक्षित पाते हैं और यह सारा काम कर रहे हैं पुलिस के संरक्षण में। पुलिस चारों ओर बैठी है और यहां उनके संरक्षण में यहां बैठे हैं। अब अगर यह पुलिस न हो तो यह जनतंत्र चलेगा या क्या होगा . . .

श्री गुमानमल लोढ़ा : अपने आपको बचाने की हिम्मत नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हमारे साम्यवादी साथियों से पूछता हूं कि उस समय क्या होगा और क्या नहीं होगा और डर इसलिए लगने लगता है कि कभी 2 जो हमारे जनतंत्र के प्रहरी हैं, जनतंत्र के पहरेदार हैं, जो प्रोटेक्टर हैं उनके सम्बन्ध में क्या कहूं। यह नहीं रहें तो शायद जनतंत्र चलाना भूल जायें।

यहां जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें बताया गया है 449 एक वर्ष में रॉइट्स हुए। इन रॉइट्स को पुलिस ने दबाया और उसमें भी 69 तो ऐसे थे जिनमें चारों तरफ से पत्थर मारे गए, ईंटें फेंकी होंगी, हाथापाई की गई होगी, टीयरगैस और लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया होगा। तब उस अवस्था में मंत्री महोदय या हम भी भूले भटके, आज के समय के भयंकर अभाव में जब अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में जाते हैं तब एस०डी०एम० और पुलिस अधिकारी, चारों तरफ से जब जनता घेर कर बैठती है और मारने को तैयार होती है तब यही लोग हमको बचाते हैं। तब आप कहते हैं कि यहां कोई राज्य नहीं है। मैं कहता हूं कि इसमें किसका दोष है। इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं और मैं भी जिम्मेदार हूं। उस वक्त आपकी और हमारी रक्षा कौन करता है? यही रक्षक हैं हमारे पुलिस के अधिकारी। इसलिए अगर वह ताजमोहम्मद कहीं पर बैठा है गंगानगर के किसी छोटे से गांव में और वह वहां बैठा हुआ है। उसके

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

लिए सदन में यह कहें कि रेप का केस चल रहा है 376 का उसके बाद भी वह सस्पेंड नहीं हो, अब भी सर्विसेज में काम कर रहा हो तब मुझे कहना पड़ता है कि वास्तव में यह अपना राज्य किधर चल रहा है। ऐसे बलात्कार करने वालों के भरोसे शासन चल रहा है, उन पर कोई रोक नहीं . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : भगवान भरोसे है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसके लिए मेरे दिमाग में एक बात और आती है। पुलिस के अन्दर यह आशा करें कि वह प्रिवेंटिव का काम करती है, आप और हम भी जानते हैं कि क्राइम प्रिवेंशन का काम है पुलिस का। पुलिस का काम प्रिवेंशन का तो है लेकिन जो फिगर आपके सामने चले आते हैं मैं उनको आश्चर्य से देखता हूं। हर साल बढ़ोतरी होती चली जा रही है। पुलिस की संख्या भी बढ़ रही है और जनसंख्या भी बढ़ रही है। इण्डस्ट्रियलाईजेशन हुआ उसके साथ कोन्सोक्वेंशल कुछ अपराध भी आ गए लेकिन अपराध की जड़ में आप देखें कि 669 राइटस एक साल में हुए। इसके साथ में आप यह भी देखिये कि गए साल के 52 हजार केसेज कोर्ट में पेंडिंग हैं और इस साल के 57 हजार केसेज कोर्ट में पेंडिंग हैं। कुल डिसिजन हुआ दस हजार केसेज का। अर्थ यह हुआ कि 92 हजार केसेज कोर्ट में अनडिसाइडेड एक साल में रहते हैं। पुलिस क्या करेगी ? पुलिस इन्वेस्टीगेशन करेगी और चालान करेगी। इनमें केस झूठे हैं और 20 पर्सेंट तक केस झूठे सिद्ध हुए यह कह कर हमें संतोष दिलाने का प्रयत्न करें कि अपराध संख्या नहीं बढ़ी है, यह मैं नहीं मानता हूं। सबसे बड़ा दोष यह है कि न्याय होना बड़ा मुश्किल है। हमारी सोसायटी के कारण अपराध हैं। जिस समाज में मैं काम कर रहा हूं वहां कठिनाइयां हैं और वो अपराध करने को प्रेरित करती हैं। समस्याओं का हल नहीं होता तो वे अपराध करने को प्रेरित होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, होटलों के बाहर जो डस्टबीन रहते हैं उनमें झूठन के जो दाने होते हैं उनके लिए आदमी और कुत्तों को लड़ते हुए। अब पुलिस अधिकारी कुत्ते का चालान करेंगे या आदमी का। कुत्ता और आदमी दोनों में कहां फर्क है। यदि फर्क नहीं है तो फिर क्या इस देश में कुत्ते की हैसियत से जिन्दा रहे या मनुष्य की हैसियत से जिन्दा रहे ? समाज का यह एक रूप है। हमारे यहां पर यह जो अपर क्लास सोसाइटी है जैसा कि कहते हैं उनके खिलाफ पुलिस केस नहीं होते हैं, कुछ के हो सकते हैं। किसी ने कत्ल किया हो, किसी ने चोरी की हो यह आपने नहीं सुना होगा। आप और हम इतने यहां पर बैठे हैं, भूले भटके लड़ पड़े हों जैसे कल एक माननीय सदस्य के साथ व्यवहार हो गया तो बीच आफ प्रिवीलेज आप ला सकते हैं। इस दायरे में 184 आदमी बैठे हैं, जो समाज के प्रतिनिधि हैं परन्तु कुछ आदमी रुपयों के जोर पर बलात्कार करते हैं, उसकी जांच नहीं होती है। गरीब आदमियों का चालान हो जाता है। यह सही है, इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। एक सब-इन्सपेक्टर है, 370 का केस चल रहा है। यह तो मुझे मालूम है। वाकई 370 का केस कोर्ट में, सेशन कोर्ट में केस चल रहा है, उनके खिलाफ चल रहा है। वह सस्पेण्ड नहीं हुआ इसके बारे में मंत्री महोदय जवाब दें।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे समाज की जो व्यवस्था है, उसमें

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

पुलिस से यह आशा नहीं कर सकते कि वह देवता बन जाए। इनहैरेन्ट कुछसमाज की क्रियाएं हैं, जिनसे हमें आशा करनी चाहिए कि हम क्या बनते जा रहे हैं। अपराध है, अपराध-वृत्ति है। समाज में विषमता है। विरोधी पक्ष के सदस्य बराबर डर बताते हैं कि जो कुछ गुजरात में हुआ वह राजस्थान में होगा। लोकतन्त्र में उनका विश्वास नहीं है। पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है लेकिन, ये हमारे सामने बैठने वाले सदस्य यह कहें कि बिहार लूटेंगे, राजस्थान भी लूटेंगे तब आप और हम यहां नहीं रहेंगे। यह सदन भी नहीं रहेगा। केवल पुलिस राज ही रहेगा। तो आपको और हमें निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन करना है, मेरे पास अनफारचुनेटली क्या निवेदन करने का है। यह पुलिस की डिमाण्ड है, कहने को कुछ नहीं है, कहूं क्या? एक निवेदन करना चाहता हूं—राजस्थान की पुलिस में और बम्बई की पुलिस में क्या फर्क है। यहां पुलिस का कोई रिसर्च का डिपार्टमेन्ट नहीं है। क्या सजेशन दूं। आज कुछ तैयार नहीं है। इतने बड़े अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर हैं और पुलिस के आई० जी०, डी० आई० जी० और इतने बड़े बड़े दिमाग के लोग बैठे हैं। इंडियन पुलिस सर्विस के आदमी हैं। फिर मेरी क्या मान्यता है जो यह कहे कि इसमें सुधार किया जाये, छोटी मोटी बात कह सकता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अपराध वृत्ति है। इस अपराध वृत्ति में लेडीज को लेकर 100 मर्डर होते हैं अर्थात् सेक्स को लेकर 100 मर्डर होते हैं, रजाबंदी को लेकर 125 मर्डर हुए और आपसी दुश्मनी को लेकर 246 मर्डर हुए। ये ज्वलंत आंकड़े हैं। एक दो बात और कहना चाहूंगा। हमारे सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जोर से बोले कि आंकड़े सही दिये गये हैं और हर साल पांच हजार बढ़ते जा रहे हैं। मैं भी मानता हूं कि जो आंकड़े दिये गये हैं वे सही हैं। इसका अनालेसिस करें कि हमारा समाज कहां जा रहा है? क्या करना है उसके लिए? और अगर पुलिस को ही दोष देने लगे तो एक बात कह दूं, रात दिन कहता हूं, मंत्री महोदय छंगानी साहब भी जानते हैं, एक नई चीज पैदा हुई है जैसे ही मोटर से उतरेंगे चार सिपाही आकर आपको खड़ा कर देंगे। छोटे मोटे अपराध माफ। यह सत्ता से भी भयंकर होगा आप भी जानते हैं। सत्ता से कितना भयंकर है। आदमी डर जाता है।

एक कहानी आती है। मेवाड़ स्टेट थी। वहां पर एक नया हाकिम आया। पुलिस ने सलामी दी 500 आदमियों की। वह एक रोज दरबार में बैठा हुआ था, वेश्याएं गा रही थीं कि उनको गश आ गया। भीमसिंह साहब उनका नाम था। गश खा गये। सत्ता के मद में थे। वे गश खाकर गिर पड़े। सत्ता का मद था। इसलिए मंत्री महोदय को समझ में नहीं आ रहा है कि वे कहां चले जा रहे हैं। थोड़ा रुक कर देखिये। यह किस सम्मान के लिए आप सलामी ले रहे हैं। यह आपके पास में गनमैन रहता है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि यह हमारी आपकी अवस्था है। जनतंत्र बचपन में है। घंटी बजा रहे हों तो कह दें। एक मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा। यह गनमैन पुलिस का नौकर आपके साथ जाता है, सिपाही जहां जाते हैं बिखर जाते हैं यह जनता के प्रतिनिधि करते हैं। क्या करें, यह हमारी मजबूरी है। इस विद्रोह के शमन

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
में, पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी को लेकर बैठे हैं, जिसे कोई नहीं मानता है, न सर्विसेज मानती हैं, न दूसरी पार्टियां मानती हैं, कांग्रेस वाले मान कर बैठे हैं, तो बैठे रहें । मेरी मान्यता है, कि जिस देश में इतना बड़ा विद्रोह हो, इतनी बड़ी चिन्ताएं हों और जहां पर विपक्ष इतना पंगु हो वहां पर पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी चलेगी, इसको सोचना पड़ेगा कि क्या इसको बदल दें ?

एक और निवेदन करके मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा । हम बड़े बड़े जलजले देख चुके हैं । ओ० एण्ड एम० बना रखा है । सब काम कर रखा है । आप एक बात बता दीजिये । यह क्लर्क्स की श्रेणी क्यों बना रखी है ? एल० डी० सी०, यू० डी० सी०, सेक्शन आफिसर ये श्रेणियां क्यों हैं ? कई चपरासी बाहर खड़े रहते हैं । अन्दर प्रवेश नहीं कर सकते । बड़े बड़े अधिकारी, एम० एल० ए० अन्दर नहीं जा सकते । मंत्रियों के कमरे में नहीं जा सकते । सेक्रेटरी के कमरे में नहीं जा सकते । चपरासी बाहर खड़ा है । इसलिए हमने जनतन्त्र का नाम ले रखा है ? यह मखौल बना रखा है समाजवाद का ? जैसा कि अमृतलाल जी गहलोत ने कहा है, समाजवाद का नारा है और जनतन्त्र का बाना पहन रखा है । बाकी कहीं कुछ नहीं है । स्कूल में जाएंगे मिनिस्टर साहब, राजघराने की याद आ जाती है । एक नई प्रथा इन्ट्रोड्यूज कर रखी है, उनकी आरती उतारी जाती है । यह आश्चर्यजनक है जैसे कि पहले जागीरदारों की पूजा की जाती थी। पांच रुपये का नोट उसमें डाल देते हैं । यह क्या मखौल है । भगवान के नाम पर इसको बदलने की कोशिश कीजिये । आज इस तरह का शोषण नहीं चलने वाला है और इन आरतियों को, इन गीतों को अपने सम्मान में, मुख्य अतिथि के तौर पर बंद कराइये । कम से कम छंगानीजी आप तो इस को इन्ट्रोड्यूज नहीं करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है ।

श्री सभापति : श्री चतुर्भुज ।

श्री भगराज चौधरी : मेरा नम्बर कब आयेगा ?

श्री सभापति : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं क्रम से ले रहा हूं और उसके हिसाब से जब भी आपका नम्बर आएगा आपको समय दूंगा ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सभापति महोदय, बच्चों की तरफ तो आपका ध्यान है ? बच्चों की तरफ भी ध्यान दें ।

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य हैं, बच्चे नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : बच्चा ही मान रखा है तब ही तो समय नहीं मिल रहा है ।

श्री गुरदयालसिंह संधू : टाइम नहीं मिला हमारी पार्टी को ।

श्री केसरी मल : हमारी पार्टी का टाइम समाप्त हो गया क्या ?

श्री सभापति : सबको मौका मिलेगा ।

श्री भगराज चौधरी : जिस क्रम में कटौती प्रस्ताव आये हैं

श्री सभापति : जो क्रम निर्धारित किया गया है अध्यक्ष महोदय द्वारा उसी क्रम से मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं । इसमें

(श्री सभापति)
अगर कोई फेरबदल कराना है तो आप अध्यक्ष महोदय से निवेदन करें ।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिन माननीय सदस्यों को समय दिया है वह उस क्रम के अनुसार नहीं है ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था आसन की तरफ से की जा रही है उसकी मैंने जानकारी दे दी । आप आसन ग्रहण करिये ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने इस पुलिस के ऊपर अपने अपने विचार पेश किये हैं, और जो भी वातावरण देखने में आता है तो आम तौर पर आम जनता का यह विभाग रक्षक है, और हर व्यवस्था के लिए, मनुष्य जीवन के लिए हर विभाग इसी पर नजर रखता है । तो सारा ढांचा हमारा पुलिस के ऊपर है । सारी कानूनी व्यवस्था इसी के द्वारा हम संचालित करते हैं । लेकिन जो आज या आज से पहले सदन में विचार आ रहे हैं और आज हमारे सामने स्थिति है उसके लिए आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सुधार होना चाहिए और बड़े बड़े अधिकारियों को सुझाव देना चाहता हूं कि यह आपका है और जनता भी आपकी है और जनतन्त्र भी आपका ही है । आज के हमारे युग में, जनतन्त्र के युग में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है । समाजवाद की बात हम लेकर चले हैं । यह हमारा विश्वास है कि समाजवाद भाषणों से नहीं आ सकता । वह कार्यों से आयेगा, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं और आपके द्वारा यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह जनतन्त्र का जमाना है । उसमें आज जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं वह परेशान हैं पुलिस के इन्तजाम के बारे में । हम सन् 62 से सीलिंग की बात कर रहे थे जिसको किया तो आज तक कामयाब नहीं हुए । यह उस वर्ग की कमजोरी है । दूसरा यह भी हमारे सामने है कि आये दिन जो मुकदमाबाजी नहीं चलनी चाहिये वह चल रही है । अधिक मुकदमाबाजी बढ़ रही है जो कि नहीं होना चाहिए । वह जान बूझ कर यह मुकदमें आगे से आगे बढाये जाते हैं । हर तहसील मे यह कमजोरी है । शायद इसके लिए हमारे इलाके में दलाल हैं । हमारे अन्दर भी बेई-मानी है । हम लोगों में भी बहुत से बेईमान हैं । वह ईमानदारी का बिलकुल नाश करना चाहते हैं और ईमानदारी के काम को आये दिन खत्म करते जा रहे हैं इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट आपके विभाग में आये तो उस पर कन्ट्रोल करें, और ऐसी बात आ जाय तो उस पर तत्काल काबू पाया जाय तो हो सकता है कि वह बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी ।

इसमें साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविक बात यह जरूर है कि कान्स्टेबल जो पुलिस का है उसके वेतन में काफी कमी है । लेकिन इसके साथ ही हम यह भी मानकर चलते हैं कि पुलिस के जो छोटे मोटे अधिकारी होते हैं और राजस्व विभाग के अन्दर पटवारी होते हैं इनके वेतनों में कमी है और उसके कारण ही हो सकता है कि भ्रष्टाचार फैलता है । या राज्य सरकार को मालूम है और बड़े से बड़े अधिकारियों को भी मालूम है इसकी

(श्री चतुर्भुज)
जिम्मेदारी नुमायन्दों के सामने है । इसका कोई रास्ता ढूंढ़ना होगा । इस बीमारी को रोका जाय और आम जनता की रक्षा के लिये कोई तरीका अपनाना जरूरी है ।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देवली क्षेत्र में जिसमें मेरी कान्स्टीटुएन्सी आती है वहां 28 तारीख की घटना बताऊं आपके सामने । 28, 29 व 1 तारीख को रतनलाल सुनार जो 10 साल से जुर्म करता आ रहा है – उसको डकैत कह दें, चोर कह दें या जो भी कहना हो वह कह दें । उस पर 8–10 साल से पुलिस कन्ट्रोल नहीं कर पाई है । वहां पर छात्रों ने आन्दोलन किया और उससे 10 बोर की बंदूक बरामद की है और एस० पी० साहब के आर्डर से उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको थानेदार साहब ने वहां से हटा लिया । इसलिये वहां से उन थानेदार साहब को हटा दें नहीं तो वापिस आग भड़क जायगी । छात्रों ने जो कुछ किया है वह न्यायपूर्वक किया है । पुलिस जो काम 2 साल में नहीं कर सकी वह छात्रों ने किया है । छात्रों ने 10-10 चोरियां बरामद कीं और करके सरकार के सामने रखीं । यह काम पुलिस का है जो काम छात्र कर रहे हैं । इसका नतीजा हमारे सामने आ गया । महरबानी करके इस बात पर ध्यान दें ।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील के दायरे में ही थाना होना चाहिये । हमारे यहां तहसील तो लगती है आमेर और थाना लगता है सांगानेर । इससे गरीब काश्तकारों को परेशानी होती है । इस कारण से न तो उनकी रिपोर्ट दर्ज होती है और न्याय लेना चाहते हैं वह नहीं मिलता है । वह मारे मारे फिरते हैं । इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हर तहसील में एक थाना होना चाहिये जिससे किसान लोगों को फायदा हो । थाना और तहसील एक ही जगह होना चाहिये नहीं तो यह देहात के लोगों के लिये खतरनाक है । तहसील हो तो उसी तहसील के दायरे में थाना होना जरूरी है, नहीं तो गरीब लोगों को न्याय मिलने का सवाल नहीं है । इसके कारण से कई लोगों को फसलों से हाथ धोना पड़ता है, कई लोग अपने जीवन को खतरे के साथ निभा रहे हैं । मैं सजेशन देता हूं कि तहसील के दायरे में ही तहसील और थाना होना चाहिये । तहसील का ही थाना लगना अनिवार्य हो । मैं ज्यादा समय न लेकर यही कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी ।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने पुलिस और सामान्य प्रशासन की मांगें चल रही हैं । अभी मेरे से पूर्व एक माननीय सदस्य ने जनतन्त्र के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये थे । यह कहा था कि हमारे मंत्री पुलिस की सेल्यूट लेकर अपने आपको भूल जाते हैं । सेल्यूट क्या आवश्यक है ? और, बड़े व्यंग्यात्मक रूप में सारी स्थिति का दिग्दर्शन कराया । आज मैं भी सोचता हूं कि वास्तव में राजस्थान मंत्रिमंडल जो काम चला रहा है, क्या हमारी नीतियों और घोषणाओं के और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप पूरा किया जा रहा है । और यदि यह बात सच है तो यह मान कर चलें कि यह हमारा शासनतन्त्र कमिटेड शासन तन्त्र है और वह डेमोक्रेटी

(श्री मनोहर कोठारी)

में विश्वास करता है। लेकिन मुझे स्थिति कुछ और नजर आती है। हमारे मंत्रिमण्डल को सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, शासनतन्त्र के द्वारा, वे सूचनाएं चाहे कितनी तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत की जावें, वह सही हैं। लेकिन जन प्रतिनिधियों द्वारा चाहे कैसी भी सूचनाएं दी जायें तो उन पर उन्हें भरोसा कम होता है। अगर ऐसा है तो हमारे मन्त्रिमण्डल को इस ब्यूरोक्रेसी के लिए भी शपथ ली जाये। जैसे कि हम निर्वाचित होकर आते हैं, हम संविधान की शपथ लेकर खड़े होते हैं।

मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग रियासतों के रूप में बिखरा हुआ था। और, उस जमाने में जिन गांवों और जिन कस्बों और शहरों को जो महत्व दिया गया है उन्हीं आधारों पर हमने भी उस सड़ी-गली व्यवस्था को आधार मानकर अपनी व्यवस्था करना शुरू किया है। मुझे क्षमा किया जाये यदि मैं यह कहूं कि गत वर्ष भी मैंने यह निवेदन किया था कि यहां पर प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना करनी चाहिये। जो प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर बनाये हैं, यह ठीक है कि आपने किसी खास पुरानी राजधानी को नहीं माना है। लेकिन जो एस०डी०ओ० के हैडक्वार्टर बनाये हैं वह उन्हीं दिनों के बने हुये हैं। वह अपनी सारी व्यवस्था उन्हीं के आधार पर करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि हमने पुलिस की रिआर्गनाइजेशन रिपोर्ट को सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है। पहले तो ऐसा लगा कि बहुत कुछ सुधार की बात है। लेकिन थोड़ा सा सोच कर देखा तो मुझे बड़ा असन्तोष ही नहीं हुआ, सभापति महोदय, मुझे भयंकर निराशा हुई है। नाथद्वारा में सी०ओ० के हैडक्वार्टर को तोड़ कर उदयपुर के साथ जोड़ा जाता है। नाथद्वारा में एस०डी०एम० का हैडक्वार्टर नहीं। उदयपुर में एस० पी०, एडीशनल एस०पी०, डिप्टी एस०पी०, सी०ओज० और थानेदार भी हैं। यह स्थिति होते हुए भी हम इस बात का लोभ संवरण नहीं कर सकते हैं। पुलिस के रिआर्गनाइजेशन के आधार पर नाथद्वारा तहसील के थानों को उदयपुर के साथ जोड़ दिया जाये। यह क्या सुधार की बात है? जो हमारे यहां चौकियां हैं, उनको तोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, यदि हमारी यही मंशा है, यही स्थिति है तो निश्चित तौर से न्याय और शान्ति के प्रयत्नों को जिन्दा नहीं रखेंगे। शान्ति के बारे में मैं सोच नहीं रहा हूं। नाथद्वारा का जो उग्र वातावरण है, जो स्वभाव है, वह राजस्थान के मंत्रिमन्डल और शासन तन्त्र से छुपा हुआ नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वहां थानेदार के बजाय सी०आई० को रखा है।

श्री मनोहर कोठारी : मैं जानता हूं।

अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वहां भीड़ की सिचुएशन को देखकर उदयपुर कलेक्टर को लाइटनिंग काल किया उन्होंने कहा कि हम फोर्स भेज रहे हैं। सभापति महोदय, परिणाम क्या हुआ। 3 घंटे बाद वहां पर फोर्स पहुंची। आप यह कहकर सन्तोष नहीं दिला सकते हैं कि थानेदार की जगह सी०आई० को रख रहे हैं। मैं कहता हूं, आप रीआर्गनाइज कीजिये। नाथद्वारा का एस०डी०ओ० उदयपुर में रहता है। तो मैं

(श्री मनोहर कोठारी)

मांग करता हूं कि एस०डी०ग्रो० नाथद्वारा में रहना चाहिए। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ग्रौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रखने की बात है। दुर्भाग्य है कि ग्राज की स्थिति पर बैठकर हम विचार नहीं करते हैं। हमारे जो बड़े ग्रधिकारी वर्ग हैं, उन्हीं के साथ बैठकर निश्चय कर लेते हैं। जो वस्तुतः थोड़ा भी श्रेयस्कर नहीं होता है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि यहां 5 डिवीजन थे। 5 डिवीजनल कमिश्नर थे। उनको तोड़कर यह बताने की कोशिश की गई है कि हम थोड़ा ग्रपने प्रशासन में सुधार लाना चाहते हैं। बीच की एजेन्सी को तोड़कर ग्रापने यह दिखाने का प्रयास किया है। ग्राज हम देखते हैं, सभापति महोदय कि ग्रनेक कमिश्नर पैदा हो गये हैं। ग्रनेक कमिश्नरों के पद बना दिये गये हैं। एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पद बनाया गया है। ग्रगर ब्यूटी-क्लीनिक या हयार्की जिन्दा रखना चाहते हैं तो मुझे ग्रफसोस होता है। सभापति महोदय, हम यह सोचते हैं, ग्रसिस्टेन्ट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी व एडीशनल सेक्रेटरी, हम यह हजूम बढ़ाते जा रहे हैं। हम यह हजूम राजधानी में बढ़ाते जा रहे हैं। इस दृष्टि से जहां व्यवस्था करने की ग्रावश्यकता है, वहां ध्यान नहीं देते हैं। सभापति महोदय, मैं नाथद्वारा पुलिस की ग्रोर ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। 3 थाने हैं, नाथद्वारा तहसील में। इन 3 थानों में नाथद्वारा खास का थाना जिसकी बिल्डिंग गतवर्ष बनाई गई है, ग्रभी भी थाना उस बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हुग्रा है। छोटी मोटी जगह की बात ही ग्रलग है। प्रोपर देलवाड़ा थाना इस प्रकार का है कि सिपाही बरसात में मारे मारे फिरते हैं। कहीं बैठ नहीं सकते हैं। मुलजिमों की ग्रोर दुर्दशा है। वह मकान भी किसी प्राईवेट व्यक्ति ने खरीद लिया है। मुझे सूचना है कि उसने नोटिस भी दे दिया है। ग्राप देलवाड़ा का थाना बनायें। खमनोर थाना तो है लेकिन मकान में पुराना जखीरा भरा है। पुराना रिकार्ड भरा है। पता नहीं उसको ग्रार्कियोलोजी डिपार्टमेन्ट में भेजना है या रद्दी के रूप में काम ग्रायेगा। पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि ग्राप इन दोनों थानों की जो बिल्डिंग हैं, उन बिल्डिंग की व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान कीजिये, ग्रौर इस वर्ष इन थानों की बिल्डिंग किसी तरह से बन जाय, इसकी थोड़ी ग्राप कोशिश कीजिये।

माननीय सभापति जी, मैं निश्चित तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि सिद्धान्ततः वह रिपोर्ट ग्राप स्वीकार कर लें लेकिन नाथद्वारा को उस सिद्धान्त की सीमा के बाहर निकाल दीजिये। नाथद्वारा में डी०एस०पी० के ग्रॉफिस को रखने की बात सोचनी चाहिए। ग्रास पास के थानों को जोड़ कर, इसकी जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता को बना दिया जाय, तो समझ में ग्राता है। सारी चीजों को उदयपुर में एकत्रित करने की बात सोचते हैं तो यह व्यवस्था की दृष्टि से उचित है, लेकिन शांति ग्रौर सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एस०डी०ग्रो० हैड क्वार्टर के बारे में लम्बे ग्रर्से से ग्रापके यहां पर बात चल रही है। हमारा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। हमारी इस महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उस दृष्टि से सोच नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ग्राप महरबानी करके इस संदर्भ में भी थोड़ा सा उस पर विचार करें। नाथद्वारा की ग्रहमियत ग्रौर नाथद्वारा की जो स्थिति है, राजस्थान में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान

(श्री मनोहर कोठारी)
है, उसको ध्यान में रखते हुए, आये दिन वहां मेले-ठेले होते हैं, तब बाहर से वहां फोर्स भेजनी पड़ती है, आये दिन वहां झगड़े होते हैं, तो बाहर से फोर्स भेजते हैं । इसमें अनावश्यक रूप से जलालत उठानी पड़ती है राज्य सरकार को । मैं चाहता हूं, इस संदर्भ में सोच कर यदि एस०डी०ओ० हैड क्वार्टर नहीं हो, तो पुलिस के सी०आई० हैड क्वार्टर को बदलते हैं, तो महरबानी करके सी०आई० हैड क्वार्टर को नाथद्वारा में रख दीजिये, डी०एस०पी० हैड क्वार्टर को नाथद्वारा में रख दीजिये । फिर एस०डी०ओ० हैड क्वार्टर भी नाथद्वारा में लाया जाय-इस बात की मांग हम प्रस्तुत कर सकें । यही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्री गुरदयाल सिंह ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : सभापति महोदय, इस डिमाण्ड पर बोलते हुए सबसे पहले मैं जयपुर शहर की बात कहना चाहता हूं । मैंने सुबह इस सदन में इस संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था । अभी अभी जयपुर शहर में एक नये एस०पी०, गुप्ता आये हैं । वह जिस दिन से आये हैं उन्होंने कोशिश की है कि इस शहर में अच्छी तरह उनका रौब जम सके, इसलिए रात्रि को बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल कर रात के अन्दर कोई नहीं मिलता है, रिक्शे वाले मिलते हैं, उनको अच्छी तरह से पीटते हैं । यह बात रोज की है, एक दिन की नहीं है । मैं ऐसे नाम बतलाऊंगा । गत 16 मार्च को, 17 मार्च को पोलोविक्टरी के सामने, चौधरी होटल और नीरोज–इन स्थानों पर लोगों को, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, पांच सात को उन्होंने अच्छी तरह से पीटा, खूब उनकी पिटाई की । और कुछ लोग देखने वाले भी थे, आज तक उन्होंने यह बात बतलाई नहीं । अभी भी ऐसी स्थिति चल रही है जयपुर शहर के अन्दर । पिछली 8 तारीख को दिन के 4 बजे एक रिक्शा ड्राइवर आदर्श नगर से चला था और उसका नाम है मि० मोहन, वह जब बर्फखाने के पास आया, तो आदर्श नगर का पुलिस स्टेशन है, वहां उसको पकड़ लिया और कहा, कौन है रिक्शे में । रिक्शे में एक स्त्री और एक आदमी जो बैठ हुए थे, उनको पकड़ कर थाने में ले गया । स्त्री को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आदमी जो बैठा हुआ था नरेन्द्र, रिक्शे वाले और उसको, दोनों को थाने में ले जाकर, शेरसिंह नाम का ए० एस० आई० है, उसने पीटा और पीट कर जेल के अन्दर बन्द कर दिया । जेल के अन्दर बन्द करने के बाद कोई छोड़ नहीं सकता । लेकिन दूसरे दिन इन्हें छोड़ दिया गया और दो सौ रुपये लिये गये । अब 18 तारीख से फिर तंग किया जा रहा है कि सौ रुपये और बाकी हैं क्योंकि हमारा इन्चार्ज है, उसको पता लग गया है कि दो सौ लिये हैं इसलिए सौ वह भी मांगता है । 18 तारीख से तंग किया जा रहा है । जयपुर शहर की हालत मैं बता रहा हूं, एस०पी०, डी०एस०पी० और सिपाहियों की फौज रात को चलती है । नये नये एस०पी० आये हैं गुप्ता, वह अपना रौब जमाना चाहते हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : रिक्शे वालों को ही रात को क्यों पीट रहा है ?

श्री गुरदयाल सिंह संधु : रिक्शे वाले ही रात को मिलते हैं और मिलते कौन हैं । वही बेचारे रात को मिलते हैं ।

मैं यह कह रहा था, एक यह वाकया रखना चाहता हूं, भरतपुर में एक गांव है आजाद नगर, उस गांव के अन्दर छः तारीख

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

को, छः मार्च को यू०पी० पुलिस आई। पुलिस उससे पहले तीन तारीख को भी आई थी। वहां पता चला था, मफरूर यू० पी० का आया हुआ है। वहां से 12 आदमियों को पकड़ कर वह ले गये। उन्होंने कहा कि जब तक मफरूर को पेश नहीं करोगे तब तक इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो गांव वालों ने उसको बांध कर 4 तारीख को लोकल पुलिस के हवाले कर दिया। छः तारीख को पुलिस आई और वह बारह आदमी बन्द रहे यू०पी० में, वह 8 तारीख को छोड़ गये हैं, बगैर किसी जमानत के, बगैर किसी मुकदमे के। 8 तारीख तक उन्हें वहां रखा गया। छः तारीख को पुलिस आई, पुलिस के बहुत आदमी आये। किसान जो थे, वह बेचारे खेत में गये हुए थे। वह औरतों को पकड़ कर बाहर ले गये, और तीन जवान लड़कियों, अभी अभी जिनकी शादी हुई थी, और कुछ औरतों के उन्होंने जेवर उतारे, बहुत से जेवर। एक लड़की की एक एक तोले की हंसली थी, एक की डेढ़ तोले की हंसली, और एक की दो तोले की हंसली, कानों के टाप्स थे। इस तरह पांच छः औरतों के यह सारे जेवर उतार लिये। जेवर उतारने के बाद वह चिल्लायीं, तो हरीसिंह मदद के लिए आया। उन्होंने उसको रोका। उसने कहा, यह बात मत करो, इनकी तुम बेइज्जती कर रहे हो यह हमारी लड़कियां और औरतें हैं। उन्होंने कहा, आगे आये तो गोली मार देंगे। उसने कहां, आगे तो आऊंगा। वह आगे आया तो उसको गोली मार दी। गोली उसके सीने पर लगी और वह वहीं मर गया। तीन आदमी और आये, बराबर एक एक करके गये, तीनों को एक एक करके गोली मार दी। तीनों भरतपुर के हास्पिटल में हैं, और उनके नाम हैं, एक का नाम है भरा-राम, एक का नाम है तुलाराम, एक का नाम है भीमाराम। तीन आदमियों के गोली मार दी। जब वह पुलिस वाले भागने लगे, उस समय तक एक तो वहीं मर गया और तीन आदमियों के गोली लगी, वह भागने लगे तो औरतों ने सिपाही को पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हो सकी है। यह एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में भी इस सदन में मेरी पार्टी की तरफ से भेज दिया गया है। यह हालत उस क्षेत्र की है। यह पुलिस डिमाण्ड के समय सारी बातें मैं कहना चाहता हूं।

9 जनवरी को मैं भरतपुर गया था भरतपुर में गोली चली थी स्टूडेंट प्रोसेशन पर। 10 तारीख को कलेक्टर ने मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग के अन्दर रिप्रेजेंटेटिव थे अखबारों के, उन लोगों ने जब बात की तो एस० पी० बुरी तरह से पेश आया। वह लोग बायकाट करके चले आये। आज तक वह बायकाट पर चल रहे हैं लेकिन उनकी दर्ख्वास्त पर ध्यान नहीं दिया गया है। जो गोली वहां पर चलाई गई, उसके संबंध में जांच नहीं हुई है।

एक और मामला मैं कहना चाहता हूं अपने क्षेत्र का। हमारे यहां पर दो साल पुराना वाकया चल रहा है, बूढ़ा जोड़ गांव का गुरुद्वारा है सिक्खों का – उस गुरुद्वारे पर 23-2-72 को कुछ गुण्डों ने कब्जा किया। इस सदन के अन्दर हमें बतलाया गया कि वह कब्जा करने वाले लोग थे, वह फेरूमान ग्रुप के थे। यह बिल्कुल गलत है, वह नन्हे कोर ग्रुप के लोग थे। नन्हे कौर श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ गंगानगर में रात को बैठी हुई थी। वहां से अपने गांव, जो पहले चक नारायणसिंह गांव कहलाता था, यहां आकर प्लान बनाया,

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

बूढ़ा जोड़ के गुरुद्वारे पर कब्जा किया जाय। इस पर कब्जा करने वाले लाल कुर्ती के थे। अनूपगढ़ पंजाब के अन्दर उनका गिरोह मारा गया था, उसके वह लोग थे। उन लोगों ने कब्जा किया। मुझे बतलाया गया इस सदन के अन्दर एक प्रश्न के उत्तर में कि वहां पुलिस इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने शिकायत की थी कि यहां झगड़ा होने का खतरा है। यह बिल्कुल गलत बात है। 23 तारीख को कब्जा किया, वहां के सेवादार को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। सेवादार को 24 तारीख को रिहा किया गया। 24 तारीख को सेवादार ने इस बात का पर्चा दिया, मौके पर पर्चा दिया, एस०डी०-एम० को, पुलिस का वहां कैम्प लगाया हुआ था, 23 तारीख को वहां बैठा था, वह रक्षा के लिए था ताकि उस इलाके के लोग तंग न करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस गिरोह में तीन लोग थे, नन्हे कौर, वर्षासिंह साथ रहता है, वह प्रधान मंत्री से महीने में एकआध बार मिल कर आता है और उसका भतीजा सुखमन्दिर सिंह, यह गंगानगर का उसके साथ था। इसके अलावा उस गिरोह के अन्दर दलीपसिंह एक व्यक्ति था वह लाल कुर्ता गिरोह में आनंदगढ़ में गोली से मार दिया गया था, उनमें से एक आदमी था। सरकार कहती है कि वह लाल कुर्ते का आदमी नहीं था, तो यह गलत बात है, वह लाल कुर्ते के गिरोह का था। इसलिए इस समय तक वहां का सिख संतुष्ट नहीं होगा जब तक आप अपने को उनके सामने नहीं रखेंगे।

जो हमारे सिख हैं उनको गंगानगर में नहीं भेजते और गैर सिखों को वहां भेजते हैं यह तो नीति आपने अपनाई है, वह बदलनी चाहिए, सिख और गैर सिख के भेद को मिटाना चाहिए। मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं जब एलाटमेंट के समय कहा था, आज फिर कहूंगा कि आपने किस तरह की नीति अपनाई है, इसलिए इस नीति को बदलें।

मैं जिस तहसील से आया हूं वहां जो थाना है वहां एक जिला सिंह, एस०आई० लगा हुआ है कई वर्षों से गंगानगर में बैठा है। गंगानगर में लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि वहां पैसा कमाते हैं, वह आदमी लोगों पर झूठे मुकदमें बनाता है, रिश्वतें लेता है। एक दिन उसने हनुमानगढ़ इस बात के लिए फोन किया कि एक सज्जन सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा बनाया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर एक झगड़ा था, उसको हटाया था। पुलिस ने रिश्वत लेकर गड़बड़ की है और वह चाहता था कि सज्जन सिंह को उसमें फंसाया जाए। मैंने एस०पी० गंगानगर को लिखा, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह नीति अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को वहां न रखा जाए।

रोडवेज के संबंध में मेरा निवेदन है कि गंगानगर में जो बसें चल रही हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, गंगानगर और पदमपुर के बीच 84 बसें चला करती थीं, इस समय 35 बसें हैं और वह भी डिफेक्टिव हैं, किसी में टायर्स नहीं किसी की बोडी टूटी हुई है, कोई रास्ते में खड़ी हो जाती है। उसमें बहुत करप्शन चल रहा है। जैसे पदमपुर से किराया 1.85 है तो वे दो रुपए से कम नहीं लेते। कहते हैं कि चेंज नहीं है, हरेक के पास तो 85 पैसे नहीं हैं। मैं कहूंगा कि इस राज्य के अंदर रुपये के 100 पैसे नहीं मिलते हैं, इस सरकार को इतना कह देना चाहता हूं कि आपके रुपये की 100 पैसे कीमत नहीं,

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
एक रुपये के 85 पैसे हम दे रहे हैं। यह आपके राज्य की कहानी है। गंगानगर में रोडवेज में पिछले तीन सालों में 134 आदमी भर्ती किए गए थे उनमें से मोस्टली वे आदमी हैं जो गंगानगर जिले के नहीं हैं। सूरतगढ़ फार्म में 8 हजार आदमी काम कर रहे हैं, उसमें से 4 गंगानगर जिले के हैं बाकी उत्तर प्रदेश के हैं। दो हजार डेयरी फॉर्म में काम कर रहे हैं उनमें एक आदमी राजस्थान का बाकी सारे यू० पी० के। जब रोडवेज की बारी आती है तो तीन साल का रेकार्ड उठाकर देखें। 134 आदमियों में से सारे आदमी गंगानगर जिले के बाहर के हैं। सिवा 40-50 के, उनमें तीन साल के अंदर 30-35 डिसमिस कर दिए गए किसी न किसी बहाने। सरकार को गंगानगर के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उनके सर्विसेज के साधन बढ़ाने चाहिए क्योंकि वहां कोई उद्योग नहीं है लोग बेकार बैठे हैं उनके लिए कोई काम नहीं है, यही काम है और उन कामों में बाहर के लोग लाकर भर्ती किए जांय तो ठीक नहीं।

आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि सरकार अपनी पक्षपात की नीति को खत्म कर दे। हम लोग विधान सभा में 1972 में आये थे। हम लोगों ने कुछ स्कूटर व फीयेट गाड़ियों के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किए थे लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं उधर के लोगों को मिल रहे हैं, यह पक्षपात की नीति अगर बंद नहीं करेंगे तो हम इसके लिए जरूर शोर मचायेंगे। मेरा नाम 12 नम्बर पर था, अध्यक्ष महोदय ने मेरे आवेदन-पत्र पर सिफारिश की थी लेकिन हम लोग स्कूटर नहीं ले सकते क्योंकि कांग्रेस वालों को मिलेंगे तब हमारी बारी आएगी एम० एल० ए० हों, उधर बैठने वाला हो, तो मिलेगा, उसकी गंगानगर में ब्लेक करते हैं उधर बैठने वाले, स्मगलिंग करते हैं लेकिन हम लोगों के लिए स्कूटर्स नहीं हैं।

अंत में यही कहूंगा कि सरकार अपनी नीतियों को ठीक करे और जो 3-4 आरोप मैंने लगाए हैं, उनका मुझे उत्तर मिलना चाहिए।

श्री सभापति : श्री शंकर लाल।

श्री शंकर लाल (पाली) : सभापति महोदय, पुलिस और सामान्य प्रशासन के जरिए हमारी सरकार में प्रतिदिन आम जनता को काम पड़ता है और सरकारी नीतियों का इम्पलीमेंटेशन इन्हीं दो मशीनरियों के जरिए होता है। सर्व प्रथम यह होना चाहिए कि जो भी प्रशासन में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं जो भी पुलिस कर्मचारी हैं, वे सब सरकार की घोषित नीतियों के अनुसार काम करने वाले हों। मैं व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारियों के नाम गिनाने बैठूंगा तो समय लगेगा लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं, स्वयं बड़े बड़े अधिकारी जानते हैं कि सरकार की घोषित नीतियों के विपरीत कई जगह सरकार कर्मचारियों का खुद का दिमाग बना हुआ होता है, सरकारी नीतियों में विश्वास नहीं रखते और सरकारी नीतियों का इम्पलीमेन्टेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका सरकारी नीतियों में विश्वास नहीं है चाहे राष्ट्रीयकरण की नीति हो, चाहे वितरण की हो, अगर सरकारी कर्मचारियों का मन और पुलिस कर्मचारियों का मन उसके अनुसार होता है तो इम्पलीमेन्टेशन होता है। यह कैसे सभंव है? सरकार को देखना चाहिए जहां कहीं इस प्रकार के मामले आयें तो जांच करे, उनको दंडित ही नहीं करें बल्कि निष्कासित करना चाहिए जो सरकारी

(श्री ...)

नीतियों में विश्वास नहीं करते। अब तो कर्मचारियों को काफी सुविधायें दे रखी हैं, उनका महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर कर दिया है, उनके ऊपर से मुकदमें उठा लिए गए हैं। एक तरफ तो नई सरकार ने इस प्रकार हाथ बढ़ाया है उनको इतनी सुविधायें दी हैं चाहे हम पर 10 करोड़ का भार पड़े चाहें रॉक-फास्फेट की 4 करोड़ की आमदनी दूसरे कामों में न लगाकर उनके महंगाई भत्ते में देना पड़े, जब सरकारी कर्मचारियों के प्रति इतनी उदारता हमने बरती है तो कर्मचारियों का भी कर्तव्य है कि वे हाफ-हार्टेडली काम न करें, उनको कम से कम इस बात को मानकर चलना चाहिए कि सरकार उनकी तरफ कितना ध्यान देती है, इसलिए वे ज्यादा मन लगाकर होल-हार्टेडली सरकार की नीतियों का इम्पली-मेंटेशन कराने में मन लगायें।

तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हमारा मौजूदा ढांचा है चाहे सामान्य प्रशासन का हो चाहे पुलिस का हो वह अधिकतर डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुआ है। आज हमारे यहां जो प्रजेन्ट ढांचा है उसमें डीसेन्ट्रलाइजेशन करने की जरूरत है। सभापति महोदय, इसमें मेरा निवेदन खास तौर से यह है कि हमें इसमें स्ट्रिक्टली और सतर्कता रखने की जरूरत है। वैसे हमने डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर से जो कमिशनर्स थे उनको हटाया है लेकिन उस काम को अपन ने हाफ हार्टेडली किया था। क्योंकि कमिश्नर्स तो आपने हटा दिये लेकिन जो बीच में कई आफिसर्स है जो कि डिविजनल हैडक्वार्टर्स में बच गये हैं जैसे आपके डी०आई०जी० पुलिस की जो पोस्ट्स हैं उसकी मैं समझता हूं सभापति महोदय कोई उपयोगिता ही नहीं है उसे एबोलिस किया जाना चाहिये। आपका डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स से सीधा सम्पर्क होना चाहिये। उसका संबंध सीधा राजधानी से हो चाहे वह सचिवालय स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डाईरेक्ट संबंध राज्य सरकार से होना चाहिये। इस बीच वाली मशीनरी को हटा दिया जाना चाहिये। आज आपके इन बीच के आफिसेज होने से काफी रेड टेपिज्म होता है। एक आदेश आप यहां से भेजेंगे। तब वह आगे जाकर उस बीच वाले आफिसर के पास जायेगा और वह आगे दूसरे गांव में भेजेंगे तो इस प्रकार रेड टेपिज्म को काफी बढावा मिलता है। उसको खत्म किया जाना चाहिये। ताकि आज जो अननेसेसरी बीच के लेवल पर जो देरी होती है वह समाप्त हो जाय। अगर हम इसको समाप्त नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमने जो डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर कमिश्नरों को हटाया था, जिस उद्देश्य से हटाया था वह पूरा नहीं हो पाता है। वह हाफ हार्टेडली काम हो जाता है।

सभापति महोदय, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिये कलेक्टर्स का एपाइन्टमेन्ट कर रखा है वह तो ठीक है लेकिन आज हम हमारे कलेक्टर्स हैं उनके पास काम अधिक है वह सारा जिले का काम देखता है। सारा डेवलेपमेन्ट का काम उसके पास है, सारा रेवेन्यू का काम वह देखता है, अपने जिले में जितनी भी ऑफिसेज हैं उनका काम भी वह देखता है तो इसका इफेक्ट यह पड़ता है कि वह सभी कामों में अपने आपको कन्सन्ट्रेट नहीं कर सकता है।

सभापति महोदय, आपने इनकी मदद के लिये जो एडीशनल कलेक्टर्स को लगाया

(श्री शंकरलाल)

है उनकी पोस्ट है वह ठीक है। क्योंकि वह एडीशनल कलेक्टर्स दूसरे काम काज जिला के देखता रहता है। रेवेन्यू की अपीलस वगैरह देखता है। पंचायतों के काम भी देखता है, अपीलस को सुनता है तो इससे कुछ काम का भार हल्का होता है पर मैं महसूस करता हूं सभापति महोदय कि एक कलेक्टर के पास अलग कई काम होते हैं। जिला की हर कमेटी का मेम्बर होता है, तो वह मैं समझता हूं सभापति महोदय, कलेक्टर अपने काम को ठीक से नहीं देख सकता। वह अपनी ड्यूटीज के साथ न्याय नहीं कर पाता है। पूरा समय नहीं दे पाता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो सेक्रेटेरियट में कई सेक्रेट्रीज हैं, डिप्टी सेक्रेट्रीज हैं और कई एसिस्टेन्ट सेक्रेट्रीज हैं उनमें से जो डिप्टी सेक्रेट्रीज हैं उनको अगर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एडीशनल कलेक्टर लगा दें तो काफी काम का सुधार हो सकता है। वह एडीशनल कलेक्टर ऐसा होना चाहिये कि वह एडीशनल टूरिंग जोब ही करता रहे। जो सब डिविजनल लेवल पर और तहसील लेवल पर जो काम होते हैं उन्हें निपटाता रहे। और दूसरे वाला एडीशनल कलेक्टर जो है वह दफ्तर में बैठा दूसरे केसेज निपटाता रहे चाहे वह रेवेन्यू के हों, चाहे क्रिमिनल के हों, चाहे डवलपमेन्ट के हों, चाहे अपीलस के हों वह उस कार्य को पूरा करता रहेगा। इससे हमारे जो कलेक्टर्स लोग हैं वह अपने काम के साथ न्याय कर सकेंगे। इसलिये सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जहां एडीशनल कलेक्टर्स हैं वहां पर एक और एडीशनल कलेक्टर लगा दिया जाय। सभापति महोदय, कई स्थान तो ऐसे हैं जहां पर एडीशनल कलेक्टर्स हैं भी नहीं तो मेरा निवेदन है कि अगर हम सेक्रेटेरियट से इन डिप्टी सेक्रेट्रीज को हटाकर वहां पर लगाते हैं तो हमारे राज्य सरकार के बजट पर खर्चा भी नहीं होगा और जिलास्तर पर कार्य में सुधार होगा। यहां पर सेक्रेटेरियट में डिप्टी सेक्रेट्री के लेवल पर जो बेकार समय लगता है वह रेड टेपीज्म बन्द हो जायेगा। आपके सेक्रेटेरियट में भी काम सुचारु रूप से चलेगा। इसलिये सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज जो हमारे राज्य सरकार में सेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पॉवर्स हो रहा है उसके अन्दर हमें डीसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पॉवर्स करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज हमारे राजस्थान में जो जिले बने हैं, जो तहसीलें बनी हैं उनमें किसी जिले में तो आपने एक एस० डी० एम० रखा है, दो बड़ी बड़ी तहसील रख दी हैं। दूसरी जगह आपने एक एस० डी० एम० के नीचे एक ही तहसील रखी है। किसी तहसील में गांव ज्यादा हैं, किसी सब-डिवीजन में गांव कम हैं। उसी प्रकार आपने तहसील कोई रखदी है, पंचायत समिति उसकी अलग ही लग रही है। मेरे पाली जिले में एक तहसील ऐसी है जिसमें 200 गांव हैं, दूसरी तहसील ऐसी है जिसमें सिर्फ 125 गांव ही हैं। इसी प्रकार थानों के मामलों में मैं निवेदन करना चाहूंगा, कई थानों के नीचे गांव अधिक हैं, तो कहीं थानों की नीचे गांव कम हैं। तो लोगों की ऐसी टेन्डेन्सी होती है कि कोई आदमी, ज्यादा गांव होते ह उसके अन्दर जाना पसन्द करता है चाहे वह कोई थाना हो, चाहे वह कोई तहसील हो। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज इनमें सुधार करने की जरूरत है। जो पुराने जिले और तहसीलें चली आ रही थीं वह चला

(श्री शंकरलाल)
रही है वही थाने चल रहे हैं। इसलिये मेरा आपके मारफत राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इन सभी तहसीलों का और थानों का फिर से रीआर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिये। इसका एक रूप होना चाहिये। चाहे थानों का मामला हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे तहसील हो इसका पुनर्गठन करना आवश्यक है। अगर आप यह करोगे तो ही आपके प्रशासन में सुधार होगा आपका कोई आधार तो होना चाहिये। आप उसके लिये आबादी का आधार रखें या गांवों का आधार रखें कुछ ऐसी बात रखें जिससे कि राज्य सरकार का कार्य सुचारु रूप से चले। जो हमारी तहसीलहो, थाने हों, वह बराबर हों। ऐसा करने से जनता को काफी राहत मिलेगी। और आपका कार्य सुचारु रूप से चलेगा। इसलिये मैं रीआर्गेनाइजेशन करने के लिये जोर देता हूं और वह हमें करना पड़ेगा।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं सामान्य प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह कहते हैं कि डिले नहीं होती, लेकिन आप देखते हैं कि एक आदमी दरख्वास्त देता है, चाहे वह किसी को भी दे, मिनिस्टर को दे या सेक्रेटरी को दे, उस पर एक्शन नहीं होता एक आदमी मिनिस्टर को दरख्वास्त देता है, वह लिखता है, रिपोर्ट या फोर कमेंट्स। देने वाला चला जाता है, उसको कह दिया जाता है कि जाओ तुम्हारा काम हो गया, लेकिन वह काम होता नहीं है। तो इस प्रकार से, रिपोर्ट या फोर कमेन्ट्स लिखने से काम नहीं चलने वाला है। आपको डेट देनी चाहिये कि फलां तारीख तक इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये। आप किसी को भी लिखदें फोर रिपोर्ट या फोर कमेन्ट्स, लेकिन उसमें लिखना चाहिये कि बाइ सच एण्ड सच डेट, ताकि उस तारीख को जब वह आदमी आपके पास आये तो उसको मालूम पड़ना चाहिये कि उसकी दरख्वास्त का क्या हुआ। वर्ना क्या होगा कि करेप्शन फैलेगा। आप कमेन्ट्स के लिये से सेक्रेटरी को भेज देते हैं, सेक्रेटरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिख देता है या कलेक्टर को लिख देता है, और आदमी जब वहां पहुंचता है तो उसका कागज वहां मिलता नहीं। ऐसे अर्जेन्ट और इम्मीजीएट कागज मैंने देखे हैं जो तत्काल जारी होने चाहिये, वह पन्द्रह-2 दिन तक नहीं निकलते हैं यदि आप करप्शन को मिटाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित तारीख देनी पड़ेगी जिसके अन्दर आपके पास रिपोर्ट आ जानी चाहिये, ताकि उस निश्चित तारीख को जब वह आदमी आपके पास आये तो उसको मालूम होना चाहिये कि उसकी दरख्वास्त का क्या हुआ। उसको किसी दूसरे दफ्तर में जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। निश्चित समय पर आपके पास आ जाये और उसको मालूम हो जाना चाहिये। तब तो मैं समझूंगा कि प्रशासन में कुछ सुधार हो गया है वर्ना तो वही ढांचा चलेगा जो चल रहा है।

हमारे यहां पब्लिक ग्रीवेन्सेज रिमूवल का एक डाइरेक्टोरेट बनाया गया है। वहां पर किसी की दरख्वास्त आती है तो उसको लिख दिया जाता है कि तुम्हारी दरख्वास्त हमारे पास आ गई है और उसको उचित कार्यवाही के लिये भेजा गया है। तो यह क्या केवल पोस्ट आफिस है? आप उस दरख्वास्त को वहीं इग्जामिन करवायें, यदि कोई कानूनी मुद्दा है, तो उसको ठीक करवाइये। बाकी केवल फारवर्ड करने के लिये तो पोस्ट ऑफिस ही काफी है। पोस्ट आफिस का डाकिया भी, अगर उसको पता दे दिया जाये, तो वह दरख्वास्त

(श्री शंकरलाल)

को पहुंचा देगा। इसलिये दरख्वास्त में क्या लिखा है, उस पर आपको ध्यान देना होना और उस पर एक्शन लेना होगा तब जाकर जनता को कोई राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, सरकार ने विभागों के लिये सलाहकार समितियां बनाई हैं जिसमें एम. एल. एज. मेम्बर्स हैं। संसद् में, पालियामेंट में भी, इसी प्रकार की सलाहकार समितियां बनाई हुई हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, और उनके डिसीजन्स और डेलीबरेशन्स वेल्यू रखते हैं, वह इम्प्लीमेंट होते हैं। अ.ने को डेमोक्रेटाइजेशन करने के लिये हर एक मिनिस्टर को इस मीटिंग में बुलाना चाहिये। यहां पर भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कमेटीज बनीं। एक भी कमेटी की मिटिंग नहीं हुई। मैं जिस कमेटी का मेम्बर हूं। साल भर में एक भी मिटिंग नहीं हुई। उनकी मिटिंग्स हों। उनकी रिकमन्डेशन्स का इम्पलीमेन्टेशन हो। डिस्ट्रिक्ट्स में भी कमेटीज हैं उनके डेलिबरेशन्स का इम्पलीमेन्टेशन हो।

पुलिस की प्रगति रिपोर्ट मिलती है। यह तो नहीं कह सकते हैं कि प्रगति नहीं हुई है पुलिस विभाग में। पुलिस ने प्रगति की है। डकैती और दूसरे मामलों में प्रगति हुई है। परन्तु मुझे यह समझ में नहीं आया कि डकैती को खत्म करने के लिये यह लिखा है कि राजस्थान में कोई डकैतों का गिरोह नहीं रह गया है और पूर्णतया इनसे मुक्ति पा ली है। पूर्णतया तो मुक्ति नहीं पायी है। लेकिन मुक्ति पाई है। यह भी कहा गया कि 41 प्रतिशत मामले झूठे पाये गये। यह स्पष्ट हैं कि काफी शक्ति और समय झूठे मुकदमात की तफतीश में चला जाता है। कानून बना हुआ कि जो झूठे मुकदमे दायर करता है पुलिस में केस चलाने का प्रावधान है। झूठे मुकदमें हों तो केसेज उन पर चला कर दंडित किये जायं तो झूठे मुकदमें दायर होने बन्द हो जावेंगे। यह तो इसलिये झूठे बना देते हैं कि पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। यह कह देना कि झूठे मुकदमे पेश हो गये इसलिये ज्यादा टाइम लग गया मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। अपराधों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। 62 के मुकाबले में 63 में वृद्धि हुई है। डकैतियों में कमी हुई है। लूट के अपराधों की संख्या 873 की जगह 1146 हो गई है। नीचे के लेवल पर अपराध हैं वे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, पुलिस सब इन्सपेक्टर की ऐसी महत्व की पोस्ट है कि उन पर छानबीन करके ही अच्छे लोगों को लगाना पड़ेगा। सी०आई०ए० के ऊपर के अधिकारी हों उनको प्रोमोशन सीनियोरिटी के आधार पर सर्विसेज में लिया जाता है लेकिन एस०आई० के लिये हैड कान्स्टेबल और कांस्टेबल में से प्रोमोशन नहीं देते हैं जब कि उनमें कई ग्रेजुएट्स और ला ग्रेजुएट्स भी मिलेंगे। उनको एस०आई० का चान्स नहीं देते हैं, यह उनके साथ अन्याय है। सी०आई० बाई प्रोमोशन हो सकते हैं, तो हैड-कान्स्टेबल और कांस्टेबल न हों एस०एच०ओ० बाई प्रोमोशन यह उचित नहीं है। अर्से तक काम करे और अच्छी सर्विस है तो एक्सपीरियेन्स के आधार पर अच्छे से अच्छे एस०आई० साबित हो सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बजट का बड़ा हिस्सा कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल पर खर्च होता है। छोटे

(श्री शंकरलाल)

आदमियों को इस बजट से सुविधा नहीं मिलती है। जयपुर में ही ले लीजिये। हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल के फेमिली क्वार्टर्स हैं, वहां बिजली और पानी दिखायी नहीं देगा। दूसरी सुविधा बजट में दिखाई है धोबी, हरिजन, नाई की यह बड़े बड़े ओफिसर्स तक ही पहुंच जाती है और उन लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। एक दफा यह अनाउन्समेन्ट हुआ कि यह जो मेस का अलाउन्स है वह सब को ईक्वल दिया जाय परन्तु आर०ए०सी० के जवानों को 25 परसेन्ट पुलिस लाइन्स में हैं उनको 17) और पुलिस स्टेशन्स पर हैं उनको 10)। इसमें भी इस प्रकार की असमानता है। सबसे ज्यादा संख्या में पुलिस में कांस्टेवल्स हैं। ऊपर के आफिसर्स ओर्डर्स देते हैं उनका इम्पलीमेन्टेशन वे ही करते हैं। लकड़िया वे ही लोग बजाते हैं। इन छोटे लोगों के लिये उनकी सुविधाओं के लिये ध्यान रखना होगा। डेमोक्रेसी और सोशलिज्म की बात करते हैं। बजट में जितना खर्चा होता है इन अधीनस्थ कर्मचारियों की सुविधा के लिये अधिक खर्च होना चाहिये इस ओर ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, बार बार आप घंटी की तरफ अपना हाथ रख रहे हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। एक ही निवेदन करूंगा और वह यह है कि सरकार ने कर्मचारियों को सुविधायें दीं पर जो डी०-पी० सीज० की बातें हैं, कान्फिडेन्शियल रिपोर्ट्स होती हैं कम से कम सदन में निवेदन किया था कि इन गोपनीय रिपोर्ट्स को आप खत्म कर दीजिये। मुझे स्वयम् को ज्ञान है। अच्छे कर्मचारी नेक नीयती से काम करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं किन्तु चूंकि अफसरों के घर की हाजिरी नहीं देते हैं उनकी सी०आर० खराब लिख दी जाती है। लेकिन आदमी चाहे नौकरी पर न जाय लेकिन अफसरों के घर की हाजिरी बजा दे तो उसकी सी०आर० एक्सिलेंट लिख दी जावेगी। डेमोक्रेसी में कान्फिडेन्शियल रिपोर्ट क्या है ? आप वर्क देखिये। कितनी रिपोर्ट आयी है, डिस्पोजल क्या है, मुकदमों का डिस्पोजल क्या है, कितने घंटे काम किया है। कान्फिडेन्शियल रिपोर्ट क्या होती है, क्या गोपनीय होती है ? वही ब्यूरोक्रेसी का ढांचा चला आ रहा है। उसको खत्म करना पड़ेगा।

करप्शन की शिकायतें आई हैं। बहुत से लोग ऐसे हु जो वर्षों से काम कर रहे हैं। सहायक रजिस्ट्रार, वाणिज्यिक अधिकारी होते हैं वर्षों से काम कर रहे हैं, प्रमोशन, सलेक्शन नहीं हुआ है वर्षों से भ्रष्टाचार के जिनके खिलाफ चार्जेज हैं वे प्रोमोट हो गये। जिनको प्रोमोशन नहीं मिला इसका कारण यही था उनकी सी०आर० खराब थी। उसके आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। सी०आर० के नाम पर यह जो अन्याय हो रहा है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सामान्य प्रशासन और पुलिस में सुधार लाया जाय तो वह जनता के हित में होगा।

श्री सभापति : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदय, इस मांग पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव रखा है। वैसे तो माननीय सदस्यों ने पुलिस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार, अनैतिकता आदि की जन्मपत्री खोल कर रखदी है। खास कर हांडा साहब ने जन्मपत्री की लिस्ट तो लम्बी चौड़ी दे दी लेकिन हमको उनकी

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)
जो सेवायें हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिये। जो उनके सराहनीय कार्य ह, जो करते आये हैं और करते जा रहे हैं उनको भी मद्देनजर रखना चाहिये।

अभी सदन में तारानगर के फैज मोहम्मद साहब की चर्चा चली। सवाई माधोपुर जो डकैतों का एरिया है उसमें जो तारीफ के कार्य किये उनको भी नहीं भूलना चाहिये। उनका नाम भी फैज मोहम्मद है। भरतपुर में लगे हुए हैं। उनके कारनामे ऐसे हैं कि उन्होंने कई बार अकेले ने डकैतों का मुकाबला किया है।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह ठीक है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है पर इसके साथ साथ जयपुर के पोलों की पोल भी तो इस विभाग में घुसती जा रही है। यह और ऊपर है।

इस पोल को देखकर एक किस्सा याद आ गया। आजादी से पहले जयपुर रियासत के जमाने में एक यात्री जयपुर नगर में रोजगार की खोज में आया। उसने यहां चारों तरफ पोलों के नाम देखे। कहीं किशनपोल लिखा था तो कहीं गंगापोल, सूरजपोल आदि आदि। उसने विचार किया कि पोल के नाम पर इनका नामकरण क्यों किया गया। उसे कुछ ऐसा लगा कि हो न हो यहां काफी पोल है और इसलिये इन पोलों का नाम भी रखा गया है। उसने पोलों का अर्थ इस तरह से दूसरा ही लगाया।

एक माननीय सदस्य : पोल तो उदयपुर में भी हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जयपुर में सबसे अधिक हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इधर पोल भी है और ढोल भी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : इस पर उसने क्या किया कि चांदपोल के बाहर शवयात्रा में लोगों को जाते देखा तो वहीं बैठ गया और बोला कि मुर्दा रोको। इसका दाह संस्कार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसका टैक्स नहीं दे दो। तबतक यहां से मुर्दा भी आगे नहीं जा सकता। यहां के राजा जी ने यह टैक्स लगा दिया है और मैं टैक्स वसूल करने के लिये मुकर्रर किया गया हूं। लोग उसके कहने में आ गये। टैक्स आने लगा छः सात महीनों तक उसका यह रोजगार अच्छा चलता रहा। एक दिन राज परिवार में से किसी की मृत्यु हो गई। इस शव यात्रा में स्वयं राजा भी शामिल था। बदस्तूर शवयात्रा वहां रुकी। टैक्स की बात चली। वह बोला तुम कोई भी हो, यह टैक्स तो देना पड़ेगा राजाजी का यही हुक्म है। राजा भी चक्कर में पड़ा कि यह क्या मामला है। सभी राज दरबारी भी परेशान हुए। पर उस वक्त तो इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था कि टैक्स अदा किया जाय। टैक्स अदा करके वे उस समय तो चले गये। बाद में राज दरबार में बात चली। राजा ने पूछा अपने मन्त्रियों से कि यह कैसे कब लगा टैक्स। किसके हुक्म से वह वसूल कर रहा है।

जब कहीं से भी कोई सूत्र नहीं मिला, तो बुलाया गया उस आदमी को और पूछा गया कि किसके हुक्म से तुम यह वसूल कर रहे हो, बताओ कहां है तुम्हारे पास हुक्मनामा ? इस पर वह बोला कि मैं तो रोजगार के लिये यहां आया और चारों ओर पोल ही पोल देखीं तो यहां भी पोल देखकर बैठ गया और अपने आप ही टैक्स वसूल करने लगा।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

कहने का अर्थ यह कि यही हालत आज इस पुलिस विभाग की हो रही है सब बाहर से इसे देखते हैं। अन्दर से मनमानी करते हैं लोग, सभी इस विभाग में।

इस विभाग में सुधार लाना जरूरी है। अन्दर से सुधारा जाना जरूरी है। अन्दर से का मतलब कि ऊपर के लेवल में तो ठीक है, नीचे के लेवल में सुधार लाना जरूरी है। आज जो इन्सपेक्टर हैं, सब-इन्सपेक्टर हैं एक बात उनमें घर कर गई है कि अपराध रोकना नहीं है, अपराध होते हैं तो उनसे अपना उल्लू सीधा करना है। अपराधों की आड़ में वे अपना घर भरते हैं। अपना घर भरने का साधन बना लिया है। अगर अपराध रुक गये तो उनका धन्धा चौपट होता नजर आता है उनको। अगर किसी थाने के हलके में चोरी होती है या मारपीट होती है तो वे साफ कहते हैं कि इससे हम सैकड़ों पति बनते हैं। भारी मारपीट या कत्ल के मामले आते हैं तो हम हजारपति बनते हैं। और यदि डकैती के मामले आते हैं तो लखपति बनते हैं। इस तरह की भावना उनमें घर कर गई है। इस भावना को जब तक दूर नहीं किया जावेगा, इस भावना को शक्ति से दूर नहीं किया जावेगा तब तक सुधार सम्भव नहीं है। आपको ऐसे आदमियों को सस्पेण्ड करना होगा, पनिशमेन्ट सख्त से सख्त देनी होगी। डिसमिस तक करना होगा। एक दो उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगा।

(6.24 सायं)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं अपने इलाके गंगापुर सिटी के एक केस के बारे में बताना चाहता हूं। 2-10-72 को मेरे क्षेत्र का निवासी चिमन मीणा हरणिया गांव का अपना ट्रैक्टर जुताई के लिये दूसरे के खेत में ले गया और एक मेवला मीणा को ट्रैक्टर पर काम करवाने ले गया। उसी दिन मेवला मीणा ने जबर्दस्ती ट्रैक्टर उससे छीन कर अपने पास रख लिया और जबर्दस्ती से धमका कर उसका बेचाननामा अपने नाम लिखवा लिया। चिमन मीणा ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। रात को थानेदार गया। ट्रैक्टर लेकर खानापूर्ति करके उसे रामलाल नाम के व्यक्ति के पास सुपुर्दगी में दे दिया। तीन चार महीने बाद जाकर बहुत कहा सुनी करने पर मुंसिफ कोर्ट में मामला पेश किया गया। मुंसिफ ने आदेश दिया कि जमानतदार को पेश करो और ट्रैक्टर को भी लाओ। पर सब बेकार। थानेदार ने कुछ नहीं किया। इस मामले में, मैं स्वयं कई बार उच्चाधिकारियों से मिला। इसका नतीजा यह निकला कि भूतपूर्व मुख्यमन्त्री ने हमारी कुछ सुनी और उन्होंने लिख दिया कि मुंसिफ कोर्ट के आर्डर की तामील कराई जाय। होम कमिश्नर ने भी लिख दिया। ऊपर वालों ने तो लिख दिया पर सभापति महोदय करता तो नीचे वाला ही है। ऊपर वाला नीचे वाले को बार बार लिखे तो उसका असर नहीं होता। ऊपर वाले में साहस नहीं कि एक बार अगर आदेश नहीं माना तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेता। वह तो दुबारा तिवारा लिखता ही जाता है। यह भी गलत है। एक बार अगर लिखने से कोई काम नहीं करे तो दुबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, दुबारा तो फिर एक्शन ही लिया जाय। तभी ये लोग कुछ सावधान होंगे। नहीं तो ये तो परवाह ही नहीं करते ऊपर वालों की मनमानी चला रखी है इन्होंने तो इस पोल के राज्य में सब जगह पोल ही पोल कर रखी है।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

इसके बाद हम डी०आई०जी० अजमेर रेन्ज से मिले। उनके प्रयास से जाकर कहीं ट्रेक्टर को गंगापुर थाने में पेश किया गया। पर उसे मुंसिफ कोर्ट में पेश नहीं किया गया। सो नहीं किया गया। उसका प्रदर्शन किया जा रहा है थाने में। यह हाल है। अब तो उस थानेदार का तबादला भी हो गया। उसे लाइन में भेज दिया गया है यह सुनते हैं।

इसके अतिरिक्त जब कभी कोई अफसर मुआयने के लिये आता है तो उसकी बड़ी खातिरदारी की जाती है। पर वह भी दूसरों के माथे पर। थानेदार कहता है यह सब खातिरदारी तो मैं कर रहा हूं। अफसर चला जाता है। और वह सब दूसरों के मत्थे पड़ता है। इसी तरह एक अधिकारी वहां आया। एक होटल वाले को सारा सामान का आर्डर दिया जाता है। एस०पी० साहब की खूब खातिरदारी की गई। जब वे लौट गये तो होटल वाले ने करीब 700 या 800) का खर्च का बिल थानेदार को दिया पेमेन्ट के लिये। काका उसका नाम था। थानेदार ने कहा पैसे हमसे मांगता है काका? ठीक है देखेंगे। यह कह कर दूसरे दिन काका को थाने में बुलाया गया। इसके साथ ही भूमि विकास बैंक के एक ड्राईवर को भी बुलाया गया। पहले तो उनको जबर्दस्ती शराब पिलाई गयी। नहीं पीएंगे कहने पर मारने पीटने की धमकी दी गई। इस पर एक एक घूंट किसी तरह से पीकर अपना पिंड छुडाने की सोची। बाकी की शराब को उनके कपड़ों पर बिखेर दिया गया और उनको अस्पताल में उसी हालत में उसी समय ले गये। डाक्टरी रिपोर्ट लेने के लिये कि ये लोग शराब पीकर ऊधम मचा रहे थे। इस मामले में उनको फंसाने का षडयन्त्र उन लोगों ने किया था। डाक्टर से सर्टिफिकेट ले लिये गये। इसके बाद कहा गया काका या तो पैसा मांगना छोड़ो वरना हम तुम्हारा शराब पीकर ऊधम मचाने का चालान पेश करते हैं। वे जरा तेज आदमी थे, बहादुर थे, साफ कह दिया आप चाहे जितने केस बनाओ। हम तो हमारे पेमेन्ट लेकर रहेंगे। थानेदारों ने केस बनाकर गंगापुर कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। काका होटल वाले पर। भूमि विकास बैंक का ड्राइवर यहां जयपुर था। आज चला गया होगा तो उसके साथ भी यही किया जावेगा।

तो ये इनके कारनामे हैं। और भी ये लोग क्या करते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये लक्ष्मीनारायण के दर्शन हो जाते हैं तो उनकी लालसा बढ़ती जाती है और वे नये नये हथकण्डे लक्ष्मीनारायण को बटोरने के लिये करते हैं। इनको किस तरह से जनता के साथ बरताव करना चाहिये। इसका कोई मान नहीं रहता।

इसी धुलण्डी के रोज पास में एक बहू-ग्राम है आपस में दो दलों में कुछ कहा सुनी हो गई जो ऐसे अवसरों पर स्वाभाविक है। दोनों दलों के लोगों ने शराब पी रखी थी। गाली गलोच हो गई। प्रेस्टीज पोइन्ट बना लिया किसी बात पर। इनमें से एक पार्टी के लोगों ने गंगापुर थाने में आकर वहां के ए०आई० साहब से कह दिया। थानेदार था नहीं, ए० एस० आई० था कि इस तरह का मामला है अगर पकड़ कर ले आवे तो मैं इतने रुपये दे दूंगा। ए०एस०आई० ने 3-4 कान्स्टेबिलों को भेज दिया। जब वे गये तो कहा आज धुलन्डी का त्यौहार है, हम कल हाजिर हो जायेंगे आज परेशान मत करो लेकिन कोन्स्टेबिल नहीं माने तो गांव वालों ने इत्तिला करके सबको बुला लिया।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और उनकी पिटाई कर के भिजवा दिया। इसके बाद ए०एस०आई० खुद मौके पर गया और 3-4 कान्स्टेबिलों को साथ में ले गया और उन्हीं घरों पर गया और उन मजदूरों की पिटाई शुरू कर दी लेकिन मजदूरों ने भी ए० एस० आई० की पिटाई कर दी। अब वे शायद टॉक में पड़े हुये हैं। इस तरह चलाकर झगड़ा करवाते हैं तो सभापति महोदय मेरा तो कहने का निवेदन यह है कि इस तबके को जब तक ठीक नहीं किया जायगा तब तक सुधार नहीं होगा।

दूसरा निवेदन मेरा यह है, और मैंने प्रस्ताव में भी यह कहा है कि एस० पी० को जोतबादलों के अधिकार दिये गये हैं। जब तक इन अधिकारों को समाप्त नहीं किया जायगा तो थाने की और थानेदारों की कभी भी उन्नति नहीं होगी, क्योंकि थाने एस०पी०से दबते हैं। दबने का मेरा मतलब यह नहीं है आखिर प्रशासन है नीचे के अधिकारियों को दबना ही चाहिये लेकिन वे दबते हैं और कारणों से

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट की बात है। तो जो डी० आई० जी० को पावर्स हैं वही पावर्स रहनी चाहिये एस०पी० की पावर्स समाप्त की जानी चाहिये.....

एक माननीय सदस्य : सिपाही बना दें थानेदार को ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अगर वे ऐसे ही कर्म करेंगे तो सिपाही भी बना दिया जायगा। तो दूसरा इस डिपार्टमेंट में मेरा निवेदन है उसमें जो सिपाही वगैरह छोटी केटेगरी के लोग हैं, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। उनमें आज हीन भावना है। 24 घंटे ड्यूटी देते हैं उसके बावजूद जो तनख्वाह मिलती है उससे उनका गुजारा नहीं होता है और गुजारा नहीं होगा तो करप्शन करके अपना पेट भरना चाहेंगे, अपने बच्चों का पेट भरना चाहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े अफसरों को जब वे देखते हैं बढ़िया बढ़िया मकानात, बढ़िया बढ़िया कपड़े वगैरह तो वे अपने मन में भी लालायित होते हैं और सोचते हैं बढ़िया न सही लेकिन हमारे लिये भी रहने को मकान होना चाहिये, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। इसलिये इस तरफ भी आप ध्यान दें तो अच्छा होगा।

जो सैनिक वगैरह हैं, वे आन्तरिक रूप से देश की सेवा करते हैं। छोटे छोटे तबके वाले कहते हैं, देश के लिये हम भी सुरक्षा रखते हैं, तो क्या हमको इस तरह के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। रिटायर हो जाते हैं तो क्या खेती बाड़ी की जमीन हमें नहीं मिल सकती है तो मेरा निवेदन है आज इस डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचारी बताते हैं इसमें सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझनूं) : माननीय सभापति जी वैसे पुलिस समाज सेवा का एक प्रमुख साधन है। इस बात को पुलिस विभाग ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसमें भी माना है। यह बात भी सही है कि समाज में रहने वाले हर मानव को सुरक्षा की भावना नहीं होगी तब तक समाज का कोई भी कायकलाप नहीं हो सकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम इस पुलिस विभाग को देखें और पुलिस विभाग की इस रिपोर्ट को पढ़ें तो पढ़ने से और जैसे सदन में माननीय

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सदस्यों ने इस मांग पर कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, सभी कटौती प्रस्तावों के माननीय सदस्यों के जो प्रस्ताव हैं, वे इस संबंध में हैं या तो कानून और व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है या पुलिस बढ़ते हुये अपराधों की रोकथाम करने में असफल रही है। आधे से ज्यादा कटौती के प्रस्ताव इस बात का संकेत देते हैं। मैं समझती हूं राज्य सरकार की आंखे भविष्य में खोलने के लिये और इस विभाग का पुनर्गठन करके एक तरीके से सचमुच पुलिस विभाग समाज सेवा का प्रमुख साधन बन जाय और समाज का रक्षक बने। इस मंशा के साथ इस विभाग का यदि फिर से सुधार किया जाय तो मैं समझती हूं यह करना बड़ा आवश्यक है।

वैसे तो सभापति महोदय, पुलिस विभाग ने स्वयं ने माना है कि पिछले साल से इस बार 11 प्रतिशत अपराधों की वृद्धि हुई है। 11 प्रतिशत अपराधों की वृद्धि मानते हुये जो पुलिस विभाग ने अपनी रिपोर्ट दी है मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य जो पाली से आते हैं, ने स्वीकार किया था कि करीब 42 प्रतिशत केसेज तो पुलिस विभाग झूठे मानता है और 20 प्रतिशत केसेज ऐसे मानता है जिसमें ज्यादातर समय झूठे केसेज की छानबीन करने में व्यतीत होता है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्रीजी का थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगी क्योंकि मेरे दिमाग में स्पष्ट है ऐसे वे कौनसे झूठे केसेज हैं और क्या उन झूठे केसेज में अदम पता, अदम सबूत एफ०आई० आर० लगाई जाती है। मैं समझती हूं वे भी झूठे बता दिये। इसी प्रकार अदम पता, अदम सबूत कहने लग जायं कि कौनसा केस सच्चा और कौनसा केस झूठा है तो मैं समझती हूं राजस्थान में इतने बड़े बड़े डेयरिंग इस्टान्सेज हैं जिनके बारे में हम यह मान ही नहीं सकेंगे झूठा है फिर भी पुलिस की छानबीन के बाद आप जानते हैं भारतीय दण्ड संहिता में कई प्रकार की गल्तियां हैं कि केस को साबित करना बड़ा मुश्किल है। इसलिये उन केसेज को गलत माना जाय और यह समझें कि उनका वक्त जाया हुआ है तो मैं समझती हूं गलत होगा। सबसे ज्यादा बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगी और महत्वपूर्ण बात है वह है मूर्तियों की चोरी। इस रिपोर्ट के अन्दर राजस्थान के अन्दर लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों की जो मन्दिरों की मूर्तियों कि चोरी हुई है कहीं कोई जिक्र नहीं है। मुझे एक प्रकार की पुस्तिका दी गई थी जिसमें राज्य सरकार ने स्वयं ने माना है वैसे ये मन्दिर हमारी संस्कृति और देश की धरोहर को बड़े सुन्दर रूप में संजोये हुये हैं, उन मूर्तियों की, जो दुर्लभ हैं, अमूल्य हैं रुपयों में जिनकी कीमत आंकना मुश्किल है। जिस प्रकार की अलभ्य और दुर्लभ मूर्तियों की चोरी हुई है पुलिस विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कोई चर्चा नहीं की है।

मुझे याद पड़ता है पहले हमारी माननीय सदस्या यहां हुआ करती थीं जो आजकल राज्य सभा में चली गई हैं-लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत-वे भी मूर्तियों की चोरी के बारे में काफी जागरूक हैं। लाखों-करोड़ों रुपयों की धातु की बनी हुई मूर्तियों की चोरी के केसेज के अन्दर पुलिस ने अदम पता, अदम सबूत किसी और वजह से एफ०आई०आर० लगाई हो, मैं समझती हूं यह सन्तोषजनक नहीं है। वैसे तो मूर्तियों के सिर्फ इस केस की ही बात नहीं एक दर्दनाक विषय है और एक घटना भी मुझे याद आती है कि पुलिस विभाग की इससे बढ़कर क्या अकर्मण्यता हो सकती है कि जिस राज्य के अन्दर एक एम०एल०

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

की बड़ी सन्देहास्पद स्थितियों में मृत्यु हो जाय और पुलिस में केस भी रजिस्टर न हो। मैं नहीं कहती इस बात को। हो सकता है कि शायद बिलकुल प्राकृतिक तरीके से ही मृत्यु राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की हुई हो लेकिन फिर भी जिस प्रकार की सन्देहास्पद स्थिति में और जिस प्रकार की अजीबोगरीब हालत में उनके शव को पाया गया वह साधारण नागरिक के दिमाग पर यह प्रश्न छोड़कर जाता है कि क्या नहीं किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है या हत्या हुई है। तो उस हालत में पुलिस में केस का रजिस्टर नहीं होना और तहकीकात नहीं होना मैं समझती हूं कि इसके बढ़कर और क्या हालत हो सकती है कि जैसे हम इस बारे में भी इतने तरीके से उदासीन हैं।

सभापति महोदय, इस संबंध में चूंकि मैं इस बात को अनुभव कर रही हूं कि माननीय सदस्यों के बहुत से कटौती के प्रस्ताव हैं, मुझे एक अन्तिम बात माननीय मंत्रीजी से निवेदन करते हुए जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि वैसे तो इस विभाग के बारे में एक नहीं हजारों इस प्रकार के उदाहरण दिये जा सकते हैं कि जहां कि पुलिस ने किसी न किसी तरीके से दोषी और अपराधी व्यक्तियों को बचाने की चेष्टा की है लेकिन फिर भी एक इस तरह का दृष्टान्त जरूर देना चाहूंगी और इसलिये कि माननीय मंत्रीजी महोदय के साथ ही साथ राजस्थान के हमारे जो नये आई० जी० हैं उनसे भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं और मैं समझती हूं कि वह इस दिशा में जरूर कुछ न कुछ अपना प्रयत्न करेंगे और पुलिस विभाग की गिरती हुई साख है इसे उठाने को अपनी ओर से कसर नहीं रखेंगे।

तो सभापति महोदय, मैं यही दृष्टान्त निवेदन करना चाहूंगी कि नीम का थाना पुलिस का इस तरह का थाना है कि जहां आये दिन कई प्रकार की कई बातें हुआ करती हैं और सदन के माननीय सदस्यों को याद भी होगा कि वहां के लोग खास तौर से बड़े आतंकित हैं चोरियों से और डकैतियों से। उस संबंध में जनता ने ही अपने बचाव के लिये एक सुरक्षा दल भी बनाया था और उस दल के मुखिया की हत्या भी कर दी गयी यह भी आपसे छिपी हुई बात नहीं है। उसी नीम के थाने में फिर एक भयंकर घटना हुई है जो मैं अपना कर्तव्य के लिए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिये निवेदन कर देना चाहती हूं।

नीम के थाने में जो पुलिस स्टेशन है उसके नीचे एक गांव सिरोही है सभापति महोदय, वहां एक सरपंच है तुलसाराम और तुलसाराम के एक भाई और हैं। यह दो भाई हैं। दूसरे भाई का नाम याद नहीं है लेकिन दोनों भाइयों के बीच में एक ही लड़का था और उसका नाम मूलाराम था। इसी परिवार के कुछ लोग झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में बागोली गांव है वहां जाकर बस गये थे और उनका दो-तीन पीढ़ियों का इस प्रकार का प्रॉपर्टी का झगड़ा था कि जिसको लेकर बागोली में जाने वाले परिवार ने वहां के सरपंच और दूसरे लोगों से मिलकर सिरोही के अन्दर दावा किया प्रॉपर्टी के बारे में। तुलसा राम ने चूंकि उसके ऊपर 145 का अटेच, करवाया. अटेच करवाने के दूसरे दिन ही बागोली से सारे के सारे लोग सिरोही के अन्दर गये। वह रात में घर में घुसे और घर में रहने वाले सब आदमियों को तुलसाराम को, तुलसाराम के भाई को, तुलसाराम दो लड़कियों को और घर की सारी औरतों को, सबको किसी न किसी प्रकार की चोट पहुंचाई। किसी के पांव काट दिये, किसी का हाथ काट दिया और मूलाराम जो कि दोनों

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
भाइयों के बीच में इकलौता लड़का था उसकी हत्या कर दी गई। एक चार-छः महीने का बच्चा था, वह छोटा था उसको भी मारने के लिए तलाश किया याने सारे के सारे वंश को खत्म कर दें ताकि वह सारे धन को ले सकें। सारे घर में उस छोटे बच्चे को देखा और पूछा कि वह कहां है तो घर की औरतों ने कहा कि उसकी मां अपने पीहर गयी हुई है और वह यहां नहीं है, हालांकि वह उस समय घर पर ही था।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, बच्चा पेट के अन्दर 6-7 दिन का ही था।

श्रीमती सुमित्रासिंह : तो मैं निवेदन करूंगी कि वह छोटासा बच्चा बच गया। और मूलाराम को मारने के बाद और सारे घर वालों को घायल करने के बाद वह चले गए। पुलिस में इसकी रिपोर्ट हुई। सबने तफतीश करने की कोशिश की लेकिन जुलाई 1973 का किस्सा है और आज तक भी इसके बारे में कार्यवाही कोई नहीं की गई। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार इस केस में पुलिस एफ० आर० लगाने की सोच रही है। । मैं समझती हूं कि जहां पर एक परिवार के मुखिया आदमी को और वंश के वंश को इस प्रकार से नष्ट करने की कोई लोग अपनी घृणित इच्छाओं की उपलब्धि के लिए इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं और उस संबंध में हमारी पुलिस कुछ नहीं करे और हमारे सारे अधिकारी तमाशबीन की तरह देखकर मौन रहें तो मैं नहीं समझती कि यह पुलिस किस तरह अपना कर्तव्य निभा पायेगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खास तौर से इस घटना की ओर आकर्षित करते हुए कि इतना सब कुछ होने के बाद इस केस में एफ० आर० लग जायगी तो मैं समझती हूं कि फिर तो अपराधों में वृद्धि होना और इस प्रकार से लोगों के हौंसले बुलन्द होने में कमी नहीं रहेगी। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, मैंने पुलिस विभाग के संबंध में एक कटौती का प्रस्ताव पेश किया है जिसके तहत मैंने यह मांग की है कि राजस्थान में अपराधों की वृद्धि को देखते हुए और राजस्थान की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए पुलिस फोर्स को बढ़ाया जाये।

मैं कटौती प्रस्ताव को लाने से पूर्व एक बात निवेदन करूंगा कि यहां पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने पुलिस विभाग की कड़ी आलोचना की है निष्क्रियता के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर और कई मामलात को सामने रखते हुए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां पुलिस की आलोचना करने का सवाल है उन्होंने कोई गलती की है तो उसकी निश्चित रूप से आलोचना करनी चाहिये और जहां उन्होंने कोई अच्छे काम किये हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिये। सभापति महोदय, अगर पुलिस की बराबर आलोचना ही करते जायेंगे तो इसका उनके मनोबल······

(6.48 सायं)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज समाजसेवा का भार और प्रजातन्त्र के अन्दर पुलिस की बहुत आवश्यकता है। उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है और उसके अन्दर उनके कार्य करने की शैली को भी काफी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो सभापति

(श्री पद्युम्नसिंह)
महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के ऊपर आता हूं। जो पुलिस विभाग द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है उसको आप 1969 से देखें और 1973 तक देखें तो जहां 35000 के करीब 1969 में केसेज दर्ज हुए हैं वह आज 44,000 हैं। यानी पिछले पांच सालों में करीब 10 हजार अपराधों की संख्या के अन्दर वृद्धि हुई है। राजस्थान के अन्दर जब कि मेरा जहां तक खयाल है कि पिछले साल जो पुलिस की रिपोर्ट आई थी और जो उन्होंने पुलिस की स्ट्रेन्थ के बारे में विवरण दिया था वही इस साल पुलिस स्ट्रेन्थ के बारे में विवरण दिया है।

सभापति महोदय आज देश के अन्दर जैसे राजनैतिक हालात होते जा रहे हैं उनको देखते हुए भी पुलिस की स्ट्रेन्थ को राजस्थान के अन्दर बढ़ाना, पुलिस को सक्रिय करना बहुत आवश्यक हो गया है। सभापति महोदय, आपको मालूम है कि गुजरात के अन्दर जिस प्रकार से वहां की चुनी हुई सरकार को मजबूर करके जो संवैधानिक तौर पर, प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए थे और जो विधायक चुने हुए थे उनको मजबूर करके स्तीफा दिलाया और वहां की विधान सभा की कार्यवाही को भंग किया गया है। उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति अब विहार में शुरू हुई है। बिहार के अन्दर तो आप लोगों को मालूम है कि बिहार के अन्दर कल और परसों जो घटनाएं हुई हैं वह अच्छी घटनाएं नहीं हैं। विधान सभा के अन्दर जिस प्रकार का प्रदर्शन किया गया है, अखबारों के दफ्तर जला दिए गए और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, यह बड़ी शोचनीय घटनाएं हैं। लखनऊ के अन्दर जो नई विधान सभा का अधिवेशन कल शुरू हुआ और वहां जिस प्रकार का उग्र प्रदर्शन किया गया है और विधान सभा के भीतर और बाहर जिस प्रकार के प्रदर्शन हुए हैं यह सब बहुत चिंता की बातें हैं। सबसे बड़े दुःख की, सभापति महोदय, बात यह है कि जो पार्टीज, जो राजनैतिक दल प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, वह आज इस बात को कह रहे हैं कि चौराहों पर, सड़कों के ऊपर इस मामले को तय करेंगे। अब, सभापति महोदय, अगर पुलिस के प्रशासन को मजबूत नहीं बनाया गया तो इस प्रकार से प्रजातंत्र के अन्दर कानून की व्यवस्था क्या रहने वाली है, इस बात को हमको सोच कर चलना पड़ेगा।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं तो जनसंघ दल के सदस्यों से इस बात को पूछना चाहता हूं कि प्रजातंत्र के अन्दर उनका विश्वास है या नहीं। अगर उनका प्रजातंत्र के अन्दर विश्वास है तो जो कुछ उन्होंने गुजरात में किया है और अब बिहार में करवा रहे हैं क्या यह उचित है? पार्लियामेंट के अन्दर भी, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो आज अखबारों में छपी हैं, सभापति महोदय, उस प्रोसीडिंग के अन्दर मैं आपको पढ़कर सुनाऊं अगर आप इजाजत दें तो सभापति महोदय। इस अखबार के अन्दर छपा है कि भारतीय जनसंघ के पार्लियामेंट के अन्दर संसदीय दल के नेता अटलबिहारी वाजपेयी इस उपद्रव के होने से पहले, बिहार के उपद्रव होने से पहले पटना जेल के अन्दर आनन्दमार्ग के जो नेता हैं वह सरकार महोदय, उनसे मिले और इस बात को पार्लियामेंट के अन्दर कहा गया है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि इस कार्यवाही के अन्दर आर० एस० एस० का, आनन्द मार्गियों का हाथ है। बिहार के अन्दर पटना के अन्दर उन्होंने इस किस्म के दंगे करवाये।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था और इस विधान सभा से पहले पिछली विधान सभा के अन्दर भी इस बात को कहा है कि आप आर० एस० एस० पर बैन क्यों नहीं लगाते हैं। मैं पुनः आज इस बात को कहता हूं कि अगर आपने लापरवाही की और नहीं लगाया प्रतिबन्ध तो इस प्रकार की घटनाओं की राजस्थान में भी पुनरावृत्ति हो सकती है। अगर आप कहते हैं कि संविधान के अन्दर या कोई कानूनी अड़चन है तो इस प्रकार की अड़चन को भी दूर करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यहां पर मैंने पूर्व में भी कहा था कि जयपुर के अन्दर स्कूलों के अन्दर, जिन स्कूलों को सरकारी अनुदान मिलता है, वहां पर आर० एस० एस० की शाखाएं बराबर लग रही हैं और आप जानते हैं कि आर० एस० एस० वाले लोग इन लड़कों के दिमागों के अन्दर, नौजवानों के दिमागों के अन्दर किस किस्म का जहर भरते हैं, किस किस्म की बातें, साम्प्रदायिक भावनाएं भरते हैं। इसकी ओर भी हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यहां हम लोग सुन लेते हैं लेकिन क्यों कार्यवाही नहीं की जाती है? हमारे बहुत से सरकारी कर्मचारी आर० एस०-एस० से मिले हुए हैं, आर० एस० एस० की शाखाओं में जाते हैं। तो सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से आपने इन पर क्या कदम उठाया। यह तो हो ही नहीं सकता कि राजस्थान में कोई भी सरकारी कर्मचारी आर० एस० एस० की सभाओं में भाग नहीं लेता है। क्या आपके पास इस किस्म की रिपोर्ट आई कि सरकारी कर्मचारी कोई भाग नहीं लेता है या लेता है। अगर ऐसा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आर० एस० एस० की शाखाओं में भाग नहीं लेता है तो मैं कहूंगा कि आपका इन्टेलीजेंस सिस्टम इनइफेक्टिव है। इस बात का पता लगाया जाना चाहिए और इसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए कि कम से कम कोई सरकारी कर्मचारी तो आर० एस० एस० की शाखाओं में भाग नहीं ले सके। आप कम से कम सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध तो कार्यवाही कर सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है।

आज जयपुर के अन्दर पिछली 2 मार्च को जयपुर के अन्दर भी बन्द कराने की कोशिश की गई यहां पर लेकिन वह लोग अपनी उस कार्यवाही के अन्दर उस काम क अन्दर, सभापति महोदय, एक स्टेटमेंट में बोलते हैं, जनसंघ की तरफ से एक स्टेटमेंट लाया किया गया कि हम बन्द का विरोध करते हैं। बड़ी हंसी आई पढ़कर। एक तरफ कहते हैं कि बन्द का विरोध करते और दूसरी तरफ लोगों को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे। यह दोतरफा बातें, ये दो मुंही बातें, स्टेटमेंट तो कुछ दें, और फिर स्टेटमेंट देने के अन्दर तो चाहे अकाल हो या और कोई बात हो, स्टेटमेंट तो बहुत जोरों से दे देते हैं लेकिन काम उल्टा करें, विपरीत काम करें यह कहां तक उचित है, यह उनके सोचने की बात है।

तो सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए भी सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा था कि अगर हमने पुलिस की समुचित व्यवस्था नहीं की तो लखनऊ के अन्दर जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया है, लखनऊ के अन्दर इस बात को लेकर प्रदर्शन किया गया है कि इलेक्शन के अन्दर कांग्रेस ने बेईमानी की-यू० पी० में और उस बेईमानी के आधार पर कांग्रेस को बहुमत मिला यू० पी० में। अब सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

हूं कि अगर बेईमानी ही की होती तो 215 सीटें ही क्यों लाते, सिर्फ दो आदमियों का बहुमत ही क्यों रखते, तीन सौ, साढ़े तीन सौ सीटें भी ला सकते थे और आराम से सरकार चलाते। बड़ी अजीब हालत है। चुनाव जीत गए तो यह आरोप कि इलेक्शन में बेईमानी की गई, सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार का व्यवहार प्रजातन्त्र में किस प्रकार उचित हो सकता है। आज जो गुजरात में हुआ है उससे हौसले बढ़े हैं। वहीं पर चरणसिंह जैसे नेता ने सन् 71 के चुनावों के बाद, आपको ध्यान होगा कि इन्दिरा गांधी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया था इस किस्म का कि वह देश में तानाशाही लाना चाहती हैं, प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहती हैं। एक ही नारा दिया गया कि प्रजातंत्र को बचाओ, देश को बचाओ और यह नारा विरोधी पार्टियों ने मिल कर दिया था 71 के चुनावों में। लेकिन 71 से ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह पुलिस की डिमाण्ड है या....

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं इसको पुलिस के साथ कनेक्ट कर रहा हूं।

श्री मनोहरलाल : पुलिस तो आपसे कनेक्टेड है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आज कानून की व्यवस्था को भंग करने पर तुले हुए हैं ....

श्री मनोहरलाल : खून करवा कर आनन्द कर रहे हैं। नत्थासिंह को मरवा कर आनन्द कर रहे हैं। नत्थासिंह को फंसवा कर....

(शोरगुल व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर भी अभी आपके आनन्दमार्गियों का जोर है, इसके लिए आपने क्या कार्यवाही की। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उन्हें बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। आर० एस० एस० का एलीमेंट और यह आनन्दमार्गी राजस्थान के अन्दर बहुत सक्रिय हैं और ताज्जुब नहीं यहां भी यह बलवा कराने की, ऊधम करवाने की कोशिश करें। इसलिए सरकार को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है।

अब एक कारण और है सभापति महोदय, पुलिस स्ट्रेन्थ को बढ़ाने का। जब दस हजार केसेज की पांच सालों में बढ़ तरी हुई, पिछले साल के मुकाबले केसेज में बढोतरी हुई लेकिन रिपोर्ट के अन्दर कहा गया है कि करीब बीस प्रतिशत केसेज झूठे पाए गए। केस को रजिस्टर किया, उसकी इन्वेस्टीगेशन की उसके अन्दर भी तो पुलिस को ही काम करना पड़ा। आपके पास जो केस रजिस्टर हुए उनकी तादाद भी काफी ज्यादा थी, उनका इन्वेस्टीगेशन करना पड़ा, उसके अन्दर भी पुलिस फोर्स को इस्तेमाल किया। और आपके पास क्या एजेंसी है इन्वेस्टीगेशन करने की। मैं जब यह बात कहता हूं तो आप कहेंगे कि आर्थिक संकट है, आर्थिक कष्ट है लेकिन इन सबके बावजूद भी राजस्थान के अन्दर अगर आपने पुलिस फोर्स को नहीं बढ़ाया, मजबूत नहीं किया तो यह प्रजातंत्र की मूल जड़ों पर कुठाराघात होगा। प्रजातंत्र में हमारी पार्टी विश्वास करके चलती है और जिस प्रकार के हालात पैदा किए जा रहे हैं उनको रोकने के लिए आपको पुलिस चाहिएगी। आप पुलिस के जरिए ही उनको रोक सकेंगे और कानून व्यवस्था को बनाए रख

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
सकेंगे। मेरा निवेदन है कि पुलिस को मजबूत करने की और पुलिस की स्ट्रेन्थ बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है।

दूसरी बात, सभापति महोदय, जो महत्व की है वह यह कि अपनी पुलिस के अन्दर जो बेचारा सिपाही है सबसे नीचे का, उनको सुविधायें देने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? क्या कदम उठाने जा रहे हैं? आज उनको कितनी मजदूरी के अन्दर कितनी हार्ड ड्यूटी देनी पड़ती है। देहातों के थानों से एक आदमी पर सम्मन तामील कराने के लिए एक सिपाही को 10-10, 12-12 मील जाना पड़ता है। अगर वह आदमी नहीं मिले तो बार बार उसको जाना पड़ता है। बहुत से पुलिस स्टेशन्स इस किस्म के हैं जहां 12 या 14 आदमियों की स्ट्रेन्थ है। तो क्या 15 आदमियों से पुलिस स्टेशन्स को चला सकते हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट। आप तो लिबरल हैं। इस रिपोर्ट के अन्दर कहा गया कि हमने डकैतों की समस्या करीब करीब समाप्त करदी। हो सकता है कि यह रिपोर्ट 2-4 महीने पहले की छपी हुई हो। लेकिन मैं आपको जानकारी दिलाना चाहता हूं कि धौलपुर उपजिला में डकैतों की समस्या अब भी है जिसकी वजह से तहलका मचा हुआ है। आपने आधी आर०ए०सी० भरतपुर, करौली और बयाना में लगा दी है, कभी जयपुर बुला लेते हैं, वह तुरंत हमारे यहां वापस भेजनी चाहिए। आपको इफेक्टिव कदम उठाने चाहिए ताकि इन डकैतों को वहां से बिल्कुल समाप्त किया जा सके। वहां समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। आज बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए बताया कि वहां लोगों को सताया जा रहा है, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था, उसके लिए यह कहकर बात समाप्त करदी कि यह सही नहीं है। इसको समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए।

मैंने एक कटौती प्रस्ताव सामान्य प्रशासन के बारे में दिया था। एक दो बातें खास तौर से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने काफी बातें कहीं। अपनी डिपार्टमेंटल एन्कुआयरीज का प्रोसीजर इतना लंबा है कि बहुत सी एन्कुआयरीज में 4-4 वर्ष लग जाते हैं। किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत हुई, प्राइमा फैसाइ केस बना, विभागीय एनकुआयरी शुरू की जाती है लेकिन उसको उठाकर देखेंगे तो औसतन एक केस में 2-2।। वर्ष से कम नहीं लगता, तो सुधार करने की दिशा में क्या इफेक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं। जो आदमी शिकायत करता है, उसकी दो तीन साल बाद कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। इसलिए डिपार्टमेंटल एन्कुआयरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। एक साल का समय ज्यादा है, 6 महीने का समय निश्चित करें, उस अवधि में जांच समाप्त होनी चाहिए।

देश के बहुत से राज्यों में जिला रिआरगेनाइजेशन का काम लिया गया। बढ़ती हुई आबादी, कुछ क्षेत्रों की विशेष समस्यायें, इनको ध्यान में रखते हुए, भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर आप जिलों का पुनर्गठन राजस्थान में करें तो इससे आपको प्रशासनिक सुविधा रहेगी और उस इलाके की जनता को भी सुविधा मिलेगी। हम बराबर धौलपुर को जिला बनाने की मांग करते चले

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आ रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से, मंत्री महोदय का कहना है कि अगर धौलपुर जिला मांग करता है तो दौसा, ब्यावर, हनुमानगढ़, बारां इत्यादि की मांग आ सकती है, तो हर्ज ही क्या है ? उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में कितने नए जिले बनाए गए ? राजस्थान में भी नए जिलों के बनाने से कोई हर्ज नहीं है ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए इस पर कम खर्चा हो, किफायत हो, इसके लिए आपने क्या कदम उठाए ? आप बतायें सरकार ने ये कदम पेट्रोल के खर्चे में इकानामी के लिए उठाए हैं । अगर आपने नहीं उठाए हैं तो तुरंत उठाइए ।

आपने सचिवालय सर्विस किस लिए बना दी ? आज हालत यह है कि आप सेक्रेटरिएट के किसी कर्मचारी के खिलाफ उसके इनएफीशियेंट वर्क के आधार पर कोई कदम उठाना चाहें तो उठा नहीं सकते क्योंकि सचिवालय में एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज देते हैं । लोग कहते हैं कि वहां का स्पेशलाइज्ड जोब है, मैं कहता हूं कोई स्पेशलाइज्ड जोब नहीं है । जिलों में अच्छे अच्छे कर्मचारी बैठे हुए हैं । अगर उनको मौका दिया जाए तो और लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं । इसलिए सचिवालय का रिआर्गेनाइजेशन करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सचिवालय सर्विस को जो प्रिविलेज्ड सर्विस बना दिया है, उसको जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक सचिवालय की व्यवस्था नहीं सुधरेगी चाहे स्टाफ बढ़ा दिया जाए । लाल फीताशाही का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको भय नहीं है कि हमारे खिलाफ सरकार कोई एक्शन ले सकती है अथवा, जयपुर जिले के बाहर भेज सकती है । बच्चों की पढ़ाई, चिकित्सा सुविधा और सरकारी मकान मिला हुआ है, जहां ही उन पर भय बैठ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं किया तो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है तो मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि इस पाइंट को एग्जामिन कराकर, क्या सचिवालय सर्विस को समाप्त करके एट पार ले आयें जिला कर्मचारियों के साथ । वहां जिलों में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके दिमाग में यह बात रहेगी कि हमें अच्छा काम करने के लिए तरक्की मिल सकती है, हम जयपुर जा सकते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सेक्रेटेरियेट सर्विस का पुनर्गठन करना चाहिए । एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सरकारी सर्विसेज हैं, जिस पार्टी की सरकार है उसकी नीतियों को क्रियान्वित कराने के लिए कमिटेड होने के बारे में बहुत लोगों का माइंड एजीटेड कर रहा है । आज 25 वर्ष राजस्थान को बने हो गए, हमारी बहुत सी अच्छी नीतियां हैं, बहुत से प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाए गए जैसे जमींदारी एबॉलीशन, लैंड सीलिंग, लैंड एलॉटमेंट की बात थी, ग्रेन प्रोक्योरमेंट की बात, लवी की बात । कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस व्यवस्था में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं हो सकती क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं, वे लोग कैसे कमिटेड हो सकते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो हमारी नीतियां हैं, उनका उनमें विश्वास नहीं है तो वे इम्पलीमेंट कैसे करेंगे ? इसके लिए क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ? इस बारे में आप एक्सपर्ट्स कमेटी बिठावें । अगर एक्सपर्ट्स कमेटी नहीं बिठावें तो यह मामला

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

बहुत दिनों से चला आ रहा है कि आखिर हमारे कर्मचारी जो हमारी नीतियों में विश्वास नहीं रखते तो हमारी नीतियों को इम्पलीमेंट कौन करेगा ? बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनका फेथ नहीं है । एक्सपर्ट कमेटी इस बात को एग्जामिन करे जैसे गेहूं और लेवी का मामला, हरिजनों को जमीन एलॉट की गई उनके कब्जे नहीं मिले । ए० डी० एम० और कलेक्टर को मालूम है कि गांधी शताब्दी साल में हरिजनों को जमीन एलॉट की गई है और इसलिये इन पर कब्जा होना आवश्यक है । पर इसके बावजूद भी स्टे आर्डर जारी कर देते हैं । जिनका एन्क्रोचमेंट है वह ठाठ से पैदावार कर रहा है और उसमें से खर्च करके मुकद्दमा भी लड़ रहा है । इस पॉइन्ट को हाइएस्ट लेवल पर एग्जामिन करें नहीं तो बाधाओं का सामना करना पड़ेगा ।

धन्यवाद ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): माननीय सभापति महोदय, पुलिस ऐसा विभाग है कि जो खुले रूप से अपने कार्यालयों में 'May I help you' का साइनबोर्ड लगाता है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : May I help you नहीं "May I trap you" कहिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : जनता की सुरक्षा के लिये और एक तरह से देखा जावे तो यह वह विभाग है कि जो बड़े बड़े सेठों की तिजोरियों की रक्षा डकैतों से करता है, जो बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करके उनको इज्जत देता है, यह वह विभाग है जो रास्ते चलते गरीब को पकड़ कर जूते भी लगा देता है जब कि टैक्स उन गरीब लोगों से, गरीब किसान मजदूरों से लिया जाता है और असल में देखा जावे तो उन्हीं गरीब किसान मजदूरों के आन्दोलनों को कुचलने वाला भी यही विभाग है । गरीब निहत्थे प्रजातन्त्र के युग में अपने अधिकारों की मांग करने वालों को दबाने के लिये इस विभाग की सहायता ली जाती है । इस विभाग का गरीबों से कोई ताल्लुक नहीं है । यह विभाग उन गरीबों के कोई काम नहीं आता । आज समाजवादी समाज में अगर यह विभाग अपने इसी रूप को बनाये हुए है तो यह शर्मनाक बात है । यह विभाग आज की इन पूंजीपतियों और सत्ताधारियों की उनके चमचों की रक्षा गरीबों के पैसों के बल पर करता है । गरीबों के पैसे पर पला हुआ यह विभाग आज भी गरीबों का सिर कुचलकर रख देने के लिये तत्पर है । आज के समाजवाद के युग में शासन का यह बहुत बड़ा कलंक है ।

सभापति महोदय, देश में अनाज की कमी है, तेल नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, सीमेन्ट नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, जनता की अत्यावश्यक दैनिक आवश्यकता का वस्तुएं नहीं मिलतीं । पर उन लोगों का जो इनको जमा करके बैठा है, जमाखोर हैं, चोर बाजारिये हैं जिनकी तिजोरियों में पैसा बढ़ता चला जा रहा है और उन तिजोरियों के बल पर आज सत्ता में बैठे हुए उन पूंजीपतियों के समाजवादी नामधारी सेवक गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। उनका सेवक यह विभाग उनका बाल बांका नहीं होने दे रहा है । उल्टे उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों का सिर तोड़ने के लिये डंडा लेकर खड़ा हो जाता है ।

आज इस सत्ताशाही ने अपने ऐसे ही नौकर शाह को एक एस० डी० एम० को हमारे यहां दौसा में बिठा दिया है जो खुद भ्रष्टाचार में

(श्री मूलचन्द सामरिया)

लिप्त है। पंचायत समिति दौसा के रामसहायजी जो कांग्रेसी हैं, उनकी अध्यक्षता में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया प्रस्ताव पास किया गया कि यह एस०डी०एम० मुनाफाखोरों से मिला हुआ है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसे अधिकारी की सर्वसम्मति से निन्दा की गई। विद्यार्थियों की मीटिंग हुई। जिसमें हजारों की संख्या में जनता भी थी, नागरिक थे। उसमें इस भ्रष्ट एस०डी०ए० को निकालने के लिये प्रस्ताव पास किया गया। 25/26 की एक मीटिंग फिर होती है जिसमें भी सर्व-सम्मति से इसी तरह का प्रस्ताव पास किया जाता है।

हो सकता है आज कई कारणों से महंगाई है, अभाव है, मैं उन कारणों में नहीं जाऊंगा इस समय, समय थोड़ा है इसलिये। फिर भी ऐसी स्थिति में सरकार अगर हमें 25 प्रतिशत राहत पहुंचाती है तो यह अधिकारी एक पर्सेन्ट भी राहत नहीं पहुंचने देता। जनता में सरकार के प्रति रोष और आक्रोष पैदा करने वाला यह अधिकारी है। सब तरफ से इस अधिकारी के खिलाफ आवाज उठ रही है पर मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार किस तरह से चलना चाहती है। सरकार को ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये। ऐसे अधिकारी को तो सस्पेन्ड करके जांच प्रारम्भ करनी चाहिये। हैडक्वार्टर पर बुलाकर उसे छोड़ देना चाहिये। जांच की जानी चाहिये।

इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि आज पुलिस के हाईएस्ट रैंक पर शायद तीन एडीशनल आई०जी०के स्थानों का सृजन किया गया है। ऐसा प्रस्ताव सुनने में आया है कि सरकार ने करीब करीब स्वीकार कर लिया है। वह इस सरकार के रंग ढंग को देखते हुए स्वीकार भी हो जायगा। मैं समझता हूं कि जहां सरकार बिजली आदि की कटौती का उपदेश गांव के गरीब खेतीहर लोगों को देकर बचत करने की सोच रही है वहां इन फालतू के पदों का सृजन अपने चहेते लोगों को उन पर बिठाने के लिये करती जाती है जो कतई उपयुक्त नहीं है।

अब पुलिस ऐसा विभाग है जिसमें एक तरह के अधिकारी लोग एस०एच०ओ० और ए०एस०आई० रैंक तक के तो बड़े आराम में हैं पर इससे नीचे के जितने कर्मचारी हैं वे इस तरह से पीड़ित हैं कि जिनके लिये न पहनने को ठीक सी वर्दी मिलती है, न स्टेण्डर्ड का वेतन मिलता है जिस से वे अपने परिवार का भरण-पोषण ठीक ठीक कर सकें। गरीब से गरीब मजदूर को आज जितना एक दिन में मिल जाता है उससे भी कम वेतन आज एक सिपाही को इस समाजवादी राज्य में मिलता है। उतना भी नहीं मिलता। इसी तरह इनके मेस की हालत है। मैं निवेदन करूं कि आई० जी० पुलिस के इन मेसों में शामिल हुआ करें प्रति सप्ताह में से एक सप्ताह दूसरे सप्ताह डी०आई०जी० हुआ करें तीसरे सप्ताह एस० पी० हुआ करें तो उनको पता लग जावे कि किस तरह से खाया जाता है। वह खाना और फिर कुछ राहत उन सिपाहियों को भी मिल जावेगी कि उनका खाना खाने में आई०जी० भी सम्मिलित होते हैं और वे भी खाना खाकर उसे सराहते हैं या नहीं। उनको भी सम्पर्क में आना चाहिये।

सभापति महोदय, जब कोई सिपाही बीमार होता है तो उसका वेतन काट लिया जाता है। आप सोचिये वह बिना वेतन किस तरह से अपना अपने बाल बच्चों का या परिवार वालों का पेट भरेगा या अपना इलाज करावेगा।

(श्री मूलचन्द सामरिया)
इसका आप स्पष्टीकरण करेंगे तो बड़ी कृपा होगी ।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, सभापति महोदय, मेरी एक मान्यता है कि कांग्रेसी सरकार और भ्रष्टाचार पर्यायवाची शब्द हैं । इसलिये अलग से पुलिस विभाग के बारे में और इसके भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र करने का कोई अर्थ नहीं । आज तो सारे विभाग इस भ्रष्टाचार में एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं । आबकारी है, पी० डब्लू० डी० है, सिंचाई विभाग है, बिजली विभाग है जो भी विभाग जनता के सम्पर्क में है जिसको थोड़ा बहुत भी अधिकार है वह बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है । तो केवल पुलिस की ही आलोचना करने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है ।

आज मैं समझता हूं कि अपराधों में भी नये नये तरीकों का आविष्कार हो गया है । पर, सभापति महोदय, उनको पकड़ने के लिये भी ऐसे ही वैज्ञानिक आविष्कार नहीं होंगे तब तक हम उनको रोक नहीं सकेंगे । पुराने तरीके तौर किसी व्यक्ति को मार कर सीधा करने की बात आज आउट आफ डेट होती जा रही है । इस बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है ।

अपराधों की वृद्धि में सबसे आगे जयपुर जिला है । इसका मूल कारण इसका बहुत बड़ा आकार होना है । भीमकाय है यह जिला । आबादी के लिहाज से क्षेत्रफल के लिहाज से भी । इसलिये मैं समझता हूं कि एक कलेक्टर यहां काफी नहीं होगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके दो जिले बना दिये जावें । दो तीन तहसीलें और दूसरे जिलें की इसमें ली जा सकती हैं । जयपुर की आबादी और इसकी 17 तहसीलें बहुत बड़ा जिला हो जाता है । इस कारण पुलिस का डाईरेक्ट और इफेक्टिव तरीके नियन्त्रण नहीं है । इसका आसान तरीका यही है कि जयपुर के दो जिले बना दिये जायं । सब-डिस्ट्रिक्ट दौसा को दूसरा हैडक्वार्टर बना दिया जाय और उसमें एक दो तहसीलें और मिला दी जावें । इससे जनता का प्रशासन के साथ सीधा संबंध हो सकेगा ।

सभापति महोदय, जहां तक पुलिस के छोटे कर्मचारियों का प्रश्न है मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत से पुलिस क्लब जिला हैड क्वार्टर पर हैं ? ऐसे ही क्लब का निर्माण जयपुर जिले में भी किया जावे तो इससे बहुत लाभ इनको होगा ।

पुलिस के इन कर्मचारियों को पोद्दार मिल्स के मजदूर के बराबर तो कम से कम 300 रुपया पे मिलनी ही चाहिये। कम तनख्वाह देंगे तो बच्चों को जिन्दा रखने के लिये अपना गृहस्थी का काम चलाने के लिये यह कहते हैं वे कि 200 रुपया हमें देते हैं बाकी तीन सौ रुपया हमें रिश्वत से लेकर जिन्दा रहना पड़ता है । तो इसके लिये निवेदन करूंगा कि मरता क्या नहीं करता । तो आप कम पैसा देंगे तो वह रिश्वत भी लेगा । बुरे काम भी करेगा । इसलिये मंत्री महोदय यह समझते हैं कि एक परिवार में से एक सिपाही नौकर हो तो 300 रुपया अगर उसे मिलेंगे तो उन में से कितने का तो अनाज वह खरीदेगा, कैसे वह कपड़ा खरीदेगा, कैसे अपने बच्चों को पहनावेगा, पढ़ावेगा, उनका इलाज करावेगा ? इस पर गम्भीरता से सोचेंगे तो इसमें भ्रष्टाचार की बात और भ्रष्टाचार की जड़ मिलेगी ।

आर० ए० सी० की नाइन्थ बटालियन खत्म की जायेगी तो उसके 900 जवान बेरोजगार हो रहे हैं । सरकार जो नई भरती करे तो उनको प्राथमिकता दे । बेरोजगारी पहले

(श्री मूलचन्द सामरिया)

ही बहुत ज्यादा है। इसको और बढ़ाना ठीक नहीं है।

जहां तक अपराधों की बात है मैं और तो कोई बात नहीं कहता। पार्लियामेंट की रिपोर्ट में जो एक बात कही गई है, वह मैं सुनाना चाहता हूं। इसमें यह फरमाया है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां हर रोज एक हरिजन के साथ बलात्कार होता है। इन घटनाओं को रोकने में आप सफल होते हैं तो मैं समझूंगा कि हरिजनों के साथ आप किसी हद तक न्याय करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, यह जो ट्रायल प्रोसीजर है, मैं इसके बारे में निवेदन करूंगा कि दौसा सब-डिवीजन में एक एडीशनल मजिस्ट्रेट की पोस्ट कायम की जाये। जो समय बरबाद होता है, वह बच जाये। इस प्रकार से उनके साथ में न्याय किया जा सकता है। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यह तो आप सब जानते हैं कि सिपाहियों की स्थिति का सुधार करने के लिए जो कुछ भी होता है, उसका आप जवाब देंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिपाही ट्रक वालों को हाथ देते हैं। ट्रक वाले रोक कर बैठा लेते हैं तो बैठकर चले जाते हैं। चोर तो बस में चला जाता है लेकिन सिपाही पैदल जाता है। वह कैसे उसको पकड़ सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलिस कर्मचारी के पास में पास होना चाहिए। कमला बेनीवालजी जब थीं तो एक झगड़ा हुआ था। उनको सस्पेण्ड किया। बड़ी मुश्किल से रोका था। हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इसलिए उनके नियन्त्रण के साधन आप नहीं कर सकेंगे तो यह बिल्कुल कल्पनामात्र है? सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इन मांगों को नहीं मानते हैं तो राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है कि पुलिस कर्मचारियों को यूनियन बनाने का अधिकार है, तो वे यूनियन बना सकते हैं। उन लोगों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए अगर वही तरीका अपनाया, वही अख्तयार किया तो उसके बाद आपको मानना ही होगा। उससे पहले ही अगर उन मांगों को मान लें तो अधिक अच्छा है। वाजिब मांगों को मनवाने के लिए वह अगर यूनियन कायम करें और यह सरकार नहीं मानें, तो यह सरकार नहीं रह सकती है। आप किसी की मजबूरी को महसूस करें। आप बड़े बड़े लोग हैं। अपने बंगलों में नलों और पानी की रेट तो बढ़ा सकते हैं। तो क्या कारण है कि जो बेचारे सिपाही हैं, आठ आठ घंटे ड्यूटी देते हैं, 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, रात रात भर जागते हैं, उसके बाद भी उनको डाट डपट मिलती है। इसलिए अगर उनको सही सुविधाएं मिलेंगी तो वह भ्रष्टाचार से अलग रह कर सही सेवा कर सकेंगे। यही मेरी मांग है।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय सभापति महोदय, पुलिस और सामान्य प्रशासन की मांगों पर विचार किया जा रहा है। पुलिस के विषय में जो पिछले वर्ष में सफलता प्राप्त हुई है, अपराधों की संख्या में जो विशेष वृद्धि हुई है, उसके कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। वस्तुतः और दूसरे कारण रहे हों, पर अकाल एवं अतिवृष्टि का एक कारण बताया गया है। परन्तु सभापति महोदय, आज पुलिस की इतनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और मौजूदा थानों पर स्टाफ की कमी होने से पुलिस की कार्य-कुशलता में बहुत फर्क आया है। भिन्न

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भिन्न पुलिस स्टेशनों पर भिन्न भिन्न केस दर्ज होते हैं। नतीजा क्या होता है? 1 अप्रेल से तो ज्युडिशियरी का सेपरेशन होगा वह होगा, लेकिन जो पुलिस पैरवी की इनएफेशिएन्सी है, उसके कारण बहुत से केस असफल हो जाते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि जो पुलिस की रि-आर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है। पुराने हालात से आज के मौजूदा हालात बहुत बदल गये हैं। उनका इम्प्लीमेन्टेशन अच्छी तरह से करें। तो जो जनता की मांग है और जो पुलिस पर जो जिम्मेदारी आ गई है, उसको निभाना बहुत कठिन हो जायेगा। तो इस प्रकार से सारे पुलिस प्रशासन की आलोचना करें यह उचित नहीं है। जो इण्डिविजुअल केसेज में लैप्सेज होते हैं। जो घोटाले होते हैं। वहां उन अधिकारियों को उचित ध्यान देना चाहिए। जैसे एण्टीकरप्शन विभाग को ले लीजिये। सभी केसेज पेण्डिग हैं। अफसरों को मिलते हैं तो वह कहते हैं, हजारों केसेज पड़े हैं। क्योंकि स्टाफ की कमी है। जो प्रोसीजर बताया गया है, उसमें कार्यशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। कम्प्लीकेटेड केसेज हैं। सालों तक केसेज पेंडिग रहते हैं और सालों तक लोग सस्पेण्ड रहते हैं। उसके बाद भी आप उनको पूरी तनख्वाह देते हैं। इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, चाहूंगा कि विभाग के अन्दर जो आप सफलता पाते हैं, उसके बावजूद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। जहां तक, पुलिस में थानों पर शिकायतों का प्रश्न है जैसे राजस्व विभाग में पटवारी इम्पॉर्टेण्ट होता है, उसी प्रकार से पुलिस विभाग में थानेदार इम्पॉर्टेण्ट होता है। सारी कार्यवाही में शुरू में अगर कुछ भी झूठ लिख दिया गया है तो हाईकोर्ट तक उस झूठ के कारण केस बिगड़ते हैं। तो इस बारे में, मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मौजूदा जो प्रणाली है केसेज रजिस्ट्रेशन की, उसको लाइटली वे में नहीं अपनायें, बल्कि लिखित एफ०आई०आर० के अन्दर हीनिअस ऑफेन्स के अन्दर किसी प्रतिष्ठित आदमी को झूठा गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में केस फेलयोर होता है तो उस आदमी की प्रतिष्ठा पर धक्का पहुंचता है। इसलिए इस बारे में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

इसके अलावा पुलिस ने डेकॉइटी को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है और यह उस तरफ के माननीय सदस्यों ने भी माना है, हमें भी यह मानना पड़ेगा। इसके बावजूद जो डेकॉइटी के ऑफेन्स वगैरह को देखा है उसमें बहुत से टेक्निकल ऑफेन्स को भी डेकॉइटी में दर्ज कर लेते हैं, सौ रुपये के मामले को भी डेकॉइटी में दर्ज कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जब केस बन जाता है तो फिर उसमें समय लगता है। इसलिए इसमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

इसके अलावा पुलिस प्रशासन के उच्च ऑफिसरों की मनोवृत्ति तो प्रजातंत्र के अनुसार बदल चुकी है। लेकिन नीचे के लेवल के छोटे ऑफिसर हैं, हम मानते हैं उनकी तनख्वाह कम है और जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। उस दृष्टिकोण को भी मद्देनजर रखना चाहिए। इसके साथ-साथ छोटे-छोटे मामले भी बाद में जाकर गम्भीर मामले बन जाते हैं और पुलिस को लॉ एण्ड ऑर्डर को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। सारे लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने की क्षमता, एजिटेशन को कंट्रोल करने की कपेसिटी, कार्य-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
कुशलता और दक्षता के अनुसार पुलिस सेवा मेडल देने की प्रणाली है। इस बारे में लोगों की शिकायत है। इसके लिए कोई कमेटी बना दें, जिसका कोई जुडिशियल सेवा का व्यक्ति, जज अध्यक्ष हो और कमेटी बनाकर, उसकी सिफारिशों के आधार पर मेडल प्रदान होते हैं तो इससे पुलिस वालों के अन्दर हार्ट बर्निग नहीं होगी और अगर किसी के सी०-आर० में कोई एडवर्स एन्ट्री हो जाती है तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो भी डेडीकेटेड पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे सीनियर हों, चाहे जूनियर हों, उनको रिवार्ड देना चाहिए और जो पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जो कि पुलिस विभाग के ऊपर ब्लॉट हैं तो उनको एक्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की आवश्यकता है। इससे जो पुलिस को जनरल रूप से क्रिटिसाइज करने की प्रवृत्ति है, वह भी रुक जायगी। जिस प्रकार माननीय हाण्डा जी ने कुछ कैसेज के बारे में कहा है, वह गम्भीर आरोप हैं, उनकी जांच करके ऐसे लोगों को पनिश करने की आवश्यकता है। अगर सारे पुलिस प्रशासन को कुछ मामलों को लेकर भ्रष्ट बताते हैं तो इससे पुलिस ऑफिसस डिमोरेलाइज होते हैं। इसलिए हमें भ्रष्ट और अच्छे ऑफिसरों में डिस्टिंक्शन करना होगा और लोगों को भी ज्ञात होगा। यह एक भारी समस्या है, इस पर पुर्नविचार सब पार्टियों को करके इसका हल निकालना पड़ेगा। तभी प्रॉपर्टी की सुरक्षा होगी, इस सदन के सदस्यों की सुरक्षा होगी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सुरक्षा होगी। अगर कोई भी व्यक्ति लड़ाई-झगड़ा करके नुकसान पहुंचाता है तो उसको रोकने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ साइन्टिफिक इन्वेस्टीगेशन की प्रथा है और सेम्पल भेजकर उसकी रिपोर्ट देने की प्रथा है, इसमें शीघ्रता बरतने की आवश्यकता है। सेम्पल की काफी समय तक रिपोर्ट नहीं आती है तो केस खराब हो जाता है। इसकी कार्यकुशलता को सीनियर ऑफिसर को देखना चाहिए। इसमें डरने की आवश्यकता भी नहीं है, जो सच्ची बात है उस पर उनको अड़े रहना चाहिए। और सच्चाई की वजह से कहीं तबादले पर जाना पड़े तो भी कोई चिन्ता का विषय नहीं है।

इसके अलावा अगर किसी ने कोई गलती की है, ऑफेन्स किया है तो उसको सस्पेन्ड करने की आवश्यकता है, पनिश करने की आवश्यकता है, उसको आप करिये। यह नहीं कि आप उसका ट्रान्सफर कर दें। ट्रान्सफर इज नो पनिशमेंट। आप ट्रान्सफर करते हैं उसके बजाय पनिश करना चाहिए। लेकिन अगर दोषी नहीं है और उसका हेरेसमेंट ट्रान्सफर से इधर से उधर भेज कर होता है तो इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये, अन्यथा लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जायगी और ऑफिसर डिमोरेलाइज होकर बैठ जायेंगे।

मर्डर कैसेज हैं, और हीनिअस आफेन्स हैं, इनके रजिस्ट्रेशन के लिए सक्यूलर निकाला हुआ है कि यह एटरेन्डम नहीं हों और अगर रजिस्ट्रेशन में डिस्टींक्शन नहीं होता है, जब कि यह करने की आवश्यकता है कि सच्चाई के रूप में रजिस्ट्रेशन हो। उसके बाद में हाई कोर्ट तक भी पनिश कराया जा सकता है। इसके बारे में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस बारे में नया सक्यूलर जारी करना चाहिये।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसके अलावा आर०ए०सी० के जवान हैं, और छोटे कर्मचारी हैं, जो विधान सभा के प्रहरी हैं, इनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स कम मिलता है और मैस अलाउन्स के मामले में भी भिन्नता है। यह छोटी मोटी दिक्कतें हैं। आज पुलिस की यूनियन नहीं है क्योंकि इससे डिसिप्लिन बिगड़ने का खतरा है। इसलिए इस बारे में सोचा जा सकता है, मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए और हालातों को देखते हुए जो उनकी वाजिब मांग है, चाहे पदोन्नति का मामला हो, चाहे फिक्सेशन का मामला हो, उनके ऊपर विचार करने में ऑफिसर्स को डिले नहीं करनी चाहिए। डिले होती है तो एजीटेशन होता है और मामला गम्भीर रूप धारण कर लेता है। इसलिए डिस्पोजल शीघ्र होना चाहिए चाहे किसी रूप में हो, ताकि किसी को कहने की आवश्यकता नहीं हो, और लॉ एण्ड ऑर्डर की सिच्युएशन को ठीक करने के अन्दर प्रशासन और ऑफिसर्स को सुविधा हो।

इसके अलावा यह बात आती है कि थर्ड डिग्री मैथड पुलिस यूज करती है। इसमें ऑफिसरों की गलती भी है और थाने की कहीं 2 जरूरत भी होती है हमें भी नहीं भूलना चाहिए कि जो आंकड़े देखते हैं रिकवरी के, उसमें रिकवरी का पर्सेन्टेज पचास पर्सेन्ट बताया गया है, इसी का कारण यह है और शायद इसमें मूर्तियां की चोरियों का असेसमेंट शामिल नहीं होगा। रिकवरी की पोजीशन पुलिस की बहुत खराब आती है। चोरी के मामलों की पुलिस स्टेशनों की रिकवरी ठीक नहीं है। पहले के टाइम के अन्दर थानेदार अगर माल बरामद नहीं करता था तो उसकी तनख्वाह बन्द हो जाती थी। इस पर भी पुर्नविचार करने की आवश्यकता है। छोटे-मोटे जो मामले है उनका निपटारा जल्दी हो जाय, जैसे पंचायतों में होता है। इसमें भी राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति जी, इसके अलावा, दूसरी पुलिस वेलफेअर स्कीम वगैरह के बारे में मेरे कटौती प्रस्ताव ज्यादा हैं और समय कम है, इसलिए मैंने जितने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनको मैं प्रस्तुत करता हूं। मैं उन पर समय के अभाव के कारण प्रकाश नहीं डाल सकता हूं, परन्तु मैं चाहूंगा कि इनका लिखित में उत्तर मिल जाय।

सामान्य प्रशासन के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा। सामान्य प्रशासन के लिए कई कमेटियां बनी, एडमिनिस्ट्रेशन रिफामोर्स कमीशन की रिपोर्ट भी आई। लेकिन छोटी-मोटी तब्दीलियां तो जरूर आईं, जैसे सचिवालय में सेल्स बनायें, क्विक डिस्पोजल के लिए स्टेप लिये। उसके बाद भी लोगों में असन्तोष है कि जो कागज सेकेट्रेरियट में चला जाता है, वह खड्डे में पड़ जाता है क्योंकि अलग अलग कई सेक्शन हैं। मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, सामान्य प्रशासन की सारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, वहां पर विजिलेंस कमेटी सारी जनता की शिकायतें सुनने के लिए हों। यह एक अच्छा तरीका है। आगे कुछ भी नतीजा हो लेकिन डिस्पोजल होकर जवाब चला जाय। यह कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विजिलेंस कमेटी हैं, इनको कार्य शीघ्र करते रहने की आवश्यकता है, इससे छोटी-मोटी शिकायतें तो असेम्बली में आना बन्द हो जायेंगी और लोगों को संतोष मिल जायगा। आपको इस सामान्य प्रशासन में और सुधार करने की

Page No 185

185

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आवश्यकता है, फालतू खर्च को रोकने की आवश्यकता है, जगह जगह डिले होती है, उसको रोकने के लिए डिस्पोजल का टाइम निर्धारित होने की आवश्यकता है। इस बात को कहते हुए जो कटौती प्रस्ताव मैंने रखे हैं, उनको मैं प्रस्तुत करता हूं। जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, है, उनका लिखित में उत्तर दे दें।

श्री सभापति : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय सभापति, मैंने पुलिस के बारे में और सामान्य प्रशासन के बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव दिये हैं। सीमित समय में ही मैं अपने विचार रखूंगा। आज मेरी यह धारणा है कि पुलिस समाज का एक अभिन्न अंग है और समाज के मन में पुलिस के लिए साधारणतः आदर की भावना होनी चाहिए, उसके प्रति स्नेह होना चाहिए। बजाय उसके आज समाज में उसके विपरित भावना पुलिस के प्रति पैदा हुई है। पुलिस के प्रति समाज की भावना यह है, पुलिस, इसका मतलब है डकैत, पुलिस, इसका मतलब है परेशान करने वाला, पुलिस, इसका मतलब है, न्याय नहीं देने वाला। यह भावना समाज में पैदा हुई है। यह भयावह है। यह चिंता का विषय हैं। मेरे पड़ोसी के यहां चोरी हुई। मैंने कहा कि पुलिस में जाकर रिपोर्ट करो। उसने कहा कि रिपोर्ट कराऊंगा तो परेशान कर देगी पुलिस। एक तो चोरी हो गई, घर का समान गया, हजार दो हजार की चोरी हो गई, फिर भी पुलिस में जाने के लिए तैयार नहीं। पुलिस से डरते हैं कि कहीं पुलिस हमें परेशान न कर दे। यह भावना क्यों पैदा हुई? मैं समझूंगा, इससे सभी का हित नहीं हो सकेगा। इसके जो उत्तरदायी हैं, जो बाग-डोर सम्भाले हुए हैं, जिन के हाथ में रीति-नीति के संचालन का भार है और इसको सुचारु रूप से चलाने का तय कर लें तो मैं यह समझता हूं कि यह जो गैप है, समाज और पुलिस में जो खाई है, उसको पाटा जा सकता है। सौभाग्य से मुख्य मंत्री महोदय यहां पर सदन में बात सुनने को बैठे हैं तो कुछ बातें मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा जो जानबूझकर पुलिस द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है जिससे समाज में इस प्रकार की भावना पैदा होती है। मैं यह नहीं मानता कि पुलिस का एक सिपाही डंडा लेकर चलता है, वह एक साधारण आदेश पर चलता है और वह समाज में आतंक पैदा करता है? पुलिस के अफसर के मन में अफसरशाही रहती है। यदि यह न रहे तो जनता में पुलिस के प्रति जो भय की भावना है उसको हटाया जा सकता है। उदाहरण मैं यहां पर डूंगरपुर का दूंगा। डूंगरपुर में मंहगाई को लेकर जनवरी के अंतिम दिनों में छात्रों ने आन्दोलन किया। कोई गड़बड़ी नहीं हुई। शान्ति-पूर्ण आन्दोलन था। बाहर निकलने के बाद हो सकता है कुछ उत्पात हुआ हो। उसके बाद अधिकारियों ने छात्रों से कहा आप बैठ जाइये। रेस्ट हाउस के बाहर, प्रांगण में बात करने आता हूं। बात करने के लिए वे बैठ गये। बातचीत किसी ने नहीं की। बाद में पुलिस अधिकारी के असामाजिक तत्वों ने चांटा लगा दिया। इस चांटे की कितनी

(7.42 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कीमत चुकानी पड़ी राज्य को और समाज को, क्या परिणाम हुआ, यह जांच का विषय है। इसके कारण बैठे हुए शान्त विद्यार्थियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया,

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

भगदड़ मच गई, मौतें हो गईं। जिनके घर पर बच्चे वापिस नहीं आए उन्होंने तलाशी शुरु की। वे अधिकारियों के पास पहुंचे। जिलाधीश के पास पहुंचे, एस०पी० के पास गये एस०पी० ने धक्का देकर उनको निकाल दिया। एक बच्चे के बाप को कितना दर्द हुआ होगा, मैं समझता हूं आप अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचें, बच्चा गायब है। गिरफ्तार किया है तो उनमें है, या नहीं यह पूछना पाप नहीं है। तसल्ली देने के बजाय धक्का देकर निकाल दिया। दूसरे दिन यह बताया गया कि वह बच्चा डूब गया। मैं स्वयं वहां पर गया हूं। साढ़े पांच फीट का बच्चा, 18 साल का नौजवान साढ़े तीन फीट पानी में कैसे डूब गया। दिन में, कोई चिन्ह उसके वहां पर नहीं थे। बच्चे की चप्पलें होतीं लेकिन किसी प्रकार का कोई चिन्ह वहां पर नहीं था। सवेरे वहां गया, पुलिस के अधिकारी तलाशी की बातें कर रहे थे। ढूंढा, लाश निकली। कह दिया डूब कर मर गया। मेडिकल जूरिस्ट उदयपुर से आया उसने रिपोर्ट दे दी डूब कर मर गया। यह जांच का विषय है। साढ़े तीन फीट पानी में कैसे वह डूब कर मर गया। पुलिस ने मार का लड़का. जवान लड़का, साढ़े पांच फीट का साढ़े तीन फीट पानी में कैसे डूब कर मर गया। चप्पलें सवेरे, दोपहर में नहीं मिलीं। ऐसी अनेक बातें हैं जिससे लोगों के मन में सन्देह होता है। पुलिस ने मार कर छिपा दिया और रात को दो बजे बाद पानी में डालकर कह दिया डूब कर मर गया। यह भावना समाज के अन्दर पुलिस की है। ऐसे कार्यों से पुलिस के प्रति कैसे आदर की भावना पैदा हो सकती है। इसकी जांच करें। मैं समझता हूं पुलिस के प्रति आदर की भावना जागृत नहीं हो सकती है। यह डूंगरपुर की दशा है। 9 जनवरी को आसाव के पास सड़क पर काम करने वाले जो आदिवासी हैं उनको ढाई महीने से तनख्वाह नहीं मिली। सरकार को एप्रोच किया, कलेक्टर को कहा, आश्वासन भी मिला, किन्तु तनख्वाह नहीं मिली। अन्त में यह कहा ढाई महीने की तनख्वाह है, मिली नहीं है इसलिए राशन की व्यवस्था कर दो जब देने की व्यवस्था कर देंगे तब काट लें। अन्त में उन्होंने नेशनल हाई वे 8 को रोक कर खड़े हो गये। आस-पास के रास्ते रुक गये? अव्यवस्था हो गई। जिलाधीश का काम था कि वह वहां पर जाता। उच्चाधिकारी वहां पर जाते। परन्तु कोई नहीं गया और रात के 12 बजे कड़ाके की सर्दी में 300/400 जवान लेकर गये। वे गरीब लोग सड़कों पर सोये हुए थे। होटल के नीचे सोये हुए थे। उन पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज शुरू हुआ महिलाओं में भगदड़ मच गयी। अश्रुगैस छोड़ी गई। परिणाम क्या हुआ। चाहिये तो यह था कि इन गरीबों को आप राशन दिलाते। पेट मांगता है। कितना औचित्य था मांग पर किन्तु नहीं मानी गई। पिटाई हो गई और फिर वहां जनसंघ के कार्यकर्ता हीरालाल अहारी जो इसका नेतृत्व कर रहे थे उनको गिरफ्तार करके, हथकड़ियां पहना कर वहां से ले गये। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया गया। यह जो समाचार है, वह पुलिस के प्रति अच्छी भावना कैसे पैदा कर सकता है।

राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन के समय बांसवाड़ा में जो काण्ड हुआ वह यह बताता है कि पुलिस वाले कितना प्रतिशोध लेते हैं। दूसरे दिन सुबह साढ़े छः बजे से सारे बांसवाड़ा को घेर लिया जैसे कि कोई हमला कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, वैसे वहां पर टूट पड़े। बाल बच्चे घरों के अन्दर चले गये।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

पुलिस को छूट दी गई कि जाओ लूटो, खाओ, पीओ, बलात्कार करो। ऐसा अन्याय कभी भी मैंने अपने जीवन में नहीं सुना। रावण के राज्य में भी ऐसी अन्धेरगर्दी नहीं मची थी जैसी कि कांग्रेस राज्य में मची है। मुझे वेदना हुई। कलेक्टर से कहा चलो, कहा नहीं चल सकते। मैं सवेरे जाऊंगा आप जा सकते हैं। जिलाधीश को किसने कहा कि मैं नहीं जा सकता। वहां परिस्थितियां अच्छी नहीं थीं मुझे यातायात के लिए भी रोक दिया। मैं रुका नहीं। मैं गया और देखा। अस्पताल में एक महिला जिसको पुलिस ने घर में घुस कर पीटा, बलात्कार किया, उसके स्तन काट दिए। मेरे पास उसका यह फोटो है। आज मैंने, अध्यक्ष महोदय, से फोटो को सदन में रखने के लिए कहा था। आप देखेंगे इस महिला के स्तन काट दिए गए हैं। आश्चर्य की बात है एक महिला के स्तन काट दिए जायें और उसको इन्दौर इलाज कराने जाना पड़े। वहां के अस्पतालों में इसका इलाज न हो। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। इसके बाद घरों में घुस कर सब लोगों को, बच्चों को, पुत्रवधू को, भाई-बहिन को और छोटे से छोटे बच्चों को चार साल के बच्चों को पीटा गया। उन सबको, घायल कर दिया। यह कौन सा राज्य है। एक 6 साल की बच्ची थी। वह क्या कर सकती थी। उस 6 साल की बच्ची को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। क्या वह अपराध कर सकती थी। बच्चे पुलिस को देख कर डर गये। वह बच्ची भी डरी हुई थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं जांच करने आया हूं, पता लगाने आया हूं। यह आश्वासन मिलने पर उसने दरवाजा खोला। यह बांसवाड़ा की स्थिति है राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन के समय की, पुलिस के काण्ड की। यह काण्ड काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और फिर पुलिस चाहती है कि उससे जनता सहयोग करे। आज जनता पुलिस से भयभीत है। जनता में पुलिस के नाम से त्राहि-त्राहि मच रही है। उसे शान्ति रखने के लिए कहा जाता है परन्तु वहां पर पुलिस ऐसे आई जैसे विदेशी शासक पहले हमले करते थे और जब मैं वहां पर बोलने के लिए उठ खड़ा हुआ तो उसने लोगों को इधर उधर करने का प्रयास किया। लोग शान्त थे सभास्थल पर। यह पुलिस का रवैया रहा कर्मचारी आन्दोलन के समय बांसवाड़ा में। यह अशोभनीय रवैया है।

अब मैं एक बात और कहता हूं। पुलिस सुरक्षा दे इसका अर्थ यह नहीं है कि वह रक्षा के स्थान पर विक्टेमाइजेशन करना शुरू करदे, प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाना शुरू कर दे। जो घटनाएं हुई उनका संकेत किया। जनता के ऊपर हमला करके प्रतिशोध नहीं लिया जाना चाहिए। पुलिस की कार्यवाही को देखिए। एक थाने पर, यहां जयपुर में 21 फरवरी, 73 को मोहनलाल विशनदास सिन्धी, बनीपार्क, जयपुर की शिकायत पर एक वृद्धि-चंद जैन, असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर को शर्मा मिष्ठान्न भंडार पर रिश्वत लेने पर एण्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट ने गिरफ्तार किया। उसको बनीपार्क थाने ले गये। पुलिस ने मदद की। पकड़ने वाली पुलिस थी जिसको पकड़ा वह असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर था और उसको भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा। थाने पर ले गये। 13-14 पुलिस वालों ने एन्टीकरप्शन विभाग के अधिकारी को एक साथ पीटा, उस पर हमला किया। उसकी गर्दन तोड़ दी, एक पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया उसके बाद वृद्धिचन्द जैन सेशन में जाकर जमानत पर छूटा। परन्तु इन 13-14

(श्री भानु कुमार शास्त्री)

के खिलाफ केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। केस रजिस्टर्ड होने के बाद धारा 147, 332, 224, 225, आई०पी०सी० के अन्तर्गत केस दर्ज किया गया। लेकिन आज तक कोई चालान पेश नहीं हुआ है। कोई आइडेन्टीफिकेशन की परेड नहीं हुई। अब ऐसा सुना जा रहा है कि इस मामले को समाप्त किये जाने के प्रयास चल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें एक ओमप्रकाश नाम के सिपाही को इस तरह पीटा गया कि उसकी तो गर्दन ही टेडी हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात तो देखें कि गिरफ्तार करने वाली पुलिस एक एन्टी करप्शन के सब इन्सपेक्टर को पकड़े। एक योजनाबद्ध तरीके से पकड़ा गया। आज उपाध्यक्ष महोदय, चाहे, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब, होम कमिश्नर साहब और गृहमन्त्री राज्य बैठे बैठे सुनते रहें, चाहे चुप्पी साध लें, तो उपाध्यक्ष महोदय, वहां जनता को न्याय मिलने की क्या कल्पना कोई कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मन्त्री इस मिनिस्ट्री में नवागन्तुक हैं, उन्हें इन सारे काण्डों का पता नहीं हो लेकिन उनको इस पर प्रकाश डालना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूं वह एक आई० ए०एस०, आफिसर का। एक श्री राजेन्द्र जैन, जो कि कलेक्टर सवाई माधोपुर थे और कलेक्टर के पद के साथ साथ वहां यू०आई०टी० के चेयरमेन भी थे। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने लाखों के प्लाट काट कर लोगों को काट काट कर अलॉट कर दिए। उन्हें उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उन्हें 35 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया। उनके नाम के पैसे एक फर्म के बही खातों में लिखा पढ़ी में पाये गये कि कलेक्टर को 35 हजार रुपये रिश्वत दिए गए। उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें 24-9-72 को पकड़ा गया लेकिन उनको 24-4-73 को सस्पेन्ड किया गया। इनके खिलाफ कोई एक्शन राज्य सरकार इसके पहले नहीं ले सकी। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि एक आई०ए०एस० अधिकारी भारत सरकार की सेवा में होता है, इसलिए उसके खिलाफ में एक्शन लेने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, उनका चालान नहीं हो, इसके लिए वह फाइल ला डिपार्टमेन्ट को भेजी गई। वहां पर आपके ला डिपार्टमेन्ट के सेक्रेट्री श्री बी०एल० श्रीवास्तव थे जो कि 20 दिन बाद ही रिटायर होने वाले थे उन्होंने उपाध्यक्ष महोदय, बिना फाइल देखे ही लिख दिया कि इस केस में चालान करने की आवश्यकता नहीं। इस केस को डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिए दे दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति जानता है कि मुझे तो रिटायर होना ही है उसने डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिए लिख दिया। उपाध्यक्ष महोदय, एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट उसके चालान के लिए लिखे। जिसने 35 हजार रुपये की रिश्वत ली हो। जिसके लिए प्रमाण मिल जाये, बही खातों में एन्ट्री पायी जावे फिर भी राज्य सरकार उसका आज तक चालान पेश नहीं कर सकी है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा राजस्थान के इतिहास में आपको कोई केस नहीं मिलेगा। एक आई०ए०एस० आफिसर के खिलाफ में जिसको 35 हजार रुपये लेने के लिए गिरफ्तार किया हो एन्टी करप्शन ने चालान के लिए अनुमति भारत सरकार से मांगी हो और वहां पर आपका ला सेक्रेट्री बी०एल० श्रीवास्तव जो कि रिटायर होने वाला था, लि

(श्री भानु कुमार शास्त्री)

दिया कि इसमें चालान की जरूरत नहीं है। इसके लिए डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो करायी जाय। बिना फाइल देखे उपाध्यक्ष महोदय, अब ऐसी कोशिशें भी की जा रही हैं कि इस केस को समाप्त किया जाय। तो ऐसे आई०ए०एस० अधिकारी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं?

अब एक और उदाहरण देना चाहूंगा। यह एक आर०ए०एस० अधिकारी हैं श्री आर०के० तिवाड़ी, जो कि गंगापुर में एस० डी०एम० थे। उन्होंने वहां पर खूब रिश्वतें लीं। उपाध्यक्ष महोदय, इस भ्रष्ट अधिकारी को उसके ही चेम्बर में 5-1-73 को 500 रुपया रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार किया। लेकिन उसके लिए उनसे 17-11-73 तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, उनको जब चेम्बर में पकड़ा गया तो गंगापुर की शहर की जनता वहां आ गई और बाद में उन्हें हथकड़ी डालकर सारे शहर में घुमाया गया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उसको जमानत हो गई और बाद में उसे कई दिन तक सस्पेन्ड नहीं किया। जिस व्यक्ति को 17-11-73 को सस्पेन्ड किया पर आज 20-3-74 होने को आये हैं आज तक उसका चालान पेश नहीं हुआ है।

इसके अलावा मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं वह है-श्री दुर्गाप्रसाद जैन के बारे में जो चीफ इन्जीनियर, रोड्स हैं। उन्होंने 35 रोड रोलर खरीदे जिसमें 25 तो छोटे और दस बड़े। उपाध्यक्ष महोदय, जो छोटे रोड रोलर थे वह एक कम्पनी से 27,500 रुपये प्रति रोड रोलर से खरीदे और जो बड़े रोड रोलर थे उन्हें 27,540 रुपये में ही खरीदा। सिर्फ 40 किलो में 40 रुपये का ही अन्तर। उपाध्यक्ष महोदय, यह रोड रोलर पुराने चेन्ज किये हुए रोड रोलर थे। वह ज्यादा कीमत में खरीदे गए। लेकिन उसी फर्म ने जयपुर में एक दूसरे व्यक्ति को उसी मेक का रोड रोलर चार हजार रुपये कम में बेचा। इसका कारण यह है कि इनमें सभी खरीद फरोख्त में इन इन्जीनियर्स के ऊपर से नीचे तक कमीशन बन्धे हुए रहते हैं। किसी में बीस हजार, किसी में 26 हजार रुपये तक का कमीशन प्राप्त होता है। जब इसकी शिकायत हुई, तो इसको चेक करने के लिए एक व्यक्ति श्री ए० एस० अग्रवाल जो कि मेकेनिकल इन्जीनियर थे, उन्हें दिल्ली भेजा गया उन्होंने वहां जाकर इन्सपेक्शन किया। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने 5-7-73 का चेक किया। उपाध्यक्ष महोदय, वह माल बोम्बे आटोमोबाइल से खरीदा गया था। इसमें करीब एक 66 हजार का पेमेन्ट हुआ इसके लिये दो चेक आये बाम्बे औटोमोबाईल्स के यहां से एक तो 20 हजार और दूसरा 22 हजार रुपये का, एक श्री जे० पी० सिंह थे उनको भेजे। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 73 का केस है और यह 74 शुरू हो गया है पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। अब ऐसा सुना है कि उस केस को समाप्त किया जा रहा है। अभी यह खबर हमारे यहां के अखबारों में छपी है शायद 6-7 जुलाई के पत्र में कि इस केस को समाप्त किये जाने की कोशिश चल रही है तो मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन केसेज में आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। इनका चालान पेश किया जाना चाहिये ताकि अगर आप इस तरह से बड़े आफिसर्स का एक का भी चालान पेश करते हैं तो छोटे कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने में कमी आयेगी।

(श्री भानु कुमार शास्त्री)

इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर के केस के बारे में निवेदन करना चाहूंगा यहां पर एक पी०डब्ल्यू०डी० के इन्जीनियर श्री जसवन्तलाल ने एक पेट्रोल पम्प वाले से जिसका नाम मांगीलाल है, जो कि पेट्रोल का काम धन्धा करता है डूंगरपुर में उससे एक केस में उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल झूंठा एक लाख रुपये का पेमेन्ट किया—कोई चीज खरीदी नहीं गयी, कोई चीज बेची नहीं गई है। एक लाख रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। यह केस 1-11-71 को पकड़ा गया तो उस मांगीलाल ने कहा कि उसने माल उदयपुर के जे० जे० श्रीनाथ जी से माल खरीदा। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर की जो जे०जे० श्रीनाथ जी कम्पनी है उसकी बहियों में लिखा हुआ था माल को बेचने के बारे में लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अब उस केस में यही हो रहा है कि उस केस को समाप्त किया जा रहा है। इसका कारण है, मैं सदन में स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं और डरता भी नहीं हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि यह जे० जे० श्रीनाथ जी कम्पनी वह श्री हीरालाल देवपुरा जो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री हैं उन के रिश्तेदार की है। इस बात को मैं ही नहीं यहां जो उदयपुर के माननीय सदस्य बैठे हैं, गृह राज्यमन्त्रीजी बैठे हैं, वह भी जानते हैं। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि डूंगरपुर के मांगीलाल को बिलकुल झूंठा पेमेन्ट किया गया। और अब उसे जे० जे० श्रीनाथ जी एण्ड कम्पनी के मालिक को और इस काम में सांठ-गांठ करने वाले लोगों को बचाने की कोशिश चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज यह तो बड़े-बड़े अधिकारियों की बातें हैं। छोटे छोटे अधिकारियों की बात तो छोड़ो।

आज जब मैं छोटे-छोटे पुलिस के कर्मचारियों को देखता हूं जिनको कि 100·150 रुपये मिलते हैं तो सोचता हूं कि वह बेचारे अपना कैसे काम चलाते होंगे कैसे अपने बच्चों का पेट पालते होंगे, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। आज उनके स्वास्थ्य की तरफ देखें तो बेचारे पिचकी हुई तन्दुरुस्ती में दिखाई देते हैं इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा और पुलिस की मांग के बारे में यह चाहता हूं कि पुलिस अपने व्यवहार में बदल करे, इमेज में बदल करें, सच्चे सद्भाव को पैदा करे। इसका दायित्व पुलिस पर भी है और समाज पर भी है। इन दोनों का सन्तुलन जब तक नहीं होगा, पुलिस इन दो पाटों के बीच में इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, लम्बी डिबेट के कारण थकावट और भूख का वाइड असर पड़ता है। पुलिस की मांग पर बोलते हुए जो गुस्सा होना चाहिए वह आज नहीं है। दो मार्च के दिन राजस्थान बन्द रहा। पुलिस ने अपनी तरफ से पुलिस फोर्स का काफी रेस्ट्रिक्टेड इस्तेमाल किया। स्कूल और कालेजेज बन्द कर दिए। सिवाय अलवर के और कहीं कोई एक्सीडेन्ट हुआ नहीं। मेरे खयाल से माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि एक ऐसी सुशिक्षित कम्यूनिटी आ रही है कि राजस्थान के आधार पर एक नया अपहीवल अपराईजिंग पैदा हो जायगा जिसको फेस करना मन्त्री-मण्डल के लिए मुश्किल हो जायगा। यूथ अपराईजिंग हो रहा है शिक्षित वर्ग में। इकोनामिक क्राइसिस बढ़ेगा, प्राइस पैनल बढ़ेगा, डेफिसिट फाइनेन्सिंग बढ़ेगा, उस वक्त पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। पुलिस को इन चीजों को फेस

(श्री केदारनाथ)

करना पड़ता है जिसके लिये पुलिस पर दोष नहीं है। गलती और कमजोरी आपकी है। उसका असर पुलिस पर पड़ेगा। यह सारा पुलिस की पिरामिड आज कान्स्टेबिल पर खड़ा किया हुआ है। उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिये मौजूदा कान्स्टेबिल और उसका केडर उसके लायक नहीं है। वह काबू भी नहीं कर पा रहा है। इसका स्टेट्स, उसका मेन्टल मेकअप, उसकी सेलरी, उसके राइट्स, उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको देखते हुए जो रेस्पोन्सिबिलिटी आने वाले वक्त में आने वाली है। लॉ एण्ड ऑर्डर जो फार्मिडेबल टेन्सन अख्तियार करने वाला है, कानून की जो व्यवस्था है उसको यह कान्स्टेबल उठा नहीं पायेगा। हमारे कान्स्टेबल और होम कमिश्नर में जो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस का फर्क है वह कम होगा नहीं, जब कि यह, मान्यवर, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का आब्जेक्टिव है। राजस्थान में यह फर्क सबसे ज्यादा है। पटवारी और चीफ सेक्रेटरी के स्टेट्स और सेलरी में बड़ा भारी फर्क है। कान्स्टेबल और होम कमिश्नर के स्टेट्स और सेलरी में बहुत बड़ा फर्क है। यह डिफरेन्स कैसे मेक अप होगा। सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट में जो हवाला दिया है तो उन्होंने कहा है कि पटवारी को जो वेजेज दे रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी को दे रहे हैं यह कैसे मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन में फिट-इन होंगे। पुलिस के सारे एप्रोच को कैसे बदलेंगे? नये नये संबंध पैदा होने वाले हैं। यूथ अपराइजिंग हो रहा है। खेतों पर जो क्राप शेयरिंग का काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, वह ज्यादातर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं और वह अपनी जमीन या तो सबलेट कर देते हैं या मोर्टगेज कर देते हैं क्योंकि जमीन का इन्सीडेन्स उनके पास बहुत कम है। मीन्स उनके पास नहीं हैं, और कर्जा देने के बाद में जब कब्जा करते हैं तो जिस मालिक के पास में जमीन होती है वह चोरी और डाके का केस उन पर बना देता है। पुलिस उनके साथ नहीं खड़ी होती है, क्राप शेयरर्स के साथ नहीं आती है, मार्जिनल किसान के साथ नहीं आती है, उसके नौकर के साथ नहीं आती, उनको कब्जा मिल जाय, या पजेशन रेस्टोर कराने के लिए, वह वहां के मालिक का साथ देती है। लेबर प्रोसिजर की डिस्प्यूट्स में बड़ी चर्चा होती है कि उसमें पुलिस का एप्रोच क्या होना चाहिये? लेकिन यह चीजें आने वाले क्राइसिस में, लैण्ड रिफार्म्स और सीलिंग एक्ट में शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट के लोगों के साथ में ज्यादतियां हो रही हैं उनमें पुलिस का एप्रोच इस वक्त बदला नहीं है। मैं, मान्यवर, आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को लाजिमी तौर पर अपना एप्रोच बदलना पड़ेगा।

मान्यवर, हमने इस हाउस में नॉइज एक्ट पास किया। मंशा उसकी यह थी कि स्टूडेन्ट्स जो स्टडी करते हैं तो चारों तरफ आवाजें नहीं आनी चाहिये। उस पर पाबन्दी हो। अब पोलिटिकल पार्टीज डिमोन्स्ट्रेशन करती हैं तो उसका इस्तेमाल करती है रिक्शे के जरिये या जीप के जरिये से इस्तेमाल करती है तो पुलिस जाकर उसका चालान कर देती है। मैं इसलिये कह रहा हूं कि सेक्शन 107, सेक्शन 145, सेक्शन 109 की कार्यवाही की जाती है। पुलिस एक्ट सन् 1932 में बना था। उसका एक सेक्शन 32 है। किसी डिमान्स्ट्रेशन को, मूवमेंट को रेग्युलेट करने का उसमें है कि आपको एस०पी०से इजाजत लेनी होगी, कलेक्टर को इत्तिला देनी होगी कि यहां पर डिमान्स्ट्रेशन होगा। इसकी एप्लीकेशन देनी पड़ती है तो इस बारे में पुलिस

Page No 192

192

(श्री केशर नाथ)

को नये एप्रोच के साथ आना चाहिये कि किन का डिमान्स्ट्रेशन है, किन का मूवमेंट है। शान्तिपूर्वक मूवमेंन्ट चल रहा है, शान्ति पूर्वक जुलूस चल रहा है तो उसको डिस्टर्ब करने के लिये आप इस तरीके की गलती करते है।

कहीं पर हथोड़ा मार की बात हो गई। उसकी जांच हुई लेकिन इस सारी रिपोर्ट में कहीं पर उसकी बात नहीं आई। इतनी बड़ी घटना हुई तो आप क्या ट्रेस कर पाये। कौन सा स्पेशल फोर्स क्रियेट करके, असेम्बल करके आपने उसको परस्यू किया और वह मिले। मान्यवर, उसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि यू०पी० में यह चीज हुई। वहां पर वह रिटायर्ड आफिसरों को मारते थे। हरियाणा में साधु सन्त के रूप में आये और वह राजस्थान में आये। उसके मारने के बाद में चोरियां शुरू हुई और अब मर्डर शुरू हुए हैं। एक के बाद एक इनका कम्प्लेक्सेशन बदलता गया। कुछ ऐसे लोग हों जिनके दिमाग में मेन्टल डिरेलमेंट हो। लेकिन जो ऐसा करते हैं उनका सशक्त दिमाग है। वह शरारती नहीं है। वह मर्डर्स करते हैं और बाद में चोरियां करते हैं और डकैतियां करते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार और पुलिस उसका रूट ट्रेस नहीं कर पाई। मान्यवर, यह घटना गंगानगर में हुई। वहां पर 25-27 हजार बावरी काम्युनिटी के लोग रहते हैं जो कि पहले नोनेडिक्स थे, ट्राइबल थे उनको स्टेट के जमाने में जमीनें देकर रिहेबिलिटेट कर दिया गया, लेकिन 30 साल से जो बसी हुई कम्युनिटी है आपने उन लोगों को इसमें दोषी बनाकर उनके थम्ब इम्प्रेशन और फिगर प्रिन्ट्स लेने शुरू कर दिये। इससे गंगानगर जिले में एक हलचल पैदा हो गई। हमने एस०पी० को एप्रोच किया। हमने कहा कि आपकी पुलिस और आपका सी०आई०डी० विभाग क्या कर रहा था ? उनसे यह चीज सम्हल नहीं पाई। वारदातों के बाद चौकसी रखते, एक्शन लेते, फोर्स का इस्तेमाल करते, उसको फालो अप करते। आप सावचेत नहीं रहे और एक कम्युनिटी को सिंगल आउट करके सारा दोष उस पर डालना यह आपकी गलत पालिसी है। इसके बाद पंजाब में घटना हुई और घटनाएँ हो रही हैं। अब कुछ सबसाइड हुई हैं। 3 महीने के बाद भी आपको पता नहीं होता है। पुलिस तब हरकत में आती है जब एक्सीडेन्ट हमारे सामने हो जाता है। उसके आधार पर बात की जाती है। एक्शन पूरा हो जाता है तब पुलिस एक्शन में आती है। तो मैं यह कह रहा था कि इस हालत में पुलिस के एप्रोच को बदलें। कान्स्टेबल जिसकी मैंने बात कहीं इसके स्टेटस को जब तक नहीं बदल पायेंगे, उसके मैन्टल मेक अप को नहीं बदलेंगे, नया कैडर उनमें नहीं पैदा करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।

आज क्या हुआ कि इन 10-15 सालों में सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियेरी रहा है तो वह यहां का थानेदार है। मैं इन्डिविजुअल की बात नहीं करता हूं। इसमें आप तब्दीली नहीं ला रहे हैं। यह बात ठीक है कि इन्होंने बहुत फायदा उठाया है। एकाध ही आपको एक्जेम्पशन मिलेगा। ज्यादातर फायदा इन्हीं लोगों ने उठाया है। पटवारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जैसी लोअर लेडर पर आप जायेंगे तो यह करप्शन की संस्थाएँ बन गई हैं। इनमें इतना करप्शन हो गया है कि आप इन चीजों को दूर नहीं कर सकते। जिले का एडमिनिस्ट्रेशन यह करते हैं। वहां पर सुधार हुआ नहीं।

(श्री केदार नाथ)

अब पिछली बार बहुत चर्चा थी कि दो साल से पहले ब्यूरोक्रेटिक आर्डर आ गया था। मैं भी मानता था कि कलेक्टर का रुतबा बढ़ा, नौकर का रुतबा बढ़ा और जो इलेक्टेड आदमी थे उनका रुतबा कम हुआ। मान्यवर, जब से आपका चुनाव हुआ-इसमें सक नहीं है कि चुनाव एक नये तरीके से हुआ। बेलट से नहीं हुआ और इन्टरनल एसेसमेंट हुआ। यह डेमोक्रेसी में एक फन्डामेंटल तरीका है। उसके बाद लीडर का चुनाव हुआ और आपने अपनी केबिनेट बनाई। हम यह सोचते हैं कि सारी केबिनेट का असर एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा। एक असर जरूर पड़ा कि एम०एल०एज० से मेलजोल काफी हद तक बढ़ गया। एम० एल० एज० टेलिफोन करते हैं तो उनको अटेन्ड किया जाता है। वह लेटर लिखते है तो उसका नोटिस भी लिया जाता है। वे मीटिंग चाहें तो मीटिंग भी मिल जाती है। इसके लिये तो मैं तारीफ करता हूं कि पहले से फर्क हुआ है और कुछ न कुछ ब्यूरोक्रेसी में कमी आई है और मंत्री महोदय आम तौर पर एम०एल०एज० और कामन मेन से मिलने के लिये ज्यादा तत्पर हैं। यह मैं तारीफ करता हूं लेकिन मिडिल मैन जो एक दो साल से हैड आफिसों और दूसरे विभागों में दलाली से काम करवाते थे उनको भी कम कर दीजिये। मिलने जुलने से इलेक्टेड का रुतबा बढ़ता है। आप में मिलनसारिता है। जो मंत्री अपने डिपार्टमेंन्ट को अच्छी तरह से समझता है उसकी ग्राम्पिग पावर ठीक हो, उसके अच्छे विचार हों, आम जनता से सम्पर्क करने की इच्छा हो, जनता म उसका विश्वास हो तो मान्यवर वहां पर कोई नौकरी करता है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेटस हैं उनकी हिम्मत नहीं कि वह कुछ करें। उसका खुद का सम्पर्क हुआ करता है, अगर जनता से सीधा रिश्ता है, एम०एल०एज० से गाईडेन्स लेता हो। उसका सारा तरीका ब्यूरोक्रेसी को समाप्त करने का होता है।

मंत्री केवल मंत्री नहीं वह अपने इलाके का पूरा लीडर है। सी०एम० अपनी पार्टी के लोडर नहीं है पूरे राजस्थान की लीडरशिप होती है। अब आपके आने के बाद यह चेन्ज तो हुआ है। मिडिल मैन को भी चैक अप करें तो ज्याद अच्छा हो सकता है। इसमें आप अवश्य तारीफ के लायक हैं। शायद आपसे एक लिस्ट भी बनाई होगी आइन्दा कौन मंत्री होगा, आपने मिलनसारिता से काम करना शुरू कर दिया इस लिये जो गुस्सा था वह दब गया। मैं इसलिये कह रहा था कि आपके मंत्री मंडल के बाद यह चेन्ज तो मैं महसूस करता हूं। अब मनामिटी इफेक्ट जो लोगेसी मिली है उनके लिये क्या हल ढूंढेंगे। पिछले वर्ष इस सदन में यह कहा था कि कान्फिडेन्सियल रोलस का आधार बदल रहे है। एक कमेटी बनाई थी आइन्दा सी० आर्स० का क्या आधार हो, हम घोषणा कर देंगे जिस आधार पर कान्फिडेन्सियल रोलस तैयार की जायगी। दूसरी यह बात कही थी जो सेक्रेटेरियट लायर्स हैं लीडरशिप के बीच वह मिनिमाइज हो जायगी। उसके लिये कमेटी नियुक्त हुई थी। 71-72 में उसकी रिकमन्डेसन्स को कहां तक मानी। तीसरा जो प्रोमोशन कोटा है वह 40 परसेन्ट किया जो प्रोविन्सियल एडमिनिस्ट्रेशन का। एक साल से ट्राई कर रहे हैं। पता नहीं सेन्ट्रल से आपको इजाजत मिली या नहीं यह एश्योरेन्स दिया था, एक साल पहले और एक एश्योरेन्स दिया था

(श्री केदार नाथ)

जितनी घोषणायें करते हैं, जितनी एश्योरेन्सेज देते हैं उनके लिये एक सैल क्रियेट करेंगे और वह एग्जामिन करेगा ताकि कानून में तब्दीली लाकर कैसे इम्पलीमेन्ट किया जाय। बहुत बड़ी चीज है, हम यहां घोषणा करने के बाद केवल उसकी मिनिट्स लिख ली जाय और अमल में नहीं लाया जाय तो घोषणा कोई वक्त नहीं रखती हैं। ये तीन चार बातें एक साल पहले आई थीं। मैं चाहूंगा चीफ मिनिस्टर साहब इनका जवाब दें।

मान्यवर, मैं सोच रहा था, 10 साल के आंकड़े देखें, एम्पलॉयमेंट जितने नये आदमियों का हुआ है चाहे फूड डिपार्टमेंट में हो, चाहे सेक्रेटेरियट में हुआ हो, चाहे रोडवेज में हुआ हो उनमें सारे जयपुर के शहरी लोगों ने मोनोपलाइज किया है। आपको डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर कोटा फिक्स करना पड़ेगा। मेरिट पर लीजिये अगर 10 साल के फिगर्स को देखते हैं—इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या और कोई बोर्ड हो अभी एल०डी०सीज० का सलेक्शन हुआ उसमें आप देखेंगे 95 पर्सेन्ट लोग जयपुर के हैं। फूड डिपार्टमेंट को लीजिये 90 पर्सेन्ट जयपुर के मिलेंगे. रोडवेज में जो एम्पलॉयमेंट होता है एल०डी०सीज० का या दूसरे मिनिस्ट्रियल स्टॉफ का उसमें सारे के सारे जयपुर के लोग हैं। वहां असन्तोष क्यों नहीं पैदा होगा? तेलांगना और आन्ध्र प्रदेश का जो झगड़ा था, अलगाव की स्थिति वहां क्यों बढ़ती गई? कोटा फिक्स नहीं किया गया और वह बढ़ते हुये 5 पर्सेन्ट हो गया 7 पर्सेन्ट हो गया। इसलिये आप भी एम्पलायमेंट में, सलेक्शन में तरीका बदलिये। आप कोई क्राइटेरिया बनायें मगर उस कोटे से चलिये। सारे डिस्ट्रिक्ट्स का कोटा फिक्स कर दीजिये ताकि जो अन-एम्पलायमेंट की रंजिस है वह समाप्त हो जाय।

दूसरे एक साल पहले राज्य सरकार ने, केन्द्र सरकार ने जिन लोगों ने पालिटिक्स में भाग लिया है जो पालिटिकल सफरर्स हैं, उनके लिए केन्द्र सरकार ने कुछ किया है मगर राजस्थान की हालत कुछ और है। केवल उन लोगों को पेन्शन दी है जिन्होंने 6 महीने का कनविक्सन भुगता है। एक पालिटिकल वर्कर उसके केवल पेन्शन पाने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की जहां राजाओं के राज्य थे। दो तरीके थे एक तो जेल में जाने का और दूसरा एट्रोसिटीज को मासेज को चेतना पैदा करना। यह सबसे बड़ी लड़ाई थी। परिवार के परिवार समाप्त हो गये। अब तो जिन्दा भी कम होंगे। काफी लोग मारे गये और काफी लोगों के हाथ पैर काट दिये गये। बार बार राजस्थान सरकार केन्द्र के पास जाय और क्लासिफिकेशन में पड़ जाय। बिजौलिया और कांकड़ काण्ड को ले लीजिये जो जागीरदारों से भरा हुआ था। मैं नहीं चाहता उनको पेन्शन दी जाय उनको जमीन दी जाय लेकिन मैं यह चाहूंगा हिस्ट्री में उनका नाम आ जाय, पता लग जाय कि इस कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने बेस डेमोक्रेसी का बनाया। राज बहादुरजी इस कमेटी के चेयरमैन हैं इसलिये आप उसमें तब्दीली लाइये। इस इश्यू को आप अवश्य लीजिये।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं आम जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में। जब हम सोचते हैं एक्जीक्यूटिव और ज्युडिसियरी को लागू कर दिया। एक अप्रेल से लागू कर दिया। आर०ए०एस० का जो सीनियर केडर है। आपने आर०ए०एस० को आर०-जे०एस० में डेपूटेशन-पर लिया है। अब

(श्री केदार नाथ)

आपके पास इस तरह के जो सीनियर आर०-ए०एस० हैं उनको सी० आर०पी० पी० सी० के तहत मजिस्ट्रेट नाम दिया है, मैं भूल सकता हूं क्या नाम दिया है। वह काम करना शुरू हो जाय। आप भी रूल्स बना सकते हो। सीनियरीटि का फर्क हो सकता है। एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं जो सेपेरेट कर रहे हैं, मगर मैंने सुना है रूल्स के तहत आई०जी० के तहत यह रखना चाहते है। ट्राइल का इनडिपेन्डेन्ट होना, इन्वेस्टीगेशन का इनडिपेन्डेन्ट होना ज्यूडिशियरी की गाइडेन्स में कन्ट्रीब्यूट करता है। ये इस प्रकार तीन फेजेज हैं इसलिये आई०जी० के तहत रहता है तो पुलिस का इन्फ्लूएन्स कायम रहेगा इसलिये गाइडेन्स नहीं मान सकते। मैं सोचता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे। एक अन्त में यह कहता हुआ जब ऐजीटेशन समाप्त हो जाय, सरकार से उस ग्रुप का उस कम्युनिटि का, उस पार्टी का फैसला हो जाय उसके बाद केसेज को लिंगर होना उस रंजिस को पैदा करना है चाहे वह ट्रेड यूनियन का झगड़ा हो, चाहे स्टूडेन्ट्स का हो। मुझे याद है जब मंत्रिमंडल की एक मीटिंग गंगानगर में जुलाई में हुई थी वे केसेज अभी लिंगर ऑन हो रहे हैं। स्व० मुरली धरजी ने ऐजीटेशन किया था उनकी मृत्यु के बाद भी केस चल रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे केसेज, वक्त आगया है, घोषणा करके वापिस ले लीजिये।

तीसरी बात, पिटाई होती है पुलिस के थानों में। हमने सब ने आर०ए०सी० की तारीफ की हैं लेकिन पिछले छः महीने के अन्दर ऐसी घटनायें हमारे सामने आयी हैं कि जब आर०ए०सी० के कुछ जवानों ने मासेज में जाकर छीना-झपटी की। यह जो टेन्डेन्सी डेवलप हो रही है, श्रीमन् यह फ्राड बिग डेन्जर है। इन्डो पाक ट्रबल के समय, बोर्डर की सिक्योरिटी के लिये हमें आर०ए०सी० की इन्टीग्रिटी पर कोई भी डाउट नहीं। लेकिन जो इस प्रकार की इन्डिविजुअल टेन्डेन्सीज पैदा की जा रही है कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसको देखने की आवश्यकता है और समय पर ही ठीक कर देने की ओर मेरा निवेदन है। थाने में पीटना बन्द करो आप। मासेज को पीछे भाग कर पीटना बन्द करो आप डिमोन्स्ट्रेशन को किस रूप में फेस करना है आयन्दा प्रोब्लम के रूप में आने वाले हैं इसको आपको समझना चाहिये।

अन्त में यह कहते हुए जैसा रामानन्दजी ने कहा कि सेन्टर ने पेन्शन होल्डरों के पेन्शन में इन्क्रीज किया है उसी प्रकार मुख्य मंत्रीजी आप भी यहां के पेन्शन होल्डर्स को पेन्शन में इन्क्रीज कीजियेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल।

श्री जयकिशनलाल (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज सदन में दो प्रकार की मांगें प्रस्तुत की गई हैं। पहली पुलिस सम्बन्धी दूसरी प्रशासन सम्बन्धी। पुलिस सम्बन्धी और प्रशासन सम्बन्धी जो मांगें हैं उनके सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

हर एक व्यक्ति आज यह सोचता है कि वास्तव में समाज को एक अच्छा न्याय मिले और अच्छे न्याय के साथ साथ उसकी रक्षा भी सही प्रकार से होनी चाहिये। एक तरफ हम प्रशासन की आलोचना करते हैं तो दूसरी तरफ उसी के कारण हम समाज की व्यवस्था को ठीक प्रकार से रखने के लिये

(श्री जयकिशनलाल)

आशान्वित हैं। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि आलोचना करने से पहले हमें यह सोचना चाहिये कि कौन व्यक्ति उस आलोचना का भागी हो सकता है और कौन व्यक्ति उस आलोचना का भागी नहीं हो सकता। कौन व्यक्ति समाज के अन्दर दोषी है और कौन व्यक्ति समाज के अन्दर निर्दोष है। इन दोनों परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात हम उसे दोषी और निर्दोषी ठहराने के हकदार होते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि समाज के अन्दर अधिकार और कर्तव्य दो प्रकार की चीजें निहित हुआ करती हैं। एक तरफ हमारा कर्तव्य होता है तो दूसरी तरफ अधिकार होता है। एक तरफ अधिकार होता है तो दूसरी तरफ वही अधिकार कर्तव्य में परिणत हो जाता है। इसलिये अपने अधिकार को समझते हुए यदि हम अपने उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से निभाये, चाहे कोई राज्य कर्मचारी हो चाहे सामाजिक नेता हो चाहे वह साधारण किसान हो या गरीब तबके का व्यक्ति हो। यदि इस प्रकार की भावना को लेकर समाज में अग्रसर होते हैं तो समाज की सही व्यवस्था होकर सुचारु रूप से चलने में उसके अन्दर बाधा उपस्थित नहीं होती है।

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय पुलिस सम्बन्धी क्षेत्र के अन्दर जो विभिन्न प्रकार की आलोचना की है। मेरा यह निवेदन है कि आलोचना हम वहीं तक सीमित रखें जहां जैसा व्यक्ति दोषी होता है। हर व्यक्ति एक डन्डे से हांकना या उस क्षेत्र की स्थिति को समझ कर न चलना यह अच्छा नहीं समझा जा सकता। पुलिस विभाग में हर व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो बेईमान भी नहीं है। कौन व्यक्ति किस प्रकार से दोषी है उसके दोष की जांच करनी चाहिये। कौन व्यक्ति निर्दोष है उसके निर्दोषपन की भी जांच करनी चाहिये। तब ही जाकर दोषी व्यक्ति दंड का भागीदार हो सकता है और निर्दोष व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अपने विचार हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के दोष हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि निर्दोष भी हैं। पुलिस विभाग के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि साधारण तबके का सिपाही हम उन्हीं से आशा रखते हैं कि समाज की रक्षा करें 24 घंटे। पुलिस के इस तबके का व्यक्ति चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, रात्रि को, दिन को आपकी रक्षा करता है। वह ही रात्रि को सड़कों पर डंडे पीटता जाय उसकी तनख्वाह और अधिकारों की तरफ भी तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। यदि उसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था कर दें तो भ्रष्टाचार की समस्या आकर उपस्थित होती है वह मिट सकती है। साधारण सिपाही को 150 रु० तनख्वाह मिलती है वह वहां तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है यह आप हम विचार कर सकते है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आपको यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग का जो साधारण सिपाही है वह जब बीमार हो जाता है, उस समय उसको छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी नहीं मिलती है तो किस प्रकार दवाओं की व्यवस्था कर सकता है किस प्रकार से बच्चों का पालन कर सकता है, जब उसकी कहीं छुट्टी ग्रान्ट होती है जब वह ठीक हो जाता है और तब जाकर पैसे की भी व्यवस्था की जाती है। यदि सही समय

(श्री जयकिशनलाल)

पर उनको छुट्टी दे दी जाय तो इस प्रकार की समस्या नहीं हो सकती।

सिपाही 24 घंटे समाज का नौकर है। हर समय उसको काम में लगाते हैं। बड़े अफसर तो 8 घन्टे के बाद बाकी का समय अपने परिवार के साथ आनन्द से व्यतीत करते हैं परन्तु साधारण सिपाही 24 घंटे की ड्यूटी देता है। समाज की रक्षा का भार उस पर है। सब प्रकार की हिफाजत का भार उस पर है। जब सैनिकों को सब प्रकार की सहायता दी जाती है तो पुलिस के सिपाहियों को भी सब प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहियें। ऐसा मौका भी आता है कि उनकी डाकुओं से भी मुठभेड़ हो जाती है, भयंकर गुण्डों से भिड़ कर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। यदि सिपाहियों के लिये अलग से कोई समिति नियुक्त हो जाय तो उनको सही प्रकार की सुविधा, रोजी-रोटी उनको सही रूप से मिल सके ऐसी व्यवस्था कर दी जाय तो उनका भला हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह भी है कि आज हम यह देखते हैं कि एक साधारण सिपाही को साधारण तनख्वाह मिलती है। उसको विशेष वेतन किस प्रकार से दिया जाय इस पर विचार किया जाना चाहिये। जैसे एक साधारण कान्सटेबल है उसको केवल मात्र 10 रुपये दिये जाते हैं, हैड कान्सटेबल को 15 रुपये दिये जाते हैं और ए० एस० आई० को 25 रुपये दिये जाते हैं, सी० आई० को केवल 40 रुपये दिये जाते है, इस कार की भिन्नतायें हैं। यदि इनकी सारी स्थिति को देखकर उस आधार पर विशेष दिया वेतन बढ़ा दिया जाये तो सिपाहियों के समक्ष और पुलिस के कर्मचारियों के समक्ष इस प्रकार की व्यवस्था ठीक हो सकती है और जो उनके अन्दर वैमनस्यता की भावना या कमजोरी की भावना है वह मिट सकती है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है और मैंने गत सत्र में भी कहा था कि इनको खुराक का केवल 10 रुपये अलाउन्स दिया जाता है और लाइन के अन्दर रहने वाले व्यक्ति को 17 रुपया खुराक का अलाउन्स दिया जाता है, आर० ए० सी० वाले को 26 रुपया दिया जाता है। ऐसा क्यों है? वह भी एक साधारण सिपाही है और आर० ए० सी० वाला भी साधारण सिपाही है। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर दूं कि इस प्रकार की जो भिन्नतायें हैं वह दूर करके समान रूप से उनको राहत दी जावे तो यह आसानी से समाज के रक्षक हो सकते हैं।

दूसरी बात भ्रष्टाचार के संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं। आज हम यह सोचें कि इस मंहगाई को देखते हुए उनकी तनख्वाह इस ढंग की कर दी जाये कि साधारण परिवार उस तनख्वाह के आधार पर आसानी से अपना जीवनयापन कर सके तो भ्रष्टाचार करने की नौबत ही हमारे सामने नहीं आयेगी। भ्रष्टाचार क्यों किया जाता है? आदमी पाप क्यों करता है? जब वह भूखों रहता है, जब उसको पेट नहीं भरता तो किसी न किसी प्रकार का सहारा ढूंढता है—चाहे वह चोरी छिपे कार्य करता हो या प्रकट रूप में डंडे फटकार करके पैसे छीनता हो। यह सारा का सारा कार्य भूख के ऊपर निर्भर है। यदि यह परिस्थिति दूर कर दी जावे तो आज जिस प्रकार से

(श्री जयकिशनलाल)
भयंकर आरोप लगाते हैं यह नहीं लगें। मैं यह नहीं कहता कि सभी ईमानदार हैं और सभी बेईमान हैं लेकिन बेईमानों के साथ ईमानदार आदमी पीसा जाता है। इस प्रकार से यह सारा का सारा झगड़ा तय हो सकता है यदि इस प्रकार की योजना बनादें।

दूसरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से ए० पी० जो पुलिस के अन्दर हैं उनको ट्रेनिंग के लिए जोधपुर भेजा जाता है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, आई० जी० हों; एडीशनल आई० जी० हों, एस० पी० हों, एडीशनल एस० पी० हों उनसे भी निवेदन है और मुख्य मन्त्री महोदय से भी निवेदन है कि जो ए० पी० के सिपाही होते हैं उनको जोधपुर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और सी० पी० के सिपाही होते हैं, उनको किशनगढ़ प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं। वहां ट्रेनिंग सेन्टर में वहां के आफिसर से किसी प्रकार का मन-मुटाव हो जाये या रंजिश की भावना हो जाये तो उनको उस ट्रेनिंग में फेल कर दिया जाता है और उसके बाद फेल होने पर रिवर्ट कर दिया जाता है। उसको उस स्थान पर पहुंचने के अतिरिक्त वापिस उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाता है जहां से परीक्षा पास करके जाता है और इन्टरव्यू की परीक्षा पास करके जाता है। उसने कौनसा गुनाह कर दिया जो रंजिश के कारण उसका सारा जीवन खराब हो जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि जो ऑफिसर्स हैं पुलिस विभाग के उनको देखना चाहिये कि व्यक्तिगत रंजिश के कारण ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो तो उसमें सुधार करना चाहिए। अगर ट्रेनिंग में फेल हो जाता है तो आप कोई भी योजना बना लीजिए ताकि उसको पुनः ट्रेनिंग में भेजा जाये। फिर इन्टरव्यू नहीं लिया जाये। उसको एक प्रकार से चान्स देना चाहिए। जो इन्टरव्यू पास कर चुका है उसको पुनः प्रशिक्षण के लिए भेज देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल दो मिनट में ही समाप्त करता हूं

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह भी है कि 24 फरवरी को बांदीकुई के अन्दर महंगाई विरोधी आन्दोलन चल पड़ा था। उस आन्दोलन में बेचारे सीताराम कान्सटेबल और मोहम्मद अली, ए० एस० आई० के भयंकर चोटें आई हैं और उनके मस्तिष्क पर चोट लगने से उनके खून निकल गया। जब-कि उनकी यह खबर अखबारों में भी आ चुकी थी। ऐसे आदमियों को सरकार की ओर से थोड़ी सहायता दे दी जाये तो वह अपने स्वयं को ठीक कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के व्यक्तियों के सामने कोई भयंकरता आती है तो समय समय पर लाभ मिलना चाहिए इससे ऐसे व्यक्ति पुनः समाज की रक्षा के लिए उतर सकते हैं।

दूसरा निवेदन यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को पुलिस विभाग में मामूली प्रतिशत में लिया जाता है। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इस प्रकार का प्रतिशत चाहे वह किसी भी आधार के ऊपर हो जितना हो उससे और अधिक बढ़ाकर पुलिस विभाग में इनको रखा जायें तो गरीब जाति के लोगों का भला हो सकता है।

(श्री जयकिशनलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ एक निवेदन यह भी है कि जो व्यक्ति आज पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति और जन-जाति के पहुंचते हैं किसी जातीय दृष्टि से या ग्रुपवाद की दृष्टि से उन व्यक्तियों के साथ में दुर्भावना रखते हैं। जो पुलिस में बड़े अधिकारी हैं उनके घरों पर ऐसे लोगों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है और वहां जाकर किसी के बरतन मांजने, कपड़ा धोने और सब्जी लाने आदि का काम उनसे करवाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसकी जांच करने के लिए एक विशेष समिति बना दी जाये और यदि वास्तव में ऐसा है तो ऐसे अधिकारियों को पूर्ण रूप से दण्ड दिया जाना चाहिए और जो पुलिस विभाग में इसी जाति के लोग गये हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है उनका बचाव भी इस प्रकार से किया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के वहां रहने से उनमें हीनता की भावना आती है और वह जाकर कहते हैं कि हमारी हालत यह है कि पुलिस विभाग में घरों पर काम लिया जाता है, यदि ऐसी दयनीय स्थिति है तो दूसरे आदमी पुलिस में जाने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को ज्यादती से बचाना चाहिए।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: माननीय सदस्य, आपने पुलिस कान्सटेबल और ए० एस० आई० के बारे में यहां कहा। मुझे भय है कि आपने उनकी पैरवी कर दी और उनके खिलाफ डिसिप्लीनरी एक्शन नहीं हो जाये। तो कम से कम डिसिप्लीनरी एक्शन से तो बचा दो।

श्री जयकिशनलाल: मैं भी आचार्यजी की बात का समर्थन करता हूं कि जो गरीब आदमी हैं उनके साथ में अन्याय नहीं हो जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: और भी माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आचार्य जी उनके तौर-तरीकों को जानते हैं इसलिए कहा है।

श्री जयकिशनलाल: दूसरा मेरा निवेदन यह भी है जैसे सी० आई० डी० में विशेष प्रकार का भत्ता दिया जाता है जहां इन्सपेक्टर को 40 रुपया, एस० आई० को 25 रुपया, हैड कान्सटेबल को 15 रुपया और कान्सटेबल को 10 रुपया है—जब कि वह बेचारा 24 घन्टे का नौकर है सरकार का और समाज का, तो ऐसे व्यक्ति को 40, 25, 15 और 10 रुपये से फायदा नहीं हो सकता। उनके साथ में और भी रियायत करके और भी बढ़ा हुआ अलाउन्स दिया जाये तो वह अधिक दक्षता से कार्य कर सकते हैं जिससे समाज का भला हो सकता है।

प्रशासन के लिए थोड़ा-सा निवेदन यह कर देना चाहता हूं कि मैंने गत सत्र के अन्दर भी मांग रखी थी कि फागी तहसील का एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर सांभर लगता है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर देना चाहता हूं कि स्वर्गीय माननीय श्रद्धेय बरकतुल्लाखां साहब उन्होंने एक प्रकार का आश्वासन दिया था और वे शायद जिन्दा रहते तो इस प्रकार का आश्वासन सफल भी होता। मेरा आपसे निवेदन है कि फागी तहसील

(श्री जयकिशन लाल)

की जनता को राहत पहुंचाने के लिये यदि वहां के हैडक्वार्टर के साथ उधर की तहसीलें रखी जायें और केवल मेरी फागी तहसील को जयपुर एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर के साथ फागी को अधीन कर दिया जावे तो वहां की जनता को पूर्ण रुप से राहत मिल सकेगी। इस प्रकार की मांग मेरी आपके सामने भी है।

स्थानान्तरण के संबन्ध में भी एक निवेदन कर देना चाहता हूं। स्थानान्तरण कर्मचारियों का करने से पहिले हमें उनकी वास्तविकता को देखना चाहिये कि कौन व्यक्ति कि सरकार से गलतियां करता जा रहा है कौन किस प्रकार से रिश्वतखोरी करता जा रहा है उनकी सारी जांच कर, जो उनकी कोंफिडेंशियल रिपोर्ट है उसका अध्ययन करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को दण्ड देना चाहिये। कभी कभी क्या होता है कि बेईमान कर्मचारियों के साथ ईमानदार कर्मचारी भी पिस जाते हैं और अन्त में हमें भूल मंजूर अवश्य होती है कि हमने वह गलती किस तरीके से की, लेकिन मेरा निवेदन है इसके बारे में......

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ईमानदार कर्मचारो का नाम तो बता दें।

श्री जयकिशन लाल : इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जांच करने के पश्चात् ही यदि हम इस प्रकार स्थानान्तरण करें......

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

श्री जयकिशनलाल : ...कि उन ईमानदार कर्मचारियों को इस प्रकार की ठेस नहीं पहुंचे। और यदि इस आधार पर पर व्यक्तिगत रंजिश के कारणवश यदि कोई कर्मचारी किसी व्यक्तिगत प्रभाव में न आकर यदि उस व्यक्ति के स्वार्थ का कार्य नहीं करता है तो अकारण ही सरकार के सामने इस प्रकार के विचार रख देते हैं और ऐसे ईमानदारी कर्मचारियों के साथ ज्यादती हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस व्यक्तिगत रंजिश के कारण या स्वार्थी तत्वो के कारण उस ईमानदार कर्मचारी के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिये। क्योंकि यदि इस प्रकार का अन्याय होता रहा तो कई प्रकार के जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनका उत्साह खत्म हो जायगा। जो 24 घण्टे सरकार का और समाज का कार्य करते जा रहे हैं उनका उत्साह खत्म हो जाएगा और वह उदासीनता की परिस्थिति के अन्दर कार्य नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की पद्धति भी रखें।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरे राजस्थान के लिये समिति बना दी जाय जिसमें नुमायन्दे हों, हमारे समाज के नुमायन्दे हों, और एक-दो हमारी सरकार के नुमायन्दे हों, कोई मंत्री महोदय भी हों और वह समिति ऐसे कर्मचारियों की जांच करे तो भ्रष्टाचार को किसी ढंग से मिटा सकते हैं। इस तरह से कार्य करने से आज जो समाज के अन्दर दुश्चरित्रता है, कर्मचारियों के अन्दर दुश्चरित्रता फैली हुई है उसको दूर करने कि कोशिश करें तो आसानी से भ्रष्टाचार मिट सकता है और समाज को राहत मिल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो समाप्त कीजिए।

श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांगों पर मेरे कटौती प्रस्तावों के माध्यम से, मैं निवेदन करूंगा की इतना सुना है, इतना इन्तजार किया है कि बोलने की जिज्ञासा ही नहीं रही, परन्तु फिर भी कुछ विचार में संक्षेप में आपके सामने रखूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सुनने की जिज्ञासा है।

श्री किशन मोटवानी : आज आम लोगों में शिकायत है, प्रशासन के प्रति क्षोभ है और जनता दुःखी है। उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। वह एक रिएक्शन है और रिएक्शन किस चीज का है उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा और उसका समाधान भी करना पड़ेगा, अन्यथा रिएक्शनरी फोर्सेज जिस तरीके से गुजरात में और बिहार में कर रही हैं उसी तरीके से और स्टेट्स में भी करेंगी और राजस्थान में भी करेंगी। यह रिएक्शन क्यों हुआ उसकी बैक हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। 71-72 के चुनावों में लोग एक आशा के साथ चुनाव में चेंज लाये थे। चुनाव के रिजल्ट में चेंज आई। उनको आशा थी कि उनकी जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति की जाएगी और उस पूर्ति के लिए वह यह समझते थे कि चुने हुए प्रतिनिधि, वह शासनतंत्र उनकी पल्स का सही मूल्यांकन कर उनका समाधान करेगा उसकी पूर्ति की जिज्ञासा हमारे शासनतंत्र ने भी और चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी की। और उस जिज्ञासा के कारण उन दोनों वर्गों में एक प्रतिक्रिया हुई कि यह एक रिकार्ड का चेंज है जो सभी समझते हैं और उसका अहसास कर सकते है। चुनाव के बाद शुरू शुरू में रिएक्शन यह रहा कि जो शासनतंत्र था, हमारी ब्यूरोक्रेटिक क्लास थी उसमें और एक चुने हुए प्रतिनिधियों में नो डाउट एक जिज्ञासा थी सेवा करने की, परन्तु उनको सही पल्स का मालूम नहीं थी। वह आपस में बैठ कर जनता की आकांक्षाओं का मूल्यांकन नहीं कर सकते थे। उनकी क्या चाह है और किस तरीके से वह समाधान करना चाहते हैं यहउनको मालूम नहीं था। तो जब उनके विपरीत कार्य होने लगा तो हम लोगों ने यहां पर इस बात को दोहराया और आज फिर दोहरा रहा हूं और उसका छोटा सा एक रिएक्शन जरूर हुआ कि एक इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम बनाया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाई गई। यह बात नहीं थी कि चुने हुए प्रतिनिधि बेरोजगार थे इसलिये इन चुने हुए प्रतिनिधियों को रोजगार मिलेगा बल्कि यह पल्स का रियल असेसमेंट है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं और उनकी चाह को किस तरीके से समाधान करना चाहते हैं इसलिये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिफेंक्ट 2 कमेटीज का गठन हुआ। परन्तु काफी अर्से तक उन कमेटीज का सही प्रयोग नहीं किया गया। उनके जो सुझाव थे उनका सही रूप में क्रियान्वयन नहीं किया जा सका जिसका आज यह रिएक्शन है। काश, यह जो इन्वॉल्वमेंट का प्रोग्राम था सही मायने में हमारा शासनतन्त्रवर्ग जो ब्यूरोक्रेट क्लास है उसको समझता और उसके प्रति उसके अनुसार कार्य करता तो यह आज रिएक्शन पैदा नहीं होता। मेरी मान्यता है कि आज भी वक्त नहीं गया है। आज भी हम उसके अनुकूल कार्य करें तो जनता के जो दुःख हैं उसका समाधान कर सकते हैं। मैं यहां पर जो थोड़ा रिएक्शन इस चीज के इन्वॉल्वमेंट से आया मेरे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत उसका निवेदन करूंगा। मैं चाहता हूं कि अन्य डिस्ट्रिक्ट में

(श्री किशन मोटवानी)

और मेरी डिस्ट्रिक्ट में और ज्यादा रूप में वह इन्वॉल्वमेंट कबूल की जाय, एक्सेप्ट की जावे ताकि यह जो आज हमारे सामने समस्यायें हैं वह हल हो जावें।

केरोसीन के लिए लाइन, जयपुर, अजमेर और राजस्थान के हर शहर में लगती है। बड़ा घिनौना लगता था, घृणा आती थी इन लाइनों को देख क और कई बार हमारी डिस्ट्रिक्ट आँथोरिटीज के साथ हमारा झगड़ा भी हुआ और कटुता भी हुई। परन्तु मेरी-मान्यता है कि गुड सेंस प्रिवेल्ड एण्ड अवर डिस्ट्रिक्ट आँथोरिटीज एक्सेप्टेड अवर प्रोपोजल्स। थोड़ी सी मामूली प्रॉब्लम थी जितना बड़ा शहर उसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पर 35 डिस्ट्रिब्यूटिंग सेंटर हों तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी क्यू लग सकती है। हमने सजेशन दिया कि हमारे यहां जो 110 के करीब राशन की शॉप्स हैं आप उनके माध्यम से वितरण कीजिए। एक अर्से तक हम जूझते रहे, क्योंकि हम जानते थे और हमारी यह मान्यता थी कि अगर डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर बढ़ाये जायेंगे तो यह क्यू खत्म हो जायेगी। और जब इसको लागू किया गया तो आज अजमेर में क्यू नहीं रहा है। अजमेर की एग्जाम्पल का अध्ययन करने के लिए न्यूज पेपर वाले और अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लोग आते हैं कि यह क्यू कैसे अजमेर से गायब हो गया? कुल मिला कर निवेदन यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी का इन्वॉल्वमेंट और किया जाय। ब्यूरोक्रेटिक क्लास की अपनी संकीर्ण विचार-धारा रख रखी है एज ए एलर्जी जो उनकी भावना है उसको हटा दें और उनको जो जन प्रतिनिधि हैं, जो जनता की पल्स को सही मायने में जानते हैं, उनकी राय का सही मायने में मूल्यांकन करें। मैं यह नहीं कहता कि एकदम कार्यवाही करें लेकिन उसका मूल्यांकन करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज की कार्यवाही की रेस्पोंसिबिलिटी आप पर है। साथ ही मैं डिस्ट्रिक्ट की शिथिलता की बात करूंगा। आज हमारे यहां डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो एक कन्सोलीडेशन होना चाहिए था, आज डेढ़ साल की मांग के बाद भी वही मांग कर रहे हैं और वह नहीं हो पा रही है। कई बार यहां पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निवेदन किया, आश्वासन मिला कि हम इसको सुदृढ़ बनायेंगे। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहां थोड़ी सी है वह सिंक्रोनाइजेशन की है। सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पाते हैं इस वजह से दिक्कत है। मेरी मान्यता है कि इसको थोड़ा सा ह्यूमन टच देकर रिएलिस्टिक व्यू अपनाया जाएगा तो हमारी जो प्रॉब्लम है अजमेर की, और पूरे राजस्थान की सही रूप में हम हल कर सकते हैं।

मैं एक पद्धति जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में अपनाई जाती है उसके लिए भी निवेदन करूंगा। रूल यह है कि एक अफसर ज्यादा से ज्यादा तीन साल तक एक जगह पोस्टिंग नहीं पा सकता है। उसके पीछे एक भावना है, उस भावना को मद्देनजर रखते हुए यह रूल लगाया गया है। परन्तु देखने में यह आता है कि इस रूल को किसी न किसी बहाने एग्रीमेंट करके फ्लोट किया जाता है। उस ऑफिसर को उस पोस्ट से हटा दिया जाता है और उसी शहर में दूसरे पद पर रख दिया जाता है। इस तरह मनमाने

(श्री किशन मोटवानी)
तरीके से उसको 9110 साल तक एक ही शहर में रहने का मौका मिलता है। तो इस रूल की पूर्ति कैसे हो सकती है जिस भावना के साथ, जिस उद्देश्य के साथ आपने यह रूल बनाया है। निवेदन है कि इस किस्म की व्यवस्था को आप ठीक करें।

पुलिस प्रशासन के बारे में निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : सूक्ष्म में कहें। काफी समय हो चुका है।

श्री किशन मोटवानी : यह जो पुलिस विभाग की रिपोर्ट आई है और जिसमें यह दिखाया गया है कि क्राइम्स मिनी-माइज हुए हैं। मैं समझता हूं कि आंकड़ों के रूप में जितनी प्रगति हुई है उस रूप में तो हमें दिखता है, परन्तु मैं पूछना चाहूंगा कि क्या जो क्राइम जिसके लिए आप रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, जिस क्राइन को आप पकड़ना नहीं चाहते हैं, वह क्राइम नहीं है? क्या वह धर्म का काम है? पकड़ा जाए तो चोर वरना चोर नहीं है वह साधु है। अगर यह प्रणाली अपनाई जाए तो मैं समझता हूं कि आप इससे भी कम आंकड़े कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्राइम्स कम हुए हैं। इस संदर्भ में, मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में अजमेर शहर में एक व्यापक क्राइम के बारे में निवेदन करूंगा। अजमेर शहर में आज से महीने भर पहले काफी जोरों से सट्टे और जुए का जोर था। मैंने और जिला कांग्रेस कमेटी ने इसके विरोध में कई बार प्रस्ताव पास किए। आई० जी० को भेजे, सी० एम० को भेजे, चीफ सेक्रेट्री को भेजे और व्यक्तिगत रूप से चीफ सेक्रेटरी से मिला, आई० जी० से मिला, अन्य आथो-रिटीज से भी मिला। तो क्या वहां यह जो क्राइम हो रहा था, वह क्राइम नहीं था? यह सट्टे वाले दिन भर जुआ खेलकर, सट्टा खेल कर रात में धर्म का काम करे, फकीरों को खिलावें तो वह धर्म था। इस किस्म की व्यवस्था में सुधार लाइये और यह मान कर चलें कि यह क्राइम था। जब हम चिल्लाए, जब हम बोले तो एस०पी० साहब नींद में से उठे और उन्होंने एक बार शहर भर में अभि-यान शुरू किया। उसके बाद जिसके हलके में यह कार्य हो रहा था उसको, यह मानेंगे कि लाइन्स में ट्रान्सफर कर दिया। मैं यह कहूंगा कि इस बात से हमारी बात सिद्ध हुई है कि व्यापक क्राइम हो रहा है, पुलिस की आंखों के नीचे हो रहा है, जिसकी आंखों के सामने हो रहा है, जिसकी शह से हो रहा है उसका आपने क्या किया है? उसको कोई अच्छी पोस्ट सुझा रहे थे। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से हम कहते हैं कि जनता का हमारे प्रति विश्वास पैदा हो तो क्या हम इन्हीं तरीकों से जनता का विश्वास पा सकेंगे? मेरा निवेदन है कि इस किस्म के व्यापक क्राइम को क्राइम मान कर आप पकड़ें, उसके आंकड़े बतावें तो यह जो आपके आंकड़े हैं क्राइम के वे गलत सिद्ध होंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनिट। मैं यहां पर होम गार्ड के मुत्तलिक दो मिनिट निवेदन करूंगा।

श्री मनोहरलाल : रात्रि में ही मूड बनता है बोलने का।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप दोनों का ही रात्रि में मूड बनता है।...

श्री किशन मोटवानी : दो मिनिट निवे-दन करूंगा।

होम गार्ड के कार्य की काफी प्रशंसा हुई

(श्री किशन मोटवानी)

है परन्तु इस विंग के लिए कोई सर्विस रूल नहीं बने हैं। इसमें परटीक्यूलरली आपकी जो गोल्डन होम गार्ड की विंग है, उसने सराहनीय कार्य किया है लड़ाई के दौरान में और पीस के दौरान में भी। पीस के दौरान आप इसको तस्करी के कार्य में यूज करते हैं। मैं यह चाहूंगा कि इस विंग के लिए आप अलग से सर्विस रूल बनावें और सर्विस रूल बनावें ताकि इनकी कन्डीशन सुधरे। एक छोटी बात और निवेदन करूंगा। इस विंग में आप डेपूटेशन में पुलिस अफसर को भेजकर जो कार्य करते हैं उससे शंका पैदा होती है। उससे एक द्वेष की भावना पैदा होती है। इसको तो एक अलग डिपार्टमेन्ट मान कर रिक्रूटमेन्ट की जाए और उसमें कार्यरत पुलिस आफिसर, मिलिटरी आफिसर्स को इम्पलायमेन्ट न दें, उनकी सेवाओं का प्रयोग करें ताकि आपका यह जो विंग है, जिसको हम सेकिन्ड लाइन आफ डिफेन्स कहते हैं वह दृढ़ बन सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के संबंध में अधिक न कह कर मैं तो सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान की पुलिस ने अपने उत्तरदायित्व के प्रति निष्ठावान कार्य किया है। इस मौके पर उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के एस० पी० चौधरी तारा चन्द के संबंध में कहना चाहूंगा जिन्होंने कल्याणसिंह डकैत को कत्ल करने का यह बीड़ा उठाया था कि दो महीने के अन्दर अन्दर इस डकैत को खतम कर दूंगा। उनका यह वॉक्य सही था। उन्होंने सात डकैत मारे और खुद भी मर गये, शहीद हो गये। दुख इस बात का है कि अच्छा काम जो करने वाले हैं उनको उसका परिणाम नहीं मिलता है। उनके बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है मैं पुलिस को बधाई देता हूं कि हमारी राजस्थान की पुलिस निष्क्रिय नहीं है और वह अपने सुरक्षा के उत्तरदायित्व को मानने वाली है।

जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग का संबंध हैं वी० आर० विश्नोई जो अजमेर के हैं उनके लिये कहना मैं अपना फर्ज समझता हूं जिसने कि अजमेर जिले में डकैतों का सफाया किया और गुण्डों का सफाया किया और जो लड़कियों और औरतों की छेड़खानी करने वाले थे उनका मुण्डन करके शहर में घुमाये। इस कारण से गुण्डे भी कहने लगे थे कि जब तक यह एस० पी० अजमेर में रहेगा हम अजमेर में नहीं रहेंगे। एस० पी० के सामने उन गुण्डों ने यह कहा कि आपने हमारी गुंडागर्दी तो बन्द कर दी लेकिन लोग हमें मार रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सांप अगर काटता नहीं है तो फुफकार तो मारता ही है।

लेकिन जहां तक पुलिस का सवाल है ऐसी बात नहीं है कि वह खराब ही हो। पुलिस की कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। पुलिस के सामने मुझे यकीन है मुल्जिम, बदमाश या चोर अगर पकड़े जाते हैं तो सही बयान पुलिस के सामने करते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि पुलिस से बच जायेंगे। वे जानते हैं कि पुलिस के सामने किस प्रकार का बयान हो। वे जानते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने जायेंगे तो यह कहेंगे कि पुलिस की मार से ऐसा बयान दिया है तो वह तथ्य नहीं रखता है। मेरा निवेदन है कि पुलिस को सशक्त बनाने के लिये उनको जुडिशियल पावर देने चाहिये जैसे कि रेलवे के अन्दर पावर दिये गये हैं उसी प्रकार से पुलिस को देने चाहिए।

(श्री शंकरसिंह रावत)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उनकी सुविधा के लिये वेतन में वृद्धि होना चाहिए । इसमें दो राय नहीं है । पुलिस का सिपाही 24 घण्टे ड्यूटी पर रहता है........

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तो भारतवर्ष में आप पहले व्यक्ति नजर आते हैं जो कि पुलिस को जुडिशियल पावर दिलवाना चाहते हैं।

श्री शंकरसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री मनोहरलाल : माननीय सदस्य मैं आपको निवेदन करूंगा कि आई० जी० पी० और एस० पी० को होते हैं फर्स्टक्लास मजिस्ट्रेट के पावर्स।

श्री शंकरसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस अपने कर्तव्य को निभाने के लिये वह सलाह ले, लेकिन पुलिस की भी मजबूरियां हैं। उसको सशक्त बनाने की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पुलिस की सराहना जरूर करना चाहिये, जिन्होंने अच्छा काम किया है उनकी। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि पुलिस के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है अगर एस० पी० पुलिस के सिपाही के खिलाफ एक्शन लेता है तो वह जयपुर के दरवाजे खटखटा कर बहाल हो जाता है । बहुत से साथियों ने यह मांग की है उनकी यूनियन होना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यूनियन जिस दिन बन गई और पुलिस ने उस दिन हड़ताल कर दी तो यह बड़ा कठिन मामला हो जायेगा। यूनियन बनाने की आवश्यकता नहीं है । अब तो सब यूनियनों को खत्म करेंगे तो सुधार होगा। जितनी यूनियनें बनीं उनमें अपनी नेतागिरी को बरकरार रखने का प्रयत्न किया जाता है। उनको मजा आने वाला नहीं है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भ्रष्टाचार के संबंध में बहुत से साथियों ने कहा तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार कर दिया जाय तो अच्छा हो। भ्रष्टाचार कब तक कहते रहेंगे इसको शिष्टाचार बना दें तो उसमें दिक्कत क्या है। सिपाही के लिये कहते हैं कि भ्रष्टाचार करता है तो वह ज्यादा से ज्यादा दो रुपये का करता है यह किसी ने शराब पिला दी यह करेगा। लेकिन आपके सामने जो करने वाले हैं जो ज्यादा तनख्वाह वाले हैं वह ज्यादा करते हैं। इन्सपेक्टरों का चयन होता है तो उसमें मैंने सुना है लोगों को कहते कि 10-15 हजार रुपया देते हैं तो उनका चयन होता है। उसके बाद ट्रेनिंग लेकर जब वह फील्ड में आयेंगे तो उनके दिमाग में यह होगा कि इस पैसे को निकाला जाय। वह कैसे पैसे नहीं खायेगा। इसको रोकने के लिये उनका सुचारू रूप से चयन किया जाय, ईमानदारी से चयन किया जाय ताकि वह यह समझें कि हमारा सेवा के लिये चयन हुआ है तो वह ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन अगर आप उनसे पैसे लेलेंगे तो वह वहां से निकालेंगे।

इसके अलावा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जहां पर ऐसी बातें हैं वहां पुलिस के लिये कहना पड़ेगा। अजमेर के लिये कहूं कि पुलिस जान माल की सुरक्षा के लिये है न कि जानमाल लेने के लिये। 13-14 तारीख को दो पुलिस वालों ने एक मुल्जिम को पीटा और वह मर गया। पहले डकैत को मार दिया। पुलिस मारने लगी तो जनता जायेगी कहां। अजमेर

(श्री शंकरसिंह रावत)

में अभी हड़ताल हुई थी उस समय नये बाजार में आसू गैस चली थी तो पुलिस वालों ने घड़ियों और चैनों की चोरियां कर लीं। सभी बराबर नहीं होते हैं। एक खराब होता है। लेकिन विभाग बदनाम होता है। अखबार में लिखा है कि 302 के मुकद्दमें उन सिपाहियों के खिलाफ दर्ज कर लिये और लाइन में छोड़ दिया गया। 302 के मुकद्दमें करके उनको अरेस्ट करते और कोर्ट के सामने पेश करते तो मैं समझता कि उचित होता। लेकिन ऐसे अधिकार पुलिस को मिले हुए हैं। दूसरे मामलें में 302 की कार्यवाही दूसरी हो, लेकिन यह उचित प्रतीत नहीं होता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की हमें सुविधा भी देनी चाहिये लेकिन इनके जो इस प्रकार के कारनामे हैं उन पर अन्कुश रखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यही कुछ मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सिनेमा घरों में कई जगहों पर गड़बड़ होती है। आज इसमें लिखा है कि इस वर्ष में राजस्थान में डकैतों का संघर्ष नहीं रहा। इस प्रकार से राजस्थान में पूर्ण रूप से इस समस्या से मुक्ति पा ली है। डकैतों से पूरी मुक्ति पा ली है और डकैतों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जेब कतरों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिये ताकि यह जो छोटे मोटे चोर हैं वह आगे चल कर बड़े होंगे। उसके लिये एक अभियान चलायें। जुआबाजी की बात कर रहे हैं लेकिन मैं इसको नहीं जानता हूं। एक दफा मैं एक मजिस्ट्रेट साहब के साथ चला गया था तो वह रमी खेल रहे थे पैसों से खेल रहे थे तो मैंने देखा और उनसे कहा कि आप समझे नहीं। लेकिन दिल में दर्द यह होता है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि भैंसे पड़ी बाड़ खत को खाय और राजा होकर चोरी करे तो न्याय किस के पास जाय। धीरे धीरे छोटी चीजें ही बड़ी चीजें होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुबह मेरे पास सिपाही आये। वह मेरे से मिलने के लिये आये लेकिन वह वर्दी में थे तो मेरे पड़ौसी भाग कर आये कि क्या मामला है। कुछ लोग जोश में होते हैं। यहां पर यह सफेद ड्रेस में होते हैं तो लोग कहते है चपरासी घुसने नहीं देता है। वह जानते हैं कि यह तहसीलदार के चपरासी के कपड़े हैं। वह एम०एल०ए० का सामना करेगा तो लाल वर्दी में। मैंने उनसे कहा कि यह थानेदारजी, दीवान जी हैं। ऐसा नहीं समझें कि यह तहसील के चपरासी हैं। वहां पर वह कोट पहन लेते हैं और डंडा हाथ में लेते हैं तो लोगों को दहशत होती है।····

श्री मनोहरलाल : खादी का भी असर होता है।

श्री शंकरसिंह रावत : खादी में शीतलता है। यह पहन लें तो खादी के विरूद्ध भावना मिट जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, वह सिपाही बेचारे रो रहे थे। उनको वहां पर बोर्डर पर 28-2-74 को फुड ग्रेन्स डिपार्टमेंट द्वारा चैक पोस्ट पर भेजा गया था। वह खतम हो गई तो 11-2-74 को चैक पोस्ट से हटाकर उनको लाइन में भेज दिया गया है, और कहीं जरूरत नहीं है। वह मामूली बेचारे पुलिस के सिपाही अपने बच्चों से दूर रहते हैं। उनके बच्चे पढ़-लिख नहीं सकते हैं। उनको वह सुविधा दी जानी चाहिये।

मैं एक और निवेदन कर रहा था और

(श्री शंकरसिंह रावत)

वह एक लम्बी कहानी है अजमेर पुलिस की उनको पढ़ने से लाभ नहीं है। उसके साथ में और अत्याचार हुआ और वह राज्य मंत्री से मिला है और वह इस बात को जानते हैं। वह आपके पास आया था और आपको उसने शिकायत दी होगी !

मैं एक दफा एक सिनेमा में चला गया तो वहां पर मैंने एक जमादार से कहा कि भ्रष्टाचार कर रहे हो। टिकिट ब्लेक में बेच रहे हों तो उसने कहा कि हमारा आदमी है। आप लाइन में खड़े हो जायं। मैंने कहा कि वह कौन है जो टिकिट बीच में ले रहा है। यह तो यहां का है जो टिकिट लेकर बाहर जाकर ब्लेक करेगा। मैंने उस पुलिस वाले को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। तो उसने कहा कि आप कौन हैं। मैंने कहा कि मैं एम०एल०ए० हूं तो उसने कहा कि आप अपना पेन ले लें और लिख दें कि एम०एल०ए० हैं तो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैंने रामसिंह जी को लेटर लिखा और निवेदन किया कि इस पर उचित कार्यवाही करें। आरक्षी महोदय से निवेदन किया तो भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। सिपाही का नम्बर 3107 मैंने जरूर ले लिया था, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। हम जनता के प्रतिनिधि इस बात को जानते हैं और लेटर्स लिखते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता है तो गरीबों के साथ क्या होता होगा ? उनमें सदभावना होनी चाहिये कि मेरा पत्र उनको मिला तो वह यह तो लिखते कि आपका पत्र मिला और इसके ऊपर उचित कार्यवाही कर रहे हैं तो मुझे सन्तोष होता। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। इसमें सही भावना होनी चाहिये, और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना चाहिये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री भानुकुमार शास्त्री : पत्रोत्तर लिखने की फुरसत नहीं है।

श्री शंकरसिंह रावत : भूतपूर्व गृह मन्त्री जी ने जरूर कहा था कि जिलावाइज कमेटियों का गठन कर दें ताकि जो इस प्रकार की शिकायतें हैं उनका वहां पर निबटारा हो जाये। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आई०जी०पी., गृह मन्त्री जी या आयुक्त महोदय इस बात को उचित समझते हैं तो जिलेवाइज कमेटियों का गठन करें।

जिसमें कि जनता के प्रतिनिधि भी हों। जब जब दौरा हो तो वहां पर जाकर देखना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इस भावना के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इन शहीदों के स्मारकों को याद करें। उनसे कुछ अच्छा सबक याद करना चाहिए। लोगों की जानमाल की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यदि ऐसा आप करेंगे तो राजस्थान ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में आपका नाम होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत हो गया है।

श्री मनोहर लाल : समय बहुत हो गया है तो आप मत बोलिये।

श्री बनवारी लाल : पहले आप बोल लीजिये।

Page No 208

208

श्री मनोहर लाल : बोलने के लिए नहीं। आप कहते हैं कि समय ज्यादा हो गया है।

श्री बनवारी लाल : पुलिस की मांगों पर बहुत से लोगों ने विचार व्यक्त किये हैं। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार होने के कारण पुलिस विभाग के प्रति लोगों में अच्छी भावना नहीं है। लेकिन अगर पुलिस की आलोचना ही करते रहेंगे और अच्छे काम की प्रशंसा नहीं करेंगे तो यह अनुचित है। आज जितनी लूटमार हो रही है, आगजनी हो रही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राजस्थान में शान्ति है। इसका कारण है कि राजस्थान के पुलिस अधिकारियों की अच्छी हैण्डलिंग है। जैसा कि पिछली 2 तारीख को राजस्थान बन्द के समय रही है जो कि काफी सफल रही है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री की हैण्डलिंग है और पुलिस अधिकारियों की हैण्डलिंग से कोई घटना नहीं हुई है। मुझे इस किताब में छपी एक बात को देखकर खेद हुआ है कि जिसमें यह कहा गया है कि डकैतों का कोई गिरोह राजस्थान में नहीं रह गया है। मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं कि धौलपुर में 5-7 गेंग डाकुओं के सक्रिय हैं। एक एक गेंग में 20-20 आदमी रहते हैं। एक नाहर का गेंग है, जिसमें सभी के पास अच्छे हथियार हैं। वहां पर वह लूटमार करते रहते हैं। औरतों का अपहरण करते रहते हैं। इसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन किया था। यह कहना कि राजस्थान में कोई गेंग नहीं है, यह गलत है। धौलपुर में इसके बारे में असन्तोष फैल रहा है। मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वहां के डकैतों के गिरोहों को समाप्त किया जाये। डकैतों को समाप्त करके जनता को राहत देने की कृपा करें। मेरा सुझाव यह है कि वहां पर पुलिस निसाग की कमी है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस को लगाया जाये। वहां पर जो आर०-ए०सी० लगा रखी है, वह केवल कहने मात्र को ही लगा रखी है। वह आर०ए०सी० की बटालियन कहने भर को है। उसको जब चाहते हैं, जयपुर बुला लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स बढ़ाई जाये। अगर आप फोस को बढ़ा नहीं सकते हैं, तो वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा बन्दूकों के लाइसेंस दिये जायें ताकि लोग बन्दूकें खरीद कर अपनी सुरक्षा कर सकें। वहां की लाइसेंस प्रणाली यह है कि भरतपुर से लाइसेंस देते हैं। भरतपुर में लाइसेंस लेने के लिए आना पड़ता है जिससे बहुत दिक्कत होती है। वहां के अधिकारियों को इस बात के लिए एम्पावर्ड किया जाये कि वे धौलपुर में ही लाइसेंस दे दिया करें। वहां पर एक यह भी है कि लाइसेंस के लिए हर व्यक्ति को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तब लाइसेंस लेना पड़ता है। होमगार्ड वाले 8 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। होता यह है कि कोई ट्रेनिंग नहीं लेता है। 8 दिन काम छोड़ कर कौन जाये? इस तरह से होमगार्ड वाले रुपये लेकर सर्टिफिकेट देते हैं। धौलपुर में बन्दूकों की कोई दूकान नहीं है। इसके लिए भी भरतपुर जाना पड़ता है। बीच में आगरा०, य०पी० पड़ता है जिससे दिक्कत आती है। पता नहीं लाइसेंस क्यों नहीं देते हैं, बन्दूक की दूकान खोलने के लिए। इसके अलावा जो पुलिस की स्ट्रेन्थ है, वह उन्हीं पुराने दिनों की आबादी के हिसाब से है। उतने ही थाने हैं। हमारा निवेदन है कि पुलिस थानों का पुनर्गठन किया जाये। हमारे थानों में 10-12 आदमी होते हैं। दो एक छुट्टी पर होते हैं। दो एक सम्मन तामील पर रहते हैं। कोई मजिस्टर आ गया तो उसमें लग जाते हैं।

(श्री बनवारी लाल)
कभी कोई कतल आ गया तो छोटे मोटे मामले पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरा निवेदन है कि जैसे बहुत से थानों पर दो दो थानेदार रहते हैं और अच्छा स्टाफ रहता है, उसी प्रकार से पुनर्गठन किया जाये। नजदीक नजदीक थाने रखे जायें। इस समस्या के लिए केन्द्रीय सरकार से भी मांग करनी चाहिए। जिस प्रकार से बोर्डर रोड्स के लिये पैसा लेते हैं, उसी प्रकार से डाकू ग्रस्त इलाके के लिए रोड्स निकालनी चाहिए। रोड्स नहीं होने के कारण, जब कोई सूचना आती है और जब तक वह पुलिस फोर्स जाती है, तब तक तो वह भाग जाते हैं। मेरा खयाल हैं, इसके लिए कनेक्टेड रोड्स, अप्रोच रोड्स बहुत आवश्यक हैं।

जैसा कि आपने किताब में बताया है कि वायरलैस डिपार्टमेण्ट ने काफी प्रगति की है। इस समस्या को हल करने के लिए वायरलैस का उपयोग हो सकता है। नजदीक नजदीक वायरलैस केन्द्र खोलकर इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। इस समस्या पर अकेली पुलिस काबू नहीं कर सकती है। धौलपुर में डकैती क्यों होती है? अभी दो साल पहले डकैतों ने आत्मसमर्पण किया है इसलिए सोचा होगा कि वहां समस्या नहीं है। दूसरे वहां इस समस्या का खास कारण ज्योग्रोफिकल स्थिति है। वहां चम्बल के खार बड़े बड़े हैं। क्राइम्स करके वहां छूपने के लिए जगह मिल जाती है। इसीलिए वहां कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। कानून के हवाले अपने आपको नहीं करते हैं। वास्तव में अगर आप हमेशा के लिए इस समस्या को काबू में करना चाहते हैं तो जो चम्बल के खार हैं, उनको समाप्त करना होगा। और, वहां के जो रहने वाले हैं, उनको रोजगार दिया जाये। वहां बहुत ज्यादा बेरोजगारी है जिसके कारण भी क्राइम कर देते हैं। क्राइम करने के बाद चम्बल के जो खार हैं, उनमें जाकर छुप जाते हैं। मेरा निवेदन है स्वर्गीय माननीय मुख्य मंत्री बरकतुल्ला खां को हमने निवेदन किया इस समस्या के समाधान के लिए। तो समस्या का समाधान करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्होंने वहां टायर ट्यूब का कारखाना लगाने के लिए सोचा था और जो व्यापारी था, टायर ट्यूब का कारखाना लगाने वाला, उसको कहा गया था कि राजस्थान में लगाना चाहते हो तो धौलपुर में लगाओ। पता नहीं किन परिस्थितियों की वजह से यह कारखाना वहां से हटाया जा रहा है जब कि यह घोषणा हो गई थी, उसके लिए जगह निर्धारित हो गई थी और सारी कार्यवाही भी पूरी हो गई थी। फिर क्या कारण है कि वह दूसरी जगह पर यह कारखाना लगाना चाहता है। मेरा निवेदन है कि जिस जोरदारी से, भावना के साथ उन्होंने यह महसूस किया, आप उसको देखें और उतनी ही जोरदारी के साथ, हमारी तकलीफों को देखते हुए उस व्यापारी को कहें कि कारखाना लगाना है तो धौलपुर में लगाये, नहीं तो उसको कहीं भी परमिशन नहीं दें। इससे हम लोगों को यह तो संतोष होगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी हमारी तकलीफों को समझते हैं।

मेरा निवेदन है कि वहां पर डकैती की समस्या तो है ही, वहां पर मवेशियों की चोरी के अपराध काफी होते हैं। डकैती की समस्या तो सामने आ जाती है लेकिन मवेशियों की चोरी होती है, उससे अफेक्टेड गरीब आदमी होते हैं। इसलिए वहां के अधिकारियों को आदेश दिया जाय कि डकैती की समस्या के साथ साथ मवेशियों की चोरी की तरफ भी ध्यान रखें।

(श्री बनवारी लाल)

सामान्य प्रशासन की मांग पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे प्रजातंत्र के युग में हर सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने शासन काल में ज्यादा से ज्यादा फायदा कम से कम खर्च करके लोगों को पहुंचा सके, उनको राहत पहुंचा सके। मेरा निवेदन है कि धौलपुर के सब डिविजन के साथ अन्याय है, वहां के लोगों को तकलीफ है, उनको वास्तव में हम महसूस करें। आज हमारे जिले का हेड क्वार्टर लगभग वहां से 150 मील दूर पड़ता है, कहीं से भी जायें, जिला हेड क्वार्टर पर जाने के लिए दूसरे प्रदेश में से होकर, यू०पी० में से होकर जाना पड़ता है। धौलपुर सब डिविजन आपके राजस्थान के पांच जिलों में आबादी और तहसीलों की संख्या में सबसे ज्यादा है। आठ जिलों से धौलपुर सब डिविजन की रेवेन्यू ज्यादा है। फिर क्या कारण है कि उसको जिला घोषित नहीं करते? मेरा निवेदन है कि बढ़ती हुई आबादी और लोगों की परेशानी को देखते हुए जिला पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करें और धौलपुर को पूरा जिला बनायें। यह मेरा निवेदन है।

इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बेरोजगारी फैल रही है, उसके बारे में कुछ न कुछ प्रबन्ध करें। अगर आप टायर ट्यूब कारखाना नहीं खुलवा सकते हैं तो दूसरा कोई कारखाना लगवा कर वहां पर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का प्रबन्ध करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मगराज चौधरी।

श्री मगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय

श्री मनोहर लाल : मैं मतदान की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मतदान!

श्री बनवारी लाल : रखा तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : किस बात का मतदान चाहते हैं?

श्री केदार नाथ : क्लोजर मूव कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आयेगा सरकार का तब।

श्री मनोहर लाल : जरूरी नहीं है।

श्री केदार नाथ : डिबेट कम्प्लीट नहीं होती है उसके बिना।

श्री मनोहर लाल : ठीक सवा बजे कल कर दूंगा।

श्री केदारनाथ : ऐतराज ठीक है। खेत सिंह जी कांग्रेस के एम० एल० एज० को भोजन करा रहे हैं। उसका हम क्लोजर मोशन मूव कर दें।

श्री मनोहर लाल : आपत्ति नहीं है, आप खूब बोलें। कल सवा बजे बाद मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। और डिमाण्ड है, यह सारे अधिकारी और नेता बैठकर खायें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : पंडित जी की दृष्टि सही गई है।

श्री उपाध्यक्ष : तशरीफ रखिये।

श्री मगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : सरकार की नीति में क्या नहीं अच्छा है, क्या नहीं कल्याणकारी है। मगर उन नीतियों को सामान्य प्रशासन के द्वारा ठीकढंग से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से सेवा भावना

(श्री भगराज चौधरी)
से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है तो मैं समझता हूं कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों का जनता को पूरा फायदा नहीं मिलता है। विशेष तौर पर उन बदली हुई परिस्थितियों में, जिनसे हम गुजर रहे हैं इस बात की जरूर आवश्यकता है कि हमारा प्रशासन कुशल बने, सेवा भावी बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, और पहले जो दिमाग रूढ़ीवादी और परम्परावादी था, उसको छोड़ कर समाज का अभिन्न अंग अपने को समझ कर, देश के अन्य नागरिकों के समान अपने को नागरिक समझ कर, मैं समझता हूं, अपनी सेवा अर्पित करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन का सीधा सादा सम्बन्ध जनता से होता है। अगर प्रशासन की इमेज अच्छी होती है तो निश्चित तौर से फायदा सरकार को मिलता है और जनता यह महसूस करती है कि हर अच्छी सरकार की नीति, सरकार की जो दिशा होती है, उसके बारे में यह मानकर चलती है कि प्रशासन उसके अनुसार हमें सेवा पहुंचाएगा और हमारा कार्य करेगा। जब हम मानते हैं कि हमारा प्रशासन इतना महत्वपूर्ण है, फिर भी प्रशासन दिशाहीन क्यों होता जा रहा है? आज हमारे प्रशासन के अन्दर सेवा की भावना कम क्यों होती जा रही है? कर्तव्यनिष्ठा क्यों नहीं बरती जा रही है? आज बीस वर्ष पहले, पच्चीस वर्ष पहले जब आजाद नहीं थे, उस समय सेवा का दृष्टिकोण मैं मानता हूं, दूसरा था। आजादी मिलने के बाद हमारी सेवा में लगे हुए आदमी हैं, उनको अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और जनता की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप जो सरकार की नीति है, कार्य-कलाप हैं, उनको ईमानदारी से लागू करना चाहिए। इसके विपरीत पच्चीस साल के अन्दर खास तौर से मैं कहूं, पिछले दस साल के अन्दर हमारे प्रशासन के प्रति जनता का असंतोष बहुत बढ़ा है, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी चरम सीमा पर पहुंच गया है, पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, मैं समझता हूं कि समय रहते ठीक हल नहीं निकाला गया और प्रशासन सरकार के काबू से छूट जायेगा काबू के बाहर निकलते निकलते जो प्रशासन जनता की सेवा के लिए होता है, सरकार की नीति को लागू करने के लिए होता है, वह प्रशासन, मैं समझता हूं, ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि जनता को, समाज को फायदा पहुंचाना तो दूर रहा जनता और समाज के लिए भार बन कर रह जायेगा। प्रशासन भार ही नहीं, मैं समझता हूं कि समाज के अन्दर अशांति पैदा करने वाला बनता जा रहा है। पिछले वर्ष जुलाई-अगस्त में हड़ताल हुई, वह राजस्थान व्यापी थी, उसमें हमारे प्रशासन के जितने सारे अंग हैं, उन सबके कर्मचारी एक साथ हो गये, टीचर्स साथ में हो गये, जितने सारे लोग थे, एक साथ हो गये। उनकी मांगें थीं, उनका गहराई से अध्ययन करें तो मैं समझता हूं कि एक भी ऐसी मांग नहीं थी जिसके बारे में सरकार को सहानुभूति का दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता थी, फिर भी सरकार का लिबरल एटीट्यूड रहा, लेकिन 47 दिन की हड़ताल चलने के बाद···

श्री रघुनाथ विश्नोई : 37।

श्री भगराज चौधरी : 37 दिन की हड़ताल चलने के बाद, आंशिक रूप से, केन्द्रीय सरकार ने जो मंहगाई भत्ता दिया था, उसके बराबर भत्ता देना हमारी सरकार ने मंजूर कर लिया। यह करके हड़ताल समाप्त कर दी। उसके बाद देखिये,

(श्री मगराज चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों में निजी फायदा उठाने का लोभ या लालच खत्म नहीं हुआ। वह बराबर इस बात का प्रयास करते रहे। उसके साथ साथ उन्होंने इस बात के ऊपर कतई विचार नहीं किया कि हमारे देश में क्या हालत है, प्रान्त में क्या हालत है और हमारे प्रान्त की हालत का दूसरे प्रान्तों से मुकाबला करते है तो दूसरों से गिरी स्थिति है। दूसरे प्रान्तों से मुकाबला करते हैं तो हमारे प्रान्त की हालत काफी शोचनीय है। दूसरे प्रान्तों के पास फाइनेंशियल साधन हैं, और केन्द्रीय सरकार के पास भी फाइनेंशियल साधन अधिक हैं। जब संविधान बना, उस समय जो आय के साधन थे, वह केन्द्रीय सरकार ने ले लिये, एक स्टेट लिस्ट बनी, एक यूनियन लिस्ट बनी और एक कॉंकरेन्ट लिस्ट बनी। जो आय के साधन थे, वह केन्द्रीय सरकार ने रखे। मैं समझता हूं कि केन्द्र में मजबूत सरकार बनाये रखने के लिये यह व्यवस्था जरूरी थी मगर जो सारे भार स्वरूप कार्य थे अथवा जो रेस्पॉन्सीबिलिटी के रूप में काम आते हैं चाहे पुलिस प्रशासन संबंधी काम हों, चाहे खेतीवाड़ी का काम हो जिनमें सरकार को लगातार खर्चा करना पड़ता है और जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का कार्य करना पड़ता है जिससे देश की समृद्धि हो, गरीबी मिटे, सारे दायित्व संविधान ने दुर्भाग्यवश राज्य सरकार के जिम्मे डाल दिए हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार के साधन खास तौर से वित्तीय साधन किसी हालत में केन्द्रीय सरकार के साधनों का मुकाबला नहीं कर सकते. उनकी स्थितियां अलग हैं. सर्विसेज के नियम चाहे उनको कैसा भी फायदा मिल सकता हो हम उनके बराबर इमाल्यूमेंट्स नहीं दे सकते। सरकारी कर्मचारियों की जो मांगें होती हैं उनको हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के बराबर लाभ नहीं दे सकते।

हमारे प्रशासन में जैसे मैंने निवेदन किया सेवा की कमी है। वे भूल जाते हैं कि भारत के नागरिक भी हैं, समाज के अभिन्न अंग हैं, वे पब्लिक सर्वेंट्स ही नहीं हैं, समाज के अंग हैं, जब देश के नागरिक हैं तो उस नाते जो उनके कर्तव्य हैं उनके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। वे अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान दें। क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि ईमानदारी और कुशलता से जनता की सेवा करें? क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि हम सभ्य समाज की नींव रखें जिससे हमारा देश दूसरे देशों की नजरों में आगे बढ़े। इसके साथ साथ जब आज सर्विसेज का केडर पढ़ा-लिखा है, अपने को सभ्य मानता है फिर भी उनका आचरण, कोड ऑफ कंडक्ट, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, एक गांव के अनपढ़ किसान से भी कहीं खराब है। इन सारी बातों के बावजूद सरकार ने इन बातों पर गहराई से चिंतन नहीं किया। सरकार ने जैसे कोई लेबर लाज के तहत, प्राइवेट फैक्टरीज एक्ट के तहत जो कर्मचारी होते हैं, ऐसा ही सरकारी कर्मचारियों को समझा है। बड़े बड़े उद्योग पति जो थे उनके उद्योगों में अलग समस्यायें थीं, उन के संदर्भ में हमारे लेबर लाज में प्रावधान किया गया कि मान लीजिए कि एम्पलायर एम्पलाई का शोषण करे तो निश्चित रूप से वे अपनी मांग पेश करें लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारियों के जो सेवा नियम हैं उनमें कहीं ऐसा प्रावधान नहीं कि सर्विसेज को संगठित रूप से यूनियन बनाने

(श्री भगराज चौधरी)
के अधिकार होंगे, उनको अपनी मांगें मनवाने के लिए जनता के सामने ला एण्ड आर्डर की समस्या खड़ी कर देंगे और सेवा के बजाय समाज को काटना शुरू कर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो बड़ी गहरी फिलोसोफी ले ली ।

श्री भगराज चौधरी : 10 बजे का समय हो गया है। जनता के लिए आज ये महत्वपूर्ण मांगें नहीं होतीं तो हम थक जाते· ·

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अभी तो दर्शन आरंभ हुआ है, प्रवचन 4 बजे होगा ।

श्री भगराज चौधरी : तो कर्मचारियों को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए जो कर्मचारी अपने आप को लिटरेट मानता है, तब तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है । जब किसी कारण से हालात पैदा हो जाते हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि सरकार दूसरी तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाए कि आया इस राज्य की कितनी आबादी है, कुल मिलाकर 2।। करोड़ की आबादी है उसमें हमारी सर्विसेज केवल ढ़ाई या तीन लाख है यानी कुल आबादी का एक प्रतिशत से भी कम है । ऐसी हालत में जो अपने आप को प्रजातंत्र सरकार कहती है, जो अपने को जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक मानती है, क्या उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी ? नहीं तो सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं करती ।

सरकारी कर्मचारियों ने जो पिछले जुलाई-अगस्त में हड़ताल की थी वह उन्होंने निश्चित तौर से एक पराकाष्ठा की सीमा का उदाहरण दिया था जिसको लायल्टी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । हमारी सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया जिसका सीधा असर जनता पर पड़ता है लेकिन 37 दिन की हड़ताल के बाद भी एक नागरिक ने सरकार से यह नहीं कहा कि मेहरबानी करके हड़ताल खतम करा दीजिए, हमारा काम बंद हो गया है । इससे साफ जाहिर है कि जनता इस बात को मानती है कि सरकारी कर्मचारियों की जो हड़ताल है वह अनुचित है । पहले भी कई अवसर आए जब कर्मचारियों ने छोटे-मोटे रूप में मांगें रखीं और हमारी सरकार ने लिबरल एटीट्यूड लेकर मांगें स्वीकार कीं । स्वर्गीय मुख्य मंत्री· · · · · · · · · ·

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : कर्मचारियों द्वारा सताए हुए नजर आते हो ।

श्री भगराज चौधरी : भूतपूर्व मुख्य मंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं चाहे वह सादे कपड़ों में रहते थे उनका दिल फौलाद जैसा था, उनके स्टेप्स मजबूत थे, 37 दिन की हड़ताल के बाद भी जो कर्मचारियों की अनुचित मांग थीं उनको उन्होंने मंजूर नहीं किया, आंशिक रूप में दूसरे साथियों के दबाव पड़ने पर उनको स्वीकार करनी पड़ीं । वह चले गए, उन्होंने प्रशासन को सुधारने की भरसक कोशिश की । पब्लिक ग्रीवेन्सेज के बारे में कई कदम उठाए । इसके लिए उनको श्रेय है । मुख्य सचिव को भी श्रेय है, निश्चित रूप से उन्होंने अच्छी तरह से काम किया । उस समय पुलिस ने भी अच्छा काम किया । अगर पुलिस सरकारी कर्मचारियों के साथ हो जाती तो क्या हालत होती ? जितने कार्यालय थे वे अस्तव्यस्त हो जाते, जनता का जीवन अस्तव्यस्त हो जाता । इसलिए निश्चित तौर से पुलिस ने बड़ी सेवा, भावना व कुशलता से अच्छा काम किया, जिसके बारे में खतरा हो गया कि कहीं पुलिस न उनके साथ हो जाए जिससे स्थिति कण्ट्रोल से बाहर चली जाए, मगर

(श्री भगराज चौधरी)

ऐसा नहीं हुआ । बरकत साहब चले गए हैं उसके बाद में नए मुख्य मंत्री आए । बरकत साहब ने कई कदम उठाए, राज्यस्तर पर डाइरेक्टोरेट आफ पब्लिक ग्रीवेन्सेज खोला, उसके अनुरूप जिला हेडक्वार्टर्स पर जिला प्रशासन सुधारने के लिए एक जिला पब्लिक ग्रीवेन्सेज कमेटी बनाई । उसको एक्टिव बनाया जाए तो जिलास्तर पर जितने ग्रीवेन्सेज होते हैं वे मिटाए जा सकते हैं लेकिन जिस अच्छी भावना से हमने इनकी स्थापना की थी उनको ज्यादा एक्टिव नहीं बनाया जा रहा है ।

श्री किशन मोटवानी : यह गलत है । अजमेर में सही रूप से चल रही है ।

श्री भगराज चौधरी : बरकत साहब ने अपने मुख्य मंत्री काल में जो सरकारी कर्मचारी 25 साल पूरे कर चुके थे और जो उनकी नजर में खराब थे उनका कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया गया । मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा आया वह इसी नीति पर फिर चलना चाहते हैं अथवा बंद करना चाहते हैं क्योंकि बरकत साहब ने जो स्टेप्स लिए थे, साल भर से ज्यादा समय हो गया, मैं चाहता हूं कि प्रशासन इस बात को अपने समक्ष रखे कि करप्ट और इन्एफीशियेंट आदमी को बरदाश्त नहीं करेंगे, ज्योंही 25 साल सेवा के पूरे होंगे उनको हटा देंगे । जरूरत पड़े तो 25 साल से भी पहले हटाया जाना चाहिए क्योंकि कई सरकारी अधिकारी और किसी कारण से सर्विसेज़ में आ जाते हैं और हम जानते हैं कि वह करप्ट व इन्एफीशियन्ट हैं, मगर फिर भी हटाने के लिए कोई साधन नहीं, नियमों में व्यवस्था नहीं, कानून में व्यवस्था नहीं । आप कानून के जानकार हैं, आखिर में कौनसी बात हुई, जो नियम, जो कानून जनता की सेवा के लिए होते हैं, अगर इस प्रकार की व्यवस्था हमारे कानून में नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में कानून में निश्चित तौर से व्यवस्था करायें जिससे जो इन्एफीशियन्ट कर्मचारी हैं उनका शीघ्र पत्ता कट सके ।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा··

श्री उपाध्यक्ष : समय कम है समय का ध्यान रखें कृपया माननीय सदस्य !

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने 25 साल की सेवाओं पर भ्रष्ट अधिकारी को कम्पलसरी रिटायरमेंट करने का जो डिसीजन भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने लिया था वह अब नये मुख्य मंत्री भी उस व्यवस्था को चालू रखेंगे क्या ? मैं तो आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 25 साल के प्रावधान के अलावा अगर आप ऐसे नियम बना सकते हों कि अगर कोई करप्ट अधिकारी होगा और ईमानदार नहीं होगा, जिसके खिलाफ में शिकायत हो तो उसको हटाने के लिये प्रावधान नियमों में किया जाना चाहिये । इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप एन्टी करप्शन विभाग की बढ़ोतरी करें । इसमें ईमानदार आफिसर हों उन्हें ही रखा जाय । इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि जिस प्रकार आपने जिलास्तर पर एस०पी० और डीवाई०एस०पी० रख रखे हैं उसी प्रकार आप एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट के डीवाई०एस०पी० की पोस्ट्स जिला स्तर पर रखें । लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब हम भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कहते हैं लेकिन उसके लिये

(श्री भगराम चौधरी)

स्टाफ बढ़ाने को तैयार नहीं है। आज हमारे एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट में इने गिने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बारे में कई बार सदन में निवेदन किया है लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने मेरे इस सुझाव को आज तक नहीं माना। आपने भ्रष्टाचार के कलंक को मिटाने के लिये जो मैंने सुझाव रखा कि हर जिले स्तर पर एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट एन्टीकरप्शन रखा जाना चाहिये। डीवाई०एस०पीज० की पोस्ट्स को बढ़ाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा क्राइम या तो गंगानगर में होते हैं या जालौर जिले में बाकी हमारे राजस्थान के किसी जिले में इतने क्राइम नहीं होते हैं। जालौर के लिये तो मैं इतना तक कहूंगा कि उसने क्राइम के मामले में गंगानगर को भी पीछे रख दिया है। इसका कारण उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जालौर जिला दो साख वाला जिला है। हालांकि वहां पर अकाल पड़ता है फिर भी दूसरे जिलों को देखते हुए जालौर जिले की माली हालत अच्छी है। वहां की जनता की आर्थिक हालत ठीक है। और यही कारण वहां के लोग अपना काम पैसा देकर कराना ठीक समझते हैं। आज जितना भ्रष्टाचार जालौर जिले में है उतना कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। उसके पास के जिले जैसे बाड़मेर है, पाली है, सिरोही है, वहां पर इतना भ्रष्टाचार नहीं है। वहां पर तो हर स्तर पर करप्शन है। मैं दूसरे जिलों में जाता रहता हूं वहां पर देखता रहता हूं कि वहां पर किस किस स्टेज पर कितना कितना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जालौर जिले में भंयकर भ्रष्टाचार है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर डी वाई०एस०पी० एन्टीकरप्शन की पोस्ट कायम की जाय। आज। जब मैं जालौर में रहता हूं तब लोग दुःखी होकर 5-10 आते हैं और कहते हैं कि फलां व्यक्ति हमें परेशान करता है पैसा मांगता हूं तो मुझे उसके लिये डीवाई०एस०पी० पाली से बात करनी पड़ती है वह बहुत दूर है, आप उनसे ऐसे मामले जब आप किसी को ट्रेप कराना चाहते हैं तो टेलीफोन कर नहीं सकते। चिट्ठी लिख नहीं सकते। तो फिर क्या किया जाये? इतने दिन परेशान होकर वह व्यक्ति भी पैसा देकर अपना काम कराना ठीक समझता है। मैं उन्हें कहता हूं कि थोड़ा ठहरो। मुझे थोड़ा समय दो। ऐसा करते समय, समय निकल जाता है और वह व्यक्ति ट्रेप नहीं हो पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि सभी आफिसर भ्रष्ट हैं या कोई पुलिस में ईमानदार नहीं है, कलेक्टर्स भी ईमानदार हैं, कई एस०पी० भी ईमानदार हैं लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह भी हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। जब मैं उनको इत्तिला टेलीफोन पर करता हूं ट्रेप के बारे में तो वह कहते हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं सुबह बात करेंगे। क्योंकि वहां पर एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे वहां पर हैं तो वह भी क्या करें। ऐसे मौके तीन-चार बार नहीं अपितु 5-7 बार आये। लेकिन वह हमारी मदद नहीं कर सके। और वह भ्रष्ट कर्मचारी ट्रेप होने से बच गये। तो मेरा निवेदन है कि जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है वहां पर एक पोस्ट हर जिलास्तर पर डीवाई० एस०पी० की कायम करने में। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन पोस्ट्स पर जो डीवाई०एस०पी० को नियुक्त

(श्री भगराज चौधरी)

करें वह ऐसा अधिकारी हो जो कि टोप ओनेस्ट हो। सेन्ट परसेन्ट ओनेस्ट हो और बोल्ड भी होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य ! समय कम है।

श्री भगराज चौधरी : अभी खतम करता हूं जल्दी जल्दी कह देता हूं खास खास मुद्दों को। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ पुलिस सेवा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल प्रशासन की बात का है हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है और मैं समझता हूं कि दूसरे प्रान्तों की पुलिस से ज्यादा अच्छी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के दो काम होते हैं। एक तो प्रिवेन्टिव और दूसरा डिटेक्टिव। प्रिवेन्टिव फन्क्शन के अन्तर्गत यह आता है कि लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन किया जाय। समय समय पर इमरजेन्सी पड़ी तब यहां पर हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने हर चुनौती का सामना बड़ी सफलतापूर्वक किया। और सरकार के साथ स्तम्भ का काम किया। इससे सरकार को काफी राहत मिली है। दूसरी बात जो है डिटेक्टिव फन्क्शन जिसे मैं डिटेक्टिव एक्टीविटीज कहता हूं। उसके बारे में मेरा यही निवेदन है कि हमारे ऊपर के जो अधिकारी हैं सेलेक्टेड केनडीडेट्स हैं जैसे कि आर० पी० एस० अधिकारी, आई० पी० एस० अधिकारी यह तो बहुत अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन नीचे के स्तर के जो अधिकारी हैं जो कि इन्वेस्टीगेशन करते हैं जैसे पुलिस के हैड कान्सटेबल और सब-इन्सपेक्टर्स वगैरह उनकी इमेज हमारी जनता में अच्छी नहीं है। हालांकि इसमें कुछ लोग ईमानदार हैं लेकिन उनकी परसेन्टेज बहुत कम है। इसलिये मेरा उपाध्यक्ष महोदय आपकी मारफत मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि थानों में जिन लोगों का पोस्टिंग हो वह लोग ईमानदार होने चाहिये। और जो थानों में पुलिस सब इन्सपेक्टर्स वगैरह हैं उनकी अगर गलती पाई जाय तो उन्हें दंड दिया जाना चाहिये। और अगर ज्यादा संगीन शिकायत हो तो उन्हें सर्विस से हटा दिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रजातन्त्र में जनता के प्रति हम जिम्मेदार हैं और हम सरकार से कहते हैं तो जनता के चूंकि हम प्रतिनिधि हैं तो वह हमसे उम्मीद करती है कि उन्हें न्याय मिले। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार होना चाहिये। हमें पुलिस विभाग को जनता की आकांक्षाओं और आशा के अनुरूप बनाना चाहिये। लेकिन आज उसे बनाने में आपको स्ट्रिक्ट रहना होगा। आज प्रजातन्त्र में राजनैता लोग, विधान सभा के सदस्य और लोग उसमें कभी कभी रोड़ा अटका देते हैं। क्योंकि यह पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में पोलीटिकल वर्कर्स, एम०एल०एज० और एम०पीज० वगैरहा जो जनता से चुने हुए होते हैं उनकी बात आप दर गुजर नहीं कर सकते और इस प्रकार जब आप अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से नहीं निभाते हैं तो ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप प्रजातंत्र का मखौल उड़ाते हैं। आप मजाक कर रहे हैं प्रजातंत्र के साथ। इसलिये मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपको पुलिस सेवा में ऐसे व्यक्तियों को लेना चाहिये जो कि कर्तव्यनिष्ठ हों, सेवाभावी हों, कुशल हों, ईमानदार हों। इसके लिये आपको यह भी करना चाहिये कि जो ईमानदार व्यक्ति

(श्री भगराज चौधरी)
हो उसे रिवार्ड भी दिया जाना चाहिये उन्हें आपको इन्सेन्टिव देना चाहिये । प्रोमोशन्स देना चाहिये । लेकिन देखा जाता है कि कई बार ईमानदार व्यक्तियों को प्रोमोशन्स नहीं मिलते हैं और भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को ज्यादा प्रोमोशन्स मिल जाते हैं एक ईमानदार व्यक्ति से वह लोग आगे बढ़ जाते हैं । यह बहुत ही बुरी बात है इससे यह होता है कि ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को डिसएपोइन्टमेंट होता है । इसलिए सरकार को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस बैठ ही रहा हूं । अच्छा बैठ जाता हूं ।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ।

श्री झाबरमल सूण्डा : उपाध्यक्ष महोदय मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं, मैंने भी कुछ कटौती के प्रस्ताव आज की मांगों के बारे में दिये हैं। मैं उन पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा । उन पर बोलने का मेरा भी हक है।

श्री लूणाराम डूंगरगढ़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो मिनट बोलने का समय दिया जाय।

श्री झाबरमल सूंडा (फतहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी इन्तजार के बाद में पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में मुझे बोलने का मौका दिया गया है । मैंने भी इन डिमाण्ड्स् पर कटौती प्रस्ताव दिये थे और एक एडजोर्नमेंट मोशन भी दिया था जिसको यह कह कर रद्द कर दिया था कि कटौती प्रस्ताव हैं आपके उन पर बोल लें।

सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन की बात कहूंगा । पुलिस का इतना बड़ा संगठन है उसमें परेशान व्यक्ति है वह है कान्स्टेबल । कॉन्स्टेबल को जो पैसा मिलता है उससे वह अपने आपको भी नहीं बचा पा रहा है । और 30-40 परसेन्ट लोग ऐसे हैं जो बीमारियों से पीड़ित हैं और जो पुलिस की सेवा करने योग्य भी नहीं हैं । उनकी वाजिब बातों को सुनने के लिये पुलिस यूनियन बनाने का मौका दिया जाय । दूसरी बात यह है कि उनकी कुछ तनख्वाहें बढ़ाई जायं ।

मैं यह मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो स्टाफ है ऊपर से लेकर नीचे तक उसको मैंने बहुत इनएफिशियेन्ट पाया है । अगर हमें किसी चोर को पकड़ना है, किसी डाकू को पकड़ना है, किसी कल्प्रिट को पकड़ना है और मुख्य मंत्रीजी उसमें इन्ट्रेस्ट लेते हैं, आई०जी०पी० इन्ट्रेस्ट लेते हैं तो 12 घंटे के अन्दर पकड़ कर बता सकते हैं। लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं? फिर तो उसके पीछे एक ही बात है कि इन्टरफियरेन्स ऊपर से बहुत होता है। जो कुछ भी भ्रष्टाचार, शिथिलता है या अफसरशाही ज्यादा बढ़ी है उसके लिये कोई जिम्मेदार है तो मंत्रिमंडल है । क्योंकि यहां का मंत्रिमंडल सन् 1954 से स्थायित्व प्राप्त किये हुए है । जहां मंत्रिमंडल को स्थायित्व प्राप्त हो गया हो तो वहां भ्रष्टाचार अधिक पनपे तो उसके लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार मंत्रिमंडल है और सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं जो यह परेशानियां पैदा करते हैं और वे भी दोषी हैं कि जो मंत्रिमंडल को प्रेसेराइज नहीं कर सके कि वे ठीक प्रकार से नीतियों का पालन करें ।

एक एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में मैंने एक बात दी थी । होली के रोज कोटा में बड़ा उत्सव हुआ । लोग इकट्ठे हुए थे ।

(श्री झाबरमल सुंडा)

उसमें शिवदत्त नाम के एक व्यक्ति ने गोली चलायी । तीन फायर किये । 4 आदमी जख्मी हो गये । वह कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया और वहां से भाग कर वह जयपुर आ गया । वह शिवदत्तसिंह मंत्रिमंडल के सदस्य के निकट का रिस्तेदार है (मामा भानजे का रिश्ता है । वह एक मंत्री के यहां पर छिपा हुआ है यदि वहां पर छापा मारा जाय तो आज वह वहां पर मिल सकता है । यह बात सही है तो इस प्रकार मंत्रिमंडल ने स्थिरता पैदा करने की चेष्टा की है । यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है और सबसे ज्यादा गुनहगार मंत्रिमंडल है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के साथ में भी पुलिस का सम्बन्ध है । सीकर का जिक्र करूंगा । पास में नीम का थाना होने से चोरियों का आतंक रहा है । चम्बल घाटी में जिस प्रकार डाकुओं का आतंक रहा है वैसा ही नीम के थाने के आस पास उनका आतंक था । एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ । लोगों ने राहत महसूस की । लेकिन वापिस धीरे धीरे वही स्थिति आने लग गयी है । एक हफ्ते का अर्सा हुआ आर० ए० सी० की एक प्लाटन पड़ी थी उसको भी हटा लिया ।

चोरों में जो भय था वह भी निकल गया पिछले दिनों चोरों को काबू पाने की स्थिति पैदा हुई थी, वापिस वे लोग सिर उठा रहे हैं। आम आदमी आतंकित रहते हैं इसलिये आर० ए० सी० को वापिस भेजा जाय।

सीकर जिले में सतियों का भी बड़ा जोर है । पिछले दिनों झुंझनू के बागरो गांव में सती हो रही थी, उसको नहीं होने दिया और बचा लिया। शेरपुर गांव है पहले से आगाह करके वहां पर सती हो गई और पुलिस देखती रह गई । उसने कहा कि मैं सती होऊंगी । मेरे पति का होली के रोज स्वर्गवास होगा और मैं सती होऊंगी । पुलिस देखती रही । उसका पति स्वर्गवासी हुआ और वह भी सती हो गई। ओल्ड परम्परा कायम हो रही है। मैं चाहता हूं कि पुलिस सतर्क हो कर ऐसे निरीह जीवन को बचाने की चेष्टा करे।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो सूक्ष्मरूप से कहिये ।

श्री झाबरमल सुंडा : इससे अधिक क्या सूक्ष्म होगा ? और भी सूक्ष्म हो जाऊं, अत्यन्त सूक्ष्म होकर मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं । मंत्रिमंडल को भी बधाई देता हूं इससे अधिक और कुछ ?

उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन के उच्चाधिकारियों की कोई कमी है तो वह नीचे तक भी जावेगी । विधान सभा के सदस्यों की अलग अलग समितियां बनाई गई हैं । एक समिति ऐसी है जिसका मैं भी सदस्य हूं। हमने किसी बात के लिये लगातार चिट्ठियां भेजीं फिर भी जवाब नहीं आया। अवहेलना पूर्ण रवैया रहा उन अधिकारियों का। समिति ने कई चिट्ठियां लिखीं कोई उत्तर नहीं । एक्जामिनेशन के लिये मुख्य सचिव को दो दफा बुलाया । मुख्य सचिव ने बिना किसी कारण के आखिरी मोमेन्ट तक मीटिंग बैठी हुई है टेलीफोन से सूचना भिजवा दी लेकिन उन्होंने कह दिया मैं आने में असमर्थ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है ।

श्री झाबरमल सुंडा : अलग से दिया हुआ है । वरिष्ठतम अधिकारी भी इस प्रकार से

(श्री झाबरमल सूंडा)
अवहेलना पूर्ण रुख अपना सकते हैं तो फिर प्रशासन का तो भगवान ही मालिक है।

इस लेजिस्लेचर के साथ एक्जीक्यूटिव का जो व्यवहार है वह भी मैं बताना चाहता हूं। सीकर के पी०एम०एच०ओ० साहब से मैं मिलने गया। प्राइमरी हैल्थ सैंटर की बिल्डिग अब तक नहीं बन सकी थी। उद्घाटन मिनिस्टर महोदय ने कर दिया था। उन्होंने बात करनी तो दूर रही सुनने से भी इन्कार कर दिया। यह एक अपने व्यवहार को प्रदर्शित करना था ही। उनके बंगले में लगातार अस्पताल का पानी जा रहा है। मैंने पाया कि वे पी०एम०ओ० पानी के चोर हैं। इतना वरिष्ठ अधिकारी मामूली चोरी करके अपने आचरण को छिपाये और यह प्रदर्शित करे कि वह कितनी इन्टीग्रेटी का आदमी है। मामूली चोरी तो उसके लिये कोई महत्व नहीं रखती है। मामूली अस्पताल के पानी की चोरी करे, अपने लिये उसको उपभोग करे उसका सामान्य करेक्टर कैसा है यह स्वाभाविक तौर से पता लग जाता है।

जब से वर्तमान मुख्य मंत्री आये हैं मैंने यह धारणा की थी कि ये मजबूत से मजबूत मुख्य मंत्री साबित होंगे। और मेरी धारणा में बल ही है। दूसरी बात मैं नहीं पा रहा हूं क्योंकि सन् 52 से····

(10.00 रात्रि)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

·····प्रशासन में जो नजदीक से बैठे हैं, उनको मालूम है सुधार कैसे होगा.····

श्री अध्यक्ष : पार्टी का टाइम हो गया है।

श्री झाबरमल सूण्डा : ···इनके आने के बाद चुनिन्दा लोगों की इज्जत बढ़ी है, घटी नहीं है। यह लोकतन्त्र के लिये अच्छी बात है।

धन्यवाद ।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय,····

श्री अध्यक्ष : No माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री लूणाराम : मैं बोलूंगा नहीं केवल इतना ही निवेदन करूंगा·····

श्री अध्यक्ष : बोलने में और निवेदन करने में क्या फर्क है ?

श्री लूणाराम : ····(अश्रव्य)···माननीय नेता महोदय बैठे हैं। मैं यह भी चाहता हूं नेता महोदय के विचार ·····

श्री अध्यक्ष : फिर किसी और मौके पर आपके कट मोशन का जवाब दे देंगे ····

श्री मनोहरलाल (कामां) : दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं ····
इतने सदस्य बोले हैं आप लिखकर दे दीजिये···

श्री लूणाराम : ····(अश्रव्य)···

श्री मनोहरलाल : एक साथ दो···

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे देता हूं। इसमें कट मोशन जिस सिलसिले से आते हैं उसी तरह से नाम दिये जाते हैं। डिविजनवाइज या डिस्ट्रिक्टवाइज नहीं बुलाया जाता है। कट मोशन से बुलाया जाता है। समय की भी कोई मर्यादा है। 10-00 बज रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को जवाब देना है तो वह प्रलोभन तो कम करना ही पड़ेगा। कभी कभी कठिनाई आ जाती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री मनोहरलाल : मैं क्लोजर मूव कर कर रहा हूं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने शुरू कर दिया है।

श्री फूलचन्द जैन : काहे का क्लोजर ?

श्री मनोहरलाल : मतदान करा दीजिये

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों से राज्य सरकार को अवगत किया । जो विचार यहां व्यक्त किये गये हैं, उनको मैं कुछ श्रेणियों में विभाजित करता हूं । एक तो ऐसे केसेज जिनको हम इन्डीवीज्युअल केसेज कह सकते हैं । दूसरे, पालिसी मेटर्स और गवर्नमेंट का अप्रोच और तीसरे, सोसियो-इकोनोमिक वातावरण के अन्दर गवर्नमेंट, राज्य कर्मचारी और पुलिस। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपनी ओर से अपने कर्मचारियों को चाहे वे कान्स्टेबल हों, अथवा उच्च अधिकारी हों उन्हें उचित वेतन और उचित व्यवहार देना चाहती है । मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कई माननीय सदस्यों ने पुलिस फोर्स को बेहतरीन तरीके से, उसे रिआर्गेनाइज करने के लिये, उसे उचित प्रशिक्षण देने के लिये अपने विचार व्यक्त किये हैं ।

जहां तक पुलिस फोर्स का सवाल है अथवा पुलिस के महकमें का सवाल है एक रिआर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और राज्य सरकार ने उसे आम तौर पर स्वीकार कर लिया है । उसके आधार पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को पुल-अप करने के लिये और पुलिस चौकियों को, पुलिस थानों को और दूसरी चीजों को ठीक से विकसित करने के लिये निर्णय लिये जा रहे हैं । गवर्नमेंट इस बात से निश्चित रूप से जागरुक है कि बदलते हुये वातावरण के अन्दर पुलिस को सामाजिक स्थितियों के अन्दर और उसके अनुसार काम करना चाहिये । आज वह जमाना चला गया जब एक पुलिस का कान्स्टेबल दिख जाता था तो लोग भाग जाते थे । आज पुलिस को निश्चित रूप से एक नये प्रकार का रोल अदा करना है, वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना है और थर्ड डिग्री मेथड्स को छोड़ना है । इस लिहाज से राजस्थान में अपने ढंग का प्रयत्न शुरू कर दिया गया है। क्राइम के डिटेक्शन के लिये और क्राइम के सिलसिले में काम में आने वाले साधनों की जांच के लिये भी यहां पर उचित प्रयत्न किये जा रहे हैं । मैं यह कह सकता हूं और माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कभी भी थर्ड डिग्री मेथड्स को एनकरेज नहीं करना चाहते हैं । अलबत्ता जो हालत है, उसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान की पुलिस आज एक माडर्न पुलिस है । अधिक से अधिक आधुनिकतम है, यह मैं नहीं कह सकता उसे उचित लीडरशिप देने की जरूरत है उचित साधन देने की जरूरत है, उचित सुविधायें देने की जरूरत है, उचित एनवाइरनमेंट देने की जरूरत है और मैं यह आशा करके चलता हूं इन चीजों की पूर्ति के बाद में राजस्थान में एक अच्छा पुलिस फोर्स डवलप कर सकेंगे । पुलिस की कमजोरियों के बारे में, कमियों के बारे में बहुत कुछ बातें कही गई हैं । मैं उनमें से अमुक चीज

(श्री हरिदेव जोशी)
गलत है और अमुक चीज सही है, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का कान्स्टेबिल और पुलिस का आई० जी० पी० अथवा एस० पी० वे हमारे समाज के ही अंग हैं और जैसे ढेरी भर अनाज में से मुट्ठी भर अनाज निकाल कर देखते हैं कि अनाज कैसा है, मैं यही कह सकता हूं कि पुलिस का लॉट हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात् जैसा हमारा समाज है, कुल मिलाकर वैसी पुलिस फोर्स भी है। जो कमजोरियां और बुराइयां आम समाज के अन्दर हैं वे अच्छाइयां और बुराइयां पुलिस फोर्स के अन्दर भी हैं । मगर इसलिये नहीं कि आज यह विभाग मेरे पास में है और मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूं । मगर मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को एडवर्स सरकमस्टान्सेज के अन्दर, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के अन्दर काम करना पड़ता है और बाजमर्तबा एक दिन अनपढ़ कान्सटेबल का बहुत ही पढ़े-लिखे राजनेता को, बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे विद्वान विद्यार्थी को, अच्छे पढ़े लिखे और संजीदगी रखने वाले राज्य कर्मचारी से उसका वास्ता पड़ता है । शायद ज्यादा पढ़ा-लिखा आदमी जो अपने आपको समाज का क्रीम समझता है उस आदमी के मुकाबले में पुलिस कान्सटेबल बाजमर्तबा अधिक टालरेन्स और क्षमता का प्रदर्शन करता है । मैंने देखे हैं ऐसे अवसरों को जब पुलिस के अधिकारियों के पत्थर लगे हैं और चोटें लगी हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाये गये हैं इसके बावजूद भी उन्होंने धैर्य से काम लिया है । इसके माने यह कभी नहीं है कि थर्ड डिग्री मेथड्स से थानों में कभी कहीं कोई मर गया हो, मार खाता हुआ मर गया हो उसको मैं यहां डिफेण्ड कर रहा हूं । मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमको यह समझना है कि किन सरकमस्टान्सेज में और किस प्रकार से किन प्रेशर्स के अन्दर आज हमारी पुलिस काम कर रही है । पुलिस के ऊपर चर्चा करते समय माननीय सदस्यों ने गुजरात का हवाला दिया है, माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश और बिहार का हवाला दिया है मैं अगर उस सन्दर्भ के अन्दर राजस्थान का हवाला दूं तो मुझे क्षमा कर दिया जाये । ऐसे मौके आते हैं कि जिनके अन्दर हम ऐसा महसूस करते हैं कि प्रॉपर विजिलेन्स से और एडवान्स एक्शन से हम बुरी घटनाओं को टाल सकते हैं । अभी आज सवेरे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जयपुर के लोग जो दुकानदार हैं वह दुकानें खोलना चाहते थे अगर पुलिस ने यह कहा होता कि हम तुम्हारी दुकानों सामने खड़े रहेंगे और तुम्हें सुरक्षा की गारन्टी देते हैं । अगर पुलिस ने यह आश्वासन दिया होता तो हड़ताल नहीं होती । मैं सहमत हूं उनसे, अध्यक्ष महोदय । 99.9 परसेन्ट हड़तालें इसलिये होती हैं कि दुकानदार अपने सामान को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते । पांच,दस अथवा बीस डिटरमिण्ड आदमी भी पांच लाख की आबादी को डिस्टर्ब कर सकते हैं और एक बार तो नुकसान कर ही सकते हैं और इसलिए जब माननीय सदस्य ने यह कहा कि पुलिस प्राटेक्शन देती तो निश्चित रूप से यहां पर 2 तारीख की स्ट्राइक नहीं होती । जिन लोगों ने बन्द का आह्वान किया था उनका तजर्बा दूसरा हो सकता है मगर मैं ऐसा मानता हूं कि आम तौर पर राजस्थान की जनता ने 2 मार्च के बन्द के आह्वान को अस्वीकार किया और बंद और हड़ताल की मांग को नाकारा किया था ।

(श्री हरिदेव जोशी)

ग्राम तौर पर फैक्ट्रीज ग्रौर दूसरी चीजें चली थीं। जयपुर शहर में मेरे पास में कई लोग ग्राये थे तो यह कहते थे कि ग्राप हमें पुलिस प्रोटेक्शन दीजिये हम हड़ताल नहीं करना चाहते। मेरे पास विद्यार्थी ग्राये यह शिकायत लेकर कि हम कालेजेज में जाना चाहते हैं, हम स्कूलों में जाना चाहते हैं ग्रौर ग्रापके कलेक्टर ने स्कूल ग्रौर कालेजेज बन्द क्यों करवाये। वैसे तो ग्राम तौर पर, ग्रध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के ऊपर छोड़ा था मगर जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने दो में से एक मार्ग को चुना। एक पक्ष हड़ताल करवावे ग्रौर दूसरा पक्ष हड़ताल नहीं होने देने के लिए अग्रसर रहे, शायद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने यह सोचा हो कि इसमें क्लेष हो, उस क्लेष को टाला जाना चाहिए ग्रौर मैं ऐसा समझता हूं कि ग्राज की स्थितियों के ग्रन्दर यदि कोई एडमिनिस्ट्रेशन कन्फन्ट्रेशन ग्रौर क्लेष को टालता है उसे उसकी कमजोरी नहीं माननी चाहिए, यह उसकी बुद्धिमानीमात्र समझा जाना चाहिए। ग्रौर, ग्रध्यक्ष महोदय, कुछ लोग तो इसी बात में विश्वास करते हैं कि क्लैष हो जाये तब भी ठोको ग्रौर ग्रगर कुछ नहीं हो तब भी उसकी निन्दा करो। पुलिस को हमेशा प्रोवोकेशन को टालना चाहिये ग्रौर इस बात में मैं विश्वास करता हूं कि जनता की भावना को समझने की कोशिश की जानी चाहिए ग्रौर मैं यह समझता हूं निश्चित रूप से कि ग्राज चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो ग्रौर चाहे वह बिहार हो, जो भी घटनायें हो रही हैं उसकी जड़ में ग्रार्थिक ग्रौर सामाजिक कारण हैं। ग्रलबत्ता उन ग्रार्थिक ग्रौर सामाजिक कारणों की ग्रोट में राजनीतिक दल ग्रौर ग्रसामाजिक तत्व ग्रथवा सरकार विरोधी तत्व लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। सरकारों की सफलता इसमें है कि वह उनके हाथों में न खेल जायं ग्रौर जनता की जो भावनायें हैं उन भावनाग्रों को समझें ग्रौर ग्रनुकूल स्थितियां पैदा करने की कोशिश करे। राजस्थान में ग्राज का प्रशासन इन चीजों को सामने रखकर चलना चाहता है, ग्रध्यक्ष महोदय, चाहे वह ग्रनाज की महंगाई हो, चाहे चीजों में मिलावट हो ग्रथवा वस्तुग्रों की ग्रनुपलब्धता हो। जो भी गुनहगार हैं, ग्रध्यक्ष महोदय, हम उन्हें सजा देना चाहते हैं ग्रौर ग्रपने बूते में जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। मैं यह मानता हूं कि जनमानस के ग्रन्दर ग्राक्रोश जब होता है तो उसका इलाज लाठी ग्रौर गोली नहीं हो सकता है। जन ग्राक्रोश का, जनता की भावनाग्रों का यदि वह राजनैतिक हैं, तो राजनैतिक स्तर पर उसका हल ढूंढा जाना चाहिये, यदि वह सामाजिक हैं तो सामाजिक स्तर पर उसका हल ढूंढा जाना चाहिए, ग्रौर उसके लिए जितने भी लोगों को साथ में लिया जा सकता हो उन सबको साथ में लेने की कोशिश की जानी चाहिए।

ग्रध्यक्ष महोदय, इसी बात को ध्यान में रख करके ग्रौर हमने होर्डिंग के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ, मुहीम शुरू की है ग्रौर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इन सामाजिक ग्रपराधों के खिलाफ मेंनटीनेंस ग्राफ इण्टरनल सिक्योरिटी एक्ट का उपयोग करेगी, ग्रौर उसका उपयोग शुरू भी कर दिया है। माननीय सदस्यों ने सुना होगा कल ही जोधपुर के ग्रन्दर एक बहुत बड़े व्यवसायी को मसालों के ग्रन्दर गोबर मिला करके बेचने के ग्रपराध में हथकड़ियां डाल

(श्री हरिदेव जोशी)

कर जोधपुर के बाजारों के अन्दर घुमाया गया था और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो भी अपराध होंगे उसके अन्दर सामान्य अपराधी हो, सामान्य व्यक्ति हो अथवा बड़ा व्यक्ति हो उसमें किसी प्रकार की रो-रियायत नहीं बर्ती जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय, हम पुलिस को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं । माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपने सुझाव रखे हैं । कुछ एक्सपर्ट्स ने भी सुझाव हमें दिए हैं । माननीय सदस्यों को मालूम होगा अभी पिछली 16 तारीख को ही, यानी 16 फरवरी को जयपुर के अन्दर एक बहुत बड़ी पुलिस लेबोरेटरी का उद्घाटन हुआ है । मैं यह कह सकता हूं कि देश भर के अन्दर की पुलिस के लिए अपने आप में अपने ढंग की एक ही लेबोरेटरी होगी और उसके वर्कर्स भारत सरकार के स्टेंडर्ड के ऊपर पेड वर्कर्स होंगे । उसमें सभी प्रकार की जांच का कार्य होगा । इसके सिवाय, अध्यक्ष महोदय, पुलिस का री-ऑर्गनाइजेशन करने और मोडर्नाइजेशन करने के लिये राज्य सरकार ने आने वाले बजट के अन्दर भी प्रावधान किया है और हम यह विश्वास करके चलते हैं कि आने वाले वर्षों के अन्दर हम और अधिक कुछ कर सकेंगे । निश्चित रूप से मैं इस राय का हूं कि एक्शन हो जाने के बाद में पनिश करना अथवा पनिश करवाना एक प्रकार की बात है, मगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी है और इसीलिए पुलिस का एक अच्छा इण्टेलीजेंस होना चाहिए कि जिससे क्राइम होने से पहले अथवा घटनाएं होने से पहले उनको रोका जा सके । आज जो स्थितियां हैं, मैं भी कह सकता हूं मुझे स्वयं को उनसे संतोष नहीं है ।

इसी प्रकार से पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन ब्रांच का भी हम रीआर्गनाइजेशन करना चाहते हैं और मैं यह चाहता हूं कि जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन की एक छाप है देश के अन्दर और जहां कहीं भी कोई घटना होती है तो सी०बी०आई० के मार्फत इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी मांग की जाती है । हम ऐसा ऑर्गनाईजेशन कर सकें अपनी सी. आई. डी. का जो कि सी०बी०आई० के समान ही प्रतिष्ठा और योग्यता पा सके । बहुत ही जल्दी इस सिलसिले में हम एक्शन ले रहे हैं ।

संचार व्यवस्था और पुलिस की मोबीलिटी क्राइम को रोकने में और एक्शन के अन्दर मददगार होती है । इसमें दो राय नहीं है कि हमारे यहां की संचार व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है किन्तु फिर भी हम इस दिशा में भी अधिक काम करना चाहते हैं ।

माननीय सदस्यों ने कांस्टेबलरी के बारे मे जो अपने विचार रखे हैं उनको भी एक अथवा दूसरे रूप में हम क्रियान्वित करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई केसेज के बाबत में यहां पर बातें कहीं । मैं ऐसा समझता हूं कि मैं एक एक केस को लेकर यहां पर आपको यह कहूं कि यह सही है और यह गलत है तो गलत होगा । इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं । अलबत्ता हमने इन सबको नोट किया है और अगर कहीं भी कोई भी ऐसी चीज जिसमें पुलिस दोषी हो या सरकार की कमी हो, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऊंचे स्तर पर इन सारी चीजों को देख करके उनके बाबत में निर्णय किया जायेगा और एक्शन लिया जाएगा ।

(श्री हरिदेव जोशी)

एक विश्वास माननीय सदस्यों को और दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि चाहे जनता में से कोई दोषी हो अथवा पुलिस डिपार्टमेंट से कोई दोषी हो, हम किसी को बख्शना नहीं चाहते हैं बल्कि कोई भी मेरी जानकारी में आती हैं मैं उसे अपने स्तर पर देखने की कोशिश करता हूं। एक माननीय सदस्या ने सीकर जिले में हुए ब्रूटल मर्डर के बारे में यहां पर चर्चा की थी। मैंने अपने स्तर पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। डी०आई०जी०, एस०पी० होम कमिश्नर और दूसरे उच्च अधिकारियों की उपस्थिति के अन्दर मैंने उस केस को डिस्कस किया। उस केस में फाइनल रिपोर्ट दी जा रही थी उसको मैंने रोका है।

मैं माननीय सदस्यों के, मैं समझता हूं कि उन सारे प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूं जो उन्होंने यहां पर उठाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ फण्डामेंटल्स पर यहां पर चर्चा की। उन्होंने एक हिंट सा दिया कि ऐसे लोग भी आज पनप रहे हैं जो दलाली करते हैं अथवा किसी को इधर से उधर करने की कोशिश करते हैं। आपने एक्चुअल वर्ड क्या कहे यह तो मुझे ठीक से याद नहीं है!

मेरा एप्रोच इस बाबत में यह है कि चाहे वह राजनीतिक कार्यकर्ता हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो जब तक वह अदरवाइज प्रूव न हो जाए उसे सुना जाना चाहिए। बाज मर्तबा नहीं सुनने के कई लाभ हैं, बाज मर्तबा नहीं मिलने के कई लाभ हैं। बाज मर्तबा कुछ नहीं करने का कई लाभ है। क्योंकि अगर आप कुछ करते हैं तो आपने अच्छा किया अथवा बुरा किया, यह कहा जाता है। अगर आप सुनते हैं और सुन कर कुछ नहीं करते हैं तो यह होता है कि सुना तो सही किया कुछ नहीं। सुन सुन लेते हैं। आप सुनो नहीं तो यह भ्रम बना रहता है सुन लिया होता तो कुछ कर दिया होता। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रजातन्त्र के अन्दर जनता के मत से चुन कर जो सरकार बनती है उसे जनता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। अगर हमसे कुछ हो सकता है और हम कर सकते हैं तो रिलीफ दे देनी चाहिए और नहीं कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में यह गट्स होनी चाहिए, वे यह कह सकें कि यह नहीं कर सकेंगे और जब तक सामने वाला आदमी इस इन्टेंशन से बेजा फायदा उठाने के लिए ही कह रहा है और जब तक ऐसा साबित न हो, मन में ऐसा विश्वास बन जाए तब तक उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। बाज मर्तबा तजुर्बा भी होता है। मैं यह राज नहीं खोलता। एक डाक्टर का तबादला करवाने के लिए आते हैं। उसका तबादला कर देते हैं और दूसरे लोग उसको रुकवाने के लिए जाते है। अगर करे ही नहीं तो कराने और रोकने वालों की फसावट में फसें ही नहीं। यह अटपटासा लगता है। मानता हूं कि जनता के प्रतिनिधि अथवा जनता में जो है, उसको सुने ही नहीं और करे ही नहीं तो गलत होगा। बहुत मुमकिन है जहां कोई गलत लोग प्रश्रय पा रहे हों। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी नियत किसी भी गलत आदमी को प्रश्रय देने की नहीं है और जैसे ही यह जानकारी होगी कि अमुक व्यक्ति गलत ढंग से बेजा फायदा उठा रहा है तो वह हरगिज हमारे दरवाजे के अन्दर प्रवेश नहीं पा सकेगा। मगर यह स्थिति बन जाए कि हर आदमी गलत है और गलत काम करने वाले लोग हैं, यह समझ करके लोगों को सुने ही नहीं, यह अन्याय होगा बजाय इसके कि किसी का काम

(श्री हरिदेव जोशी)
सुनकर के गलती कर दें बजाय इसके कि न करो।

अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों के तबादले के बारे में, राज्य कर्मचारियों के आचरण के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बातें कही गईं। इस सिलसले में एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट और एन्टी-करप्शन के डीवाई०एस०पी० जालौर और हर जिले में रखने के बाबत, विजिलेन्स कमेटी, लोक-आयुक्त और उप लोक आयुक्त की चर्चाएं भी की गईं। इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, 25 साल के बाद कम्पलसरी रिटायरमेंट का प्रोसीजर जारी कर दिया, कैसे किया है, यह बात कही गई. मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों को स्क्रीनिंग कोई पहले साल हुई हो, यह पहली बात नहीं है। यह प्रोसीजर बहुत पहले शुरू हुआ था। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, उस जमाने में आप भी गवर्नमेंट में थे। कई लोगों को पहले भी किया था और अब तक गवर्नमेंट ने एक कम्पलशन यह कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की 25 साल की अवधि समाप्त होने से पहले उसकी मियाद तब तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि उसका स्क्रीनिंग नहीं हुआ हो उसको स्क्रीनिंग होने के बाद उसको आगे कन्टीन्यू करने की इजाजत दी जाए। इसलिए माननीय सदस्यों को इस बाबत में कहीं भी सन्देह नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, विजिलेन्स कमेटियों के बारे में चर्चा की गईं। विजिलेन्स कमेटियों को हम एक्टिव करना चाहते हैं। अलबत्ता हर इन्स्टीट्यूशन की ताकत पाने में कुछ समय लगता है। मैं यह कह सकता हूं कि हम इसको ताकत देना चाहते हैं। अभी थोड़े ही दिन हुए हमसे यह कहा गया था कि यह सारी जो शिकायतें आती हैं उनको प्रोसेस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ नहीं है, काम करने को कोई नहीं है, उसको स्ट्रेन्थन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है, स्टाफ मंजूर किये हैं और मैं यह चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट विजिलेन्स कमेटियों की मीटिंग पीरियोडिकली होवे और कलेक्टर इसकी पीरियोडिकली रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजे। अगर कहीं भी कलेक्टर्स इसमें फेल होते हैं तो उनसे जवाब-तलब किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में विजिलेन्स कमिशनर और नये एक्ट के तहत लोक आयुक्त, उप लोकायुक्त के बारे में चर्चा की गई है। गवर्नमेंट का जो नया कानून बना है, जुम्मे जुम्मे उसको 8 दिन हुए हैं, उसको फेअर ट्रायल देना चाहती है और कहीं मैं अधीर नहीं होना चाहता हूं और न ही मैं धैर्य खोना चाहता हूं। मैं ऐसा सोचता हूं कि फेअर ट्रायल दी जानी चाहिए और अगर कहीं कोई कमियां रही हैं तो उचित समय के ऊपर प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद इन कमियों को दूर भी किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि तीन केसेज को छोड़कर के और कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसको विजिलेन्स कमिश्नर ने प्रोसीक्यूट करने को कहा और हमने प्रोसीक्यूट न किया हो। एक केस का उदाहरण है आई०ए०एस० आफिसर का। हमने इसका प्रोसीक्यूशन नहीं रोका. अ.ई० ए०एस० आफिसर को प्रोसीक्यूट करने से पहले उसके केसेज को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजना पड़ता है और उसको मैंने भेजा है। और अब वे जो क्वेरीज करते हैं उसका जवाब हमें देना पड़ता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमी

(श्री हरिदेव जोशी)

अगर हमें कोई बियास ओपिनियन देता है तो उससे हम मिसगाइड हो जाएंगे, इसे मैं मानकर नहीं चलता। हमें उनके अनुभव और उनकी क्षमता के ऊपर, साथ ही साथ उनकी न्यायप्रियता के ऊपर विश्वास करना चाहिये।

बहुत मुमकिन है कि वे सारी चीजों को ठीक तरह से एक्जामिन कर रहे हों और उसके बाद में वह अपना निर्णय दें। बहरहाल अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उन्हें प्रोसीक्यूट करने की इजाजत दे देता है तो मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 24 घन्टे की भी देर नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट प्रणाली के ऊपर भी कुछ बातें कही हैं। मैं आम तौर पर उनकी राय से सहमत हूं। राजस्थान के अन्दर जो भी रोजगार के साधन खुलते हैं उन रोजगार के साधनों के ऊपर राजस्थान के रहने वालों को लिया जाना चाहिए, और जब तक कोई खास बात नहीं हो सभी जिलों के लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि इस सरकार के अन्दर हमारी साझेदारी है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि अगर एक क्षेत्र के लोग यह महसूस करते हैं या एक समाज के लोग ये महसूस करें कि हमारे को उचित अवसर नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से असन्तोष पैदा होगा, और अध्यक्ष महोदय, डैमोक्रेसी में हर असन्तोष को विरोधी पक्ष उसके हक में एक्स्प्लायट करता ही है। इसलिए राज्य सरकार को तो उसके बाबत में सावधान रहना ही चाहिए, और यह उसके हक में भी है, हित में भी है, और सामाजिक न्याय भी है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हरिजनों और आदिवासियों के बाबत गवर्नमेंट ने निर्णय लिये हैं। आज रोस्टर प्रणाली के बारे में भी यहां पर चर्चा हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे काम में कुछ कमी है, रिक्रूटमेंट में, और विशेषकर हरिजनों और आदिवासियों के रिक्रूटमेंट में और उनके प्रोमोशन्स के बाबत में भी। हम जल्दी ही इसके बाबत में देखेंगे और हरिजनों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय मिले इस दिशा में निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर्स के रहन सहन, उनके मकानात और उनके खर्चे के बाबत में यहां पर चर्चा हुई है। माननीय सदस्य (पीछे की ओर देखकर) भाषण देकर के चले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस केबिनेट के कई सदस्य अभी भी गवर्नमेंट होस्टल में रह रहे हैं। मैंने इस दिशा में जल्दबाजी नहीं की है।

एक माननीय सदस्य : बंगले खाली नहीं हुए।

श्री हरिदेव जोशी : आज इस सदन के कई माननीय सदस्य मिनिस्टर्स जहां रहते हैं उन बंगलों में रह रहे हैं, और मिनिस्टर्स जहां सदस्य रहते हैं वहां रह रहे हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : ज्योतिषियों ने रोक रखा है कइयों को तो।

श्री हरिदेव जोशी : ज्योतिषियों ने नहीं पार्टी ने रोक रखा है और इसके लिए कोई गुनहगार है तो मैं ही हूं।

श्री निरञ्जन नाथ आचार्य : आप भी तो ज्योतिषी हैं।

श्री हरिदेव जोशी : तो, अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि मिनिस्टरों के लिए और बड़े अफसरों के लिए बड़े बड़े बंगले होते हैं। उनका कवर्ड एरिया इतना होना चाहिये । पुरानी रियासतों से विरासत में जो हमें बंगले मिले हैं उनको भी उपयोग में ले रहे हैं । यह तो एक घटना है—पुरानी । राजस्थान बनने के बाद में जो नये मकानात बनाकर दिये गये हैं उनमें तो मिनिस्टर्स के लिये यानी क्लास फर्स्ट का बंगला कितना बड़ा होना चाहिए, इसका फ्लोर एरिया तय किया हुआ है, वह ज्यादा नहीं है । वह सामान्य तौर से एक सामान्य गृहस्थ रहे उतना सा ही है ।

अध्यक्ष महोदय, पैट्रोल के खर्चे के बाबत में भी बात कही गई । मुझे ऐसा लगता है कि जिन माननीय सदस्यों ने कहा उनकी इन्फोर्मेशन गलत थी, गलत कह दिया उसको क्षमा करें— वह अधूरी थी, वह कह दी । स्थिति तो यह है कि नवम्बर 1973 से पहले हर मिनिस्टर को 20 लीटर पैट्रोल प्रति दिन मेक्जीमम मिलता था कि इतना खर्च कर सकते हैं, और उससे अधिक वह खर्च करते थे तो उनको खुद को देना होगा । अब वह घटाकर 10 लीटर प्रति दिन कर दिया गया है । आधा कर दिया है। इस प्रकार से मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पैट्रोल में कमी के बाबत में और इकोनामी के बारे में राज्य सरकार सावधान है । एक दो मीटिंग में इस बाबत में अटेण्ड कर चुका हूं । इसलिए बतलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कई जगहें गाड़ियां नहीं होनी चाहिए यह तय करके लगभग 200 से ऊपर गाड़ियां विथड़ा कर ली हैं, और उसमें से 100 के करीब गाड़ियां तो सेन्ट्रल मोटर गैराज पहुंच भी गई हैं। एक ही आर्डर दिया है । जयपुर शहर के अन्दर सारी सरकारी गाड़ियों को सेन्ट्रल मोटर गैराज से पेट्रोल लेना होता है । जयपुर शहर में अक्तूबर के अन्दर उस मोटर गैराज से 64 किलो लीटर पेट्रोल खर्च हुआ था । नवम्बर में 83 किलोलीटर हुआ था, दिसम्बर में 70 किलोलीटर खर्च हुआ था, जनवरी में 47 किलोलीटर खर्च हुआ था, और फरवरी में 45 किलोलीटर खर्च हुआ है । यह फीगर्स यह बतलाते हैं कि इस सिलसिले में काफी सावधानी से काम लिया जा रहा है । पेट्रोल के कन्जम्पशन में कमी की गई है; उस पर बान लगाया गया है और आज काफी प्रकार की पाबन्दियां लगा दी गई हैं । सबसे बड़ी बात तो यह है कि पैट्रोल की कीमत इतनी बढ़ जाने के बावजूद भी राज्य सरकार ने किसी भी डिपार्टमेंट के अन्दर पेट्रोल के लिए अधिक पैसों का प्रावधान नहीं किया है । अधिक कीमत बढ़ जाने के ऊपर खर्चा ज्यादा होना स्वाभाविक है । वह नहीं बढ़ाना अपने आप में इनडाइरेक्ट इकोनामी है । इन प्रयत्नों के अन्दर हम लगे हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही बात कह सकता हूं, समय काफी हो गया है, कि हमारे यह प्रयत्न हैं कि यहां पर जो उल्लेख किया गया है कि स्काटलैण्ड यार्ड की पुलिस की जो प्रतिष्ठा है, राजस्थान की पुलिस भी वह प्रतिष्ठा पाये, इस प्रकार के हम प्रयत्न करें, मगर जहां समाज पुलिस से अपेक्षा करता है वहां पर पुलिस भी समाज से कुछ अपेक्षा करके चलती है । जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस के सिपाही को आज मुकाबले में खड़ा होना पड़ता है युनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स के मुकाबले में, पढ़े-लिखे राज्य कर्मचारियों के मुकाबले में जो अपने आपको अधिक सुसंस्कृत और अधिक आगे बढ़े हुए मानते हैं । मैं यह आशा करता हूं कि अधिक सुसंस्कृत लोगों से और

(श्री हरिदेव जोशी)
समाज के अग्रिम लोगों से कि एक सहानुभूतिपूर्ण बरताव पुलिस को मिलेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव यहां पर रखे हैं उनके लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं । जो कमियां हैं उनको अपनी ओर से तथा राज्य सरकार की ओर से उनको ठीक करने का विश्वास दिलाना चाहता हूं, और यह विश्वास फिर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार सारे ही सामाजिक और आर्थिक संघर्ष में समाज के साथ में रहना चाहती है पुलिस के साथ में नहीं चलना चाहती है. पुलिस के बूते पर नहीं चलना चाहती है । धन्यवाद ।

श्री भानु कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न । आपने जो यह आई०ए०एस० आफिसर के लिए यू०पी०एस०सी० के आदेश लिये जाने की बात कही और उसमें लॉ सेक्रेटरी को रेफर किया गया तो उसने फाइल को बिना देखे ही लिख दिया कि मुकदमा चलाने योग्य नहीं है और इसकी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की जाये या देखकर लिखा है ।

श्री हरिदेव जोशी : जब उन्होंने फाइल पर लिखा है तो बगैर देखे कैसे लिखा होगा, फाइल देखकर ही लिखा होगा दूसरे कागज पर नहीं लिखा ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : फाइल पर लिखकर नोट बनाकर सबमिट किया है । इसकी जांच करालें ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फाइल पर उनका नोट है और फाइल पर ही उन्होंने रेकार्ड किया है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उनकी जो फाइल है · · ·

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करूं कि थोड़ा समझने की कोशिश करें । लॉ सेक्रेटरी किसी केस के ऊपर अपनी ओपीनियन देता है तो जो इश्यूज रेज किये जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा उन इश्यूज का जवाब देता है, हर पाइन्ट का उत्तर देता है ।

श्री गुमानमल लोढा : राजस्थान गवर्नमेंट तो उसको सेव करना चाहती है । आपने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन से उम्मीद करना चाहिए कि वह न्याय करेगा, लेकिन जहां तक प्रोसीक्यूशन का सवाल है तो राजस्थान सरकार उस प्रोसीक्यूशन को खत्म करना चाहती है ।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान सरकार ने प्रोसीक्यूशन करने की इजाजत मांगी थी । यू०पी०एस०सी० ने जहां तक मैं समझा हूं यह कहा है कि लॉ डिपार्टमेंट की ओपीनियन भेजो । तो हमने लॉ डिपार्टमेंट की ओपीनियन लेकर उसके साथ में नत्थी कर दी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह पूछना चाहूंगा, जो भारत सरकार ने पेंशन के अन्दर इंक्रीमेन्ट घोषित किया है, क्या आप भी इन्क्रीमेन्ट घोषित करेंगे ? जैसा कि 1-1-73 के पहले · · ·

श्री हरिदेव जोशी : Just a second, if you don't mind,

पहले केस की बाबत मैं कहना चाहूंगा, एल०एस० ने यानी लॉ सेक्रेटरी ने जो राय दी है, चीफ सेक्रेटरी ने उससे एग्री नहीं किया है । चीफ सेक्रेटरी ने अपनी ओपीनियन दी है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वण्डरफुल ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय,

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह आपको चेम्बर में आकर मिल लेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : चेम्बर में क्यों? यह हाउस का विषय है। आप कृपया मुझे क्षमा करें। स्पष्ट करने दें।

हमने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को रेफर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को कहा है कि इसकी फर्दर इजाजत दी जाये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपका जो सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रिब्यूनल बनाने का इरादा था, क्या उसको स्टाप कर दिया है या अभी तक है?

श्री हरिदेव जोशी : अभी तक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न तो पेंशन के बारे में पूछ लिया है। दूसरा जो महंगाई भत्ता ¼ बाकी है, 1-1-74 से; उसके बारे में डिक्लेयर करने का इरादा है सरकार का?

श्री हरिदेव जोशी : दोनों के ऊपर आज की तारीख तक कोई फैसला नहीं किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कब तक करेंगे?

श्री हरिदेव जोशी : कोई तारीख तय नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,45,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,54,26,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 79,76,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 के संबंध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,03,37,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 21 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 10 बजकर 55 मिनट पर बृहस्पतिवार दिनांक 21 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

230

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 316 की सूची)

राजस्थान के विभिन्न जिलों में अनुदान प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों की जिलेवार अनुदान संबंधी सूचना सूची

क्र० सं०	नाम संस्था	जिला	एडहॉक वर्ष 72-73	प्रतिशत	स्तर
1.	दिगम्बर जैन संस्कृत कॉलेज, जयपुर	जयपुर	60,000	80	आचार्य
2.	श्री दादू महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर	30,000	80	आचार्य
3.	श्री विजय सागर ब्रंहमचर्याश्रम, संस्कृत कॉलेज, तलावगांव	जयपुर	34,800	80	शास्त्री
4.	श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज, लालकोट	जयपुर	30,800	70	शास्त्री
5.	बिरला संस्कृत कॉलेज, पिलानी	झुंझुनूं	11,700	60	आचार्य
6.	एस० पी० हंसटा संस्कृत कॉलेज, बगड़	झुंझुनूं	43,200	80	आचार्य
7.	सेठ सूर्यमल शिवप्रसाद वेद वेदांत संस्कृत महाविद्यालय, चिड़ावा	झुंझुनूं	16,800	70	आचार्य
8.	सार्दूल संस्कृत विद्यापीठ, बीकानेर	बीकानेर	56,000	80	आचार्य
9.	ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम, लक्ष्मणगढ,	सीकर	41,300	70	शास्त्री
10.	विट्ठलनाथ संस्कृत महाविद्यालय, कोटा	कोटा	41,600	80	आचार्य
11.	श्री सरस्वती विद्यापीठ, कोटा	कोटा	48,800	80	आचार्य
12.	सार्वजनिक संस्कृत महाविद्यालय,बारां	कोटा	44,800	80	आचार्य
13.	श्री गुरुकुल चितौड़गढ	चितौड़गढ	18,900	70	शास्त्री
14.	जी०आर०चमड़िया संस्कृत कॉलेज, फतेहपुर	सीकर	20,400	60	शास्त्री
15.	सेठ बल०बाजो० संस्कृत महाविद्यालय, फतेहपुर	सीकर	10,800	50	आचार्य

वित्तीय वर्ष 72-73 में जो राशि स्वीकृत की गई निम्न प्रकार हैं :—

क्र० सं०	संस्था का नाम	प्रावर्तक	तदर्थ	अनावर्तक
1	2	3	4	5
1.	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	7,18,929	30,000	..
2.	सावित्रि कन्या कॉलेज, अजमेर	4,12,200	..	..
3.	बी०जे०एस०जैन रामपुरिया कॉलेज, बीकानेर	1,03,369	..	..
4	श्री जैन (पी०जी०) कॉलेज, बीकानेर	1,64,869	25,000	..
5	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	5,95,608	..	1,25,000
6.	चिड़ावा कॉलेज, चिड़ावा	1,60,012	..	..
7.	अग्रवाल कॉलेज, जयपुर	3,36,850	..	..
8	एस०पी०यू० कॉलेज फालना,	1,38,049	..	..
9.	जैन सुबोध कॉलेज, जयपुर	1,71,586	..	10,000
10.	मोतीलाल कॉलेज, झुंझुनूं	1,69,283	..	..
11	कानोड़िया महिला कॉलेज, जयपुर			
	(90 प्रतिशत)	3,65,400	..	..
	(100 प्रतिशत)	57,400	..	..
12.	शारदा सदन कॉलेज, मुकन्दगढ	1,30,750	..	..
13.	जी०बी० पोद्दार कॉलेज, नवलगढ	2,75,423	..	..
14.	एस०जी०एन० खालसा कॉलेज, श्री गगांनगर	2,91,200	..	10,000
15.	एस०डी० बिहाणी कॉलेज, गंगानगर	99,097	..	..
16	भूपाल नोबल्स कॉलेज, उदयपुर	3,69,201	25,000	..
17.	श्रमजीवी कॉलेज, उदयपुर	1,68,675	..	..
18.	उदयपुर स्कूल ऑफसोसीयल वर्क्स, उदयपुर	1,27,782	..	..
19.	विद्या भवन रूरल इन्स्टिटयूट, उदयपुर	2,64,757	..	..
20.	लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर			
	(50 प्रतिशत)	83,126	..	..
	(100 प्रतिशत)	1,18,692	..	..
21.	बी०डी०टोडी कालेज, लक्ष्मणगढ	1,35,246	..	..
22.	राजस्थान हिस्टोरीकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, जयपुर।	6,000	..	..
23.	लाचू मेमोरियल कॉलेज, जोधपुर	1,73,472	..	15,000
24.	एस०एस०जी० पारीक कॉलेज, जयपुर	1,18,000	..	..

1	2	3	4	5
25.	इन्द्रागांधी बालिका निकेतन, अरड़ावता	1,31,075	—	25,000
26.	जी०आर० चमडिया कॉलेज, फतहपुर	1,57,420	—	—
27.	जवाहर लाल नेहरू युवक केन्द्र, जयपुर	—	50,000	—
28.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस	—	1,000	—
29.	अध्यक्ष, विद्यार्थी संघ, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	—	10,000	—
30.	नेहरू मेमोरियल कॉलेज, हनुमानगढ़	—	60,000	—
31.	सोना देवी सेठीया कन्या महा०, सुजानगढ	—	25,000	—
32	सोफिया कॉलेज, अजमेर	—	12,000	—
33.	हितकारणी कॉआपरेटिव श्रमजीवी कॉलेज, कोटा	—	—	10,000
34.	प्रज्ञा महाविद्यालय, विजयनगर	—	—	10,000
35.	ज्ञानज्योति महाविद्यालय, करणपुर	—	—	25,000
36.	विजयसिंह पथिक कॉलेज, अजमेर	—	—	10,000
37.	स्वामी दयानन्द कॉलेज, गंगानगर	—	5,000	—
38.	महर्षि दयानन्द कॉलेज, गंगानगर	—	10,000	—

निम्नलिखित महाविद्यालयों को शत प्रतिशत अनुदान दिया गया है।

क्र० सं०	संस्था का नाम
1	2
1.	कानोड़िया महिला महाविद्यालय, जयपुर (केवल विज्ञान संकाय के प्राध्यापकों को)
2.	लाचू मेमोरियल कॉलेज, जोधपुर (केवल दो अतिरिक्त विज्ञान खण्ड के प्राध्यापकों को)

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये

तारांकित प्रश्नोत्तर

गूगोर बांध योजना

325. **श्री राम चरण** (ग्रटरु), **श्री रामगोपाल** (किशन गन्ज) एवं **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पार्वती नदी पर गूगोर (छबड़ा) बांध की योजना के लिए सर्वेक्षण किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) उपरोक्त योजना कितनी लागत की है और यह योजना पूर्ण होने से किस किस तहसील में कितने एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी ?

(3) गूगोर योजना ग्राज किस चरण पर है और भविष्य में सरकार जन हित को मद्देनजर रखते हुए इसे शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) पार्वती नदी पर गूगोर पर बांध बनाने का सर्वेक्षण, 1964 में ग्रारम्भ किया गया था परन्तु कुछ कारणवश यह सर्वेक्षण रोक देना पड़ा ।

(2) यह ब्योरा सर्वेक्षण कार्य पूरा करके तखमीना बनाकर ही दिया जा सकता है ।

(3) पार्वती नदी के पानी के उपयोग के लिए राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सम्मिलत रूप से योजना बनाने का विचार कर रहे हैं । योजना का सर्वेक्षण करने की सहमति मध्य प्रदेश को दे दी गई है ।

होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड की जांच

326 **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा श्री चन्द्रप्रकाश चेयरमैन होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड की गतिविधियों की संदिग्धतता व बोर्ड में हुई ग्रनियमितताग्रों के विषय में कोई जांच कमीशन बिठाया गया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान बोर्ड ग्रॉफ होम्योपैथिक मेडिसिन, जयपुर ने ग्रमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों को यहां पंजीकृत किया है ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि नियमानुसार विदेशियों का पंजीकरण नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो उपयुक्त ग्रमेरिकन्स को यहां पंजीकरण किन नियमों के ग्रन्तर्गत किया गया?

उत्तर

(1) जी नहीं, विभागीय ग्रधिकारी द्वारा जांच कराई गई थी ।

Page No 234

234

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां, 16 अमेरिकन्स का पंजीकरण किया गया है, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी, नहीं । राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम 1969 की धारा 30(1) व इस अधिनियम के परिशिष्ट की क्रम संख्या 4 के अन्तर्गत ऐसे पंजीकरण किये जा सकते है ।

1387.	1387	डा० जोन एफ० स्टेथम	जोन एफ० स्टेथम एस० आर०	25, न्यू कोलोनी, जयपुर
1388.	1388	डा० जेम्स पाल करसे	जे० जे० करसे	25, न्यू कोलोनी, जयपुर
1389.	1389	डा० अलान एस०ओ० चिग	ए०मंम चिन एस० आर०	25, न्यू कोलोनी, जयपुर
1390.	1390	डा० विलियम आर० हन्डरसन	डी०डब्लू हन्डरसन	25, न्यू कोलोनी, जयपुर
1391.	1391	डा० वेल स० किंग	डब्लू०डब्लू०एफ०किंग	25, न्यू कोलोनी, जयपुर
1392.	1392	डा० आरोन हरे सपरिन	समूअल सपरिन	25, न्यू कोलोनी जयपुर
1393.	1393	डा० अमूअल ड्यूक	एम०एच०ड्यूक	25, न्यू कोलोनी जयपुर
1394.	1394	डा० माईक्ल डेविड वाल्डन	डब्लू०ए० वाल्डन	25, न्यू कोलोनी, जयपुर
1395.	1395	डा० वाटसन अलफ्रेड वाल्डन	डब्लू०ए० वाल्डन	25, न्यू कोलोनी, जयपुर,
1396.	1396	डा० चार्ल्स रेमन्डकोल्थे	सी० जी० कोल्थे	25, न्यू कोलोनी, जयपुर
1397.	1397	डा० जोन एच०एम०सी० डोन्लड	सी०पी०एम०सी०डोन्लड	25, न्यू कोलोनी, जयपुर
1398.	1398	डा० ग्रे ए० व्हाईट	ओ०एल० व्हाईट	17, न्यू कोलोनी, जयपुर
1399.	1399	डा० माइकिल ए० डप्लोनिया	पी० डप्लोनिया	25, न्यू कोलोनी, जयपुर
1401.	1401	डा० जान दरेला गदवरी	जे०एस० गदवरी	25, न्यू कोलोनी, जयपुर
1402.	1402	डा० पी०एल०बनर्जी	डी०पी० बनर्जी	तहसीलदार स्ट्रीट, जयपुर
1403.	1403	डा० लवेरा हरोल्डलता	बी०डब्लू०लता	25, न्यू कोलोनी, जयपुर

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश के समय अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान

327. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में (एस.टी.सी.) स्कूल प्रवेश हेतु निर्धारित तरीकों में वैकल्पिक विज्ञान, वाणिज्य या कृषि वर्ग लेकर सेकेन्ड्री/हायर सेकेन्ड्री परीक्षा पास करने वाले व्यक्तियों को पांच अंक अतिरिक्त देने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षक भर्ती किये जाते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक विद्यालयों में वाणिज्य विषय नहीं होता है ? यदि हां, तो फिर 5 विशेष अंकों की व्यवस्था की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में उच्च प्राथमिक तक के स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्राध्यापकों को भर्ती किया जाता है।

(3) प्राथमिक विद्यालयों में वाणिज्य विषय नहीं होता परन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वाणिज्य विषय होता है ।

थाना खाटू श्यामजी में दर्ज मामा

328. **श्री गोरधनसिंह** (सीकर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाबा रामदास ने थाना खाटूश्याम जी (सीकर) में मारपीट, सामान लूटने की शिकायत की थी? अगर हां, तो किन व्यक्तियों के खिलाफ ? उनकी सूची नाम सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले की जांच गुप्तचर विभाग कर रहा है ? अगर हां, तो कब से कब तक पूर्ण कर जांच रिपोर्ट दे दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले की जांच उप अधीक्षक श्री मोहम्मद उमर द्वारा पूर्ण कर ली गई है ? अगर हां, तो कब ? कौन व्यक्ति दोषी पाये गये ? उनके नाम व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, श्री रामदास ने दिनांक 2-7-73 को रिपोर्ट की थी जिस पर अभियोग संख्या 66 धारा 147, 149, 452, 379 ता० हि० के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र खाटू श्यामजी मण्डल सीकर में पंजीबद्ध हुआ था। प्रथम रिपोर्ट में प्रार्थी ने निम्न व्यक्तियों के नाम अंकित किये थे (1) श्री सुखदेवा (2) भेरिया (3) चन्दा (4) हनुमान (5) धूकलिया (6) रामनाथ्या (7) सीतिया (8) रामेश्वर (9) मंगलिया व (10) लालिया ।

(2) जी हां, इस अभियोग का अनुसंधान दिनांक 17-11-73 से अपराध अनुसंधान विभाग, जयपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है । प्रार्थी के विहार

(गृह मंत्री)

चले जाने के कारण अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। अतः अनुसंधान पूर्ण होने पर शीघ्र नतीजा दिया जावेगा।

(3) श्री मोहम्मद उमर, उप-पुलिस अधीक्षक ने इस अभियोग का अनुसंधान किया था लेकिन इस बारे में शिकायत आने से तफतीश उच्चाधिकारी को सम्भला दी गई है। चूंकि जांच जारी है इसलिये उप-अधीक्षक की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना इस समय अनुसंधान के हित में नहीं होगा।

ग्राम मादोलाई में विद्युत् कनक्शन के लिये जमा कराई गई राशि

329. **श्री चतरभुज** (टोडारायसिंह): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मादोलाई तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक के 48 व्यक्तियों ने बल्ब कनेक्शन हेतु सिक्योरिटी की रकम विद्युत् विभाग में करीब सात-आठ माह पूर्व जमा करादी थी ? यदि हां, तो उनको विद्युत् कनेक्शन अभी तक उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं।

(2) सिक्योरिटी रकम जमा कराने के एक माह पश्चात् ही विद्युत् कनेक्शन देने का विभाग का नियम है ? यदि हां, तो इसमें विभागीय नियम की उपेक्षा क्यों की गई? यदि नहीं, तो रकम जमा कराने के कितने अर्से बाद विद्युत् कनेक्शन दे दिया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां। उनको कनेक्शन इसलिये नहीं दिये गये हैं क्योंकि आवेदकों ने नियमानुसार सहायक अभियन्ता राजस्थान, राज्य विद्युत् मण्डल, टोंक के कार्यालय में आवश्यक एग्रीमेंट तथा 'एल' फर्म अभी तक नहीं दिये हैं।

(2) जी नहीं। चूंकि आवेदकों ने एग्रीमेंट व 'एल' फार्म अभी तक नहीं दिये हैं। अतः उन्हें कनेक्शन देना सम्भव नहीं था।

सालपुरा-अकलेरा मार्ग पर चलने वाली बसें

330. **श्री भैरूलाल** (अकलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मनोहर थाना हरनावदा सड़क की पंचायतों व पंचायत समिति के माध्यम से इस साल मरम्मत कराई जा चुकी है और अब सड़क बस चलने योग्य हो गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सालपुरा से दो बसें अकलेरा तक चलती हैं और मालिकों ने इस कच्ची सड़क पर होकर अपनी बसों को अकलेरा से मनोहरथाना-बनैठ होकर मनोहरथाना तक बढ़ाने हेतु सम्बन्धित विभाग में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे किन्तु इजाजत नहीं दी गई ?।

(3) क्या यह भी सही है कि इस सड़क पर बसों के न चलने से इस क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी कठिनाई है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना-पत्रों पर पुनः विचार कर राज्य सरकार इस सड़क पर बसों के चलने की इजाजत देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इस विभाग को सूचना नहीं है क्योंकि इस का संबंध इस विभाग से नहीं है।

(2) जी हां।

(यातायात मंत्री)

(3) इस मार्ग पर पांच अस्थाई अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं। आवश्यकता पड़ने पर और भी अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जा सकते हैं।

शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

331. **श्री जेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अनुदान प्रार्थना-पत्र उप-निदेशक से जांच होकर समय पर शिक्षा विभाग में नहीं पहुंचते हैं, इस कारण प्रति वर्ष 31 मार्च को अनेक संस्थाएँ अनुदान से वंचित रह जाती हैं ? यदि हां, तो गत वर्ष, किस किस अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था को 31 मार्च 1973 को अनुदान नहीं मिला ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यह सही नहीं है। जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम अलमास के तालाब के राहत कार्य का चुकारा

332. **श्री विजय सिंह राठौड़** (मांडल): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडल तहसील में ग्राम अलमास के एक तालाब के राहत कार्य का चुकारा सन् 1967 का अब तक बाकी है ?

(2) क्या यह चुकारा कभी किया जा सकेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। वर्ष 1967 में तहसील मांडल में ग्राम अलमास के तालाब पर राहत कार्य दिनांक 12-2-67 से 1-3-67 तक चला था। इस पर 239.33 रुपया खर्चा आया, जिसका चुकारा मजदूरों को कर दिया गया है। अब तहसील द्वारा कोई चुकारा करना शेष नहीं है।

(2) प्रश्न शेष नहीं रह जाता।

ग्राम रसोड़ी का तालाब

333. **श्री जीथिंग** (कुशलगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा तहसील, कुशलगढ़, ग्राम रसोड़ी में तालाब का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो उक्त तालाब का कार्य कब से आरम्भ हुआ, कितनी लागत खर्च का एस्टीमेट बनाया गया और कितनी एकड़ जमीन पर सिंचाई होना बताया गया था ? उक्त आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त तालाब पर आरम्भ से अब तक कितनी एजेंसियों द्वारा तालाब निर्माण का कार्य किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त तालाब का निर्माण कार्य पंचायत समिति द्वारा किया गया था और बाद में उक्त तालाब पर अकाल राहत कार्य किया गया है तथा क्रेश योजना द्वारा भी वर्तमान समय में निर्माण कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रत्येक विभाग द्वारा कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(श्री जोशिंग)

(4) क्या उक्त तालाब का कार्य पूर्ण हो चुका है ? अगर हां, तो उक्त तालाब के पानी की कितनी कैपेसिटी है और अभी उसमें कितना पानी है अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, इस बान्ध पर कार्य सन् 1958-59 में पंचायत समिति द्वारा आरम्भ किया गया तथा वर्ष 1958-59, 61-62 व 62-63 में पंचायत समिति द्वारा 4,949 रु० व्यय किए गए । तत्पश्चात् सन् 1968-69 में अकाल राहत के अन्तर्गत सिंचाई विभाग ने 48,555 रु० व्यय किए । इसके अतिरिक्त क्रेश योजना के अन्तर्गत 1,36,000 रु० का तखमीना बनाया गया । इससे 64 एकड़ वार्षिक सिंचाई होने का अनुमान है ।

(2) उक्त तालाब पर कुल तीन एजेन्सियों द्वारा कार्य करवाया गया जो पंचायत समिति कुशलगढ़, सहायता विभाग एवं सिंचाई विभाग है ।

(3) जी हां, व्यय की गई धनराशि की सूची संलग्न है ।

(4) कार्य चल रहा है । पूर्ण होने पर इसकी भराव क्षमता 8 एम०सी०एफ०टी० होगी । तालाब अपूर्ण है । इसलिए अभी इसमें पानी नहीं है ।

रसोड़ी तालाब पर व्यय की सूची

वर्ष	व्यय	विवरण
1958–59	1649.00	पंचायत समिति द्वारा
1961–62	1800.00	" "
1962–63	1500.00	" "
1968–69	48555 00	अकाल राहत के द्वारा
1972–73	27000.00	क्रेश प्रोग्राम के द्वारा
1973–74	58092.00	अकाल राहत के द्वारा
1973–74	27000.00	क्रेश प्रोग्राम के द्वारा
योग··	165596.00	

डूंडलोद रेल्वे स्टेशन से मण्डावा चलने वाली बसें

334. श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंडलोद रेल्वे स्टेशन (जिला-झुन्झुनू) से मन्डावा कस्बे को आने-जाने वाली बस के किस-किस परमिट होल्डर्स को किस किस समय के लिए परमिट मिले हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उन्हीं परमिट होल्डर्स को ही रात्रि 10.00 बजे डूंडलोद स्टेशन से मन्डावा जाने एवं प्रातः 4.00 बजे मंडावा से डूंडलोद रेल्वे स्टेशन आने का

(श्री झाबरमल सूण्डा)
परमिट मिला हुआ है ? यदि हां, तो यह परमिट उनको कब मिला ?

(3) उपरोक्त समय में बस सेवा कब कब बन्द हुई एवं वर्तमान में कब से बन्द पड़ी है एवं बस बन्द रहने के क्या कारण हैं ?

(4) बस सेवा बन्द करने पर बस होल्डर्स के विरुद्ध कब कब क्या क्या कार्यवाही की गई एवं शर्तों के अनुसार क्या कार्यवाही की जानी चाहिए थी ?

(5) क्या उपरोक्त समय पर बस सेवा परमिट होल्डर्स ने कई बार बन्द की है व उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के बावजूद भी वे बस सेवा बार-बार बन्द कर देते हैं ? यदि हां, तो उन्हीं को परमिट बार-बार क्यों दिया जाता है ?

(6) रात्रि के 10.00 बजे एवं प्रातः 4.00 बजे इस रूट पर बस सेवा बन्द करने के कारण परमिट होल्डर्स का अन्य समय के लिए इस रूट का परमिट क्यों नहीं रद्द किया जाता है ?

(7) क्या सरकार इस रूट पर भिन्न भिन्न समय के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों को या अन्य किसी एक व्यक्ति को परमिट देने को तैयार है, यदि नहीं तो क्यों ?

(8) इस रूट पर रात्रि के 10 बजे व प्रातः 4 बजे बस सेवा कब तक चालू करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर सर्व श्री बनवारी लाल गोयनका को 2-9-74 तक और सत्यनारायण को 30-7-75 तक और बद्ध राम को 26-7-76 तक की अवधि के परमिट मिले हुये हैं ।

(2) जी हां, परमिट उन्हें 20-8-70 को स्वीकृत हुये ।

(3) रात्रि सेवा बन्द होने की शिकायत दिनांक 2-6-71 व 2-6-72 एवं वर्तमान में 19-1-74 को प्राप्त हुई । बस बन्द रहने का कारण सम्भवतः मार्ग का अलाभकारी होना है ।

(4) रात्रि सेवा बन्द होने पर प्रादेशिक परिवहन अधिकरण द्वारा दिनांक 24-9-71 को तत्कालीन अनुज्ञापत्रधारी श्री श्यामसुन्दर का अनुज्ञापत्र रद्द कर दिया गया एवं दिनांक 29-10-71 को सर्व श्री रिद्ध देव व बनवारीलाल प्रत्येक पर 200/- रुपये जुर्माना किया गया । श्री रिद्ध देव ने जुर्माना जमा नहीं करवाया अतः उसका अनुज्ञापत्र स्वतः ही रद्द हो गया । श्री बनवारी लाल ने जुर्माना जमा करवा दिया अतः उसका ही अनुज्ञापत्र बदस्तूर रहा । तद्उपरान्त 2-6-72 को रात्रि सेवा बन्द होने की शिकायत परिवहन निरीक्षक, झुन्झुनू द्वारा प्राप्त हुई । इस पर श्री बनवारी लाल को धारा 60 का नोटिस दिया गया । मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के समक्ष 29-8-72 को रखा गया । प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने दिनांक 29-8-72 को आरोप सिद्ध न होने पर मामला फायल कर दिया । अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन करने पर धारा 60 मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

(5) जी हां, बार बार उन्हीं परमिट होल्डर्स को परमिट नहीं दिये गये हैं ।

(यातायात मंत्री)

(6) परमिट जब रद्द होता है तो पूरे मार्ग का और सभी ही समय का रद्द होता है।

(7) इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(8) रात्रि सेवा चालू करने के प्रयास जारी हैं।

आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर के लेखों की जांच

335. **श्री मोहम्मद गफ्फारअली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उच्चतम माध्यमिक आदर्श विद्या मन्दिर स्कूल, जयपुर के हिसाब किताब की कोई जांच राज्य सरकार ने स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर द्वारा कराई ? यदि हां, तो जांच कब से कब तक के हिसाब की कराने हेतु निर्देश था ? आदेश की प्रतिलिपि कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विभाग द्वारा जांच पूरी कर रिपोर्ट दे दी गई है ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि कृपया सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राज्य सरकार ने श्रीमती ओ० जोशी द्वारा भी इस विद्यालय की कोई जांच कराई थी ? यदि हां, तो कृपया श्रीमती जोशी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या शिक्षा निदेशक व विद्यालय निरीक्षक जयपुर ने भी इस संस्था की कोई जांच अपने स्तर पर कराई ? यदि हां, तो उनके जांचों की रिपोर्ट की प्रति भी कृपया सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य सरकार उक्त विद्यालय के घोटालों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। गत तीन वर्षों के (70-71, 71-72, और 72-73) हिसाब के जांच के निर्देश थे। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

(5) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर से हिसाब की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही संभव है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

राज्य में खाद का कारखाना

336. **श्रीमती निर्मल कुमारी** (चित्तौड़गढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मैसर्स फरटीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० के विशेषज्ञों ने राजस्थान में खाद का कारखाना लगाने के बारे में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कारखाने को लगाने के लिये उक्त विशेषज्ञों ने

(श्रीमती निर्मला कुमारी) राजस्थान में सबसे उपयुक्त स्थान चितौड़गढ़ को ही बताया है ? यदि हां, तो निकट भविष्य में यह कारखाना कब तक लग जावेगा ?

उत्तर

(1) केवल प्रारम्भिक रिपोर्ट दी थी।

(2) जी नहीं। कोई निश्चित राय नहीं दी थी।

मेजा फीडर

337. **श्री गणेश लाल पालिवा** (गंगरार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मेजा फीडर का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया व अब तक कितनी धन राशि इस पर खर्च की जा चुकी है ?

(2) बांध के निर्माण में कितने काश्तकारों की कितनी भूमि आई है तथा अब तक कितने काश्तकारों को मुआवजा तय किया जा चुका है व कितनों को अभी देना बाकी है ? अभी तक मुआवजा न दिये जाने का क्या कारण है और अब कब तक उन्हें दे दिया जावेगा।

उत्तर

(1) मेजा फीडर का निर्माण कार्य मई 1970 में शुरू किया गया था। अब तक इस योजना पर कुल एक करोड़ तीस लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

(2) मात्रिकुण्डिया बान्ध के निर्माण में अभी किसी काश्तकार की भूमि नहीं आई है। तथा भूमि काश्तकारों के ही अधिकार में है। इस बान्ध के नीचे तथा डूब में कुल 58 काश्तकारों की 210 बीघा भूमि आएगी जिन को मुआवजा देने की कार्यवाही चल रही है।

राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावास

338. **रमेशचन्द्र सैनिक** (हिण्डौन) **एवं श्री रामगोपाल** (किशनगन्ज) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान आदिम जाति सेवा संघ के नेतृत्व में राज्य में कितने छात्रावास चलाये जा रहे हैं ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त छात्रावासों के लिये समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है ? यह राशि प्रत्येक छात्रावास को कितनी किश्तों में और कब कब दी जाती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संघ की ओर से चलाये जा रहे कितने ऐसे छात्रावास हैं जिनमें व्यवस्थापक आदिम जाति एवं आदिम जन जाति के हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उक्त संघ बूंदी में चलाये जा रहे छात्रावासों को व्यवस्थित रूप से चला रहा है ? यदि हां, तो कैसे ? और नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास में अव्यवस्था की सूचना निर्देशक समाज कल्याण विभाग को कई बार दी गयी ? यदि हां, तो उन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(श्री रमेश चन्द्र संमिक एवं श्री गोपाल)

(6) क्या यह सही है कि दिनांक 12-2-74 को आदिवासी छात्रावास बूंदी के विद्यार्थियों को भूख से बचाने के लिये समाज कल्याण अधिकारी टोंक ने 10 किलो ज्वार दिलाई थी ? यदि हां, तो इस बात का कैसे विश्वास किया जावे कि छात्रावास व्यवस्थित ढंग से चल रहा है ?

(7) क्या राज्य सरकार ऐसे छात्रावासों को जिनको राजस्थान आदिम जाति सेवा-संघ चलाने में सक्षम नहीं है विभाग के नियंत्रण में लेने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास के वास्तविक छात्रों की प्रवास संख्या के आधार पर स्वीकृत खर्च का 90 प्रतिशत तथा निम्नलिखित अधिकतम सीमा में से जो भी कम होगा के अनुसार अनुदान स्वीकृत किया जाता है:—

कक्षा 5 से 8 तक	55) रु० प्रति छात्र
कक्षा 9 से 11 तक	60) रु० प्रति छात्र

यह राशि तीन किस्तों में निम्न प्रकार से स्वीकृत की जाती है:—

प्रथम किस्त	माह जून
द्वितीय किस्त	माह अक्टूबर
तृतीय किस्त	ऑडिटेड स्टेटमेंट प्राप्त होने पर मार्च तक ।

(3) उक्त संघ की ओर से चलाये जा रहे छात्रावासों में से 5 व्यवस्थापक अनुसूचित जन जाति के हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी नहीं । 4-12-73 की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार संघ की ओर से आदिवासी छात्रावास बून्दी में छात्रों की भोजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था आदि सुचारु रूप से व्यवस्थित नहीं थी जिस के लिये संचालकों को आगाह किया गया । अब स्थिति में सुधार है ।

(5) जी हां । सूचना मिलने पर जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी टोंक को इसका निरीक्षण करके व्यवस्था करने हेतु लिखा, जिस पर उन्होंने इसका निरीक्षण करके अब आवश्यक प्रबन्ध कर दिया है । संस्था को तत्सम्बन्धी नोटिस जारी हो चुका है ।

(6) जी हां । 50 किलो आटे की व्यवस्था तुरन्त जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, टोंक द्वारा की गई थी, इसके बाद संस्था द्वारा प्रबन्ध कर दिया गया है ।

(7) जी नहीं । वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा करना संभव नहीं है ।

राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर द्वारा संचालित अनुदानित छात्रावासों की जिलेवार सूची ।

क्र०सं०	नाम छात्रावास मय स्थान	जिला	स्वीकृत छात्र संख्या
1	आदिवासी छात्रावास लालसोट	जयपुर	30
2	आदिवासी छात्रावास, गंगापुर	सवाई माधोपुर	34
3	आदिवासी छात्रावास, जहाजपुर	भीलवाड़ा	44
4	आदिवासी छात्रावास, माण्डलगढ़	भीलवाड़ा	25
5	आदिवासी छात्रावास, बोराव	चित्तौड़गढ़	25
6	आदिवासी छात्रावास, बड़ी सादड़ी	चित्तौड़गढ़	25
7	आदिवासी छात्रावास, अरनोद	चित्तौड़गढ़	25
8	आदिवासी छात्रावास, चावण्ड	उदयपुर	30
9	आदिवासी छात्रावास, सेनारी	"	80
10	आदिवासी छात्रावास, कुम्भलगढ़	"	25
11	आदिवासी छात्रावास, सलुम्बर	"	85
12	आदिवासी छात्रावास, कानोड़	"	35
13	आदिवासी छात्रावास, ऋषभदेव	"	30
14	आदिवासी छात्रावास, नाना	पाली	25
15	आदिवासी छात्रावास, पिण्डवाड़ा	सिरोही	30
16	आदिवासी छात्रावास, बूंदी	बूंदी	25
17	आदिवासी छात्रावास, झालावाड़	झालावाड़	25
18	आदिवासी छात्रावास, शाहबाद	कोटा	25
19	आदिवासी छात्रावास, कस्बा थाना	कोटा	25
20	आदिवासी छात्रावास, नाहरगढ़	कोटा	25

राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर द्वारा संचालित छात्रावासों में आदिम जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यवस्थापकों की सूची ।

क्रमांक	नाम व्यवस्थापक	नाम छात्रावास
1	श्री भौंरीलाल मीणा	आदिवासी छात्रावास, लालसोट
2	श्री जयनारायण मीणा	आदिवासी छात्रावास, सवाई माधोपुर
2	श्री छीतरमल मीणा	आदिवासी छात्रावास, भीलवाड़ा
4	श्री सावरमल मीणा	आदिवासी छात्रावास, माण्डलगढ़
5	श्री जगदीशराम मीणा	आदिवासी छात्रावास, चित्तौड़गढ़

2.44

फागी तहसील के ग्रामों में बिजली

339. **श्री नयकिशनलाल तोसावाड़ा** (फागी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया जा चुका है कि हर तहसील हैडक्वार्टर को विद्युत् लाइन से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि फागी तहसील हैडक्वार्टर पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है ?

(3) क्या इस वित्तीय वर्ष में फागी तहसील में हैडक्वार्टर को विद्युत् लाइन से जोड़ दिया जावेगा ?

(4) फागी तहसील के जिन गांवों के लिये विद्युत् लाइन स्वीकृत हो चुकी है उनको इस वित्तीय वर्ष में विद्युत् लाइन में जोड़ दिया जावेगा या नहीं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा अगले वित्तीय वर्ष में और कितने गांव के लिए विद्युत् लाइन स्वीकृत की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) सन् 1973-74 के वर्ष में फागी तहसील हैडक्वार्टर को विद्युत् लाइन से जोड़ना संभव नहीं होगा ।

(4) जी नहीं । अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 33 के. वी. लाइन पर कार्य चालू है । इसके पूरा होने पर ही स्वीकृत गांवों को विद्युत् पहुंचाई जा सकेगी अगले वित्तीय वर्ष में कितने गांवों को विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत किया जावेगा इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

POWER DEPARTMENT

DIRECTIVES

Jaipur, December 29, 1970

No. F. 10 (216)/Pow/70:—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) of Section 78-A of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the Government of Rajasthan hereby give the following directions:

The Government directs the Rajasthan State Electricity Board, Jaipur, that every Tehsil, Sub-Tehsil and Panchayat Samities head quarters shall be electrified by December, 1971. In case it cannot be connected with transmission system, diesel sets may be installed within the stipulated time.

By Order of the Governor

Sd/-

COMMISSIONER & SECRETARY

TO THE GOVT. OF RAJASTHAN

मलेरिया इन्सपेक्टर का निलम्बन

340. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) **एवं श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में जुलाई, 1961 में किसी मलेरिया इन्सपेक्टर को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो किसको और उन पर क्या आरोप था ? आरोप-पत्र की पूर्व सूचना के पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या उक्त मलेरिया इन्सपेक्टर को पुनः बहाल करके सेवा में ले लिया गया ? यदि हां, तो कब और किस आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या उक्त मलेरिया इन्सपेक्टर को जिस तिथि को निलम्बित किया गया था उस तिथि से पुनः सेवा पर लिये जाने की तिथि तक का वेतन इस मलेरिया इन्सपेक्टर को चुका दिया गया ? यदि हां, तो किस तिथि को और कितनी धन राशि का चुकारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक चुका दिया जायेगा ?

(4) क्या उक्त मलेरिया इन्सपेक्टर पर लगाये गये आरोपों की जांच के लिये विभाग द्वारा किसी जांच अधिकारी अथवा किसी जांच समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कितनी अवधि निश्चित् की गई थी ? क्या इस अवधि में जांच रिपोर्ट आ गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह जांच समिति अभी भी कार्यरत है अथवा समाप्त कर दी गई ?

(5) क्या उक्त मलेरिया इन्सपेक्टर को बहाल कर देने पर उसका ग्रेड इन्क्रीमेंट तथा वेतनमान का फिक्सेशन अवधि के अनुसार किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री नरेशकमल शर्मा मलेरिया इन्सपेक्टर को दिनांक 6-5-1961 की आज्ञा द्वारा निलम्बित किया गया था । आरोप-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां, दिनांक 6-12-1962 को। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) अभी कोई भुगतान नहीं किया गया है । विभागीय जांच पूर्ण होने पर जांच पर लिये गये निर्णयानुसार वेतन दिया जा सकेगा ।

(4) जी हां, मामले की जांच अतिरिक्त आयुक्त, विभागीय जांच द्वारा की जा रही है । जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है ।

(5) जांच पूर्ण होने पर ही यह संभव हो सकेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रतापगढ़ क्षेत्र में अकाल एवं बाढ़ से क्षति

341. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ): क्या अकाल और बाढ़ सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष तहसील प्रतापगढ क्षेत्र में भयंकर अकाल व गत वर्षाकाल में अतिवृष्टि से सभी प्रकार की फसलें गल कर नष्ट हो गई ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत नुकसान हुआ ? तथा राज्य सरकार क्षतिपूर्ण किस प्रकार कर रही है ?

(श्री हरकलाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष माह फरवरी, 1974 में शीत लहर से प्रतापगढ तहसील में उन्हालू फसलों में फसलों को नुकसान हुआ ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत तथा इस नुकसान की पूर्ति हेतु राज्य सरकार क्या सुविधा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस तहसील में कुल ग्रामों की संख्या 531 है। इनमें से 270 ग्रामों को गत् वर्ष फसल खरीफ सम्वत् 2029 में खराबा होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया था। बाद में फसल रबी सम्वत् 2029 में खराबा होने के कारण 26 ग्रामों को और अभावग्रस्त घोषित किया गया था। जहां तक अतिवृष्टि से फसल खरीफ 2030 में हुए नुकसान का संबंध है, जिलाधीश ने अभाव-स्थिति का प्रतिवेदन भेजा है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। फसलों में जो नुकसान सूखा पड़ने अथवा अतिवृष्टि से होता है उसकी क्षति पूर्ति के लिये राज्य सरकार कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करती।

(2) यह सही नहीं है कि माह फरवरी, 1974 में शीत लहर से प्रतापगढ़ तहसील में उन्हालू फसल में नुकसान हुआ है।

आहोर तहसील के बाढ़ से क्षति

343. **श्रीमती समुद्रकंवर** (आहोर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आहोर तहसील में गत बाढ से कितने मकान गिरे और प्रत्येक मकान मालिक को राज्य सरकार की तरफ से क्या सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आहोर तहसील में गत बाढ से कितने कुए नष्ट हुए और कितने बीघा जमीन रेत आने से अथवा खड्डे पड़ जाने से खराब हुई और राज्य सरकार की ओर से काश्तकारों को क्या सहायता दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ? यदि कोई सहायता नहीं दी गयी तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्र के जिन काश्तकारों की समूची फसल नष्ट हो गई और उनको क्या राहत दी गई यदि नहीं दी गई तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

दिनांक (16-3-1974)

सीमेन्ट का कोटा

356. **श्री मोठालाल** (लालसोट) एवं **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य को जनवरी, 1973 से अब तक केन्द्रीय कोटे से अलग अलग माह में कितना सीमेंट आवंटित हुआ ?

(2) उक्त सीमेंट के कोटे में से कितना राज्य सरकार ने प्राप्त किया और कितना नहीं उठाने तथा अन्य कारणों से केन्सिल हुआ ? केन्सिल होने के क्या क्या कारण थे ?

(3) जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण सीमेंट नहीं उठाया गया उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

आबू रोड-पोसीना रोड़ तक कच्ची सड़क का निर्माण

342. **श्री भूराराम** (आबू): क्या

Page No 247

247

(श्री भूराराम)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आबू रोड से पोसीना रोड़ तक गत वर्ष कच्ची सड़क बनाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि माह अगस्त, सितम्बर में बाढ़ व अतिवृष्टि से यह सड़क टूट कर नष्ट हो गई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारंभ करेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार ने सड़क नहीं टूटे इसका कोई स्थाई हल निकाला है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो आज तक स्थायी हल क्यों नहीं निकाला गया ?

उत्तर

(1) आबूरोड से पौसीना का भाग निचलगढ़ से पौसीना को गत वर्ष सहायता कार्यों में quarry Rubbish डाल कर Fair weather सड़क बनाई गई थी ।

(2) सारी सड़क टूट कर नष्ट नहीं हुई थी, किन्तु कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि से टूट गई थी, और पत्थरों की चुनी रिटेनिंग वाले कुछ स्थानों पर टूट कर गिर गई थी, व मार्ग अवरूद्ध हो गया था । सड़क मरम्मत कार्य प्रगति पर है ।

(3) यह सड़क अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई है । अभी राज्य सरकार की मरम्मत सूची पर नहीं है अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

——

परिशिष्ट-3

(अ० ता० प्र० सं० 243 की सूची)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, जयपुर (प्रथम)

क्रमांक-वि० नि० अय०/1/लेखा-5/ एफ-17/654-55/73, दिनांक 15-9-73

मंत्री,
प्रदीप शिक्षण केन्द्र,
जयपुर।

विषय :-श्री चन्द्र प्रकाश सोगानी को कार्यारम्भ कराने हेतु ।

संदर्भ :-श्री सोगानी का पत्र दिनांक 17-8-73 ।

विषयान्तर्गत लेख है कि श्री सोगानी को निर्देशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के स्थायी आदेश 4/73 क्रमांक शिविरा।अनु०।ए।16011।40।73-74 दिनांक 28-5-73 के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये दी गई ढील का लाभ देते हुए इनको अविलम्ब कार्यारम्भ कराकर दिनांक 22-9-73 तक इस कार्यालय को सूचित करें ।

ह०

विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग,
जयपुर (प्रथम)

प्रतिलिपि:- पत्रांक वि०नि०शि० अय०/1/लेखा 5, एफ 12/27 सी/72-73। दिनांक 31-10-73 कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, जयपुर (प्रथम)।

मंत्री,
प्रदीप शिक्षण केन्द्र
उच्च प्राथमिक विद्यालय, जयपुर ।

विषय :-श्री चन्द्रप्रकाश सोगाणी को कार्यारम्भ कराने हेतु ।

प्रसंग :-इस कार्यालय के पत्रांक लेखा 5 एफ, 17/654/55/73, दिनांक 15-9-73 ।

विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रासांगिक पत्र द्वारा आपको उक्त अध्यापक का कार्यारम्भ कराने हेतु लिखा गया था किन्तु आपने इनका कार्यारम्भ नहीं करवाया इस कार्यालय के आदेश की अवहेलना की है जो अनुचित है । अतः पुनः लेख है कि अब आप इनको अविलम्ब कार्यारम्भ कराकर दिनांक 3-11-73 तक इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा इस कार्यालय को विवश होकर आपके विद्यालय का अनुदान बन्द करने हेतु निर्देशक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को निवेदन करना पड़ेगा ।

ह०-

विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग,
जयपुर (प्रथम) ।

परिशिष्ट-4

(अ० ता० प्रश्न सं० 246 की सूची)

काश्तकारों की सूची जिनका मुआवजा छतरपुरा तालाब के अन्तर्गत अवाप्त भूमि का बनता है ।

नाम	क्षेत्र जिसका मुआवजा बना है बीघा बिस्वा	राशि मुआवजा रु०	भुगतान का चेक नम्बर एवं तिथि
1	2	3	4
1. श्री देवी लाल पुत्र मोहन लाल 44 श्री बद्री लाल पुत्र श्री राम किशन 44 श्री अमर लाल पुत्र श्री किशोरी लाल 44 132	3–0	132.00	30-3-72
2. श्री गोपाल पुत्र श्री रामचन्द्र धाखड़, छतरपुरा 264/–	6–0	264.00	"
3. श्री सुन्दर पुत्र श्री गोरधन 264/–	15–0	264.00	"
4. श्री लीलाधर द्वारका लाल महाजन 632/–	23–12	632.00	"
5. श्री नानजी राम नन्दा धाखड़ छतरपुरा 1318.00	27–32	1318.00	"
6. श्री रतन लाल पुत्र देवी लाल धाखड़, छतरपुरा	16–27	763.40	"
7. श्री फुल्या पुत्र श्री ग्यारसा कच्छी छतरपुरा	0–3	6.60	"
8. श्री हीरा लाल पुत्र श्री कन्हैयालाल धाखड़	18–9	811.80	"
9. श्री मांगी लाल 1-10 श्री कन्हैया लाल 1-10 श्री गणेश 1-10 श्री सुन्दर 1-10	0–5	4.40	"

1	2	3	4
10. श्री नारायण पुत्र श्री बालदेव धाखड़, छतरपुरा	5–24	815.00	30-3-72
11. श्री माना पुत्र श्री गंगूराम श्री गोपाल पुत्र श्री कंवर लाल	2–10	110.00	”
12. श्रीमती गोबाव पत्नी श्री चन्दा श्री कनवारीया पुत्र श्री राम नाथ धाखड़ छतरपुरा	2–22	659.60	”
13. श्री चन्द्र मोहन पुत्र श्री भंवर लाल, छतरपुरा श्री शंकर पुत्र श्री नायू लाल, खाती	12.9	438.20	”
14. श्री घूडिया पुत्र धानसी श्री किशन पुत्र माधू, नाहरगढ़	..	26.40	”
15. श्री गोरन पुत्र श्री चन्दा श्री कंवर लाल पुत्र श्री राम नाथ खखर, छतरपुरा	4–4	443.50	”
16. श्री नारायण पुत्र श्री बलदेव श्री गोपाल पुत्र श्री भार्वारिया, खखर, छतरपुरा	5–0	132.00	”
17. श्री अब्दुल रहमान खांन श्री अब्दुल करीम खांन	1–15	77.00	”
18. श्री हरिनारायण पुत्र श्री सुख लाल श्री भैरूलाल पुत्र श्री सुख लाल श्री राम लाल पुत्र श्री सुख लाल धाखड़	0–10	22.00	”
19. श्री घासी पुत्र श्री भंवर लाल श्री नारायण पुत्र श्री भंवर लाल, छतरपुरा	11–25	319.00	”
20. श्री दुलीया पुत्र श्री बजरंगा श्री भाटा पुत्र श्री बजरंगा श्री रतना पुत्र श्री बजरंगा श्री काना पुत्र श्री बजरंगा श्री दुल्या पुत्र श्री पन्ना श्री जगन्नाथ पुत्र श्री पन्ना श्री सूरजा पुत्र श्री पन्ना	1–19	85.80	”

1	2	3	4
21. श्री जगन्नाथ पुत्र श्री दुल्या श्री रामनाथ पुत्र श्री मोतीया नाई, छतरपुरा	2—10	110.00	30-3-1972
22. श्री नाथू श्री देवा श्री राधा श्री कृष्ण पुत्र श्री कुमार, छतरपुरा	4—30	242.00	"
23. श्री मथुरा लाल पुत्र श्री भूरालाल श्री पेरू लाल पुत्र श्री भूरालाल	13—0	572.00	"
24. श्री हरीनारायण पुत्र श्री मथुरा लाल धाखड़, छतरपुरा	1—14	74 80	"
25. श्री घासी पुत्र श्री बिहारी लाल धाखड़, नाहरगढ़	4—20	124.00	"
26. श्री नानगा पुत्र श्री भंवरिया श्री काल्या पुत्र श्री भंवरिया श्री नाथू पुत्र श्री भंवरिया श्री किशन पुत्र श्री भंवरिया श्री जगन्नाथ श्री नानगा श्री देवा लाल	2—2	221.70	"
27. श्री ओंकार पुत्र श्री गणेश धाखड़, छतरपुरा	11—1	486.20	"
28. श्री मथुरा पुत्र श्री कृष्ण झमर, छतरपुरा	0—5	6 60	"

Page No 252

252

1	2	3	4
29. श्री ग्यारसा पुत्र श्री मालवा धाखड़, छतरपुरा	23–32	883·80	30·3-72
30. श्री दुर्गा लाल पुत्र श्री रामा लुहार, नाहरगढ़	0–5	11·00	"
31. श्री राम गोपाल पुत्र श्री मथुरा धाखर, छतरपुरा	19–00	440·00	"
32. श्री गीरी पुत्र श्री भंवर लाल, छतरपुरा	0–11	58·00	"
33. श्री देवी लाल पुत्र श्री कंवर लाल ब्राह्मण, छतरपुरा	6–13	292·60	"
34. श्री मूल्या पुत्र श्री गणेश धाखड़, नाहरगढ़	3–8	89·70	"

परिशिष्ट-5

(अता० प्र० संख्या 253 की सूची)

LIST OF VILLAGES INCLUDED IN REC SCHEME OF PANCHAYAT SAMITI RASHMI IN CHITTORGARH DISTT.

S.No.	Name of the village	S.No.	Name of the village
1.	Puthwadiya	29.	Bindoliya
2.	Bheemgarh	30.	Deoda
3.	Pavli	31.	Jaisinghpura
4.	Baroo	32.	Budh
5.	Panna Khera	33.	Kaseri
6.	Jadana	34.	Negdiya Khurd.
7.	Muroli	35.	Bhoocherton ki Kheri
8.	Marmi	36.	Bharipura
9.	Punawata	37.	Saran
10.	Jagpura	38.	Salriya
11.	Bavlas	39.	Peeplya
12.	Somi	40.	Lalas
13.	Devipura	41.	Gowlya
14.	Rewara	42.	Dadiya
15.	Manyas	43.	Khaliya
16.	Gagpura	44.	Tumdiya
17.	Ratan Kheri	45.	Rodiya
18.	Uncha	46.	Bhanapi
19.	Sihana	47.	Sadas
20.	Neoriya	48.	Mandpiya
21.	Sudri	49.	Nayatalab,
22.	Kurintiya	50.	Jitiyas.
23.	Indoro	51.	Jawasiya.
24.	Rundh	52.	Tarosta.
25.	Lasadiya Khurd	53.	Soniyana
26.	Joiron ka Khera	54.	Naga Ka Khera
27.	Raipuriya	55.	Unda
28.	Nimbahera	56.	Sadi

254

परिशिष्ट-6

(अता० प्र० सं० 257 की सूची)

अकाल के समय खोले गये अस्थाई औषधालयों की सूची जिनके भवनों की रजिस्ट्री विभाग के नाम हो चुकी है ।

क्र० सं०	ग्राम का नाम	भवन की अनुमानित लागत
1.	थावरिया	8 से 10 हजार के मध्य है ।
2.	कोलासर	9 से 10 हजार के मध्य है ।
3.	गिरराज सर	10 से 12 हजार के मध्य है ।

परिशिष्ट-7

(अता० प्र० सं० 267 की सूची)

सूची उन राज्यों की जिन्होंने 23वीं अखिल भारतीय पुलिस खेल-कूद प्रतियोगिता, 1974 में भाग लिया

1. आंध्रप्रदेश
2. आसाम
3. बिहार
4. बी० एस० एफ०
5. सी० आर० पी० एफ०
6. दिल्ली
7. हरियाणा
8. कर्नाटक
9. केरेला
10. महाराष्ट्र
11. मणिपुर
12. मध्यप्रदेश
13. नागालैण्ड
14. उडीसा
15. पंजाब
16. राजस्थान
17. त्रिपुरा
18. तामिलनाडू
19. उत्तर प्रदेश

सूची उन राज्यों की जिन्होंने 23वीं अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता, 1974 में भाग नहीं लिया।

1. अन्डमान निकोबार महाद्वीप
2. अरुणाचल प्रदेश
3. गोवा
4. हिमाचल प्रदेश
5. आई० टी० बी० पी० (भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस)
6. जम्मू एवं कश्मीर
7. गुजरात
8. मेघालय
9. मिजोरम
10. पांडीचेरी
11. वेस्ट बंगाल

23वीं अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता पर खर्च की गई धनराशि का विवरण

1.	खेल-कूद सम्बन्धित कागजात की छपाई आदि	2,653.02
2.	रेफरिज, इम्पायरर्स आदि को दिया गया टी० ए०/डी० ए०	6,944.00
3.	खेल-कूद के मैदान व स्टेडियम का किराया	1,232.25
4.	पानी/बिजली व शामियाने का आदि खर्चा	14,706.07
5.	खेल-कूद के लिए खरीदे गये विभिन्न प्रकार के सामान का खर्चा	16,734.02
6.	स्टेशनरी खरीदने का खर्चा	2,916.14
7.	जलपान	4,693.50
8.	दवाइयों पर खर्चा	999.58
9.	पदक व बैजेज बनाने का खर्चा	3,580.00
10.	पी० ओ० एल० पर खर्चा (पट्रोल, डीजल, तेल आदि)	30,489.42
11.	टेलीफोन व डाक/तार का खर्चा	1,106.30
	योग ..	86,055.40

परिशिष्ट-8

(स्थगित प्र० सं० 43 की सूची)

छात्राओं से वसूल की गई शुल्क

क्र० सं०	नाम	गेम्स	परीक्षा	वाचनालय	पुस्तकालय	निर्धन छात्र कोष	योग
1.	साधना कुमारी पुत्री श्री हंसराज जैन, कक्षा 7	3-00	5-00	1-00	1-00	0-50	11-50
2.	उषा पुत्री श्री दुलीचन्द विप्र, कक्षा 8	3-00	5-00	1-00	1-00	0-50	11-50
3.	सुशीला पुत्री श्री सूरजमल, कक्षा 8	3-00	5-00	1-00	1-00	0-50	11-50

यह शुल्क रसीद नम्बर क्रमशः 14, दिनांक 24-8-73, 53 दिनांक 23-8-73 एवं 55 दिनांक 23-8-73 द्वारा प्राप्त किया गया है। रसीदें स्वयं प्रधानाध्यापिका (श्रीमती कौशल्यादेवी) के हस्ताक्षरों से दी गई हैं।

शुद्धि-पत्र

क्रम संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
3	शीर्ष	नोप्रश्त्तर	प्रश्नोत्तर
12	नीचे से 11	श्री हीरालाल	श्री हीरालाल देवपुरा
50	ऊपर से 10	दे	है
51	नीचे से 12	सायता	सहायता
52	नीचे से 12	1971	1974
61	ऊपर से 3	संधु	संधु
92	ऊपर से 14	लाल	साल
92	ऊपर से 16	खीं ।	खींचा
102	शीर्ष	अध्यपक्षीय	अध्यक्षीय
115	ऊपर से 7	मननीयध्यक्ष	माननीय अध्यक्ष
118	नीचे से 4	क्वित	व्यक्ति
139	ऊपर से 14, 15 के मध्य	------	कटौती प्रस्ताव
139 से 192	शीर्ष	अनुदान की मांगें 20 मार्च, 1974 मांग संख्या 16 3, 4 व 5	मांग संख्या 16,37, 4 व 5-20 मार्च 1974-पर कटौती प्रस्ताव
220	ऊपर से 5	इनकोरिजिवल	है और इन्क्योरिबल
240	नीचे से 9	लिखी	लिखा
245	नीचे से 9	रिल	डीरेल
249	ऊपर से 3	सलाह	सलाह दी
249	ऊपर से 3, 4	राजस्थान टान्सपोर्ट आपरेटर्स के सम्मेलन का उद्घाटन	------
251	ऊपर से 4	उपाध्य	उपाध्यक्ष महोदय
263	नीचे से 9	हुडा	हांडा
267	नीचे से 13	भ्रष्टाचार	भ्रष्टाचार का

258

-2-

1	2	3	4
276	ऊपर से 12	मेनो	मेमो
386	ऊपर से 13	आपसे	आपने
387	नीचे से 8	तेलांगना	तेलंगाना
388	शीर्ष से (	(38	388
392	ऊपर से 4	दर	पर
393	नीचे से 4	कार	प्रकार
400	ऊपर से 2	पर पर	पर
400	ऊपर से 7	ईमानदारी	ईमानदार
405	नीचे से 17	क्राइन	क्राइम
450	नीचे से 1	कमी	कमीशन
455	नीचे से 4	चाहत	चाहता हूं